' नवम माला

20 अगस्त, 1990
भाद्रपद, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद- विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 20 अगस्त, 1990/29 श्रावण, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
11	17	प्रश्न संख्या "142" के स्थान पर "144" पढ़िये ।
25	नीचे से पंक्ति 10	"(9)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
56	6	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
63	3 तथा 5	"(ख)" के स्थान पर "(क)" तथा "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
66	14	शीर्षक में "सवक्षण" के स्थान पर "सर्वेक्षण" पढ़िये ।
92	15	शीर्षक में "रोजगर" के स्थान पर "रोजगार" पढ़िये ।
108	11 तथा 12	शीर्षक में "वारों" के स्थान पर "चोरों" तथा प्रश्न संख्या "1726" के स्थान पर "1727" पढ़िये ।
134	प्रथम पंक्ति	(ख)(ब) के स्थान पर "(ख) से (ब)" पढ़िये ।
136	12	शीर्षक में "क्षेज्ञ" के स्थान पर "क्षेत्र" पढ़िये ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
160	प्रथम पंक्ति	"मंत्री जी" के नाम के पश्चात् "(क)" अन्तःस्थापित कीजिए ।
164	18	शीर्षक में "सककार" के स्थान पर "सरकार" पढ़िये ।
191	5	शीर्षक में "शिफारिशें" के स्थान पर "सिफारिशें" पढ़िये ।
194	नीचे से पंक्ति 2	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
271	21	"4·00 म० स०" के स्थान पर "4·00 म० प०" पढ़िये ।
291	नीचे से पंक्ति 3	"मोहदय" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 7, सोमवार, 20 अगस्त, 1990/29 श्रावण, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 143 से 145	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—229
तारांकित प्रश्न संख्या : 146 से 162	23—41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1648 से 1787, 1789 से 1806, 1808 से 1841, 1843 से 1861 और 1863 से 1879	42—229
सैयद मोदी की हत्या के मामले में जिला और सत्र-न्यायाधीश के स्थानान्तरण तथा वकीलों की नियुक्ति के बारे में	229—232
दूरदर्शन के "खुला मंच" कार्यक्रम के बारे में	232—241
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	241—243
समितियों के लिए निर्वाचन	243—244
(एक) पशु कल्याण बोर्ड	243
(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट	244
विधेयक—पुरःस्थापित	244—245
(एक) छावनी (संशोधन) विधेयक	244
(दो) तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक	244
(तीन) तम्बाकू उपकर (संशोधन) विधेयक	245

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 337 के अधीन मामले	245—247
(एक) विशाखापट्टनम स्थित पोर्ट हाई स्कूल का भवन गिरने से हताहत हुए बच्चों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने तथा इस दुर्घटना के कारणों की जांच किए जाने की मांग	
श्रीमती उमा गजपति राजू	245
(दो) कच्चे रबड़ का आयात कम करके घरेलू रबड़ उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य सूचित किए जाने की मांग	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	245
(तीन) 1947 में पाक-अधिकृत कश्मीर से जम्मू तथा राज्य के अन्य भागों में बसे शरणार्थियों के दावे निपटाए जाने की मांग	
श्री जनक राज गुप्त	246
(चार) उत्तर प्रदेश सरकार को लोगों को आग्नेयास्त्रों के लिए लाइसेंस देने की नीति उदार बनाने के निदेश दिए जाने की मांग	
श्री सत्यपाल सिंह यादव	246
(पांच) राउरकेला इस्पात संयंत्र से गैस का रिसाव रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग	
श्री डी० अमात	246
(छः) समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए देश में, विशेषकर उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के और अधिक केन्द्र खोले जाने की मांग	
श्री शिवाजी पटनायक	247
(सात) खेल के मैदानों को अधिक्रमण से बचाने के लिए विधान बनाए जाने की मांग	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	247
जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक—जारी	248—303
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जसवन्त सिंह	248

विषय	पृष्ठ
श्री दिनेश सिंह	255
श्री सैफुद्दीन चौधरी	262
श्री लोकनाथ चौधरी	267
श्री पी० चिदम्बरम	270
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल	279
श्री सूर्यनारायण यादव	282
प्रो० सैफुद्दीन सोज	286
श्री गुलाब चन्द कटारिया	293
डा० वेंकटेश काबडे	297
श्री चित्त बसु	299

लोक सभा

सोमवार, 20 अगस्त, 1990/29 श्रावण 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों से ज्ञापन

[अनुवाद]

143. डा० सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के स्थानान्तरण के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों की कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जांच के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क), से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों का स्थानांतरण और उनकी तैनाती शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार की जाती है। शैक्षिक सत्र 1989-90 (1-5-89 से से 30-4-90 तक) के लिए स्थानांतरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं शासी बोर्ड द्वारा 27-12-1988 को आयोजित इसकी 52वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए संगठन ने के०वी०एस० के तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदन से शैक्षिक सत्र 1989-90 के लिए ब्यौरेवार संचालनात्मक मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की थीं।

इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्राथमिकताओं का उल्लेख है जिनका पालन स्थानांतरण करने के समय किया जाएगा। वर्ष 1989-90 की प्राथमिकताएं निम्नलिखित थीं :

(i) प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण।

(ii) गम्भीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण जिसके लिए तैनाती के स्थान से दूर उपचार करना अपेक्षित है।

(iii) अपने परिवार में शामिल होने के लिए पति/पत्नियों का स्थानान्तरण तथा अपनी मन-पसन्द के स्थान पर अविवाहित लड़कियों का इसी प्रकार का स्थानान्तरण ।

इन स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाओं को यथा-उपरोक्त संचालनात्मक मार्गदर्शी रूपरेखाओं के रूप में संगठन द्वारा इनका व्यापक प्रसार किया गया। उपरोक्त प्राथमिकताओं का भी संचालनात्मक मार्गदर्शी रूपरेखाओं में निम्न प्रकार से प्रसार किया गया है :—

(1) बाध्य प्रशासनिक और अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण ।

(2) ऐसे शिक्षण कर्मचारियों (स्नातकोत्तर तथा इसके ऊपर) का स्थानांतरण जिन्होंने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में (इस क्षेत्र के लिए 1984 में विशेष रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों को छोड़कर) 3 साल पूरे कर लिए हैं ।

(3) उन अध्यापकों का स्थानान्तरण जिन्होंने के० वी० एस० द्वारा यथा-निर्दिष्ट कठिन स्थानों पर 3 साल पूरे कर लिए हैं ।

(4) गम्भीर बीमारी के कारण स्थानान्तरण, जिसके लिए तैनाती के स्थान से दूर उपचार करना अपेक्षित है ।

(5) परिवार में शामिल होने के लिए पति/पत्नी का स्थानान्तरण ।

(6) अविवाहित लड़कियों का उनके मनपसन्द के स्थानों पर स्थानान्तर ।

(7) ऐसे मामलों में जो उपरोक्त (1) से (6) तक में शामिल नहीं होते/तैनाती के वर्तमान स्थान में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सामान्य वर्ग के मामलों में स्थानान्तर ।

स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूप-रेखाएं अनुबंध-1 में और संचालनात्मक मार्गदर्शी रूप-रेखाएं अनुबन्ध-2 में देखी जा सकती हैं ।

जैसाकि सदन में 16 अप्रैल; 1990 को दिए गए ता० प्र० सं० 451 के उत्तर में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि के० वी० एस० के तत्कालीन अध्यक्ष के विशिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत 181 मामलों में अध्यापकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिए गए थे । उसी समय दिए गए आश्वासन के अनुसरण में इस मासले की जांच की गई है । प्रसांगिक तथ्यों का के० वी० एस० द्वारा पता लगाया गया है और उन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है :—

इन 181 स्थानान्तरण के लिए आदेश स्पष्ट रिक्तियों पर दिए गए थे अर्थात् के० वी० एस० के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा इस आधार पर कि इनमें "नितान्त अनुकम्पा तथा बाध्य प्रशासनिक अपेक्षाए शामिल हैं", किन्हीं अन्य अध्यापकों को उनके स्थान पर तैनात किए बिना ये स्थानांतरण आदेश दिए गए थे । के० वी० एस० में उपलब्ध अभिलेखों की ओर आगे जांच करने पर स्थानांतरण की मांग वाले आवेदकों द्वारा उल्लिखित आधारों को निम्नलिखित रूप से पहचाना जा सकता है :—

(क) पति/पत्नी के आधार पर	47
(ख) अविवाहित लड़कियां	08
(ग) उत्तरी-पूर्वी प्रदेश/कठिन स्थान	04
(घ) सामान्य वर्ग के मामले	18

के० वी० एस० के अध्यक्ष द्वारा दिए गए 181 स्थानांतरण सम्बन्धी आदेशों में से सम्बन्धित अध्यापकों के अनुरोध पर 13 आदेश बाद में रद्द कर दिए गये थे जिनमें वे तीन मामले भी शामिल हैं जिनके लिये बाद में यह सूचित किया गया कि रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं। बकाया 91 मामलों में स्थानांतरण के कारणों के सम्बन्ध में के० वी० एस० के आयुक्त के कार्यालय के रिकार्ड में और ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या सहित स्थानांतरित अध्यापकों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रमांक	शिक्षकों के ब्यौरे	1988-89	1989-90
1.	अध्यापकों की संख्या	22874	24,528
2.	स्थानान्तरण के लिए आवेदनों की संख्या	2120	3,365
3.	प्रभावी स्थानांतरण	458	923 (20-12-1989 तक)

अनुबन्ध-1

अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं—1989 90

(1) सामान्य नीति यह होगी कि प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों को बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। सामान्य स्थानांतरण केवल संगठनात्मक कारणों अथवा अनुरोध अथवा चिकित्सा आधार पर किए जाएंगे।

(2) ऐसा कोई कार्यालय निर्धारित नहीं होगा जिसके बाद किसी अध्यापक/उप-प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षाधिकारी/सहायक आयुक्त को स्थानान्तरण करना जरूरी हो।

(3) प्रति वर्ष पदोन्नति के प्रस्ताव करने के बाद ही स्थानांतरण किये जाएंगे।

(4) आमतौर पर स्थानांतरण गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही किए जायेंगे। 31 अक्तूबर के बाद स्थानांतरण नहीं किए जायेंगे।

(5) पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली आशान्वित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किये जायेंगे।

(6) निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किए जायेंगे :—

(क) प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण।

(ख) ऐसी गंभीर बीमारी के कारण स्थानांतरण जिसके लिए तैनाती के स्थान से दूर उपचार करना अपेक्षित हो।

(ग) परिवार में शामिल होने के लिए पति-पत्नियों का स्थानान्तरण और इसी प्रकार से अविवाहित लड़कियों का उनके सुविधानुसार स्थान पर स्थानांतरण।

(7) उपरोक्त 6 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर साधारणतया किसी भी अध्यापक का स्थानांतरण के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने तीन शैक्षिक सत्र पूरे नहीं कर लिए हों।

(8) समान वेतनमानों में अध्यापकों के अन्य वर्ग तथा पी०आर० टी० और टी०जी०टी० को उस क्षेत्र से बाहर तैनात नहीं किया जाएगा जिसमें उसका प्रवरण किया गया है।

(9) नियुक्ति पर सभी वर्गों के अध्यापकों को यथासंभव दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ।

(10) रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर पी० जी० टी०/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षाधिकारियों/पदोन्नति पर सहायक आयुक्त अथवा सीधी भर्ती पर उन्हें जहां वे तैनात हैं उस स्थान के अलावा किसी भिन्न राज्य में तैनात किया जाएगा अथवा निवास स्थान में नियुक्त किया जाएगा इनमें से जैसे भी मामले हों और उन्हें साधारणतया उस राज्य से बाहर कम से कम 5 वर्षों के लिए तब तक स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए बाध्य करना न हो।

(11) ऐसे पी० जी० टी०/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षाधिकारियों/सहायक आयुक्तों को जिनके सेवानिवृत्ति के 3 साल अथवा इससे कम समय रह गया है, रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर यदि वे पहले से अपने मूल राज्य में कार्यरत हैं, को पदोन्नति/सीधी भर्ती पर बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।

(12) कार्मिक विभाग द्वारा पता लगाए गए कठिन स्टेशनों पर तैनात अध्यापकों/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों को कठिन स्टेशनों पर तीन वर्ष के पड़ाव को पूरा करने के बाद और रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर उनकी मन मर्जी का स्टेशन दिया जाएगा फिर भी यह शर्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से भर्ती किए गए अध्यापकों के लिए लागू नहीं होगी।

(13) किसी भी आधार पर स्थानांतरण सम्बन्धी अनुरोध के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता की अदायगी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस अध्यापक ने तैनाती के अपने उस स्थान में पांच वर्ष पूरे न कर लिए हों।

अनुबन्ध-2

शिक्षण स्टाफ हेतु वर्ष 1989-90 के लिए स्थानांतरण की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के परिचालनात्मक ब्यौरे

स्थानांतरण के परिचालनात्मक ब्यौरे वर्ष 1989-90 के लिए के० वि० स० के शिक्षण स्टाफ हेतु मार्गदर्शी रूप रेखाओं पर राज्य मंत्री के निजी सचिव के साथ आयुक्त, के० वि० सं० की दिनांक 15-5-89 को हुई बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गयी थी उनकी सूची नीचे दी गयी है :—

के० वि० संगठन के शासी निकाय ने 27-12-88 को हुई अपनी 52वीं बैठक में अध्यापकों, उपप्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण और तैनाती सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं अनुमोदित की इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अन्तर्गत मोटे तौर पर स्थानांतरणों को निम्नलिखित दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है :—

(क) जनहित में स्थानांतरण ।

(ख) अनुरोध पर स्थानांतरण ।

इस वर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वरूप के स्थानांतरण की संकल्पना की गई है :—

(i) बाध्य प्रशासनिक और अनुकम्पा के आधार पर स्थानांतरण।

(ii) उन स्नातकोत्तर शिक्षकों, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण जिन्होंने (असम/मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सहित) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह भारत सरकार की नीति के अनुसरण में है। फिर भी इसमें विशेष रूप से 1984 में उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए भर्ती किए गए पी० जी० टी०, टी० जी० टी० और पी०आर०टी० शामिल नहीं हैं)।

(iii) उन अध्यापकों/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण जिन्होंने कठिन स्थान पर तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये तीन वर्ष कठिन स्थान पर कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होंगे। (कठिन स्थानों का पता भूतपूर्व के० वि० संगठन समिति द्वारा लगाया गया क्योंकि कार्मिक विभाग इस प्रकार की सूची नहीं रखता)।

(ख) अनुरोध पर स्थानांतरण

शासी निकाय द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी रूप रेखाओं में निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

(क) नियुक्ति के स्थान से दूर इलाज की आवश्यकता वाली गम्भीर बीमारी के कारण स्थानांतरण।

(ख) परिवार में आने के लिए पति/पत्नी का स्थानांतरण और समान रूप से अविवाहित लड़कियों का उनके सुविधा के अनुसार स्थान पर स्थानांतरण।

उपरोक्त को कार्यान्वित करने के क्रम में, निम्नलिखित प्राथमिकताओं और ब्यौरों का सुझाव दिया जाता है :—

(i) नियुक्ति के स्थान से दूर इलाज की आवश्यकता वाली गम्भीर बीमारी पर स्थानांतरण। इस शीर्ष के अन्तर्गत, हम कार्डियक समस्याओं, लकवे, रेनाल असफलता, कैंसर, टी० बी०, आदि पर ध्यान देते हैं और मेडिकल चिकित्सा/ध्यान की आवश्यकता वाले शारीरिक रूप में विकलांग व्यक्तियों के मामलों को शामिल करें। तथापि, मात्र उन शारीरिक रूप से विकलांग मामलों पर विचार किया जाना चाहिए जिनमें के० वि० संगठन में कार्यभार संभालने के बाद ही विकलांगता विकसित हुई। यह सूची सोदाहरण है न कि समाप्त होने वाली है। गंभीर रूप से बीमारी के समर्थन में सी० एम० ओ०/जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अथवा मेडिकल कालेजों/संस्थाओं से संबद्ध अस्पतालों के प्रमुखों अथवा परियोजना स्कूलों के परियोजना अस्पतालों के सी० एम० ओ०/प्रतिरक्षा क्षेत्र के स्कूलों के प्रतिरक्षा क्षेत्र अस्पतालों के प्रभारी अधिकारियों से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। स्थानांतरण करते समत इस बात पर विचार किया जाएगा कि वर्तमान केन्द्र में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और वे उस स्थान पर उपलब्ध हैं जहां पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रकार के अनुरोधों पर विचार करते समय किसी विशेष स्थान पर कर्मचारियों के न्यूनतम पड़ाव के सम्बन्ध में विचार करना अपेक्षित नहीं है।

(ii) पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीति का सुझाव दिया जाता है :—

(क) के० वि० संगठन कर्मचारी की पति/पत्नी/यह इसलिए सुझाया गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्यालयों का कार्यकरण सुविधाजनक चलेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार/रक्षा विभाग के कर्मचारी और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की पत्नी/पति तथा राज्य सरकारों के उपक्रमों के कर्मचारियों की पत्नियों/पतियों, जिनके लिए वर्तमान स्थान पर ठहरने की अवधि एक निर्णायक घटक होगी।

(ग) अन्य सभी पति/पत्नियां।

(iii) सुविधा वाले स्थान पर अविवाहित लड़कियों का स्थानांतरण। वर्तमान स्थान (स्टेशन) पर एक वर्ष का न्यूनतम प्रवास, स्थानांतरण के विचारार्थ अपेक्षित होगा (अर्थात् पति/पत्नी के मामलों/अविवाहित लड़कियों के मामले)।

(iv) उन प्रधानाचार्यों/उप-प्रधानाचार्यों/स्नातकोत्तर अध्यापकों का स्थानांतरण जिनको सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम हैं। एक विशेष स्थान (स्टेशन) पर कोई अधिकतम प्रवास अपेक्षित नहीं है। इसका सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि मार्गदर्शी रूपरेखाओं में एक पदोन्नत व्यक्ति को उसी स्थान पर तैनात किए जाने का प्रावधान है, यदि उसे सेवानिवृत्ति के तीन वर्ष में ही पदोन्नत किया जाता है।

मार्गदर्शी रूपरेखाओं का अन्य महत्वपूर्ण मात्र तैनातियों तथा स्थानांतरणों को प्रभावी बनाने में पालन किया जाने वाला अनुक्रम है। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी रूपरेखाओं का पैरा-3 यह निर्धारित करता है कि "स्थानांतरण प्रत्येक पदोन्नतियां दिए जाने के बाद किए जाएंगे।"

उपर्युक्त से, पदोन्नत नियुक्तियों, स्थानांतरणों तथा साथ ही भर्ती किए गए शिक्षकों, उप-प्रधानाचार्यों कथा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का निम्नलिखित अनुक्रम इस प्रकार है :—

1. टी० जी० टी०, एच० एम० एस० और उप-प्रधानाचार्यों के रूप में पदोन्नत किए गए शिक्षकों के अम्बन्ध में पदोन्नत नियुक्तियां सबसे पहले की जाएं। इसी प्रकार, प्रधानाचार्यों की रिक्तियां पदोन्नत उप-प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्यों के पदों की पेशकश करते हुए, सबसे पहले भरी जाएं।

2. (i) सभी श्रेणियों, उप-प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाचार्यों के शिक्षकों का अन्तरक्षेत्रीय स्थांनांतरण।

(ii) सभी क्षेत्र के शिक्षकों का अन्तरक्षेत्रीय स्थानांतरण।

3. सीधी भर्ती किए गए शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति।

कृपया स्थानांतरण के उपर्युक्त परिचालन ब्यौरे सामान्य अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं देखें ताकि उन्हें तदनुसार कार्यान्वित करने के कदम उठाए जा सकें।

सीधी भर्ती की समय-सारणी के संबंध में एक पृथक नोट अध्यापन स्टाफ की पदोन्नति तैनाती, स्टाफ संख्या का निर्धारण, राज्य मंत्री के निजी सचिव तथा आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय के साथ 15-5-89 को की गई चर्चा के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

ह०/-
(डी०आर० नांगिया)
16-5-89

कृपया राज्य मंत्री से आगे कोई निर्देश के लिए देख लें।

ह०/-

(एल० आर० मल)

16-5-89

राज्य मंत्री के निजी सचिव

एन० एस० पी० 1 से 3 प्रस्ताव निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं :—

(i) एन० एस० पी० 1 में क (1) में विद्यमान "पति/पत्नी की मृत्यु सहित" शब्दों को निकाल दिया जाये।

(ii) एन० एस० पी०-2 में ख (1) में, इस आशय का वाक्य जोड़ा जाए कि शारीरिक-रूप से विकलांग के केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जायेगा जहां शारीरिक-विकलांगता कर्मचारी के केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यभार ग्रहण करने के बाद हुई। तदनुसार, ऐसी कोई भी विकलांगता जो व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व थी, उसे स्थानांतरण मांगे जाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उसी धारा में मेडिकल कालेज/प्रमुख से प्रमाण-पत्र की अपेक्षा के बजाए स्वीकार्य माना जाना चाहिए।

ह०/-

अध्यक्ष (एल० पी० शाही)

के० वि० सं०/अपायुक्त के० वि० सं०

ह०/-

(वाई० एन० चतुर्वेदी)

3-5-89

डा० सुधीर राय : महोदय, पिछले वर्ष केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के अवैध रूप से और अनियमित स्थानान्तरण किए गये थे जिसका अब पता चला है। अतिरिक्त सचिव श्री ए० एस० गोपालन ने स्वयं यह बात नोट की है। परन्तु, संबद्ध मंत्री उनकी उस सलाह को भूल गये हैं, कि वह इस मामले पर गौर कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस अवैध स्थानान्तरण की जांच की गई थी और इसका परिणाम क्या रहा ?

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, इस संबंध में एक वायदा या आश्वासन दिया गया था कि इस मामले पर गौर किया जायेगा। अब चाहे आप इसे जांच करना कहें या गौर करना कहें यह तो स्थिति पर निर्भर करता है। प्रथम दृष्टया तो हमने इस पर गौर कर लिया है और यदि आवश्यकता पड़े तो जांच की जा सकती है और यदि जरूरी हुआ तो किसी दूसरी ऐजेन्सी द्वारा भी जांच की जा सकती है, हमने इस सब पर गौर किया था और हमने पाया कि निश्चित रूप से कुछ अनियमिततायें हुई हैं और कुछ स्थानान्तरणों का जोकि लगभग 181 थे तत्कालीन चेयरमैन ने स्वयं आदेश दिया था तथा रिकार्ड पर गौर करने से यह लगता है कि इनमें से 77 स्थानान्तरणों को ठीक समझा जा सकता है। लेकिन, बाकी 91 स्थानान्तरण के मामले ऐसे हैं जिनके बारे में सिवाय इसके कि ये

नाम संगठन को तत्कालीन चेयरमैन द्वारा भेजे गए थे और कोई विस्तृत रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। इस के सम्बन्ध में अनिवार्य कारण बाध्यकर प्रशासनिक कारण दिए गए थे। लेकिन, इन व्यक्तियों, द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसे कोई भी आवेदन नहीं दिए गए थे और हमने यह विचार किया कि जिसका भी नाम पहले आये उसी का स्थानान्तरण कर दिया जाए।

डा० सुधीर राय : महोदय, जे० सी० एम० की बैठक 22 अगस्त को बुलाई गई और माननीय मन्त्री ने वायदा किया था कि शिक्षकों के प्रतिनिधि संगठनों को भी जे० सी० एम० की बैठक में आने के लिए कहा जाएगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अब जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें जे० सी० एम० की बैठक में भाग लेने के लिए कहा जायेगा।

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, हमने शिक्षक संगठनों को बताया है कि हम उनसे चर्चा और परामर्श करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। यहां एक नहीं तीन या चार संगठन हैं। लेकिन, कोई बात नहीं बन रही है। फिर भी, इस सबको सुलझाने के लिए हमने उनके पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष और महासचिव को आने के लिए कहा है और इन मसलों पर हमारे अधिकारियों से बात करने के लिए कहा है। हम स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाओं पर भी उनका सहयोग चाहते हैं क्योंकि वे इससे संबद्ध हैं और यह मूलभूत रूप से उनका प्रश्न है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो ट्रान्सफर गाइड-लाइन उन्होंने मानी है उसमें पति-पत्नी के मामलों के कुछ केसेज हमारे ध्यान में आए हैं। जो पति सेना में या एयर फोर्स में आफिसर्स हैं, उनका ट्रान्सफर हो जाता है। उनकी धर्म-पत्नी केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाती है और साल-साल भर ट्रान्सफर नहीं होता। अगली बार जब ट्रान्सफर का नम्बर आता है तो मंत्रालय यह कहता है कि उनकी स्टेज तीन वर्ष की पूरी नहीं हो पाती। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे निर्देश देंगे कि विशेषकर जो सेना या वायु सेना में काम करते हैं, उनकी पत्नी के ट्रान्सफर के मामले हैं तो ऐसे स्थानान्तरण यथाशीघ्र कर दिया जाए जिससे वे एक ही साथ रह सकें। मेरे प्रश्न का भाग है कि नार्थ-ईस्ट में जो पोस्टेड हैं, उनकी तरफ से जो रीप्रेजेन्टेशन आपको मिले हैं, क्या आप उन पर सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता के तौर पर विचार करेंगे।

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि पत्नी का मामला काफी नाजुक है और इनके बारे में सोचना चाहिए और दोनों को जोड़ देना चाहिए। हमारी नीति भी है कि शीघ्र ही दोनों को जोड़ दें। अब जहां पति को भेजा जाता है दूसरे डिपार्टमेंट से तो वहां केन्द्रीय विद्यालय अगर हो तो वहां कोई वेकेन्सी होनी चाहिए वरना दोनों को जोड़ने में मुश्किल होती है और उसमें थोड़ी देर होती है। लेकिन नीति तो वही रही है कि दोनों को विरह में न रखें और जल्दी ही साथ रखें। नार्थ-ईस्ट में भी हमने 1984 मेंध्यान दिया है। नार्थ-ईस्ट में जो जाना चाहते हैं उन्हें ट्रान्सफर नहीं मानते लेकिन औरों के लिए कहना चाहते हैं कि उन्हें तीन बरस रहना चाहिए, क्योंकि वहां लोग ट्राइबल स्टेट है, सोशल लाइफ नहीं है इसलिए जाना पसन्द नहीं करते और तीन बरस पूरे भी नहीं होते कि हम पर उनकी तरफ से प्रेशर आता है, वी० आई० पीज० से ज्यादा प्रेशर आता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके बारे में भी सहानुभूति से विचार करें।

श्री जनार्दन तिवारी : मामला गम्भीर है, मेरे प्रान्त से सम्बन्धित है.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, आपका तो हर प्रश्न गम्भीर होता है ।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : ये प्रश्न इस सभा में पिछले अप्रैल में उठाए गए थे और अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। ज्यादातर मामलों में मार्गदर्शी रूपरेखाओं का उल्लंघन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस पर केवल गौर ही फरमा रहे हैं क्योंकि हमें आमतौर पर यही उत्तर मिलता है और यदि मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है तो उनमें सुधार करने के लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । उन्हें सुधारने में क्या कठिनाईयां आ रही हैं ?

क्या सच यह है कि संगठन में ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें कोई कार्यवाही करने नहीं दे रहे हैं या आवश्यक सुधार करने में अड़चनें पैदा कर रहे हैं या स्वयं मन्त्री महोदय ऐसा करने में असमर्थ हैं ?

श्री चिमनभाई मेहता : यह ठीक सुझाव है क्योंकि यह सूची बगैर किसी कारण, बगैर किसी आवेदन के टेलीफोन पर, आदेश देकर निकाली गई थी। हम इस संबंध में मार्गनिर्देश बनायेंगे और उनमें से कुछ में संशोधन करेंगे तथा हम इस महीने की 22 तारीख को मिल रहे हैं। मंत्रालय से इस तरह के अनुरोध या ऐसे आदेशों या निर्देशों को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाए जब तक स्वयं मंत्री महोदय लिखित रूप में किसी प्रकार की अत्यावश्यकता में इसकी जिम्मेदारी न लें। लेकिन, आवेदन तो आने ही चाहिए । अन्यथा, यह तो अधिकारियों पर निर्भर है कि वे इसे कार्यान्वित करें या नहीं करें। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि भले ही मंत्री मौखिक आदेश दें परन्तु कम-से-कम अधिकारियों में इतना साहस तो होना ही चाहिए कि वे इसे फाईल में दर्ज करें कि यदि यह मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करता है तो यह सही निर्देश नहीं है । अब ऐसी बात यहां नहीं मिलती है। यह हो सकता है पिछले 20 वर्ष की पुरानी परम्परा रही हो । शायद, इन साहसी अधिकारियों को अपने विचार फाईल पर लिखने चाहिएं । हम ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं । अतः, इस सभा में मैं आश्वासन दे रहा हूं कि हमें अपने अधिकारियों को कहना चाहिए कि निर्देशों को लिखें और हमें सही प्रक्रिया के बारे में बतायें ताकि ऐसी गलतियां न हों । इसका सही ढंग से उल्लेख होना चाहिए ।

श्री के० एस० राव : मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने पहले ही काफी हद तक यह प्रश्न किया है । मैं भी माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान इस पर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

हम इस देश में महिलाओं से काफी वायदे कर रहे हैं । परन्तु कल ही समाचारपत्र में मैंने पढ़ा है कि एक रेलगाड़ी के डिब्बे में तीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की लड़कियों के साथ आठ असामाजिक तत्वों ने बलात्कार किया गया । मैं इसमें किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। संसद में हमारे यह वायदा करने पर भी कि हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 30 प्रतिशत आरक्षण करने जा रहे हैं, इसके बावजूद ऐसे मामले घटित होते हैं ।

माननीय मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि ये मार्गनिदश न केवल अब मौजूद हैं बल्कि पहले भी मौजूद थे कि जब किसी पति अथवा पत्नी का, विशेषकर किसी महिला को स्थानांतरित करके अपने पति से भिन्न किसी अन्य स्थान पर तैनात कर दिया जाता था तो उसे अपने पति के स्थान पर

स्थानान्तरित करने हेतु प्राथिकता दी जाती थी। संसद सदस्य के रूप में भी यह हमारा अनुभव रहा है कि जब यह मामला कई वर्षों से मानव संसाधन मंत्रालय सहित संबद्ध मंत्रालय को भेजा गया, तो भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्नी तो खासतौर पर अपने पति से वर्षों अलग रह कर सामाजिक रूप से काफी पीड़ित रहती है और आर्थिक रूप से एक अलग परिवार रखना पड़ता है, जिसे वह बरकरार नहीं रख सकती। मैं माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री से इस संबंध में साफ साफ जानना चाहता हूं न कि आम मार्गनिर्देश क्या हैं उनके बारे में। "यथासंभव" इसमें नहीं आना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट मार्गनिर्देश चाहता हूं न कि 'यथा संभव' शब्द और प्रधानमंत्री से भी चाहूंगा कि वह उन सभी महिलाओं के बारे में विचार करें जो कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : प्रयास "जितनी पास हो सके" के लिए है न कि जहां तक संभव हो करने का है।

श्री के० एस० राव : मुझे एक स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैं महिलाओं को ऐसी जगह तैनात करने में उनकी असमर्थता को समझ सकता हूं जहां उस पेशे विशेष में महिला कर्मचारी ज्यादा संख्या में होती हैं। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर शिक्षण पेशा ऐसा है जिसमें हम महिलाओं को काफी संख्या में आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस दिशा में सर्वोत्तम प्रोत्साहन अथवा पहल आरक्षण नहीं है। यदि महिलाओं में यह विश्वास पैदा किया जाय कि उन्हें वहां तैनात किया जायेगा जहां उनके पति या परिवार रह रहा है, तो यह स्वयं में एक अच्छा प्रोत्साहन होगा। मेरा माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध है कि जब भी ऐसे मामले संसद सदस्यों द्वारा लाये जायें तो कम से कम इन पर तत्काल कार्यवाही की जाये और महिलायें अपनी पसंद की जगह पर तैनात की जानी चाहिएं विशेषकर वहां जहां उनके पति काम करते हों।

श्री चिमनभाई मेहता : ज्यादा लोगों का मत यह है कि कोई भी इससे असहमत नहीं है। प्रश्न उस स्थान विशेष में पद खाली होने का है जहां उनके पति तैनात हैं। जैसे ही एक रिक्त हो जाता है हम उस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और उसे प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं। इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। यह ठीक है।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मैं स्वयं नौकरी करती हूं और ग्रहणी हूं। मैं नौकरी करने वाली माताओं की समस्या से वाकिफ हूं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमन्त्री भी इस समस्या को जानने के लिए यहां हैं। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि स्थानान्तरण के मामलों में छोटे बच्चे वाली नौकरीशुदा माताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मेरा नम्र प्रश्न यह है कि क्या आप छोटे बच्चों वाली नौकरीशुदा माताओं के मामलों पर विचार करेंगे ताकि बच्चे माता का सानिध्य महसूस कर सकें। अविवाहित लड़कियों के लिए प्रावधान है लेकिन नौकरी करने वाली माताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नौकरी करने वाली माताओं के मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री चिमनभाई मेहता : मैं उनकी इस बात से सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : जो उत्तर आया है, वह सही नहीं है। अभी तक उसमें कई कुकर्म हैं। हमारे प्रदेश के एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही हैं, उनके समय में 181 लोगों से माल-पानी लेकर अनैतिक ढंग से बदली किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही

है या नहीं ? यह बहुत भारी कुकर्म हुआ है। यह बदली गैर-कानूनी ढंग से की गई है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में भी पैसा लेकर ऐसे लोगों की बदली की गई है, क्या यह बात भी सही है या नहीं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप केन्द्रीय विद्यालय के बारे में ही पूछ रहे हैं ?

श्री जनार्दन तिवारी : जी।

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, अगर इस बारे में स्पष्ट रूप मे कोई आरोपण जा जाए और कोई स्पेसिफिक केस हो तो हम इसकी जांच करेंगे लेकिन जब तक कोई स्पेसिफिक बात नहीं आती तब तक इन 181 केसेज के बारे में कुछ करना मुश्किल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो बतायें।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र : एक विशेष मामला आपकी जानकारी में लाया गया है।

श्री चिमनभाई मेहता : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि एक विशेष मामला मेरी जानकारी में लाया गया है। मैं रिकार्ड देखूंगा और निश्चित रूप से उस मामले में कार्यवाही कराऊंगा। उस पर भी विचार किया जाएगा।

वन क्षेत्र

*142. **डॉ० वेंकटेश काबडे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन अथवा वनस्पति है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों में इसमें कमी आयी है अथवा वृद्धि हुई है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में यदि इस वन क्षेत्र में कमी आयी है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में भूमि तथा वन के बीच समुचित अनुपात बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारत में वन क्षेत्र

(क) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 1985-87 की अवधि में देश में वन क्षेत्र 64.01 मिलियन हेक्टेयर था।

(ख) वन क्षेत्र 1981-83 में 64.20 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 1985-87 में 64.01 मिलियन हेक्टेयर रह गया। किन्तु 40 प्रतिशत से भी अधिक क्राउन सघनता वाला सघन वन क्षेत्र 36.14 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 37.84 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।

(ग) वन क्षेत्र में कमी के कारण निम्नलिलित है :—

(1) जनसंख्या में वृद्धि के कारण जलाने और निर्माण के लिए लकड़ी की अधिक मांग ।

(2) अत्यधिक चराई, जिसके फलस्वरूप वन भूमि का अवक्रमण हुआ है ।

(3) लकड़ी पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताएं ।

(4) अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार के लिए अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्था ।

(5) आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, झूम खेती की समीक्षा ।

(घ) भारत में भूमि और वनों के समुचित अनुपात की बहाली के लिए किए जाने वाले उपायों में वन संरक्षण उपाय और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शामिल हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। चराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा करने के लिए इसमें विशेष उपबंध हैं ।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था ताकि इसे और अधिक कठोर बनाया जा सके ।

(3) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(4) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के बदले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है ।

(5) पैकेजिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि में लड़की के बदले वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग करना ।

(6) इमारती लड़की के लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है ।

(7) लकड़ी के बदले कृषि अवशिष्ट जैसी कच्ची सामग्री का प्रयोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

(8) झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(9) वनों की सुरक्षा के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :—

1. प्राकृतिक वनों की कटाई न करना और जहां इस प्रकार की कटाई फसलों की बहाली का अन्य वनवर्धन कार्यों के लिए जरूरी हो, वहां कटाई पहाड़ियों में 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए ।

2. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1,000 मीटर से ऊपर कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना ।

3. पहाड़ियों और पर्वतों में उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की सुरक्षा तथा तत्काल तेजी से वनरोपण किए जाने की आवश्यकता है।
4. भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत भाग को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।
5. आरा जिलों के नियमन के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(10) वनरोपण के लिए किए गए उपायों मे निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. परती भूमि विकास कार्यक्रम को फिर से तैयार करना।
2. भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वन भूमि पर पुनर्वनरोपण के लिए ग्राम समुदायों की भागीदारी।
3. वनरोपण कार्यक्रम में प्राइवेट किसानों/स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।
4. आठवीं पंचवर्षीय योजना में अवक्रमित वन भूमि पर पुनर्वनरोपण कार्यक्रम।

डा० वेंकटेश काबड़े : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वन क्षेत्र में हो रही कमी एक अत्यधिक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है। विशेषज्ञों का विचार है कि यदि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का हिस्सा 11 प्रतिशत से कम हो जाता है, तो एक संस्कृति पूरी तरह मिट जाएगी। हमने सभी प्रयास किये हैं। हमने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया था और हमने इसे 1988 में और अधिक कठोर बनाने का प्रयास किया था। वर्ष 1988 की एक राष्ट्रीय वन नीति है। ये सभी प्रयास किए गए हैं। परन्तु, मुझे आश्चर्य है कि इन सभी प्रयासों का क्या परिणाम रहा है। यदि हम उपग्रह से प्राप्त चित्र और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि इसमें प्रतिवर्ष 47675 हेक्टेयर वन क्षेत्र की कमी हुई है। मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, वे सरकारी आंकड़े हैं। इससे पता चलता है कि जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं, वे केवल दो राज्य क्षेत्रों अर्थात् पंजाब और सिक्किम में हुई हैं। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, यद्यपि इनका क्षेत्र काफी कम है परन्तु इनके वन क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर वन क्षेत्र में कमी हुई है विशेष रूप से कुछ राज्यों में। उदाहरण के रूप में, गुजरात राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 14 प्रतिशत और हरियाणा राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 12 प्रतिशत की कमी हुई है—।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डा० वेंकटेश काबडे : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका योगदान किये गये प्रयासों के बावजूद कम रहा है। मैं इसके कारण जानना चाहता हूं। इन सभी प्रयासों के बावजूद इन विशेष राज्यों का योगदान कम क्यों रहा है? सरकार इन राज्यों के वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? जहां तक इन राज्यों का सम्बन्ध है, अच्छे प्रयासों के बावजूद इनके वन क्षेत्र में कमी आई है। अब इनके वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है। यह मेरा प्रथम प्रश्न है।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, यह बात सही है कि वन क्षेत्र में कमी हुई है। हमारे देश की वन नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक

तिहाई भाग होना चाहिए । यदि हम उस दृष्टि से देखें तो यह काफी कम है क्योंकि हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है । यदि हम इस बात को और वन नीति में निर्धारित मान-दण्डों को ध्यान में रखें, तो यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर होता है । उसकी तुलना में हमारे सरकारी अभिलेखों में अंकित वन क्षेत्र अब 75 मिलियन हेक्टेयर है । उपग्रह द्वारा दिए गए सर्वेक्षण चित्र के अनुसार वास्तविक वन क्षेत्र 64.20 मिलियन हेक्टेयर है । इसलिए, जहां तक वन क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसमें कमी हुई है । वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है । वर्ष 1951 से 1980 तक की अवधि की तुलना में वृक्षों की कटाई से होने वाली वनों की कुल क्षति लगभग 4.33 मिलियन हेक्टेयर है । इसके बाद इसमें कमी हुई है, जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है । अब इसमें 4 ½,000 हेक्टेयर की वार्षिक कमी हुई है । इसलिए, यदि इस अवधि की तुलना वन क्षेत्र की पहले की अवधि से करें, तो पायेंगे कि इसमें सुधार हुआ है । अब, वन क्षेत्र में आई इस कमी में सुधार के लिए अनेक क्षेत्रों में प्रयास किये गये हैं । जहां तक बंजर भूमि विकास बोर्ड का सम्बन्ध है, इसने अनेक राज्य सरकारों की एजेन्सियों के माध्यम से और विदेशी अनुदानों की सहायता से काफी बड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य आरम्भ किया है, वे इस क्षति पूर्ति के लिए अपनी ओर से अच्छे प्रयास कर रहे हैं । अतः स्थिति यह है ।

डा० वेंकटेश काबडे : मेरा प्रश्न यह है, "कुछ राज्य अच्छा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं", इसका जवाब नहीं दिया गया है । तथापि, मैं अगला प्रश्न पूछता हूं । सभी प्रयासों के बावजूद हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है ? इसका एक कारण जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है । हमारे माननीय मन्त्री महोदय कहेंगे कि इसका सम्बन्ध उनके मंत्रालय से नहीं है । परन्तु, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है । हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इसीलिए हमारी जलाने की लकड़ी की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है और इमारती लकड़ी की मांग में वृद्धि हुई है । इसलिए, वनों पर भारी दबाव पड़ा है ।

यह एक अत्यधिक गम्भीर स्थिति है । हम लोगों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, हम ईंधन की लकड़ी के बदले दूसरे ईंधन उपलब्ध कराने का प्रयास और इमारती लकड़ी का आयात करने का भी प्रयास कर रहे हैं । परन्तु, मैं मंत्री महोदय से जो जानकारी हासिल करना चाहता हूं, वह यह है कि इन सभी प्रयासों का क्या असर हुआ है ? ये काफी अच्छे उपाय हैं । परन्तु, ये व्यापक रूप से नहीं किए जा रहे । उदाहरण के तौर पर, ईंधन की लकड़ी के दूसरे विकल्प और अन्य सभी प्रयास केवल शहरों में किये जाते हैं । मैं समझता हूं इसके लिए कुछ राजसहायता दिये जाने की आवश्यकता है । अतः, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या हम सौर ऊर्जा अथवा लकड़ी के स्थान पर कुछ और प्रयोग करने के विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं ? इसके लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं और यह सही है कि जनसंख्या में वृद्धि से वनों के संरक्षण पर प्रभाव पड़ रहा है । हम अपनी ओर से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि वनों से जलाने वाली लकड़ी की चोरी को रोका जा सके और उसके लिए भी हम सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रहे हैं । जहां तक सौर-चूल्हे का सम्बन्ध है, ऊर्जा विभाग भी इसके लिए राजसहायता दे रहा है । अतः यह बात सत्य है कि जनसंख्या वृद्धि से वन संरक्षण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : महोदय, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी लाखों एकड़ वनों की कटाई कर रहे हैं, लकड़ी बेच रहे हैं और इस प्रकार साफ की गई भूमि को लोगों में बांट रहे हैं। इस प्रकार से वे अपने लिए भारी रकम प्राप्त कर रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, वे भूमिहीन ग्रामवासियों की सहानुभूति भी प्राप्त कर रहे हैं और अपने लिए भी कुछ भूमि प्राप्त कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार इसे रोकने का प्रयास कर रही है परन्तु दुर्भाग्य से वह इस बारे में अधिक कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है। क्या केन्द्रीय सरकार इसे रोकने में सहायता करेगी ? क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रक्रिया को रोकने के लिए वन विभाग से सम्बन्धित 'बहुद्देश्यीय दल' नियुक्त करेगी ? दूसरे, हम सभी को इस बात की जानकारी है कि 'बम्बई हाई' और अन्य सभी गैस उत्पादक केन्द्रों में भारी मात्रा में गैस जला दी जाती है क्योंकि इसे भरने के लिए सिलेन्डर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। क्या सरकार इस बात के विशेष प्रयास करेगी कि सिलेन्डरों में गैस की भराई का कार्य बड़े स्तर पर हो ताकि उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर गैस की आपूर्ति की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

श्री नीलमणि राउतराय : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दी गई इस सूचना, कि आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी वनों की कटाई कर रहे हैं, का सम्बन्ध है, मेरे पास इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : आपको इसकी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री महोदय की बात सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नीलमणि राउत राय : माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के बारे में यह है कि यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रयास करती है कि केन्द्रीय सरकार उसकी मदद करे, तो हम निश्चित रूप से उस मामले को देखेंगे। यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार ऐसा कोई निवेदन करती है, तो जो जरूरी होगा, हम करेंगे। (व्यवधान)

डा० लक्ष्मि दुरै : हम हमेशा अपने देश में वनों की कटाई के बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि देश के वनों में काफी संख्या में वृक्षों की कमी हो रही है। जैसाकि श्री राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि कुछ तत्व वनों की कटाई कर रहे हैं और एक प्रकार की सहानुभूति भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार ऐसा दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। मैं नक्सलवादियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, परन्तु कुछ दूसरे असामाजिक तत्व काफी संख्या में वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। आपने समाचार-पत्रों में वीरप्पन नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा। वह अपना स्थान बदलकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में यह काम कर रहा है। समस्या यह है कि हमारे वन अधिकारीगण उसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि उसके पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं, जोकि हमारी पुलिस के पास भी नहीं हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और इन सभी असामाजिक तत्वों पर नियन्त्रण करने तथा देश के वनों को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार तथा अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करेगी।

श्री नीलमणि राउतराय : ये मामले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

डा० तम्बि दुरै : मैं कानून और व्यवस्था के बारे में नहीं बता रहा हूं, वन कटाई के बारे में बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नीलमणि राउतराय : वन क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई बात होती है; अगर कुछ व्यक्ति हथियार लाते हैं और गार्डों को मारते हैं तो उस मामले में राज्य सरकार को उन लोगों के बचाव के लिए कुछ करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए राज्य तन्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात से अवगत हैं कि हिमाचल प्रदेश फलों का प्रदेश कहलाता है जहां लगभग 34 हजार सेब उत्पादक हैं। उनकी जो उपज है उसे मार्केट तक पहुंचाने के लिए वे लकड़ी के डिब्बों पर निर्भर हैं जिससे यदि सारे का सारा फल लकड़ी के डिब्बों में भेजा जाएगा तो लगभग 666 हैक्टर जंगल हर साल कटेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार इसके लिए प्रत्यनशील है कि जितना फल वहां पैदा होता है उसे कार्टनस में भेजा जाए लेकिन कार्टन की कीमत इतनी ज्यादा है कि वह किसान के लिए देना असम्भव है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि 20 किलो कार्टन की पैकिंग 33 रुपये कौस्ट करती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जंगलों को बचाने के लिए क्या वे इस प्रकार के प्रयत्न करेंगे कि भारत सरकार लकड़ी के जो अतिरिक्त पैकिंग केसेस हैं उस पर सबसिडी प्रदान करे और जो ऐक्साईज ड्यूटी इस मैटिरियल पर लगती है उसको वेव आफ करें ताकि किसानों को कम कीमत पर पैकिंग केसेस उपलब्ध हो सकें और हिमाचल के जंगल बच सकें ?

[अनुवाद]

श्री नीलमणि राउतराय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं; हिमाचल प्रदेश की भी यही समस्या है। बहुत से फलों की पैकिंग के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है और इससे वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह हिमाचल सरकार के वन विभाग की एक समस्या बन गयी है। वे वे अन्य विकल्प जैसे मजबूत प्लास्टिक के पैकेट बनाना आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। जो कोई प्रस्ताव या अनुरोध हिमाचल प्रदेश सरकार हमें भेजेगी, हम निश्चित रूप से उनकी सहायता करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : वनों की समस्या एक बड़ी समस्या है और यह हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने तीन साल पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे सभी कार्यक्रमों को एकीकृत करके पुरुलिया जिले में अयोध्या हिल के विकास के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति तंग होने के कारण पेड़ों को काट रहे हैं। अगर कुछ एकीकृत कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया जाता है तो वनों को बचाया जा सकता है; वनों के अंधाधुंध कटाव को रोका जा सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि अयोध्या हिल के जंगल को बचाने के लिए—जिसके लिए तीन करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था—तीन साल पहले प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के अयोध्या हिल के वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता दी जाएगी ?

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, जिस प्रस्ताव का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है तो मैं इस पर निश्चय ही विचार करूंगा मैं विचार करूंगा। तथा जो कुछ कार्यवाही की गई है और जो कुछ कार्यवाही हम करने जा रहे हैं उसकी जानकारी माननीय सदस्य को दूंगा। इस समय मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं आपको उस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भेजूंगा। (व्यवधान)

श्री डी० अमात : महोदय, उड़ीसा के कई भागों में गैर-कानूनी ढंग से वनों की अंधाधुंध कटाई और गिराने को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार वन विभाग को अपराधियों को देखते ही गोली मारने के आदेश और उनके सामान को जब्त करने तथा चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने के अधिकार देने के बारे में विचार करेगी।

श्री नीलमणि राउतराय : महोदय, यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिस पर हम सहमत नहीं हो सकते हैं (व्यवधान) हम राज्य सरकार को निर्देश देंगे। (व्यवधान)

शिक्षा नीति

[हिन्दी]

*145. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में समान शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से वर्तमान दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मसौदा कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खिमनभाई चेहत्ता) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार का यह विचार है कि शिक्षा का महिलाओं, सामाजार्थिक और समाज के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए समानता का दर्जा प्राप्त करने हेतु एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें सभी छात्रों के लिए समान मानकों और स्वरूप की शिक्षा का प्रावधान करने के लिए यथा संभव प्रस्थान करना चाहिए। नीति परिप्रेक्ष्य के अनुरूप समान शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य को, प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय करने का प्रस्ताव है। इन उपायों में विशेष रूप से उपेक्षित स्थानों में सभी स्कूलों के मानकों को प्रोन्नत करना शामिल होगा ताकि सम्पन्न परिवारों के ही बच्चों के लिए उपलब्ध प्रतियोगी रूप से लाभान्वित शिक्षा से वंचित रखा जा सके। कम से कम कक्षा VIII तक केवल मातृ-भाषा को ही शिक्षा का माध्यम

बनाने की संभावना की जांच की जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकारों, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अन्य संबंधित लोगों से परामर्श किए जाएंगे।

संभाव्यता हमें पड़ोस के स्कूल की विचाराधारा की ओर प्रस्थान करने की आवश्यकता है जिसमें पड़ोस के बच्चों को उनके अपने समीप के स्कूल में साथ-साथ अध्ययन करने की अनुमति है और इन स्कूलों में एक ऐसे स्तर तक मानकों का सुधार करने की आवश्यकता है जिसके लिए अभिभावक अपने बच्चों को दूर के स्कूलों में भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे। इन सभी उपायों का समग्र प्रभाव शैक्षणिक प्रणालियों में उत्पन्न असमानताओं में सुधार करना है।

उत्पादक कार्य पर आधारित शिक्षा छात्रों को अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त किए बिना पारिश्रमिक कार्य के लिए तैयार करने में सहायता करती है। शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य वैयक्तिक नियोज्यता में वृद्धि करना है और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति में व्याप्त असंतुलन को कम करना है। सरकार का समस्त शैक्षिक प्रणाली के लिए कार्य तथा नियोजन अवस्थापना प्रदान करने का प्रस्ताव है।

सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नीति देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 7 मई, 1990 को एक समिति का गठन किया है। आशा है कि यह समिति नवम्बर, 1990 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है और उस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा के प्रति कितना उदासीन है और उदासीन ही नहीं बल्कि शिक्षा के सम्बन्ध में उसकी कोई सोच ही नहीं है? मेरे प्रश्न का आशय यह था कि देश के अन्दर आज जितने प्रदेश हैं, क्या वहां शिक्षा के अन्दर एकरूपता लाये जाने का सरकार का कोई विचार है? जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में कोर्स, स्लेबस और अभ्यासक्रम कोई दूसरा है और केरल, बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में कोई दूसरा है। सम्पूर्ण देश के अन्दर अगर एकरूपता लाने के लिए कोई एक ढांचा शिक्षा पद्धति के अन्दर नहीं है तो फिर आने वाली पीढ़ी पर समान संस्कार के अवसर कैसे पड़ेंगे, समान भावनायें कैसे पैदा होंगी और देश की एकता का एक स्वरूप, प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक कैसे एक संस्कारों में आयेगा? एक मेरा सवाल यह है कि मंत्री महोदय हमें बतायें कि इसके सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है? इसी से संबंधित मेरा दूसरा सवाल यह है कि आचार्य राममूर्ति के बारे में जो कहा है कि 1990 के आखिर तक उनकी रिपोर्ट आ जायेगी क्या अंतरिम रिपोर्ट इसकी प्राप्त हुई है? अगर प्राप्त हुई है तो क्या है? अगर 1990 के आखिर में आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट प्राप्त हो भी गई, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें हैं, वह 1990 के बाद जो वर्ष 1991 आयेगा, क्या उसमें उन सिफारिशों को किसी विधेयक के रूप में सदन में लाने का विचार करेगी?

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बताया है, कुछ टीका-टिप्पणी की है तो उनसे मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन हमारा उत्तर ही बता देगा कि हम इसपर कितनी सक्रियता से सोच रहे हैं और कितना काफी इसमें इण्टरेस्ट ले रहे हैं। अब यूनिफार्मिटी या एकवाक्यता पूरे देश में शिक्षा के विषय में लाई जाये, उसके बारे में तो काफी बार चर्चा हो चुकी

है, हम भी उस राय को मानते हैं लेकिन यह राज्यों का विषय भी है और राज्यों से जब-जब पूछा जाता है, अब तक 8 राज्यों ने ही जवाब दिया है, हम टेलीग्राम करते हैं, टेलैक्स करते हैं, लिखते हैं, बातचीत करते हैं—

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप लिखते क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अग्निहोत्री जी, आपका दूसरा सवाल है, आप क्यों धीरज खो रहे हैं ?

श्री चिमनभाई मेहता : इसलिए इस चीज में स्टेट्स जब तक कौन-कौन से विषय पर एक होना है, नहीं बताते, तब तक एन०सी० ई० आर०टी० का जो सलेबस है, उस को ज्यादातर देश के हर राज्य में थोड़ा फर्क करके एडाप्ट किया जाता है और उसी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाये जाने की कोशिश हो रही है, इतना मैं कह सकता हूं। हमने जो कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वह तो यह हैं कि मदरटंग में, मातृभाषा में आप शिक्षा दीजिए, कम से कम एथं स्टैण्डर्ड तक, फिर ट्राइलेंगुअल फार्मूला है, जो पण्डित नेहरू ने यहां रखा था और हम सब ने उसको स्वीकार किया है लेकिन वह भी समझदारी से करने का है, कानून नहीं बनाया है कि हिन्दी, इंगलिश और रीजनल लेंगुएज, तीनों को कैसे आगे बढ़ाया जाये।

बातें और भी हैं लेकिन उसमें मैं आपका समय नहीं लूंगा। तो हम काफी सोच रहे हैं और कोशिश भी हो रही है। आपने आचार्य राममूर्ति कमेटी की बात भी कही। वह कमेटी वर्ष के आखिर में नहीं, लेकिन वर्ष समाप्त होने के दो महीने पहले सिक्सथ नवम्बर को रिपोर्ट दे देगी और उसके पहले फर्स्ट सितम्बर को एक पसपक्टिव रिपोर्ट देने वाली है और पर्सपैक्टिव रिपोर्ट में हमने यह भी सोचा है कि मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, टीचर्स, स्टूडैण्ट्स, पेरेण्ट्स, एजुकेशनिस्ट्स सबके साथ पर्सपैक्टिव पेपर पर मशविरा करें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट फाइनल करें। आचार्य राममूर्ति कमेटी ने 6 ग्रुप भी बनाये हैं जिसमें हमारे सदस्य की जो चिन्ता है, वह तीनों विषय हैं कि समान रूप से कैसे तालीम दी जाये, तीनों पहलुओं पर उन्होंने ग्रुप भी बनाये हैं। जोनल मीटिंग भी पूरे देश में हो रही हैं, अभी तक तीन मीटिंग हो चुकी हैं। हमने उसके पहले एक रिपोर्ट मांगी थी, अन्तरिम, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्सपैक्टिव पॉलिसी आपको बताएंगे ताकि आप लिखकर हमको बतायें कि आपका क्या सोचने, विचार करने का है। बाद में हम आपको फाइनल रिपोर्ट 6 नवम्बर को देंगे और उन्होंने कहा है कि हम कोई एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे तो इसके बारे में काफी सोच विचार किया है और सरकार काफी क्रियाशील रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि शिक्षा में एकरूपता लाने के लिये सरकार ने कोई ऐसी प्रायोरिटी बनाकर राज्य सरकारों को भेजी है और किन-किन राज्य सरकारों ने इनकी उस प्रकार की रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रकट की है ? किन-किन राज्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है और उत्तर नहीं दिया है—इस बारे में कृपा कर मंत्री जी बतायें ? दूसरी बात यह है कि आज जिस जनता दल की सरकार है, उस सरकार की स्पष्ट घोषित नीति थी कि देश की शिक्षा ऐसी शिक्षा होगी कि शिक्षा लेने वाले नौजवान को बेकारी की जिन्दगी न व्यतीत करनी पड़े। यह सरकार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति देगी, जो भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ शिक्षा की नीतियां और सरकार की जो भी उद्योग पॉलिसी है, उससे संबंधित शिक्षा होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक वर्ष का समय सरकार का भी बीत

रहा है, इस बीच में सरकार ने रोजगार सृजक शिक्षा देने के लिए कोई प्रारूप तैयार किया है, जो राज्य सरकारों को भेजने को तैयार है ?

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को हम व्यवसायिक बनाने के लिए काफी जोर दे रहे हैं। इसलिए हमने प्लानिंग कमीशन से भी बहुत बार वार्ता की है, काफी सलाह-मश्विरा किया है। हमने स्पष्ट करके बताया कि लास्ट-ईयर 0 करोड़ रुपए वोकेशनल एजूकेशन 10+2 में खर्च किया गया था। इस वर्ष हमने 84 करोड़ रुपए खर्च लगाया है और यह खर्च हो रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि यह बहुत कम है। आज 25 प्रतिशत स्कूलों को वोकेशनल एजूकेशन में 10+2 के लैवल में लाना चाहिएं, तो हमें करबी पांच वर्ष में ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च करना होगा। इसलिए प्लानिंग कमीशन से बात करना बहुत आवश्यक होता है। प्लानिंग कमीशन ने एप्रोच पेपर बनाया है, जब तफसील में जायेंगे तब उसके बारे में काफी चर्चा होगी।

दूसरी बात जो हमने बताई है, इंजीनियरिंग कालेज के बारे में भी हम काफी सोच-विचार कर रहे हैं। वहां भी एक समानता कैसे लाई जाए, क्योंकि वहां भी हम एक निराली किस्म की असमानता देख रहे हैं और उससे गरीबों को कोई फायदा नहीं है। मालदार पैसा देकर कैपिटेशन-फी के नाम पर सीट ले जाता है और वहां एजूकेशन की बहुत बुरी हालत है। इसको भी कैसे मिटाया जाए, इसके लिये भी कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को भी कहा है कि हम गरीब स्टूडेंट के लिए 50 करोड़ रुपया लोन देंगे, लेकिन कैपिटेशन-फी के लिए नहीं। जहां कैपिटेशन-फी ली जाती है, उनको कहेंगे कि वे सैन्ट्रालाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लगायें, ताकि आपका खर्च निकल जाये और 50 करोड़ रुपए का जो लोन मिलता है, उससे फायदा होगा। कुछ कदम उठाए जाते हैं और 120 करोड़ रुपए, हमने एजूकेशन वाले के लिए यह भी कहा है कि जो सैल्फ एम्पलायमेंट चाहता है, भविष्य में उनके लिए भी लोन होगा। ये सब बातें हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सवाल का जवाब दिया है, सिवाय उसमें हम सोच-विचार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, के अलावा कोई ठोस बात नहीं बताई है। मैं मंत्री महोदय से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, प्रश्न में लिखा है—ड्यूअल एजूकेशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं ? प्रधान मंत्री जी ने और अपने जनता दल के मैनिफैस्टो में इसको खत्म करने की बात कही थी। आपने कहा है कि यह राज्यों का मामला है, लेकिन दिल्ली में तो आपकी हुकूमत चल रही है, यूनियन टैरेटरी में। यहां उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ? पिछले नौ महीनों में सिवाय पब्लिक स्कूलों के दूसरा कोई स्कूल नहीं खुल रहा है और जो गवर्नमेंट-एडेड स्कूल थे, वे भी पब्लिक स्कूलों में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस काम को ये बहुत पहले कर सकते थे कि कोई नया पब्लिक स्कूल नहीं खोला जाए। 1966 में कोठारी कमीशन ने नेबरहुड-कमीशन की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि प्रधान मंत्री जी का बेटा और चपरासी का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा। जिसमें करोड़पति का बेटा, गरीब आदमी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। 9 महीनों में इन्होंने उसके लिए क्या कदम उठाया है। बल्कि उल्टे इसके विपरीत ही बात हो रही है कोई सामान्य स्कूल नहीं खुल रहा है, कोई कामन स्कूल नहीं खुल रहा है, केवल पब्लिक स्कूल ही खुलते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाया है ? राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट तो जब

आएगी तब आएगी और वे अपनी रिपोर्ट जब देगी, तब देगी। इस बीच में नए सामान्य स्कूलों को खोलने के लिए कम से कम कोई न कोई प्रबन्ध तो हो सकता था।

श्री चिमनभाई मेहता : आनरेबल मेम्बर ने डयुल पालिसी का रेफरेंस किया है। करिकुलम, यूनिफार्मिटी आफ एजुकेशन के बारे में है। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : डयुल पालिसी जो प्रश्न में यहां लिखी हुई है वह दो तरह की पद्धति है—गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग है। (व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : हम डयुल पालिसी को एडोप्ट नहीं करते हैं, डयुल सिस्टम जो सोसाइटी में है उसका जिक्र कर रहे हैं। अगर यह नेशनल फ्रण्ट के मेनिफिस्टो में है तो इसे हमें जरूर करने वाले हैं। (व्यवधान)

प्रो० श्री विजय कुमार मल्होत्रा : इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : इसके लिए हमने बताया है कि 9 महीने के समय की आपने बात की, इस 9 महीने के समय के अन्दर भी काफी सलाह-मशविरा हुआ है। (व्यवधान)

दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी मिनिस्ट्री के नीचे नहीं होता है इनका भी यूनियन टेरेटरी होता है, उनसे भी बात करनी होती है, उनकी भी थोड़ी हुकूमत है। इसके बात हो रही है। इस बात के लिए हम भी खुश है कि हमारे सभी मेम्बर्स भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। 1964 में जो बात कही गई है उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। डेलीबरेशन खत्म होने चाहियें। पब्लिक स्कूल भी जाने चाहियें और कामन स्कूल भी होने चाहियें, ये सब बातें हमें स्वीकार हैं और हम इसके बारे में ठोस कदम उठा रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा : मेरे विचार से प्रश्न यह है कि क्या सरकार शिक्षा की दोहरी प्रणाली को समाप्त करने जा रही है जैसाकि जनता दल के चुनाव घोषण पत्र में वायदा किया गया था। आप सहमत होंगे कि हम आधार को यथावत रखकर अकेले सुपर ढांचे को समाप्त नहीं कर सकते। यह शिक्षा प्रणाली, हमारे देश में मौजूद आर्थिक प्रणाली का प्रतिबिम्ब है। जब तक कि आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक अमीर और गरीब के बीच में अन्तर को दूर करना बहुत ही कठिन है। क्या सरकार मेरे द्वारा दिए जा रहे सुझाव के अनुसार एक छोटा कदम उठाने पर विचार करेगी? यहां ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छोटे कालेज हैं। हम तिलहनों, मूंगफली के तेल आदि के लिए छोटी मिलें लगा सकते हैं और किसानों को उनके साथ जोड़ सकते हैं। ये छोटी मिलें इन कालेजों को अपना सकती हैं। इस प्रकार विद्यार्थी इस प्रक्रिया में सीख सकते हैं तथा कमाई भी कर सकते हैं। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और यह सही दिशा में एक सही कदम होगा। इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चिमनभाई मेहता : यह संसाधन और वैकल्पिक राजस्व जुटाने का प्रश्न है; ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा। दोहरी नीति के बारे में, शुरू में छोटे कदमों की आवश्यकता होगी। मैं इसे कार्यवाही वृतान्त में रख सकता हूं कि हम गत दो महीनों के दौरान इस प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन से विशेषकर पड़ोस के स्कूल की धारणा, एक जैसे स्कूल की धारणा आदि के प्रश्न पर चर्चा कर

चुके हैं। रिपोर्ट आ चुकी है और वे कार्यवाही की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक कि पूर्ण योजना तैयार नहीं हो जाती, मैं इसकी घोषणा नहीं कर सकता।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, हमारे देश में धनी और समृद्ध समाज के लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि वे फीस के रूप में काफी बड़ी धनराशि दे सकते हैं लेकिन निर्धन श्रेणी के लोग जिन्हें भरपेट भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता है वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं जिनके अपने ठीक से भवन भी नहीं हैं। अतः हमारे देश में दो प्रकार के बच्चों का पालन-पोषण हो रहा है। एक प्रकार के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और दूसरों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है जहां शिक्षा का स्तर घटिया है। अतः मंत्री से मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके क्या कदम उठाये जाएंगे ताकि बच्चे जो उन स्कूलों से पढ़कर आते हैं वे पब्लिक स्कूल के बच्चों के बराबर आ जायें।

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हू और इस बात को स्वीकार करता हूं कि बच्चों के यहां दो स्तर हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विषमता है। हमने आंकड़े एकत्र किये हैं और इसके अनुसार यहां 30 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां स्कूलों के पक्के भवन तक नहीं हैं और 28 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक ही अध्यापक है। अतः उनको बहुत नुकसान होता है और इसीलिये हमें सबसे पहले इन बच्चों के बारे में सोचना है। इसके साथ-साथ इसके स्तर में सुधार करना होगा और अधिकतर विस्तार कार्य शुरू करना होगा। हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की बैठक जो कि शायद अगले महीने हो रही है उसमें विभिन्न राज्यों के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। उस बैठक में इन सभी विषयों पर चर्चा की जायेगी।

श्री संतोष मोहन देव : शिक्षा नीति द्वारा पैदा की जा रही विषमता समाप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने असम के भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए असम विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस विषय पर वर्तमान सरकार की क्या राय है ? क्या आप इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं अथवा नहीं ? इसके बारे में एक पक्ष लिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस समस्या विशेष को समाप्त कर दिया है। वह दोनों क्षेत्रों के विचारों को जानते हैं और वह किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिससे दोनों क्षेत्रों की कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकेगा। क्या आप कृपया आपस में कार्यवाही करेंगे क्योंकि समाचारपत्रों में यह आ रहा है कि आप बहुत शीघ्र ही असम के दौरे पर जा रहे हैं।

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, ऐसा लगता है कि संतोष मोहन देव भी इस बात से सहमत हैं कि हमें सभी संबंधित लोगों की सहायता लेनी चाहिए। अतः विगत में जो कुछ हुआ हम स्वयं उससे बंधे हैं असम में एक विश्वविद्यालय होगा और दोनों क्षेत्रों को सन्तुट किया जाना चाहिए। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन असम विश्वविद्यालय के प्रश्न पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। वह पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हम असम में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने जा रहे हैं जिस पर 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमने इसके लिए भूमि का चयन किया था लेकिन तब सरकार ने अन्य स्थान का सुझाव रखा था। हम उसका निरीक्षण

कर रहे हैं। हम असम के कल्याण तथा असम में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रति भी वचन-बद्ध हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वर्ष 1987 में त्रिपुरा में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था लेकिन त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम का घोर उल्लंघन करके अभी तक त्रिपुरा विश्वविद्यालय के शासकीय निकायों की स्थापना नहीं की गई है। मुझे यकीन है कि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि शासकीय निकायों की जल्द से जल्द स्थापना के लिए क्या किया जा रहा है।

श्री चिमनभाई मेहता : हम इस मामले की जांच करेंगे और जहां कहीं भी इसमें देरी हुई है उसे दूर किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा सवाल यह पूछ रहा हूं कि यह जो दोहरी शिक्षा पद्धति है, इसको सरकार खत्म करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है? यह चीज इनके घोषणा पत्र में भी थी। एक तरह की शिक्षा देने के बारे में सरकार क्या करने जा रही है? दिल्ली प्रशासन के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका प्रशासन अलग है, लेकिन आज कल वहां पर गवर्नर शासन है, जो पूरी तरह से केन्द्र शासन के अधीन है। पब्लिक स्कूलों में प्राईमरी के बच्चे से एक लाख रुपये डोनेशन लिया जाता है और टीचरस को पे नहीं दी जाती है। यह जो शोषण हो रहा है, इसकी समाप्ति के लिए सरकार घोषणा करे कि दोहरी शिक्षा पद्धति के खिलाफ हैं या नहीं?

श्री चिमनभाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, हम दोहरी शिक्षा पद्धति के खिलाफ हैं। यह हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं। पिछले 40 वर्षों में जो नहीं हुआ वह इन 5 वर्षों में होगा। इतना हम कह सकते हैं। (व्यवधान) लेकिन आप इसके खिलाफ हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राही, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : महोदय, हम दोहरी प्रणाली के विरुद्ध हैं। हम पूंजीवाद के सभी अवसरों को समाप्त करना चाहते हैं जिन्हें आप 40 वर्षों में नहीं कर सके हैं। लेकिन हम अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हर चीज करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

*146. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किन-किन स्थानों पर नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र योजना तथा इसके कार्यक्रमों का योजना आयोग द्वारा तत्काल मूल्यांकन करवाने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन लम्बित है इसलिए महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य में कोई नेहरू युवा केन्द्र स्थापित नहीं किया जायेगा।

कानपुर आयुध कारखाने में सरकारी धन की हेरा-फेरी

[अनुवाद]

* 147. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर स्थित आयुध कारखाने के कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन की कथित हेरा-फेरी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि कितनी धनराशि की हेरा-फेरी की गई है, कोई जांच-पड़ताल कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फैक्ट्री प्रबन्धकों ने एक जांच बोर्ड गठित किया है जो उन कारणों की जांच करेगा जिनसे जाली भुगतान किए गए हैं और साथ ही उन भुगतानों के लिए कौन जिम्मेदार है यह भी निश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, एक विशेष लेखापरीक्षा बोर्ड भी गठित किया गया है। जो यह पता लगाएगा कि कितनी राशि का ऐसा भुगतान किया गया है। जांच/लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

इस बीच जाली भुगतान में जिन चार कर्मचारियों का हाथ होने का संदेह है उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दो दोषी व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था तथा अन्य दो ने अपने आपको अदालत में पेश कर दिया था।

कारखानों में प्रदूषण-रोधी उपाय

[हिन्दी]

*148. श्री बसई चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) देश में प्रदूषण से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) हालांकि सरकार के पास बड़ी

प्रदूषक इकाइयों की सूची है, लेकिन ऐसे कारखानों की विस्तृत सूची सरकार के पास उपलब्ध नहीं है जिनके पास पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं है।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(1) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 पारित किए गये हैं।

(2) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योगों के लिए 32 मानक निर्धारित किये गये इनमें से 15 वायु प्रदूषण तथा 17 जल प्रदूषण के संबंध में हैं।

(3) निर्धारित मानकों को कार्यान्वित करने, इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी देने तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा 23 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है।

(4) देश भर में 160 वायु तथा 400 जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(5) जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 3990 दोषी इकाइयों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाए गए, जिनमें से 795 मामलों का निर्णय बोर्डों के पक्ष में हुआ है। तीन इकाइयों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है।

(6) प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में ऐसी इकाइयों, जो घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से स्थानान्तरित हो जाती है, को प्रदूषण उपशमन उपकरण लगाने के लिए सीमा शुल्क में रियायत तथा उत्पाद शुल्क में छूट, उच्च दर पर मूल्यह्रास भत्ता तथा पूंजी लाभ कर में छूट दी जाती है। लघु उद्योगों के समूह द्वारा सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए उन्हें सहायता देने की भी एक स्कीम शुरू की गई है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के तहत देय उपकर में छूट दी जाती है।

(7) अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि दी जाती है।

(8) एक कार्ययोजना तैयार की गई है जिसके तहत प्रमुख प्रदूषक इकाइयों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण के निर्धारित समय में नियंत्रण के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।

(9) प्रदूषण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं है।

क्षेत्रीय भाषा ग्रंथालय

[अनुवाद]

*149. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग, जो क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथालय का संचालन करता है, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को समान महत्व नहीं देता;

(ख) यदि हां, तो असमिया, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और सिन्धी नामक छः भाषाओं को अन्य भाषाओं की तुलना में कम महत्व की भाषाएं मानने का क्या मानदण्ड है; और

(ग) क्या विभिन्न भाषाओं के पुस्तकाध्यक्षों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुस्तकालय में उस समय प्रत्येक भाषा में उपलब्ध ग्रंथों की संख्या के आधार पर विभिन्न वेतनमान निर्धारित किए गए थे। तथापि, वित्त मंत्रालय के 24-7-90 के ज्ञापन सं० 19 (1)/आई०सी०/86 द्वारा ये विशेषताएं समाप्त कर दी गई हैं।

जर्कोनियम कारखाने की स्थापना

*150. श्री एन० डेनिस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक जर्कोनियम कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसको स्थापना वहां पर की जाएगी जहां इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां। जर्कोनियम का उत्पादन करने की सुविधाओं का विस्तार तमिलनाडु के चिदम्बरनार जिले में पलायकयाल नामक नए स्थान पर करने का प्रस्ताव है।

(ग) पलायकयाल नामक स्थान का चयन अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का प्रभाव

*151. श्री ललित विजय सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्यमन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) छठी और सातवीं योजना अवधियों के दौरान ग्रामीण गरीबी में कमी आर्थिक संवृद्धि और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की दोहरी प्रक्रिया के जरिए प्राप्त की गई। 1987-88 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनन्तिम परिणामों पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी वर्ष 1983-84 के लिए अनुमानित 40.4 प्रतिशत और वर्ष 1977-78 के लिए अनुमानित 51.2 प्रतिशत की तुलना में घटकर 32.66 प्रतिशत रह गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में, मुख्यतः उत्पादक रोजगार के अवसरों को अधिकतम करके ग्रामीण गरीबी में कमी की त्वरित प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। इसे पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अन्य समूहों की भागीदारी से अधिक वितरित संवृद्धि और विकेन्द्रित एकीकृत क्षेत्र विकास के जरिए प्राप्त करने का प्रयास है। ब्यौरे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में समाविष्ट किए जाएंगे।

नई वन नीति

*152. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों में और वनों से बाहर रहने वाली जनजातियों के लिए एक नई वन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति में उन्हें क्या रियायतें एवं सुविधाएँ दी गई हैं; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नोलमणि राउतराय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में आदिवासियों और वनों के बीच सहजीवी सम्बन्ध को बनाए रखा गया है। सबसे पहले वनों से जलाने की लकड़ी, चारे, लघु वन उत्पाद और निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी से सम्बन्धित वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले आदिवासियों और अन्य निर्धन लोगों की मांग पूरी की जानी चाहिये। वनों से संबंधित अधिकार और रियायतें मूलत: वन क्षेत्रों में और उनके आस पास रहने वाले समुदायों विशेषकर जनजातियों, के वास्तविक प्रयोग के लिए होने चाहिए। मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के उक्त उद्देश्यों पर बल देते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले आदिवासी और अन्य निर्धन लोग इन अधिकारों और रियायतों का सही अर्थों में उपयोग कर सकें, इसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। तदनुसार निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए दलालों को समाप्त करना और उनके लिए पर्याप्त मजदूरी सुनिश्चित करना।

(2) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना, जिससे कि ग्रामीणों को विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ मिल सके और उन्हें ऋण मुहैया कराया जा सके।

(3) वन क्षेत्रों में और उनके आसपास रहने वाले ग्रामीण समुदायों/वर्गों की भोगाधिकार के आधार पर अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार में भागीदारी।

(4) अन्तर-विभागीय विवादों को हल किया जाना है, जिससे अनुसूचित जन-जातियों और निर्धन लोगों को दिये गये पट्टों को अधिकृत किया जा सके।

(5) वन अधिनियमों में यथा उल्लिखित निपटान प्रक्रिया का पालन किये बिना जब कभी भी क्षेत्रों को "आरक्षित वनों के समान" अधिसूचित किया जाए तो प्रभावित आदिवासियों और अन्य ग्रामीण लोगों के दावों की जांच करके उन्हें निपटाया जाना चाहिए, बशर्ते विवादास्पद भूमि अभी भी दावेदार के कब्जे में हो।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद्

*153. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् की गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई;

(ख) क्या सरकार का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कर्मचारियों के लिये समान पदोन्नति नीति पुन: लागू करने का विचार है, जिसे 13 सितम्बर, 1986 से समाप्त कर दिया गया था;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् और बोर्ड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों (1987-89) के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की चार बैठकें हुई ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद तथा बोर्ड के गठन का प्रावधान प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में है । अधिनियम में परिषद के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है ।

राजस्थान में बढ़ता हुआ मरुस्थल

[हिन्दी]

*154. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान मरुस्थल में वृद्धि सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में मरुस्थल के बढ़ते संकट के लिये प्रारम्भ किये गये विभिन्न उपायों हेतु गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था तथा प्रत्येक उपाय के ब्यौरे सहित इस पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) चालू वर्ष के लिए क्या योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये विश्व बैंक और अन्य देशों से कोई सहायता प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने की आशा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि निरन्तर प्रयास के बावजूद भी मरुस्थल में वृद्धि नहीं हो सकी तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बकियों का प्रयोग करके किये गये अध्ययनों के अनुसार 1981-83 और 1985-87 की अवधि के बीच राजस्थान में वन क्षेत्र 12478 वर्ग कि० मी० से बढ़कर 18966 वर्ग कि० मी० हो गया है ।

(ख) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वनरोपण स्कीमों के सम्बन्ध में वर्षवार आबंटन/खर्च नीचे दिया गया है—

वर्ष	आबंटन	व्यय (करोड़ रुपये में)
1987-88	29.39	28.47
1988-89	32.02	32.02
1989-90	16.12	उपलब्ध नहीं

अन्य स्कीमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) राजस्थान में 1990-91 के दौरान 13.12 करोड़ रुपये के परिव्यय से 43,750 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध लगाने का प्रस्ताव है। राज्य की स्कीमों के साथ-साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है :

1. ग्रामीणों के लिये जलाने की लकड़ी की पौधरोपण।

2. वन चरागाह फार्म।

3. विकेन्द्रित जन नर्सरियां।

4. समेकित परती भूमि विकास परियोजना स्कीम।

5. लघु वन उत्पादकों की पौधरोपण।

6. बीज विकास।

(घ) विश्व बैंक/यू०एस०ए०आई०डी० की सहायता से राजस्थान में सभी गैर मरुस्थली जिलों में राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना 1985-86 से कार्यान्वित की जा रही है। इस पर कुल 39.19 करोड़ खर्च आयेगा। 29, 300 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर और 91,500 हैक्टेयर निजी भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा। बाह्य सहायता प्राप्त चार नई परियोजनायें चलाने का प्रस्ताव है। इनमें से दो प्रस्ताव ओ०ई०सी०एफ० (जापान) और एक-एक एस०आई०डी०ए० (स्वीडन) और ओ०डी०ए० (ब्रिटेन) के विचाराधीन है।

(ङ) मरुस्थलीकरण पशुओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण अति चराई के फलस्वरूप उत्पन्न एक सामाजिक आर्थिक समस्या है।

राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। विभिन्न स्कीमों के तहत क्षेत्र को हरा भरा बनाने से इस समस्या को काफी हद तक हल करने में मदद मिलेगी।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

[अनुवाद]

*155. श्री उत्तम राठौड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो अगले पांच वर्षों के दौरान देश में विद्यमान संयंत्रों से परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी योजना का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु और अधिक परमाणु संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) देश में विद्यमान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है :

स्थान	संयंत्र	क्षमता	वर्तमान स्थिति	संयंत्र के लिए अनुमति
				मिलने और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उसकी वृद्धि करने संबंधी योजना
तारापुर महाराष्ट्र	तारापुर परमाणु बिजली घर 1 और 2	2×160 मेगावाट	वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे हैं	2×500 मेगावाट (तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4)
रावतभाटा राजस्थान	राजस्थान परमाणु बिजली घर 1 और 2	2×220 मेगावाट	यथोपरि	4×500 मेगावाट (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5-8)
	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 3 और 4	2×235 मेगावाट	निर्माणाधीन	
कलपाक्कम तमिलनाडु	मद्रास परमाणु बिजली घर 1 और 2	2×235 मेगावाट	वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे हैं	
नरोरा उत्तर प्रदेश	नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना 1 और 2	2×235 मेगावाट	यूनिट-1 काम कर रहा है यूनिट-2 चालू किए जाने की अवस्था में हैं।	
ककरापार गुजरात	ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना 1 और 2	2×235 मेगावाट	निर्माणाधीन	
कैंगा कर्नाटक	कैंगा-1 और 2	2×23 मेगावाट	—यथोपरि—	4×235 मेगावाट (कैंगा 3-6)

उपर्युक्त के अलावा, परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता वाले छः और यूनिट लगाने का विचार है। सोवियत संघ की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार, भारत में तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर 1000 मेगावाट क्षमता वाले 2 सोवियत वी०वी०ई०आर० लगाने के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है। और यूनिट लगाने संबंधी योजना को वार्षिक बजट में और आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों में योजना के लिये आबंटित बजट प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया जाना है।

(घ) वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे मौजूदा परमाणु विद्युत संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1230 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट

इस समय काम कर रहा है। आशा है कि सन् 1990 में यह यूनिट वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने लगेगा। इससे परमाणु बिजली की वर्तमान स्थापित क्षमता बढ़कर 1465 मेगावाट हो जायेगी। अब तक प्राप्त अनुमोदनों के आधार पर आशा है कि परमाणु बिजली की कुल स्थापित क्षमता वर्ष 1996 में बढ़कर 3110 मेगावाट हो जायेगी।

आर्मी मेडिकल कोर में पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती

* 156. श्री एम०एस० पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संगठनों के अधीन आर्मी मेडिकल कोम, डेंटल कोर तथा नर्सिंग कोर में सेवारत पति और पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर तैनात किया जाता है ताकि अधिक संख्या में महिलाओं को इन सेवाओं में कार्य करने का प्रोत्साहन मिले;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में ऐसे कितने मामलों में उपरोक्त सुविधा प्रदान नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां। लेकिन इसके लिए सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें किसी को दिल्ली में इस प्रकार की सुविधा देने से इनकार किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों का स्तर

[हिन्दी]

*157. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों की समीक्षा समिति की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा तत्सम्बन्धी गठित उच्चशक्ति प्राप्त समिति की इस संबंध में क्या सलाह है;

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में समान स्तर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालत संगठन की पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों जिनमें शैक्षिक मानव भी शामिल हैं, की सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई थी। अधिकार प्राप्त समिति की सलाह सहित पुनरीक्षा समिति की शिफारिशें, नियमानुसार, अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भेज दी गई थीं। यह मामला शासी बोर्ड की 22-8-1990 को होने वाली इसकी अगली बैठक में रखा जाएगा।

केरल में नवोदय विद्यालय

*158. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन-किन जिलों में नवोदय विद्यालय आरम्भ किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का किसी अन्य जिले में भी नवोदय विद्यालय आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें अतलेपी जिले में भी नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव शामिल है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) केरल के उन जिलों की सूची अनुबंध में दी गई है, जहां नवोदय विद्यालय खोले गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए सरकार ने आचार्य रामूमूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की है। समिति नवोदय विद्यालय समिति की भी समीक्षा करेगी। सरकार ने इसकी समीक्षा होने तक कोई भी नया नवोदय विद्यालय न खोलने का निर्णय लिया है।

अनुबन्ध

केरल के वे जिले जहां नवोदय विद्यालय खोले गए हैं

क्रमांक	जिले का नाम	गांव का नाम
1.	इडुकी	पैनावू
2.	पठानौथिट्टा	वेच्चूचिरा
3.	कसारगोड	पेरिया
4.	अर्नाकुलम	नारियामंगलम
5.	कन्नानोर	भागवापदपुरी
6.	कोट्टायम	पैपाड
7.	कालीकट	पलैयाड नादा
8.	त्रिचूर	यायान्नूर
9.	पालघाट	मलमपुझा
10.	मल्लापुरम्	डोरकाम

केरल में केन्द्र द्वारा पूंजी निवेश

*159. श्री टी० बशीर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों में केन्द्र द्वारा केरल में किए जाने वाले पूंजी-निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है तथा राज्य में केन्द्रीय पूंजी-निवेश बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) और (ख) केन्द्रीय योजना के छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए राज्यवार व्यय के आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाये गये हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केरल में केन्द्रीय पूंजी निवेश का प्रतिशत हिस्सा जो छठी योजना अवधि के दौरान 2.33% था, सातवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के लिए (पूर्णयोग) बढ़कर 2.70% हो गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार को यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार का उक्त प्रतिवेदन के प्रति रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। परन्तु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय योजना निवेश का निर्धारण समूचे देश के लिए किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को पार कर जाती है। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का लाभ भी पूरे देश को मिलता है।

"फिर भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण" के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आठवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शामिल किए जाने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार, आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय किया जाएगा।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) व्यय (केन्द्र)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5404.57	9.37
2.	असम	2190.07	3.80
3.	बिहार	4162.40	7.22
4.	गुजरात	3130.33	5.43
5.	हरियाणा	618.63	1.07
5.	हिमाचल प्रदेश	368.46	0.64
7.	जम्मू व कश्मीर	501.58	0.87
8.	कर्नाटक	1999.47	3.47
9.	केरल	1346.22	2.33
10.	मध्य प्रदेश	4710.56	8.17
11.	महाराष्ट्र	4901.16	8.50
12.	मणिपुर	125.20	0.22
13.	मेघालय	71.01	0.12

(1) (2)	(3)	(4)
14. नागालैंड	87.92	0.15
15. उड़ीसा	2855.08	4.95
16. पंजाब	656.67	1.14
17. राजस्थान	1675.35	2.91
18. सिक्किम	34.47	0.06
19. तमिलनाडु	3167.09	5.49
20. त्रिपुरा	135.93	0.23
21. उत्तर प्रदेश	4302.20	7.46
22. पश्चिम बंगाल	3480.04	6.04
कुल राज्य	4 5924.41	79.64
1. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30.21	0.05
2. अरूणाचल प्रदेश	50.69	0.09
3. चंडीगढ़	52.86	0.09
4. दादर व नागर हवेली	3.65	0.01
5. दिल्ली	1170.95	2.03
6. गोवा, दमन और द्वीप	162.04	0.28
7. लक्षद्वीप	4.04	0.01
8. मिजोरम	30.13	0.05
9. पांडिचेरी	30.63	0.05
कुल संघ राज्य क्षेत्र	1535.20	2.66
अनावंटित जोड़ (क+ख)	10204.26	17.70
राज्य व संघ रा० क्षेत्र	57663.87	100.00

टिप्पणी : (1) अनावंटित राशि (10204 करोड़ रु०) में पैट्रोलियम क्षेत्रक में 5500 करोड़ रुपये के अपतटीय और अन्य निवेश शामिल हैं।

(2) छठी योजना के दौरान कुल केन्द्रीय योजना व्यय 57800 करोड़ रुपये का था। विवरण में उपलबन्ध ब्यौरा (अनावंटित भाग सहित) 57664 करोड़ रुपये के बारे में है।

(3) चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार आयोजन या हिसाब नहीं रखा जाता इस लिए इन ब्यौरों को तैयार करने के लिए कुछ कल्पनाएं की गई हैं। हालांकि इस

प्रकार के प्रयत्न के आधार के लिए ये यथासंभव सर्वोत्तम कल्पनाएं प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता निश्चय ही सीमित प्रकार की है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(क) नई लाइनों, गैज परिवर्तन तथा विद्युतीकरण पर रेलवे का निवेश का राज्यवार ब्यौरा, प्रत्येक राज्य में पूरी की गई लगभग लम्बाई पर आधारित है।

(ख) रेलवे की योजना का शेष 80 प्रतिशत भाग प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले रूट कि० मी० के आधार पर विभिन्न राज्यों को आवंटित किया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य में, वायुयान उतरने की संख्या के आधार पर वायुयानों (नागर उड्डयन योजना) के क्रय पर होने वाले व्यय का आवंटन किया गया है।

(घ) चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों द्वारा संभाले जाने वाले यातायात के आधार पर, इन हवाई अड्डों को वायुयानों के अधिग्रहण के संबंध में एयर इंडिया का व्यय आवंटित किया गया है।

(ङ) नौवहन के संबंध में, प्रत्येक समुद्रवर्ती राज्य में प्रमुख पत्तनों द्वारा अर्जित यातायात आय के आधार पर राज्यवार आवंटन किया गया है।

(4) चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशत: उन क्षेत्रों में किया गया है जहां आवश्यक आर्थिक संघटक इष्टतम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन के लक्ष्य की केवल सीमित प्रासंगिकता ही हो सकती है।

(5) आवास तथा शहरी विकास में केवल छः स्कीमों के लिए ही प्रावधान है। हुडको के लिए 50 करोड़ रु० का कुल योजना परिव्यय था। वास्तविक रूप में रिलीज की गई धनराशि 675.87 करोड़ रु० थी। ऐसा हुडको द्वारा बाजार ऋण लिए जाने के कारण हुआ।

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा (1958-86 से 1977-88) तक

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों का जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	2105.90	2156.22	2321.37	6583.49
	(13.07)	(11.23)	(11.44)	(11.84)
अरुणाचल प्रदेश	15.97	28.62	54.49	99.08
	(0.10)	(0.15)	(0.27)	(0.18)
असम	713.69	621.80	730.50	2065.99
	(4.43)	(3.24)	(3.60)	(3.72)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिहार	1133.68	1384.45	1393.82	3911.95
	(7.04)	(7.21)	(6.78)	(7.04)
गुजरात	1109.99	1573.98	1585.63	4269.60
	(6.89)	(8.20)	(7.81)	(7.68)
हरियाणा	253.14	249.46	329.64	832.24
	(1.57)	(1.30)	(1.62)	(1.50)
हिमाचल प्रदेश	200.71	298.54	325.79	825.04
	(1.25)	(1.56)	(1.61)	(1.48)
जम्मू व कश्मीर	197.11	167.02	230.64	594.77
	(1.22)	(0.87)	(1.14)	(1.07)
कर्नाटक	558.13	687.32	809.89	2055.34
	(3.47)	(3.58)	(3.99)	(3.70)
केरल	441.61	529.34	531.66	1502.61
	(2.74)	(2.76)	(2.62)	(2.70)
मध्य प्रदेश	1976.29	2508.83	1895.79	6380.91
	(12.27)	(13.07)	(9.34)	(11.48)
महाराष्ट्र	1302.28	1522.80	2020.66	4845.74
	(8.09)	(7.93)	(9.95)	(8.72)
मणिपुर	34.33	50.21	69.04	153.58
	(0.21)	(0.26)	(0.34)	(0.28)
मेघालय	24.50	26.49	34.36	85.35
	(0.15)	(0.14)	(0.17)	(0.15)
मिजोरम	13.38	22.13	16.45	51.96
	(0.08)	(0.12)	(0.08)	(0.09)
नागालैंड	27.60	30.08	55.46	113.14
	(0.17)	(0.16)	(0.27)	(0.20)
उड़ीसा	1176.75	951.76	1126.29	3254.80
	(7.31)	(4.96)	(5.55)	(5.85)
पंजाब	254.87	326.03	473.79	1054.69
	(1.58)	(1.70)	(2.33)	(1.90)
राजस्थान	532.23	648.12	773.42	1953.77
	(3.30)	(3.38)	(3.81)	(3.51)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिक्किम	7.16	7.62	34.56	49.34
	(0.04)	(0.04)	(0.17)	(0.09)
त्रिपुरा	56.82	54.75	58.23	169.80
	(0.35)	(0.29)	(0.29)	(0.31)
उत्तर प्रदेश	1702.30	2568.40	2452.45	6723.15
	(10.57)	(13.38)	(12.08)	(12.09)
पश्चिम बंगाल	974.70	1234.13	1288.73	3497.56
	(6.05)	(6.43)	(6.35)	(6.29)
तमिलनाडु	827.80	964.75	1069.64	2862.19
	(5.14)	(3.03)	(5.27)	(5.15)
जोड़ राज्य	15640.94	18612.85	19682.30	53936.09
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16.62 (0.10)	63.62 (0.33)	18.63 (0.09)	98.87 (0.18)
चंडीगढ़	13.50	13.19	11.58	37.27
	(0.08)	(0.06)	(0.06)	(0.07)
दादर व नगर हवेली	1.79	2.10	1.70	5.59
	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
दिल्ली	366.14	442.38	528.19	1336.71
	(2.27)	(2.30)	(2.60)	(2.40)
गोवा, दमन व दीव	56.58	53.10	39.42	149.10
	(0.35)	(0.28)	(0.19)	(0.27)
लक्षद्वीप	1.69	2.43	9.29	13.41
	(0.01)	(0.01)	(0.05)	(0.02)
पांडिचेरी	7.64	9.74	7.00	24.38
	(0.05)	(0.05)	(0.03)	(0.04)
जोड़ (स०रा० क्षेत्र)	463.96	585.56	615.81	1665.33
कुल आवंटन योग्य राशि	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
आवंटन योग्य राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
कुल जोड़	19108.48	(क) 23666.23	(ख) 25275.54	(ग) 68050.25

नोट। कोष्ठकों में आंकड़े कुल आवंटन योग्य राशि के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

टिप्पणी

चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार नियोजन या हिसाब नहीं लगाया जाता इसलिए ये ब्यौरे तैयार करने में कुछ कल्पनाएं की गई हैं। इस प्रकार के प्रयोग के लिए आधारस्वरूप ये कल्पनाएं यथासंभव सर्वोत्तम प्रतीत होती है परन्तु उनकी प्रामाणिकता निश्चिता ही एक समिति स्वरूप की है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(1) रेलवे के मामले में जहां चालू स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण भाग है, वहां वितरण का अनुमान किसी राज्य विशेष से गुजरने वाले ट्रैफिक के रूट/कि० मी० के आधार पर लगाया जाता है।

(2) उसी प्रकार विमानन के संबंध में जहां "एअर" क्राफ्टों के लिए भारी राशि की आवश्यकता होती है, वितरण का आकलन किसी राज्य विशेष के क्षेत्र में उतरने वाले एअर क्राफ्टों की संख्या के हिसाब से किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं के व्यय के ब्यौरे का आकलन सर्किलवार किया जाता है।

चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश प्राय: उन्हीं क्षेत्रों में है जहां आवश्यक आर्थिक घटकों की इष्टतम उपलब्धता हो। अत: ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य सीमित रूप से ही संगत हो सकता है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में ज्ञापन

[हिन्दी]

*160. श्री दौलत राम सारण : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों से भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं एवं कठिनाइयों के बारे में कई ज्ञापन हाल ही में प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और लम्बित पड़े मामलों के कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (ग) हालांकि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं/मांगों को रखने वाली अखिल भारतीय स्तर के भूतपूर्व सैनिकों के तीन मुख्य संगठन हैं लेकिन वास्तव में विभिन्न स्तरों पर ऐसे अनेक संगठन खड़े किए गये हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के हितों की पैरवी करते हैं और उनकी समस्याओं तथा मांगों के बारे में अभ्यावेदन/ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इन ज्ञापनों में जिन कुछ बड़ी समस्याओं तथा मांगों को उठाया गया है तथा सरकार द्वारा उन पर जो कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का कार्य सतत चलते रहने वाला कार्य है और इसमें समय-समय पर समस्याएं/कठिनाइयां पैदा हुई हैं। इन पर समुचित रूप से कार्रवाई की जाती है फिर भी ऐसी कोई समय-सीमा बताना कठिन है जिसके भीतर सभी समस्याओं/कठिनाइयों का अंतिम रूप से समाधान हो जायेगा।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिए गए ज्ञापनों में उठाई गई समस्याओं/मांगों और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई

1. भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास के अवसर प्रदान करना।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह "ग" और "घ" पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी सिविल पदों पर अलग-अलग प्रतिशत में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर देने के लिये अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें ये शामिल हैं : सैम्फैक्स—I योजना और सैम्फेक्स-II योजना। सैम्फेक्स-I योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग चलाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था है, और सैम्फैक्स—II योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देहातों में खेती या खेती से भिन्न कार्यकलापों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें पेट्रोलियम उत्पादन एजेंसियां यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एजेंसियां, कोयला तथा पेट्रोल पदार्थों की परिवहन एजेंसियां दी जाती हैं। इसके अलावा रक्षा स्थापनाओं आदि को अपना माल बेचने वाली भूतपूर्व सैनिकों की लघु उद्योग इकाइयों को मूल्य में राहत दी जाती है।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए मकान बनाने के लिये भू-खण्ड/मकान (फ्लैट) आरक्षित करना।

यह मांग राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। अनेक राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के लिए मकान बनाने के लिये भू-खण्ड/फ्लैट आरक्षित रखने की व्यवस्था की है। यह आरक्षण विभिन्न राज्यों ने दो से बीस प्रतिशत के बीच अलग-अलग किया हुआ है।

3. द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन की मंजूरी।

द्वितीय विश्वयुद्ध में जिन सैनिकों को 2 से 6 वर्ष तक की अल्प अवधि के लिए सेना में भर्ती किया गया था वे पेंशन के हकदार नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने पेंशन के लिये अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की। तथापि, अनेक राज्यों ने जरूरतमंद लोगों को बुढ़ापे में पेंशन मंजूर करने की योजनाएं चलाई हैं जिनके अन्तर्गत द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिक भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय तथा सेना मुख्यालयों की कल्याण निधियों में से वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

4. पुनर्नियोजन की स्थिति में वेतन निर्धारण वरिष्ठता आदि के लिये सैनिक सेवा से जोड़ा जाना और सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण से संबंधित नियमों में एकरूपता लाना।

विद्यमान सरकारी आदेशों के अन्तर्गत मुख्य सिद्धान्त यह है कि पुनर्नियोजित होने पर किसी भी पेंशनर को नया भर्ती कर्मचारी माना जाये और उसका वेतन उस पद के वेतनमान में न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया जाए। पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिक इस वेतन के अलावा अपनी पूरी सैनिक पेंशन भी प्राप्त करता है। गैरपेंशनरों के मामले में पिछली सैनिक सेवा का लाभ प्रत्येक वर्ष की गई सैनिक सेवा के लिए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में दिया जाता है। पुनर्नियोजित पेंशनरों के मामले में सैनिक पेंशन के अलावा उक्त वेतनवृद्धियां मंजूर करने का अर्थ है उन्हें दोहरा लाभ देना और इसीलिए यह लाभ नहीं दिया जाता। दूसरी ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कंपनियों और कुछ हद तक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्नियोजन के मामलों में अफसर से नीचे के रैंक के कार्मिकों को उनकी पूरी पेंशन को हिसाब में न लेने के अलावा सेवानिवृत्ति के समय लिये गये वेतन को संरक्षित करने की व्यवस्था है। इसके अलावा बैंकों में पदोन्नति के लिये सेना में की गई सेवा को वरिष्ठता के लिये कुछ महत्व दिया जाता है। पुनर्नियोजन की शर्तों में इस तरह के स्पष्ट अन्तर होने के कारण भूतपूर्व सैनिक संगठनों से बराबर यह मांग की जाती रहती है कि पेंशनरों और गैर-

	पेंशनरों—दोनों के मामलों में सैन्य सेवा की अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण से संबंधित नियमों में एकरूपता लाई जाये । इस मामले पर पूरी तरह विचार किया गया है। परन्तु वेतन/दैनिक भत्ते के ढांचे आदि में आधारभूत अन्तर को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता तथा वेतन निर्धारण से संबंधित नियमों में एकरूपता लाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।
5. "एक रैंक एक पेंशन" की मंजूरी ।	1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों को इस मामले में राहत देने के लिए शुरू की गई कार्रवाई काफी आगे बढ़ चुकी है ।

सूरत के निकट "हाजा" एक्सटेंशन में पर्यावरण प्रदूषण

*161. **श्री काशीराम राणा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औद्योगिक गृह जैसे एस्सार, रिलायंस, लारसन एण्ड ट्यूब्रो, सूरत के निकट "हाजा" एक्सटेंशन में उद्योग स्थापित कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इस क्षेत्र की हरियाली नष्ट हो रही है;

(ग) क्या इन उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण के पर्याप्त उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में दोषी एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही [करने का विचार है/की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । तथापि, भारत सरकार इस सूचना की जांच करेगी और आगे आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

(ग) ये उद्योग तभी चलाये जा सकते हैं जब प्रदूषण नियंत्रण को सुनिश्चित करने के बारे में प्रत्येक उद्योग के लिये गुजरात प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शर्तें पूरी कर ली जाएं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीहरिकोटा लॉंचिंग स्टेशन का बन्द किया जाना

[अनुवाद]

*162. **डॉ० विश्वनाथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीहरिकोटा लॉचिंग स्टेशन (आन्ध्र प्रदेश) को बन्द करने की योजना बना रही है क्योंकि यहां पर काम की गति धीमी हो गई है तथा संबंधित कार्य को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो हाल ही में इस स्टेशन पर क्या कार्य किया गया और इस संबंध में आगे क्या योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) शार केन्द्र में क्रियाकलापों की गति को धीमा करने अथवा स्थानान्तरित करने या केन्द्र को बन्द करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) श्रीहरिकोटा स्थित शार केन्द्र उपग्रह प्रमोचक यानों और परिज्ञापी राकेटों के प्रमोचन के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का मुख्य अड्डा है। इसरो रेंज कम्प्लेक्स तथा देश का बृहत्तम ठोस प्रणोदक अन्तरिक्ष बूस्टर संयंत्र (स्प्रोब) इस केन्द्र में स्थापित हैं। यह केन्द्र स्वदेशी प्रमोचक राकेट विकास और मिशनों की सहायता के लिये स्थैतिक जांच तथा मूल्यांकन कम्प्लेक्स (स्टैक्स) तथा कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा संसाधन सुविधाओं का भी परिचालन करता है।

हाल ही के क्रियाकलापों में 125 टन के ठोस बूस्टर (विश्व का तृतीय बृहतम बूस्टर) का सफलतापूर्वक संचकन और जांच करना, पी०एस०एल०वी० प्रमोचन के लिये 3500 टन भार की मोबाइल सेवा संरचना का निर्माण और प्रचालन करना तथा परिशुद्ध संसक्त एकस्पंदी सी-बैण्ड (पी०सी०एम०सी०) प्रणाली की स्थापना करना शामिल है।

भावी क्रियाकलापों में राकेट मोटरों के संचकन और जांच को जारी रखना, परिज्ञापी राकेटों का प्रमोचन और संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए०एस०एल०वी०), ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल० वी०) तथा भू-स्थायी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) के लिए प्रमोचन सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

'समान कार्य समान वेतन' संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करना

1648. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों के लिये 'समान कार्य समान वेतन' संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी निर्देश जारी किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) और (ख) : जी, हां।

श्री सुरेन्द्र सिंह तथा अन्य बनाम भारत सरकार द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिनांक 17 जनवरी, 1986 को दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जारी किये गये

दिनांक 7-6-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39014/2/86-स्था० (ग) की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) दिनांक 7-6-88 के कार्यालय ज्ञापन में दिये गये अनुदेश संघ शासित प्रदेशों को भी पृष्ठांकित कर दिये गये हैं। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है यह संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने कर्मचारियो की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये अनुदेश जारी करें।

विवरण

संख्या एफ० 39014/2/86 स्था० (ग)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—दैनिक मजदूरी पर नैमित्तिक कामगारों तथा व्यक्तियों की भर्ती नीति की पुनरीक्षा।

श्री सुरेन्द्र सिंह तथा अन्य द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध दायर रिट याचिका में 17 जनवरी, 1986 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नैमित्तिक कामगारों की नियुक्ति संबंधी नीति की पुनरीक्षा की है तथा दैनिक मजदूरी पर नैमित्तिक कामगारों की भर्ती के मामले मे निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :—

(i) नियमित स्वरूप कार्य के लिए दैनिक मजदूरी पर व्यक्तियों को भर्ती नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) दैनिक मजदूरी पर भर्ती केवल उन्हीं कार्यों के लिए की जाए जो आकस्मिक अथवा मौसमी अथवा विरामी स्वरूप के हों अथवा वे कार्य जो पूर्णकालिक स्वरूप के नहीं हैं तथा जिसके लिए नियमित पद नहीं बनाए जा सकते हैं।

(iii) नियमित कर्मचारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्य के उत्पादन तथा उत्पादनशीलता की दृष्टि से संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा उसका पुन: जायजा लिया जाना चाहिए ताकि नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य को नियमित कर्मचारियों को सौंपा जा सके। विभागों को चाहिए कि वे नियमित कार्य के लिए कर्मचारियों के मानदण्डों की भी पुनरीक्षा करें तथा यदि आवश्यक समझे तो उन्हें संशोधित करने के लिए प्रयास करें।

(iv) जहां नैमित्तिक कामगारों तथा नियमित कर्मचारियों को सौंपे गये कार्य एक समान

स्वरूप है वहां नैमित्तिक कामगारों को एक दिन के 8 घंटे के कार्य के लिए संगत वेतनमान के न्यूनतम पद के 1/30 की दर पर तथा महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।

(v) उन मामलों में जहां दिहाड़ी मजदूरी द्वारा किए जाने वाला कार्य नियमित कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य से भिन्न है वहां नैमित्तिक कामगारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार श्रम मंत्रालय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित केवल न्यूनतम वेतन, इनमें जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाए। परन्तु, यदि विभाग पहले ही दिहाड़ी मजदूरों को उच्चतर दरों पर वेतन का भुगतान कर रहे हैं तो, इस प्रथा को वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से जारी रखा जा सकता है।

(vi) नैमित्तिक कामगारों को छह दिन के नियमित कार्य के पश्चात् एक दिन की वेतन सहित छुट्टी दी जाए।

(vii) नैमित्तिक कामगारों को किए जाने वाले भुगतान को ऊपर (vi) पर यथाउल्लिखित सवेतन छुट्टी सहित केवल सरकार के अधीन उनके द्वारा वास्तव में की गई ड्यूटी के दिनों तक सीमित रखा जाए। फिर भी, उन्हें इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय छुट्टी के लिए, यदि यह नैमित्तिक कामगारों के लिए कार्य दिवस पर पड़ती है, भुगतान किया जाए।

(viii) उन मामलों में जहां नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्य की सभी मदों को विद्यमान कर्मचारियों को सौंपना संभव नहीं है वहां वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक न्यूनतम नियमित पदों का सृजन किया जाए।

(ix) जहां पूरे वर्ष के दौरान एक से अधिक प्रकार के कार्य किए जाने होते हैं परन्तु प्रत्येक किस्म के कार्य के लिए अलग नियमित कर्मचारी का औचित्य नहीं है तो वहां वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस प्रकार की मदों के निष्पादन करने के लिए बहुप्रयोजनीय पद सृजित किया जाए।

(x) नैमित्तिक कामगारों की सेवाओं का नियमित करना, इस संबंध में इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन किया जाता रहेगा। ऐसे नियमितकरण पर विचार करते समय किसी नैमित्तिक कर्मचारी को ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल तभी दी जाए यदि नैमित्तिक कामगार के रूप में प्रारंभिक भर्ती के समय संगत पद के लिए उसने ऊपरी आयु सीमा पार नहीं की हो।

(xi) यदि कोई विभाग उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों से हट कर कार्रवाई करना चाहता हो तो, उसे वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में नैमित्तिककामगारों की नियुक्ति की पुनरीक्षा समयबद्ध आधार पर करनी चाहिए ताकि निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें :—

(क) सभी पात्र नैमित्तिक कामगार उस सीमा तक ऐसे नियमित पदों पर समायोजित कर लिए जाते हैं जिस तक ऐसे नियमित पद न्यायसंगत हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के अंतर्गत न आने वाले बाकी के नैमित्तिक कामगार तथा जिन्हें बनाए रखना मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है उन्हें पूर्णतः मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के अन्तर्गत न आने वाले बाकी के नैमित्तिक कामगारों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया जाता है।

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, पुनरीक्षा कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है :—

(क) रेल मंत्रालय	2 वर्ष
(ख) डाक विभाग, दूरसंचार विभाग तथा रक्षा उत्पादन विभाग	1 वर्ष
(ग) सभी अन्य मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय	6 मास

प्रत्येक मंत्रालय को संलग्न प्रपत्र में अपने नियंत्रणाधीन मंत्रालय (मुख्य) तथा संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में पुनरीक्षा की प्रगति दिखाते हुए एक तिमाही विवरणी कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजनी चाहिए। पहली तिमाही विवरणी इस विभाग को 10 अक्टूबर, 1988 तक भेज देनी चाहिए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से तथा सावधानीपूर्वक अनुपालन करके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमित स्वरूप के कार्य करने के लिए, विशेषरूप से ऊपर उल्लिखित पुनरीक्षा के समुचित रूप से पूरा कर लिए जाने के बाद नैमित्तिक कर्मचारियों को और आगे नहीं रखा जाता है। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को, एक ऐसे अधिकारी को नामित करना चाहिए जो प्रत्येक नैमित्तिक कामगार की नियुक्ति तथा कार्य जिसके लिए उसे नियुक्त किया जा रहा है की जांच करेगा ताकि इस बात का निश्चय किया जा सके कि क्या कार्य आकस्मिक स्वरूप का है अथवा नहीं।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी नियोक्ता प्राधिकारियों के ध्यान में इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को कड़ाई से अनुपालन के लिए ध्यान में लाएं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में लापरवाही के मामलों को बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

हस्ता०/

(डी० पी० बावची)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग ।

विभिन्न मंत्रालयों आदि द्वारा नियुक्त किए गए नैमित्तिक कामगारों के बारे में की गई पुनरीक्षा की प्रगति दर्शाने वाली तिमाही विवरणी ।

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. 1-6-1988 की स्थिति के अनुसार नैमित्तिक कामगारों की संख्या :
   (क) मंत्रालय (मुख्य में
   (ख) संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में

   योग :
3. उन नैमित्तिक कामगारों की संख्या जिन्हें पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप नियमित नियुक्ति दी गई ।
4. उन नैमित्तिक कामगारों की संख्या, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ।
5. उन नैमित्तिक कामगारों की संख्या, जिनकी सेवाएं (जुलाई—सितम्बर, 1988, अक्तूबर से दिसम्बर, 1988 आदि) को समाप्त होने वाली तिमाही के अन्त तक बनाए रखी गई हैं ।

टिप्पणी :—जुलाई, 1988 से सितम्बर, 1988 तक की तिमाही के लिए पहली विवरणी 10 अक्तूबर, 1988 तक भेज दी जानी चाहिए । इसी प्रकार बाद की विवरणी आगामी तिमाही की समाप्ति पर मास की 10 तारीख तक भेज दी जानी चाहिए ।

प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एककों को बन्द करना

1649. श्री डी० अमात : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले अब तक कितने उद्योगों अथवा कारखानों को बन्द किया गया है और उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उड़ीसा में प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पर्यावरणीय कारणों से उड़ीसा में किन-किन नए उद्योगों और कारखानों की स्थापना किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रदूषित पर्यावरण के कारण जानमाल का कोई नुकसान हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) प्रदूषण फैलाने के कारण पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक इकाइयां बन्द कर दी गई हैं :—

(1) जिनेश्वर केमिकल्स, नन्देसरी, गुजरात ।

(2) बंसत पेपर मिल, रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

(3) पेपिरस पेपर लिमिटेड, नाडिया, पश्चिम बंगाल ।

(ख) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दोषी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है कि वे निस्सरण और बहिस्राव के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन न करें। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हीरा सीमेंट लिमिटेड, बारगढ़, डाइज़म एंड केमिकल्स लिमिटेड, बारीपाड़ा तथा ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कालमा तीन इकाइयों के बन्द करने के आदेश जारी किये हैं। अंतिम इकाई ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के उपरान्त दोबारा से कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) (1) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भुवनेश्वर में मंचेश्वर तथा चंडका स्थित औद्योगिक एस्टेट्स में प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(2) राजमार्गों तथा मानव-आवासों के निकट नये स्टोन क्रेशर, ईंटों के भट्ठों, चूने के भट्ठों तथा कोयला ब्रिकेटिंग यूनिटों पर उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोक लगा दी है ।

(घ) प्रदूषित पर्यावरण से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

कृषि वानिकी योजना

1650. श्री लोकेन्द्र सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वानिकी योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के अधीन भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रकार की भूमि को कृषि-वानिकी के लिये स्वयं सेवी संगठनों को पट्टे पर देने का है जिससे कि पर्यावरण-संतुलन बनाया रखा जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) कृषि-वानिकी कार्यक्रम में मुख्यतः किसानों को उनकी अपनी भूमि पर रोपण के लिए उपयोगी प्रजातियों की पौद का वितरण किया जाता है और इसके लिए तकनीकी तथा अन्य सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) मध्य प्रदेश में अनुमानतः 129 लाख हैक्टेयर वनेतर परती भूमि है जिसमें राजस्व विभाग की भूमि भी शामिल है ।

(ग) जी, नहीं ।

कोणार्क मंदिर का बन्द किया जाना

1651. श्री भवानी शंकर होटा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य कोणार्क मंदिर अभी बन्द ही पड़ा है और यह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक बन्द पड़ा रहेगा; और

(ग) क्या इसके जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ किया जा रहा है और यह मंदिर पर्यटकों के लिए कब खोल दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) 1915 में, भारत सरकार द्वारा सूर्य मंदिर कोणार्क (13वीं शताब्दी ईसवी सन् में निर्मित) के अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया था, तब उसमें पूजा का प्रचलन नहीं था और यह पहले से ही खंडहर अवस्था में था, इसके एक भाग को इसके ढांचे की मजबूती के लिए रेत से भरा गया था।

मंदिर-परिसर का अनुरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यह परिसर दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति

1652. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या कितनी थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आगे य गोवर्धन) : सातवीं योजना के जिस सबसे बाद के वर्ष अर्थात् 1987-88 के लिए आकलन किये गये हैं, उसमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या
राज्यवार, 1987-88 (अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	195.05
2.	असम	52.51
3.	बिहार	335.75
4.	गुजरात	46.61
5.	हरियाणा	18.29
6.	हिमाचल प्रदेश	4.50
7.	जम्मू व कश्मीर	9.41
8.	कर्नाटक	136.13
9.	केरल	48.65
10.	मध्य प्रदेश	2.3.31

(1)	(2)	(3)
11.	महाराष्ट्र	213.27
12.	उड़ीसा	114.47
13.	पंजाब	13.58
14.	राजस्थान	96.20
15.	तमिलनाडु	422.01
16.	उत्तर प्रदेश	176.76
17.	पश्चिम बंगाल	173.31
	अखिल भारत	2324.04

2. ये संगणनाएं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के घरेलू उपभोक्ता व्यय के अनंन्तिम परिणामों पर आधारित है।

3. राज्यवार गरीबी अनुपात का आंकलन उसी पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय की गयी थी। तबसे गरीबी आंकलन की पद्धति के संबंध में कई मुददे उठाये गये हैं और इन मुददे पर एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष डॉ० डी० टी० लाकड़ावाला हैं।

4. प्रस्तुत अनुमान अनंतिम है और विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इनके परिशोधित होने की संभावना है 43वें दौर के परिणामों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अनन्तिम रूप दिये गये जाने पर इन आंकलनों में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है।

5. 1 मार्च, 1988 को दर्शायी गई जनसंख्या के आधार पर गरीबों की संख्या का अनुमान लगाया गया है।

पेंशन में संगणना मूल्य को बढ़ाने का प्रस्ताव

1653. श्री ए० के० राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बढ़ती हुई कीमतों तथा मुद्रा अवमूल्यन के अनुपात में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन राशि का संगणना मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। पेंशन राशि के संराशिकरण मूल्य की गणना संराशिकरण नियमों के तहत निर्धारित मूल्यों की सारणी के आधार पर की जाती है। ये मूल्य केवल जीवन-प्रत्याशा तथा सरकारी तथा सरकारी उधार के ब्याज की दर पर आधारित हैं तथा बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। मौजदा संराशिकरण सारणी 1971 से प्रवृत्त है। यदि संराशिकरण सारणी में ब्याज में चालू दर के आधार पर संशोधन किया जाता है, तो जीवन-प्रत्याशा में मामूली वृद्धि के बावजूद, इससे संराशिकृत मूल्य में वृद्धि की बजाय कमी आएगी।

केरल की नई परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय आबंटन

1654. श्री पुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान अयोग ने केरल सरकार अथवा किसी अन्य राज्य की योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीत आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन और केरल राज्य की प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयोग संस्थागत बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विकास सहायता प्रदान करता है जैसे भवन, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं, उपस्कर और शिक्षण तथा अनुसंधान की कोटि एवं स्तर को प्रोन्नत करने के लिए उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाएं। अयोग विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी अनुदान प्रदान करता है। वि० अ० आ० ने 8वीं योजना में विश्वविद्यालयों के आवंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि, इन आवंटनों की 7वीं योजना से कम होने की संभावना नहीं है।

रांची में हाकी के लिए कृत्रिम सतह

[हिन्दी]

1655. श्री शिबू सोरेन : क्या प्रधान मन्त्री भारत में एस्ट्रोटर्फ वाले मैदान के बारे में 30 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6921 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची, बिहार में हॉकी के लिए कृत्रिम सतह बिछाए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) वहां खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारत सरकार ने रांची में कृत्रिम हॉकी सतह बिछाने के लिए नवम्बर, 1988 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 40 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की थी। सतह बिछाने का दायित्व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का है ऐसा प्रतीत होता है कि सप्लायर्स के साथ समझौते के क्रियान्वयन तथा सब-बेस की स्थापना जैसी अनुवर्ती कार्यवाही करने में लम्बा समय लिया है। विलम्ब का यही कारण प्रतीत होता है।

(ख) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण सतह का स्वामी है। अत: खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का विकास करना उनका मुख्य दायित्व है।

तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण ने रांची में अपना विशेष क्षेत्र खेल (एस०ए०जी०) हॉकी केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसने एस० ए० जी० प्रशिक्षार्थियों के लिए, छात्रावास का निर्माण पहले ही शुरू कर दिया है जो कृत्रिम हॉकी-सतह का भी उपयोग करेंगे।

कर्नाटक में हाथियों का अवैध रूप से शिकार करना

[अनुवाद]

1656. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक कर्नाटक में हाथी दांत के तस्करों ने कितने हाथी मारे हैं;

(ख) हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) कर्नाटक वन विभाग ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान चोरी-छिपे शिकार करने वालों द्वारा पांच हाथी मारे गये।

(ख) सरकार ने कर्नाटक में हाथियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) नियमित बैठकें करके तथा हाथियों की सुरक्षा और हाथी दांत के अवैध व्यापार पर सूचना आदान-प्रदान करके, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के मुख्य वयंजीव वार्डनों के बीच समन्वय।

(2) चोरी-छिपे शिकार और हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए कर्नाटक राज्य के वन विभाग के तहत पुलिस सैल बनाया गया है।

(3) इस प्रयोजन के लिए चोरी-छिपे शिकाररोधी गतिविधियों में लगे विद्यमान कर्मचारियों को सुदृढ़ बनाया गया है। आदिवासी खोजियों को भी लगाया गया है।

(4) टेलीफोन और बेतार सेटों की व्यवस्था करके संचार प्रणाली में सुधार को प्रभावी बनाया गया है।

(5) गश्ती गार्डों को उपर्युक्त रूप से हथियारबंद किया जा रहा है।

(6) "चोरी-छिपे शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यपार का नियंत्रण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(7) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधित अधिनियम, 1986 के अनुसार भारतीय हाथी दांत से बनी वस्तुओं के व्यापार और उत्पादन पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(ग) जैसाकि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, चोरी-छिपे शिकार करने वालों द्वारा मारे गए पांच हाथियों के संबंध में पुलिस ने मुकदमा चलाया है जिनकी जांच की जा रही है।

भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाएं

1657. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हा, तो क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है;

(ग) क्या हाल ही में वायु सेना में जो विमान शामिल किये गये थे उनके लिए अपेक्षित प्रथम और द्वितीय लाइन की सभी सेवाओं का अभाव था; और

(घ) इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और उन्हें यथा आवश्यक रूप से दूर करने के उपाय सुझाने के लिए जांच अदालत बिठाई जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठाता।

फूलों और पत्तियों के निर्जलन संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य

1658. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ फूलों और पत्तियों के निर्जलन संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य में लगा हुआ है जिसका सितम्बर, 1989 में केरल में प्रदर्शन किया गया था और यदि हां, तो इसके वाणिज्यिक प्रभावों और निष्कर्षों की प्रासंगिकता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऐसा कार्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की किसी अन्य प्रयोगशाला में भी किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। बहुत सी बिक्री योग्य वस्तुओं यथा-शुभकामना पत्र (ग्रीटिंग कार्डस) दीवार पर लटकाने वाली (वॉल हैंगिग्स) लैण्डस्केप और सील्ड पारदर्शी कंटेनरों में फ्लोरिस्टिक (प्रसूनात्मक) व्यवस्था के लिये अच्छी कच्ची सामग्री से निर्जलित फूल और पत्तियां। संस्थानों की सहायता से इन वस्तुओं का लघु (कुटीर) उद्योग स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

(ख) जी, हां। उक्त, तकनीकी जानकारी का विस्तार कार्य सी०एस०आई०आर० कॉम्प्लेक्स, पालमपुर ने शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 150 महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस विस्तार कार्य के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों की अवधि में 10 यूनिटों की स्थापना करना सुविधाजनक हो गया है।

वृक्षारोपण लक्ष्य

1659. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने वृक्ष लगाये गये हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा रोपे गये पौधों का पालन-पोषण सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की गई; और

(ग) राजस्थान में कुल कितने वृक्ष लगाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है वह निम्न प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (पौद करोड़ों में)
1987-88	360.39	355.11
1988-89	400.26	423.66
1989-90	336.85	342.37

(ख) वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों का नियमित रूप से अनुवीक्षण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से अनुवीक्षण किया जाता है। लगाई गई पौद की जीवितता दर के मूल्यांकन के लिए, इस अनुवीक्षण कार्य के एक भाग के रूप में, समय-समय पर विशेष अध्ययन किये गये हैं ।

(ग) राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है वह निम्न प्रकार है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (पौद लाखों में)
1987-88	1200.00	1173.87
1988-89	1300.00	1310.00
1989-90	900.00	916.00

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा टिहरी बांध परियोजना का सर्वेक्षण

1660. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने टिहरी बांध परियोजना के पर्यावरणीय पहलू के संबंध में कोई सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन निष्कर्षों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने टेहरी जलमग्न क्षेत्र में वनस्पतिजात का एक प्रारम्भिक अध्ययन किया तथा कुछ ऐसी दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों की जानकारी दी, जिनके जलमग्न होने से प्रभावित होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) टेहरी बांध परियोजना प्राधिकरण को विस्तृत अध्ययन के आधार पर एक संरक्षण योजना तैयार करनी है।

चिकित्सा तथा तकनीकी संस्थाओं की कमी

1661. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चिकित्सा तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं की समस्याओं और कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में देश के विभिन्न भागों में स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में श्वेत पत्र प्रकाशित करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) सरकार देश के कुछ भागों मे तथा कुछ विशेष विषयों में स्वास्थ्य तथा प्रौद्योगिकी सस्थाओं की समस्याओं तथा उनकी कमी से अवगत है। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मानव शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में भारतीय स्वास्थ्य प्रशासन सोसाइटी द्वारा देश में मौजूद मेडिकल और पारा-मेडिकल की मानव शक्ति का मूल्यांकन करने के लिये अध्ययन किया जा रहा है।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

1662. श्री बलवंत मणवर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ऐसी कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, जो पिछले तीन वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से ट्रस्ट के गोदामों में पड़ी हुई हैं और जिन्हें अभी तक नहीं बेचा जा सका है और इन बेची न जा सकी पुस्तकों का कुल मूल्य कितना है; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा 1986 में और इससे पहले प्रकाशित विभिन्न भाषाओं में 1791 शीर्षकों की 105035 प्रतियां, जिनकी कीमत 28.01 लाख रु० है, उनके स्टाक में उपलब्ध हैं।

(ख) संगठन और विपणन में सुधार के कारण न्यास 1988-89 में अपने प्रकाशनों की बिक्री को वार्षिक औसत लगभग 17.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 120.31 लाख रुपये कर सका। वर्ष 1989-90 के दौरान बिक्री बढ़कर 200 लाख रुपये हो गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई जाने वाली स्कूल-पूर्व दूरदर्शन परियोजना

1663. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली में स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों की शिक्षा के लिए कठपुतली के दृश्यों के माध्यम से फिल्म दिखाने की स्कूल-पूर्व दूरदर्शन परियोजना चलाने की क्या प्रासंगिता और औचित्य है;

(ख) क्या यह परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से चलाई जा रही है;

(ग) इस परियोजना पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शीर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस परियोजना के लिये उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का ब्यौरा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अनु०आ०) ने पूर्व-स्कूल दूरदर्शन धारावाहिक निर्मित करने के प्रस्ताव का सितम्बर, 1987 में अनुमोदन किया। पूर्व स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक गृह विज्ञान पाठ्यचर्या का एक भाग है। लेडी इरविन कालेज, नई दिल्ली के अच्छे बाल विकास व शिक्षा विभाग तथा साथ ही साथ विस्तृत सम्प्रेषण कक्ष को ध्यान में रखते हुए इस कालेज में परियोजना स्थापित की गई है। कालेज के पास प्रयोगशाला नर्सरी स्कूल तथा सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के महत्वपूर्ण अध्ययन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त अवर-स्नातक व स्नातकोत्तर छात्र है।

(ख) परियोजना की परिकल्पना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन की गई है।

(ग) परियोजना के लिए वि० अनु० आयोग द्वारा वर्षानुसार संस्वीकृत अनुदान का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	संस्वीकृत अनुदान (रु० लाख में)	उद्देश्य
1988-89	9.00	परियोजना लागत, जिसमें प्रशासनिक प्रभार, मानदेय, आकस्मिक व ऊपरी खर्चे शामिल हैं।
1989-90	14.00	वही
1989-90	15.00	वीडियो संचालन उपस्कर तथा संपादन टेबल के लिए।

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्णकालिक शोध वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक अधिकारी का प्रावधान है। अन्य स्टाफ जैसे कथा लेखक, कैमरामेन, निर्माता आदि की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाती है।

महाराष्ट्र में गोरेगांव मुलन्द लिंक रोड का निर्माण

1664. श्री राम नाईक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान की भूमि के एक भाग में गोरेगांव मुलन्द लिंक रोड बनाने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित लिंग रोड की कुल लम्बाई कितनी होगी और वन भूमि पर बनाई जाने वाली सड़क की लम्बाई कितनी होगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की रामपुरा खुर्द सिंचाई परियोजना के कारण वन क्षेत्र का पानी से भर जाना

1665. श्री एस०सी० वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में रामपुरा खुर्द सिंचाई परियोजना चालू किये जाने के कारण वन क्षेत्र में पानी भर जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को प्रथम बार किस वर्ष प्रस्ताव भेजा गया था;

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सिहोर जिले में रामपुरा खुर्द सिंचाई परियोजना के लिए 286.570 है० वन भूमि को वनेत्तर उपयोग में लाने के लिये 17-4-1989 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) केन्द्र सरकार ने दिनांक 6-8-90 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत 286.570 है० वन भूमि को वनेत्तर उपयोग में लाने की मंजूरी दे दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात

1666. श्री बी० एन० रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6,000 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य इलेक्ट्रॉनिक मदों का और किन-किन देशों को निर्यात किया जाएगा/किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो एम० जी० के० मेनन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर गठित आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1994-95) के लिए 6300 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखने की सिफारिश की है।

(ख) निर्यात के लिए प्रस्तावित मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जे, संचार तथा प्रसारण उपस्कर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा मरम्मत-सेवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं का निर्यात जिन विभिन्न देशों को किया जाएगा, उनमें वे शामिल हैं : संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कई विकासशील देशों के साथ-साथ पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देश।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि

1667. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) देश में राज्यवार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को शिक्षित किया गया;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य क्षेत्र में राज्यवार निधियों के आवंटन और वास्तविक खर्चे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

7वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों प्रशासनिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने और उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिए गए अनुदान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम में अनुमानित 399.24 लाख नामांकित किये गये थे।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार होने के बाद ही इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए आवंटन किया जाएगा।

विवरण-1

(क) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यवार निधियों का आवंटन :

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	215.00	400.00	290.00	300.00	367.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	65.00	50.00	70 00	75.00
3.	असम	110.00	140.00	227.00	230.00	285.00
4.	बिहार	400.00	700.00	800.00	800.00	875.00
5.	गोवा	4.00	12.00	14.00	10 00	15.00
6.	गुजरात	155.00	150.00	168.00	275.00	308.00
7.	हरियाणा	25.00	30.00	35.00	50.00	107.00
8.	हिमाचल प्रदेश	25.00	11.00	11.00	21.00	40 00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	32.00	37.00	40.00	47.00	60 00
10.	कर्नाटक	120.00	275.00	250.00	241.00	240.00
11.	केरल	40.00	—	5 00	5.00	5.00
12.	मध्य प्रदेश	200.00	232 00	365.00	396.00	374.00
13.	महाराष्ट्र	390 00	440.00	430.00	400.00	569.00
14.	मणिपुर	35.00	35.00	45.00	50.00	75.00
15.	मेघालय	10.00	8.00	20.00	28.00	35.00
16.	मिजोरम	14.00	5.00	6.00	7.00	12.00
17.	नागालैण्ड	15.00	9.00	9 00	11.00	10.00
18.	उड़ीसा	110.00	37.00	69.00	105.00	206.00
19.	पंजाब	10.00	10.00	10.00	25.00	60.00
20.	राजस्थान	100.00	100.00	110.00	120.00	144.00
21.	सिक्किम	10.00	10.00	10 00	10.00	10.00
22.	तमिलनाडु	128.00	190.00	209.00	256.00	405.00
23.	त्रिपुरा	16.00	20.00	22.00	25.00	30.00
24.	उत्तर प्रदेश	150.00	225.00	430.00	483.00	840.00

1	2	3	4	5	6
25. पश्चिम बंगाल	267.00	150.00	130.00	150.00	377.00
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.00	3.00	3.00	4.00	5.60
27. चंडीगढ़	6.00	6.00	4.00	5.00	9.00
28. दादरा नगर हवेली	1.00	3.20	2.00	5.00	2.80
29. दमन और द्वीव	—	*	*	1.50	1.50
30. दिल्ली	30.00	54.00	27.00	25.00	42.00
31. लक्षद्वीप	1.00	1.00	1.60	1.20	2.75
32. पांडिचेरी	2.00	3.00	4.00	5.00	4.50

दमन और द्वीव का परिव्यय गोवा में शामिल है ।

(ख) राज्य क्षेत्र में राज्यवार खर्चा :

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ-शासित प्रदेश का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	110.25	151.21	248.50	275.49	367.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.00	33.69	20.65	65.35	75.00
3.	असम	110.00	140.00	173.49	142.63	257.00
4.	बिहार	650.00	790.00	750.00	800.00	875.00
5.	गोवा	5.71	8.72	12.18	21.72	20.36
6.	गुजरात	122.73	141.46	109.65	195.96	200.00
7.	हरियाणा	—	1.50	9.68	6.74	58.65
8.	हिमाचल प्रदेश	5.26	5.34	11.98	21.21	50.26

1	2	3	4	5	6
9. जम्मू एवं कश्मीर	24.95	31.10	40.00	45.75	84.07
10. कर्नाटक	133.27	195.87	157.84	207.04	240.00
11. केरल	30.00	—	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	151 52	151.68	179.32	214.75	344.25
13. महाराष्ट्र	21.63	111.57	249.83	377.88	560.48
14. मणिपुर	35.00	33.00	40.08	43.36	52.25
15. मेघालय	10.00	12.00	20.00	28.00	35.00
16. मिजोरम	13.00	5.00	6.00	7.00	15.26
17. नागालैण्ड	8.00	8.50	9.20	10.02	11.00
18. उड़ीसा	32.76	47.94	65.74	95.09	206.05
19. पंजाब	1.57	8.71	8.86	11.65	22.88
20. राजस्थान	78.06	96.86	100.00	107.39	120.00
21. सिक्किम	3.00	3.44	1.84	10.00*	10.00
22. तमिलनाडु	173.51	192.60	237.17	222.36	421.70
23. त्रिपुरा	19.92	11.47	16.07	19.51	56.45
24. उत्तर प्रदेश	183.15	275.00	310.38	366.15	764.78
25. पश्चिम बंगाल	149.86	58.00	—	150.00*	38[illegible].00
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.26	3·00	—	5.80	5.50
27. चंडीगढ़	5.40	3.37	2.71	8.27	4.67
28. दादरा और नगर हवेली	2.68	1.40	1.10	1.26	1.94
29. दमन और द्वीप	—	1.37	0.95	1.50*	1.50
30. दिल्ली	11.77	17.65	10.74	2.44	40.00
31. लक्षद्वीप	0.61	0.62	0.34	0.53	2.75
32. पांडिचेरी	1.42	1.88	3.07	4.50*	4.20

*अनुमानित व्यय "सिफारिश परिव्यय

विवरण-2

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यवार जारी किया गया अनुदान :

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ-शासित प्रदेश का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	238.67	211.51	245.11	289.19	409.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.57	18.65	30.19	36.45	42.63
3.	असम	99.16	164.60	165.99	211.46	217.69
4.	बिहार	384.03	436.57	471.67	417.83	592.97
5.	गुजरात	148.02	110.44	316.17	353.15	230.21
6.	हरियाणा	87.35	104.60	135.54	178.04	105.70
7.	हिमाचल प्रदेश	29.55	26.87	39.44	75.09	61.93
8.	जम्मू और कश्मीर	32.81	27.31	52.15	111.49	4.90
9.	कर्नाटक	203.12	217.63	277.55	406.38	305.91
10.	केरल	83.93	100.61	107.22	91.86	281.60
11.	मध्य प्रदेश	168.55	328.75	450.32	527.78	658.60
12.	महाराष्ट्र	341.33	274.35	330.48	565.75	577.91
13.	मणिपुर	39.01	38.31	52.00	75.32	64.21
14.	मेघालय	35.97	26.65	33.03	39.06	66.57
15.	नागालैण्ड	30.00	32.46	59.53	28.02	42.00
16.	उड़ीसा	188.93	218.03	254.49	179.05	299.65
17.	पंजाब	46.85	63.08	84.13	124.76	152.01
18.	राजस्थान	307.43	282.21	323.75	541.40	411.33
19.	सिक्किम	4.48	22.99	23.67	4.38	38.84
20.	तमिलनाडु	273.48	322.22	374.46	397.01	444.20
21.	त्रिपुरा	31.09	21.23	34.93	29.49	45.78
22.	उत्तर प्रदेश	471.68	491.35	539.79	1004.57	522.63
23.	पश्चिम बंगाल	119.28	103.30	163.63	390.03	212.50

1 2	3	4	5	6	7
24. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.13	7.08	7.22	11.96	16.00
25. चंडीगढ़	2.97	5.84	8.04	5.94	6.41
26. दादरा और नगर हवेली	1 06	1.23	2.59	3.54	4.30
27. दिल्ली	6.14	7.79	9.81	14.18	8.69
28. लक्षद्वीप	1.38	1.32	4.57	4.83	1.95
29. मिजोरम	12.16	8.92	6.25	12.40	15.19
30. पांडिचेरी	7.86	7.30	14 84	18.50	29.59
31. गोवा	0.72	0.94	2.17	11.26	40.48
32. दमन और दीव	—	—	—	0.79	0.73

उड़ीसा सैंड कम्पलैक्स

1668. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजम जिले में छत्रपुर के समीप उड़ीसा सैंड कम्पलैक्स के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य तिथि निश्चित की गई थी;

(ख) इस संयंत्र का निर्माण-कार्य पूरा करने और इसे चालू करने में कितना समय लगा;

(ग) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने में बहुत विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०ओ०के० मेनन) : (क) प्रारंभ में उड़ीसा सैंड कम्पलैंस को दिसम्बर, 1982 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर दिसम्बर, 1984 कर दिया था ।

(ख) यह परियोजना अक्तूबर, 1986 में चालू कर दी गई थी। इस परियोजना का निर्माण-कार्य पूरा करने और इसे चालू करने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विलम्ब होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) संरचनात्मक इस्पात प्राप्त करने में कठिनाइयां आना और इसके परिणामस्वरूप सिविल और संरचनात्मक कार्यों को पूरा करने में विलम्ब होना ।

(ii) ठेकेदारों द्वारा रोस्टरों, कैल्सिनरों, रोटरी डाइजेस्टरों जैसे उपकरणों की सप्लाई करने और उन्हें लगाने तथा पाईप लगाने सम्बन्धी काम में देरी करना ।

(iii) संयंत्र को चालू करने के दौरान अम्ल का पुनरुत्पादन करने वाले संयंत्रों में तकनीकी समस्यायें सामने आना ।

युवा छात्रावास

1669. श्री पी०सी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से बनाए गए युवा छात्रावासों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां ये युवा छात्रावास बनाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) आठ।

(ख)

क्रम सं०	युवा छात्रावास का नाम	राज्य
1.	दिमापुर	नागालैंड
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
3.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा
4.	इर्नाकुलम	केरल
5.	कोजीकोड	केरल
6.	हासन	कर्नाटक
7.	मदुरै	तमिलनाडु
8.	नामची	सिक्किम

विशाखापत्तनम कोस्टल पावर और विजयवाड़ा थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी

1670. श्री इरा अन्बाराशु :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम कोस्टल पावर स्टेशन तथा विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन आदान अभी प्राप्त किए जाने हैं।

राज्य प्रदूषण बोर्डों को सुदृढ़ बनाना

1671. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों और केन्द्र स्तर पर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से सहायता की कितनी धनराशि का अनुरोध किया गया है अथवा कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इन चार राज्यों के राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण संस्थापित करने वाले औद्योगिक एककों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ वार्ता कर रही है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को दी जाने वाली राशि की मात्रा के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

"चीफ आफ डिफेंस स्टाफ" के पद को बहाल करना

1672. श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने सेना की तीनों सेवाओं के बीच अधिकतम समन्वय स्थापित करने हेतु "चीफ आफ डिफेंस स्टाफ" के पद को बहाल करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को शीघ्र गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस महत्वपूर्ण पहलू पर, विशेषरूप से भावी युद्ध-स्थिति को देखते हुए क्या विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) सरकार के समक्ष "चीफ स्टाफ डिफेंस आफ" गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर समन्वयनात्मक रूप से विचार करने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का प्रस्ताव किया है।

कोचीन यूनीवर्सिटी आफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी को केन्द्रीय के विश्वविद्यालय में परिवर्तन करना

1673. श्री पलाई के०एस० मैथ्यू :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

श्री पी०जे० कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन यूनिवर्सिटी आफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) (क) : जी, नहीं। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल के राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। नीति के एक मामले के तौर पर, केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं बदलती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मेरठ छावनी को स्थानांतरण करना

[हिन्दी]

1674. श्री राम सिंह शाक्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेरठ छावनी को मवाणा तहसील में आसवाबाद गांव में किला परिक्षतगढ़ में स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इस कार्य हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए इस क्षेत्र के किसानों को नोटिस तक जारी किया जाएगा तथा कितनी जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"उड़ीसा लेक इज नो मोर ऐन अट्रैक्शन" शीर्षक से समाचार

1675. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "उड़ीसा लेक इज नो मोर ऐन अट्रैक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा झील, इसके जल ग्रहण क्षेत्र में भारी अपरदन होने के कारण तेजी से लुप्त होती जा रही है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप पर्यटकों और पक्षियों की संख्या में असाधारण कमी आयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) सरकार ने संदर्भाधीन समाचार को देखा है।

(ख) से (घ) यह सच है कि अनसुपा झील, जल ग्रहण क्षेत्र में वननाशन के कारण गाद जमाव, अनधिकार हस्तक्षेप जैसी अनेकों समस्याओं का सामना कर रही है। उड़ीसा राज्य सरकार ने बताया है कि इस झील के संरक्षण के लिए एक योजना तैयार की जा रही है जिसे वित्तीय सहायता हेतु यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा। यह झील उन 16 नमभूमियों की सूची में नहीं हैं

जिन्हें इस मंत्रालय के नमभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसके संरक्षण एवं प्रबन्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। जब राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो जाएगा उस पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति

1676. श्री रामधन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण नियमित शिक्षा कार्य में व्यवधान पड़ रहा है;

(ख) अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार शिक्षकों के कितने पद रिक्त थे और वे कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटद्वार, उ०प्र० में भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय खोलना

1677. श्री सी०एम० नेगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में भारतीय सर्वेक्षण का कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जीके० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर

1678. एस० सिंगरावडीवेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र हेतु तमिलनाडु के तंजावूर में अभी कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए भूमि अधिग्रहीत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहीत करने के लिये कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस केन्द्र के क्रियाकलापों पर पिछले तीन वर्षों में खर्च किये गये धन का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख): तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के लिये तंजावूर में 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाने का वचन दिया है। किन्तु इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गत तीन वर्षों में केन्द्र द्वारा अपने कार्यकलापों पर किये गये व्यय का विवरण इस प्रकार है :

		(लाख रुपयों में)
1987-88	—	80.94
1988-89	—	43.54
1989-90	—	102.40

इस्लामी अध्ययन विश्वविद्यालय

1679. **श्री अब्दुल समद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन विश्वविद्यालयों में इस्लामी अध्ययन अथवा इस्लामी संस्कृति अथवा इस्लाम के इतिहास अथवा इस्लामी दर्शन अथवा इस्लामी धर्म शास्त्र के स्नातकोत्तर विभाग विद्यमान हैं;

(ख) भारत में किन-किन विश्वविद्यालयों में अरबी और/अथवा फारसी भाषा के स्नातकोत्तर विभाग हैं; और

(ग) क्या इनमें से किन्हीं विभागों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च अध्ययन केन्द्रों का दर्जा प्रदान कर रखा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन विश्वविद्यालयों, जिनमें इस्लामी अध्ययन अथवा इस्लामी इतिहास या इस्लामी संस्कृति के स्नातकोत्तर विभाग हैं, के नामों के दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 पर है।

(ख) उन विश्वविद्यालयों, जिनमें अरबी तथा/अथवा फारसी के स्नातकोत्तर विभाग हैं, के नामों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवर-ण2 पर है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण-1

विश्वविद्यालय का नाम	विषय
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	इस्लामी अध्ययन
बम्बई विश्वविद्यालय	इस्लामी संस्कृति
कलकत्ता विश्वविद्यालय	इस्लामी इतिहास और संस्कृति
कालीकट विश्वविद्यालय	इस्लामी इतिहास
गुजरात विश्वविद्यालय	इस्लामी संस्कृति
जामिया मिलिया इस्लामिया	इस्लामी अध्ययन
उस्मानिया विश्वविद्यालय	इस्लामी अध्ययन

विश्वविद्यालय का नाम	अरबी या फारसी अथवा दोनों में प्रदत्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
आगरा	फारसी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	अरबी, फारसी
इलाहाबाद	अरबी, फारसी
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	अरबी, फारसी
एम०एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय	फारसी
भोपाल (बर्कतुला विश्वविद्यालय)	अरबी, फारसी
बिहार	फारसी
बम्बई	अरबी, फारसी
कलकत्ता	अरबी, फारसी
कालीकट	अरबी
दिल्ली	अरबी, फारसी
गुवाहाटी	अरबी, फारसी
गोरखपुर	फारसी
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	फारसी
जामिया मिलिया इस्लामिया	अरबी, फारसी
कानपुर	अरबी, फारसी
कर्नाटक	फारसी
कश्मीर विश्वविद्यालय	अरबी, फारसी
केरल	अरबी
लखनऊ	अरबी, फारसी
मद्रास	अरबी, फारसी
मगध	फारसी
मैसूर	फारसी
नागपुर	अरबी, फारसी
उस्मानिया	अरबी, फारसी
पंजाब	अरबी, फारसी
पूना	फारसी
पटना	अरबी, फारसी
पंजाबी	फारसी
शिवाजी	फारसी
श्री वेंकटेश्वरा	अरबी, फारसी
विक्रम	अरबी, फारसी

जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु पंजाब को केन्द्रीय सहायता

1680. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब को जल प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु कोई विशेष सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी सीमा कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उद्देश्यों के लिए सहायक अनुदान के रूप में पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 19.55 लाख रुपये तथा पंजाब राज्य के पर्यावरण विभाग को 3.644 लाख रुपये की राशि वंटित की है। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि करने के लिये 33,52,500/- रुपये की राशि भी मंजूर की गई थी। यह सहायता सामान्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के लिये दी गई है और जल प्रदूषण नियंत्रण इसी का एक भाग है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस सहायता को जारी रखने का प्रस्ताव है; अभी धनराशि निश्चित नहीं की गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, श्रीनगर के विद्युत इंजीनियरी पाठ्यक्रम की परीक्षा के परिणाम

1681. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत इंजीनियरी के जिन छात्रों ने दिसम्बर, 1989 में ग्राम विद्युतीकरण निगम, श्रीनगर, में परीक्षा दी थी, उनके परिणाम कब तक घोषित कर दिए जायेंगे; और

(ख) उनके परिणाम घोषित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु शक्ति परियोजनाओं का विज्ञापन

1682. श्री कमल दत्त : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विद्युत निगम इस आशय के विज्ञापन निकाल रहा है कि उसकी कुछ परमाणु विद्युत परियोजनाएं प्रचालन में हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ के बारे में योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो किस तरीके से विज्ञापन दिए गए हैं और ऐसे विज्ञापनों पर कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) ऐसे विज्ञापनों से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) इस शताब्दी के अन्त तक भारत के परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में विवरण देते रहने के

साथ, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन अपने जन-सूचना सम्बन्धी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्तमान में चालू परमाणु बिजलीघरों, निर्माणाधीन और नियोजित परमाणु विद्युत परियोजनाओं के बारे में सूचना प्रकाशित करता रहा है।

(ख) कुछ दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में इन बिजलीघरों आदि के बारे में विज्ञापन अंग्रेजी, हिन्दी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में छापे गये थे। अनुमान है कि इन समाचार-पत्रों आदि में प्रकाशित विज्ञापनों को लगभग 3 करोड़ व्यक्ति पढ़ते हैं। परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रमुख पहलुओं को बताने वाले 10 लेखों की पूर्ण शृंखला पर लगभग 5 लाख रुपये की लागत आयेगी।

(ग) इस कार्यक्रम का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के विकास के बारे में जन-जागरण को बढ़ावा देना, और उन तथ्यों के बारे में, विशेषतौर पर परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के सुरक्षा तथा पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं, जो जन-साधारण से सम्बन्धित हैं, प्रमाणिक तौर पर जानकारी प्रदान करना है।

केरल के इडुक्की-वन क्षेत्र में मारे गए हाथियों की संख्या

1683. **श्री पी०ए० एन्टनी :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इडुक्की-वन क्षेत्र में हाल ही में कई हाथियों को मारा गया है;

(ख) क्या इन हत्याओं की जांच कराने के कोई आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) केरल में इडुक्की-वन क्षेत्र में हाल ही में कोई हाथी नहीं मारा गया है। तथापि यह बताया गया है कि एक हाथी के पहाड़ी के सिरे से संयोग से जलाशय में गिर जाने के कारण मृत्यु हो गयी। जबकि मृत्यु का कारण सिद्ध करने के लिये पोस्ट मार्टम परीक्षण किया गया था, आगामी जांच का आदेश नहीं दिया गया क्योंकि हाथी की मौत दुर्घटना से हुई थी।

लाल किले का रख-रखाव

[हिन्दी]

1684. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1990 के "हिन्दुस्तान" में "लाल किला अपना वैभव खोता जा रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो लाल किले में अनेक स्थानों की हालत खराब होने के कारण क्या है; और

(ग) इन स्थानों का रख-रखाव करने के लिए सरकार का भविष्य में क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लाल किला परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है। सामान्य अनुरक्षण और रख-रखाव के अतिरिक्त, संरचनात्मक और रासायनिक परिरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

सरकारी दस्तावेजों को गोपनीय करार देना

1685. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के दस्तावेजों को गोपनीय करार देने सम्बन्धी कोई अनुदेश/आदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दिल्ली में रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों से संबंधित स्थानांतरण नीति को गोपनीय दस्तावेज करार दिया गया है जिसमें कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति से अनभिज्ञ रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में असैनिक कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को गोपनीय दस्तावेज करार देने के क्या कारण/औचित्य हैं;

(ङ) स्थानांतरण नीति में गोपनीयता को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों संबंधी स्थानांतरण की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखे जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मन्त्रालय के सुरक्षा संबंधी सामान्य अनुदेश समय-समय पर यथा-संशोधित "विभागीय सुरक्षा अनुदेश 1965" में दिए गए हैं। इस वर्गीकृत पुस्तिका में अन्य बातों के साथ किसी कागजात को उसमें निहित सूचना की संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत करने की शर्तें दी गई हैं।

(ग) दिल्ली रक्षा सिविलियन कर्मचारी विभिन्न स्थापनाओं में नियुक्त हैं। यह नियुक्ति उनकी सेवा/विशेषज्ञता/विषय क्षेत्र/संवर्ग के आधार पर है। उसके स्थानांतरण से संबंधित अनुदेश जिस स्थापना में वे नियुक्त हैं उसकी प्रशासनिक तथा संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर आधारित हैं। तथापि, दिल्ली में तीनों सेना मुख्यालयों तथा अन्तर सेवा संगठनों में नियुक्त कर्मचारियों में से बहुत बड़ी संख्या में रक्षा सिविलियन कर्मचारी सशस्त्र सेना मुख्यालय की संगठित सेवा के हैं और रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। उनकी तैनाती तथा स्थानांतरण के संबंध में एक स्थानांतरण नीति अपनाई जाती है। यह नीति वर्गीकृत किस्म की है और यह फैसला किया गया है इसमें दी गई सभी बातें प्रकट न की जाएं। तथापि, कर्मचारी इस नीति की उतनी बातों से परिचित हैं जिनका उनसे संबंध है।

(घ) यह नीति मुख्यतः सुरक्षा के हित तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग के सदस्यों की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। इसका सुरक्षा वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि इसमें तीनों सेना मुख्यालयों तथा अंतर सेवा संगठनों को जारी किए गए कुछ आंतरिक प्रशासनिक अनुदेश भी शामिल हैं जिनका कर्मचारियों से सीधा कोई संबंध नहीं है और इन अनुदेशों की कोई बात प्रकट करना विशेषकर रक्षा मुख्यालयों के कुछ संवेदनशील कार्यालयों से सम्बंधित अनुदेशों को प्रकट करने से खतरा पैदा हो सकता है।

(ङ) और (च) सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग से संबंधित वर्तमान स्थानांतरण नीति को अवर्गीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस नीति की मुख्य-मुख्य बातों का विवरण 21 मई, 1990 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9567 के उत्तर में सभा पटल पर रखा जा चुका है।

छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व

[हिन्दी]

1686. श्री नन्दलाल मीणा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति और अन्य अनुदान प्रदान करने के लिये उनके मन्त्रालय के अधीन चयन समिति में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोई सदस्य है; और

(ख) विदेशों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये उनके मन्त्रालय को अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अध्ययन हेतु कितने उम्मीदवार विदेश भेजे गये ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) इस उद्देश्य के लिए कोई स्थायी चयन समिति नहीं है। प्रत्येक मामले में, संबद्ध विषयों में विशेषज्ञों सहित तदर्थ चयन समितियां गठित की जाती हैं। तथापि, सदस्यों के जाति स्तर की जांच नहीं की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सांस्कृति विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां/1-1-1990 से 31-7-1990 तक विदेशों में अध्ययन की योजनाएं

क्रम सं०	सां०वि०का०/योजना का नाम	प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या		चुने गए अभ्येताओं की संख्या		विदेश भेजे गए अभ्येताओं की संख्या	
		सामान्य	अनुसूचित जाति/ जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति/ जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चेकोस्लोवाकिया सरकार छात्रवृत्ति 1990-91	21	2	5	—	दाता सरकार से स्वीकृति अभी आनी है।	
2.	बल्गेरिया सरकार छात्रवृत्ति 1990-91	25	2	8	—	वही	
3.	पोलिश सरकार छात्रवृत्ति 1990-91	14	2	3	1	वही	
4.	हंगरी सरकार छात्रवृत्ति 1990-91	38	1	6	—	वही	
5.	रूस सरकार छात्रवृत्ति, 1990-91	357	—	35	—	—	—
6.	जापान सरकार छात्रवृत्ति 1991-92	542	1	14	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	भारत-अमेरिका शिक्षावृत्ति, 1990	81	1	3	—	—	—
8.	चीन सरकार छात्रवृत्ति 1990-91	40	1	12	—	—	—
9.	तुर्की सरकार छात्रवृत्ति 1990-91	25	—	7	—	—	—
10.	राष्ट्रमण्डल अध्येतावृत्ति/इंग्लैंड/ कनाडा/नाईजीरिया/त्रिनीदाद टुबागो तथा हांगकांग की राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना 1991-92	—	—	—	—	—	—
11.	न्यूजीलैंड/साईपरस राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना 1990-91	70	—	9	—	—	—
12.	ब्रिटिश उद्योग समुद्रपार छात्रवृत्ति महासंघ; 1990-91	43	1	5	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल न्यास (इंग्लैंड) छात्रवृत्ति	—	—	—	—	—	—
14.	नेहरू घराने की ब्रिटिश विद्यावृत्ति	—	—	—	—	—	—
15.	ब्रिटिश तकनीकी सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—
16.	ग्रीक सरकार छात्रवृत्ति	42	3	5	—	—	—
17.	आस्ट्रिया सरकार छात्रवृत्ति	44	2	9	—	—	—
18.	पुर्तगाल सरकार छात्रवृत्ति	18	4	2	—	—	—
19.	इटली सरकार छात्रवृत्ति	65	2	19	—	—	—

पंजाब में स्मारकों का नवीकरण

1687. स० अतिन्दर पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृ ा करेंगे कि :

(क) पंजाब में क्षेत्रीय ऐतिहासिक महत्व के किन-किन तथा कितने भवनों, किलों और सरायों का नवीकरण किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने उनके नवीकरण और रखरखाव के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पंजाब में क्षेत्रीय ऐतिहासिक महत्व के भवनों, किलों, सरायों तथा अन्य सम्पतियों का ब्यौरा क्या है ;

(च) ऐतिहासिक महत्व के इन भवनों में राज्य सरकार के कितने कार्यालय चल रहे हैं;

(छ) क्या सरकार का इन भवनों की मूल आकृति को बनाए रखने तथा पयर्टन की दृष्टि से इनके महत्व को देखते हुए इनमें स्थित कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो इन कार्यालयों को कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) क्षेत्रीय ऐतिहासिक महत्व के इक्यावन स्मारक राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं। इनके अलावा, पंजाब राज्य में चौबीस स्मारक केन्द्र द्वारा संरक्षित हैं जो रखरखाव और अनुरक्षण के अलावा पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार संरक्षित किए जा रहे हैं। प्रभावी नियंत्रण, पर्यवेक्षण और रखरखाव के लिए चंडीगढ़ में एक मंडल कार्यालय स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को वर्ष 1990=91 के अन्तर्गत विशेष मामले के रूप में शामिल किया गया है :— (i) अमृतसर में पुरानी सराय का प्रवेश द्वार, (ii) भटिण्डा किला' (iii) नूरमहल स्थित सराय और उसका प्रवेश द्वार तथा दक्खिनी सराय' (iv) नकोदर स्थित मोहम्मद मोयिन और क्षजी जमाल के मकबरे, (v) शमशेर खां का मकबरा, और (vi) बटाता स्थित बारादरी।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : पंजाब राज्य में क्षेत्रीय ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों/स्थलों में किले, महल, इमारतें, तालाब, मंदिर, कमबरे, मस्जिदें, सराय, समाधियां, युद्ध स्मारक, टीलें, कुएं, गुफाएं आदि आते हैं।

(च) से (ज) : नूरमहल गांव स्थित नूर महल सराय के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय हैं उन स्मारकों को खाली कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पंजाब राज्य सरकार को पहले से ही लिखा हुआ है और इस मामले में कार्रवाई चल रही है। ये कार्यालय कब तक स्थानान्तरित होंगे, बताना मुश्किल है।

शिक्षा नीति की पुनरीक्षा हेतु समिति का गठन

1688. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा नीति की पुनरीक्षा हेतु गठित की गई समिति में शिक्षाविदों को शामिल करने के लिए संसद सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा 7-5-90 को गठित किए गए समिति के सदस्यों का शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उनका चयन किया गया था। सरकारी संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें समिति के सदस्यों के नाम और अपेक्षित ब्यौरे निहित हैं।

विवरण

(भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड — 1 में प्रकाशनार्थ)

फा० संख्या 1-6/90-पी० एन० (डी०-1)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई, 1990

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुनरवलोकन के लिए समिति की स्थापना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद हमारे देश के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा, जो मानव विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है, से वंचित है। यह भी एक अत्यन्त क्षोभ की बात है कि विश्व के निरक्षरों में से 50 प्रतिशत हमारे देश में हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते हैं। सरकार शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है—एक मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के एक साधन के रूप में। यह जरूरी है कि शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन बनाया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा को कार्य तथा रोजगार उन्मुख बनाया जाना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है जो अभिजात्य विकृति हमारी शिक्षा के परिवेश की एक विशेषता बन गई है, उससे शिक्षा को मुक्त किया जाए। शैक्षिक संस्थाएं जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर बल देना और सही समतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का पुनरवलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसा ढांचा तैयार हो पाए, जिससे देश शिक्षा के इस परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ सके।

2. अत : सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरवलोकन समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नानुसार होगा :—

1.	आचार्य राममूर्ति, खादीग्राम, जिला—मुंगेर	अध्यक्ष
2.	प्रो० सी० एन० आर० राव, निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	सदस्य
3.	डॉ० सुखदेव सिंह, भूतपूर्व कुलपति, पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
4.	डॉ० एम० संतप्पा, भूतपूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय।	सदस्य
5.	डॉ० आबेद सिद्दकीकी, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई।	सदस्य
6.	डॉ० भास्कर राय चौधुरी, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।	सदस्य
7.	श्री एम० जी० भाटीवाडेकर, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, महाराजा कालेज, जयपुर।	सदस्य
8.	प्रोफेसर उषा मेहता राजनीतिशास्त्रज्ञ और शिक्षक, बम्बई।	सदस्य
9.	प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति, संगम जगरलामुड़ी, गुंटूर।	सदस्य
10.	डॉ० अनिल सदबोपाल, किशोर भारती, होशंगाबाद।	सदस्य
11.	फादर टी० वी० कुन्नुंकल, अध्यक्ष, नेशनल ओपन स्कूल, नई दिल्ली।	सदस्य

12. प्रोफेसर मृणाल मिरि, सदस्य
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग

13. डॉ० विश्वनिवास मिश्र, सदस्य
कुलपति,
काशी विद्यापीठ,
वाराणसी ।

14. डॉ० एस० जहूर कासिम, सदस्य
कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली ।

15. श्री वेद व्यास, सदस्य
अध्यक्ष,
डी० ए० वी० कालेज प्रबंध समिति,
नई दिल्ली ।

16. श्री मनुभाई पंचोली, सदस्य
लोक भारती, सणोसरा,
जिला भावनगर ।

17. श्री एस० गोपालन, सदस्य-सचिव
अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली ।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उसके कार्यान्वयन की समीक्षा;

(ख) नीति के संशोधन के संबंध में सिफारिशें करना; और

(ग) संशोधित नीति के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना ।

4. समिति अपनी कार्य विधि स्वयं तैयार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से छ : महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी । यदि समिति उपयुक्त समझे तो अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है ।

(एस० पी० तुली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों आदि को जानकारी के लिए भेजी जाएं।

(एस० पी० तुली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
नई दिल्ली।

भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन विवाद

[अनुवाद]

1689. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :
श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी बीजिंग एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के विवाद का समाधान करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने कौन से भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ग्रुप को मान्यता प्रदान की है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन की कार्य-प्रणाली से गतिरोध दूर करने तथा विशेष रूप से सितम्बर-अक्तूबर, 1990 में आयोजित होने वाले आगामी बीजिंग एशियाई खेलों में हमारी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्री विद्याचरण शुक्ला को अन्तिम आधार पर, जब तक कि श्री शुक्ला तथा अन्यों के बीच न्यायालय में लम्बित किसी मामले के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता, की अवधि के लिए ओलम्पिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। ये मामले न्यायाधीन हैं।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में ग्रामीण ईंधन लकड़ी के लिए वृक्षारोपण

1690. श्री दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नासिक जिले में कितने एकड़ भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण ईंधन लकड़ी के लिए वृक्षारोपण योजना आरम्भ की गई; और

(ख) इस भूमि पर उगाई जा रही ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ों और चारे की किस्मों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) महाराष्ट्र के नासिक जिले में ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत कुल 1062 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है ।

(ख) अजादिरक्ता इंडिका (नीम), डलबरगिया सिस्सू (सिस्सू), अकेसिया निलोटिका (बबूल), प्रोसोपिस जलीफ्लोरा (प्रोसोपिस), ल्यूसीना ल्यूकोसेफला (सुबबूल), अकेसिया आरिकुली-फार्मिस (आस्ट्रेलियाई बबूल) तथा कैसिया स्यामिया (काशिड) मुख्य वृक्ष प्रजातियां लगाई गई हैं ।

भारतीय तट रक्षकों को मजबूत बनाना

1691. प्रो० के० वी० थामस :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री एन० डेनिस :

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु समुद्र तट से श्रीलंका की ओर बड़े पैमाने पर तस्करी और उग्रवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए देश में तट रक्षक संगठन के विकास करने और इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) तट रक्षक संगठन का विकास और उसे सुदृढ करना एक निरन्तर चलने वाला काम है और इसे तट रक्षक संगठन की आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चरणवार रूप से पूरा किया जा रहा है । तट रक्षक संगठन की विकास योजनाओं को तैयार करते समय तमिलनाडु से लगे समुद्रोतटों पर निगरानी रखने तथा उसकी गश्त लगाने के लिए तट रक्षक संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है । पाक स्ट्रेट में बढ़ी हुई तस्करी तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, तट रक्षक संगठन और नौसेना दोनों ने ही इस क्षेत्र में चौकसी और गश्त लगाने का काम बढ़ा दिया है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले

1692. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मई, 1990 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये हैं;

(ख) दोषी पाये गये सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(ग) कितने मामलों में चार्ज-शीट जारी की गई ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 38 मामले ।

(ख) जांच के परिणामस्वरूप, एक मामला विचारण के लिए न्यायालय में भेजा गया है, तीन मामले संबंधित विभागों को नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं और एक प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में परिवर्तित किया गया है ।

(ग) एक मामला।

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

[हिन्दी]

1693. श्री राजवीर सिंह :
श्री मदनलाल खुराना :
श्री बलवंत मणचर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जनवरी से जून, 1990 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थानों पर मारे गए छापों का ब्योरा क्या है;

(ख) इस अभियान के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किए गए मामलों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने के संबंध में अपनाई गई नीति का ब्योरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन सरकारी और सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों के निवास स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए, उनकी संख्या का, वर्षवार ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों का भरा जाना

[अनुवाद]

1694. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :
श्री के० प्रधानी :
श्री हुकमदेव नारायण यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पृथक-पृथक रूप से रिक्त पदों का ब्योरा क्या है और इनके कब तक भरे जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां भरे जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है।

(ख) दिनांक 31-3-90 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में पहचाने गए अग्रेनीत आरक्षणों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

समूह	
क	1581
ख	1444
ग	17053
घ	11850
कुल :	31928

इन बकाया आरक्षणों को उपलब्ध रिक्तियों की मात्रा तक, दिनांक 31-10-1999 तक भरे जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-ए का विकास

1695. श्री नन्दू बाबा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-ए के विकास और सिलीगुडी से गंगटोक तक के मार्ग को दोहरा करने की मांग काफी समय से है; और

(ख) यदि हां, तो सिक्किम राज्य के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग के विकास हेतु क्या योजनायें बनाई गई हैं और इस समय मामला किस चरण में है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ०राजा रमन्ना) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क सिवोकी से गंगटोक तक जाता है । सिलीगुड़ी से सिवोकी का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का एक भाग है । राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के विनिर्दिशों के अनुरूप पूरी तरह विकसित है । इस मार्ग पर यातायात की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे दो लेनों में बदलने का कोई औचित्य नहीं है ।

परिवहन सुरक्षा बोर्ड की सिफारिशें

1696. श्री के०एस० राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा सड़क, रेल और नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा में सुधार लाने के लिए की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का इस बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधानमन्त्री (विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने सड़क, रेल और नागर विमानन के क्षेत्रों में सुरक्षा में सुधार लाने के लिए 47 सिफारिशें की थीं । सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) कुछ सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है, जबकि अन्य सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों में परीक्षण और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

विवरण

सड़क क्षेत्र में की गई सिफारिशें

1.0 की गई सिफारिशें

1 1 पर्वतीय सड़कों पर आकस्मिक मोड़ों जैसे संभावित खतरे के स्थानों पर मार्ग संकेतों की व्यवस्था करने के लिए व्यापक अभियान।

1.2 शहरी क्षेत्रों में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना।

1.3 पक्के नदी पथों पर सुरक्षा के एहतियाती उपाय।

1.4 नदियों अथवा नहरों के समानांतर चलने वाली सड़कों पर सुरक्षा ढांचे की व्यवस्था करना।

1.5 रेलवे लेवल क्रासिंग के समीप तीक्ष्ण गति अवरोधकों के प्रयोग तथा ऐसी जगहों पर रम्बल स्ट्रीप्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना।

1.6 एयर मैकेनिकल ब्रेक प्रणाली से लैस सभी नए मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहनों में आटोमेटिक स्लैक एडजस्टरों का प्रावधान करना।

1.7 बसों में उपयुक्त आपाती द्वारों की व्यवस्था करना।

1.8 बसों में आग न पकड़ने वाले गद्देदार कुर्सियों इत्यादि की व्यवस्था करना।

1.9 प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए अनुरूपकों की व्यवस्था करना।

1.10 भारत के लिए राजमार्ग संहिता।

1.11 महानगरों में यातायात नियमों के उल्लंघनों को रिकार्ड करने के लिए बी०सी०आर० सुविधाओं से लैस चलती-फिरती बंद गाड़ियों का प्रयोग करना।

1.12 विभिन्न यातायात चौराहों आदि पर यातायात संकेतों के क्रम में एकरूपता रखना।

1.13 सभी मोटराइज्ड दुपहियों द्वारा दिन के समय भी हैड लाइटें जलाकर रखना।

1.14 महानगरों में पुलिस गस्ती गाड़ियों को पुलिस गस्ती गाड़ी-व-एम्बुलेंस गाड़ियों में बदलना जिसमें उपयुक्त यंत्रों की व्यवस्था की गई हो।

1.15 नेशनल एसोसिएसन ऑफ क्रिटीकल केयर मेडीसन द्वारा ट्रक एवं बस चालकों तथा बस परिचालकों के लिए मौके पर पुनरुज्जीवन प्रक्रिया में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना।

1.16 स्वयंसेवकों को मौके पर पुनरुज्जीवन प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देना जो बाद में उनके क्षेत्र में होने वाले दुर्घटना स्थल पर प्रथम उपचार के लिए बुलाने पर उपलब्ध होंगे।

रेल क्षेत्र में की गई सिफारिशें

1.0 **की गई सिफारिशें**

1.1 पटरी टूटने के कारण गाड़ियों का पटरी से उतरना—पटरी टूटने की संख्या के संबंध में, पटरी टूटने के कारण गाड़ियों के पटरी से उतरने की संख्या को कम करने के लिए अध्ययन कार्य शुरू करना ।

1.2 ऐसी ब्रांच लाइनों पर जहां सड़क यातायात के लिए मार्ग सामान्य रूप से खुला रहता है वहां फाटकों से बैरियरों को हटाने की व्यवस्था करना ।

1.3 रेल डिब्बों में आपातकालीन द्वारों की व्यवस्था करना ।

1.4 रेल डिब्बों में आग न पकड़ने वाली गद्दी आदि की व्यवस्था करना ।

1.5 दोहरी पटरियों वाले सेक्शन पर, साथ वाली पटरी पर उल्लंघनों के कारण रेलों में होने वाली भिड़न्तों से सुरक्षा करने के उपाय के रूप में ट्रेन इंजिनों में रेडियो संचार सुविधाओं की व्यवस्था करना 15 वर्ष की अवधि तक लागू किए जाने के लिए एक सापेक्ष महत्व की योजना बनाना ।

1.6 इस क्षेत्र में हाल के विकासों को ध्यान में रखते हुए, खतरनाक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए रेलों के रैड-शुल्क की समीक्षा करना ।

1.7 एल०पी०जी० टैंक वैगनों की शंटिंग के दौरान अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाना ।

1.8 प्रत्येक स्टेशन के संबंध में एक मास्टर प्लान तैयार करके अलग-थलग क्षेत्रों में होने वाली गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के दौरान मदद करने के लिए हेलीकाप्टरों का पूर्व-नियोजित प्रयोग करना ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में की गई सिफारिशें

1.0 **की गई सिफारिशें**

1.1 जहां मन्तव्य स्थान पर संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां हेलीकाप्टर की नियमित यात्री सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाना तथा अनियमित उड़ानों के संबंध में विजुअल फ्लाइट रूल्स का पालन करना ।

1.2 प्रत्येक हैलीपैड के संबंध में "एपरोच एण्ड गो-राऊंड प्रोसिजियर" तैयार करना ।

1.3 वर्तमान स्टैण्डर्ड काल आउट सिस्टम्स में संशोधन करना जिसमें "इंजन पावर" काल आउटस का प्रयोग शामिल हो ।

1.4 हवाई सेवा की आपरेशनल नियमावली में मार्ग-निर्देशन को भी शामिल करना ।

1.5 एयरबस 320 के लिए चालक दल का पुनर्करण और उसकी न्यूनतम उड़ान अनुभव का निर्धारण करना ।

1.6 एयरलाइन्स में "फ्लाईट डिस्पैच सिस्टम्स" के स्तर को बढ़ाना ताकि उनकी व्यवसायी दक्षता को और अधिक सार्थक स्तर तक लाया जा सके ।

1.7 पाइलट्स को प्री-एप्रोच ब्रीफिंग की प्रथा को एक मानक प्रक्रिया बनाना ।

1.8 इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एपरोच प्लेट हर ही वी० डी० पी० संस्थापित करना।

1.9 कार्यकारी पायलेटों के लिए उड़ान और ड्यूटी के समय का सीमा निर्धारण।

1.10 जिन हवाई अड्डों पर आई० एल० एस०/वी० ए० एस०/एपरोच लाईटस उपलब्ध नहीं हैं वहां पर मौसम विन्दुक के संबध में समीक्षा करना ताकि सुरक्षा को बढ़ाया जाए।

1.11 जहां हवाई पट्टी को दिखाने की "स्ट्रोब लाईट" नहीं है वहां पर मौसम विन्दुक को बढ़ाना।

1.12 जहां "विजुअल डिसेन्ट प्वाईंट स्थापित नहीं किये गये हैं वहां दृष्टि सीमा विंदुक को बढ़ाना।

1.13 पुराने बोइंग 737 के संबंध में सुरक्षात्मक उपाय जैसे कि ऊंचाई नियंत्रण और दुर्घटना फ्युजलेग राईवेटस को बदलना।

1.14 जैसा कि पायलेटों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, हवाई अड्डों और विमान उतारने के उपकरणों से संबंधित कमियों पर कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।

1.15 अभ्यास के लिए और अधिक कड़ी प्रक्रिया और प्रशिक्षण की सुविधाओं की आवश्यकता है। एयरलाइन्स और डी० जी० सी० ए० को तुरन्त एक कार्य योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए।

1.16 पायलेटों के प्रशिक्षण के दौरान इस बात पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है कि सुरक्षित उड़ान के लिए वे "कॉकपीट" में निजी प्रकृति की ध्यान भंग करने वाली बातों के प्रति सचेत और जागरूक रहें।

1.17 वायुदूत में प्रशिक्षण और जांच व्यवस्था को काफी मजबूत बनाना चाहिए और वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं के स्तर पर विशेषत: आई० एल० एस० प्रक्रिया तथा वायुदूत द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में एक रिपोर्ट एन० टी० एस० बी० को भेजी जाए।

1.18 उड़ान टेप रिकार्डिंग की विस्तृत तथा अनियत सैम्पल जांच की जाए ताकि सुरक्षा नियमों तथा पद्धति के उल्लंघनों की पहचान की जा सके।

1.19 पवन हंस के पायलेटों द्वारा डी० जी० सी० ए० की दक्षता परीक्षा पास करने के अनुबंध का पालन।

1.20 जिन पायलेटों ने अगले तीन महीनों के अंदर "नान-प्रीसिशन एपरोच" या तो हवाई जहाज पर और या फिर सिम्यूलेटर पर नहीं कर पाए हैं उन्हें रूट उड़ान पर "नानप्रीसिशन एपरोच के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहिए।

1.21 जो पायलेट पी० आई० सी० (पायलेट-इन-कमाण्ड) प्राप्त करने के अपने प्रथम प्रयास में असफल रहते हैं उनके लिए पी० आई० सी० रेटिंग प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जाए, जिसमें ऐसे मामलों पर परीक्षकों के बोर्ड का गठन शामिल है।

1.22 चारों एयरलाइन्स और डी० जी० सी० ए० में सामान्य निगरानी निरीक्षण सारणी तैयार करना।

1.23 एयरलाइन्स ने जिन प्रत्याशियों के नाम डी०जी०सी०ए० के अनुमोदित परीक्षक के पद के लिए डी० जी० सी० ए० को भेजे हैं, डी० जी० सी० ए० को इन प्रत्याशियों की जांच हेतु विशेषज्ञों की समिति तुरन्त गठित करनी चाहिए।

कश्मीर से आये छात्रों को दाखिला सुविधा

1697· **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री लालकृष्ण आडवाणी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं को कश्मीर से आये छात्रों को दाखिला देने के लिये कोई अनुदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आदेश किस तारीख को जारी किये गये थे;

(ग) इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों के छात्रों से दिल्ली के कालेजों में स्थानान्तरण के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) इन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) दिल्ली के अतिरिक्त अन्य राज्यों ने कालेजों में स्थानान्तरण के लिये प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ङ) कश्मीर घाटी में लम्बे समय से व्याप्त अशान्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के छात्रों को देश के अन्य इंजीनियरी कालेजों में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सहित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से दिनांक 26-6-1990 को यह अनुरोध किया गया था कि वे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में पढ़ने वाले छात्रों को अपने इंजीनियरी कालेजों में खपाएं। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को यह सलाह दी गई थी कि वे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में पढ़ने वाले जम्मू और कश्मीर, विदेशी छात्रों और शैक्षिक रूप से कम विकसित राज्यों से सम्बन्धित छात्रों को खपाएं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

2. राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर के छात्रों के सम्बन्ध में सरकार ने पहले उन्हें जम्मू तथा ऐसा न होने पर दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में प्रवेश देने के प्रयास का निर्णय लिया। तदनुसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ से अनुरोध किया गया है कि छात्रों को खपाएं।

पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर में गरम पानी का स्रोत

1698. **प्रो० राधिकारंजन प्रमाणिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर में गर्म पानी का स्रोत शीत द्रावण (कोल्ड फ्यूजन) के कारण है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) गरम पानी के ऐसे कई चश्मे हैं जिनसे हीलियम गैस उन्मुक्त होती है। यह माना जाता है कि यह हीलियम गैस धरती के भीतर गहराई पर मौजूद होती है और गरम पानी के चश्मों के साथ भूमि से उन्मुक्त होती है। ऐसा जाना जाता है कि बहुत अधिक विकिरणसक्रियता वाले तत्वों की क्षय प्रक्रिया की शृंखला से उत्पन्न होने वाले उत्पादों में से एक उत्पाद हीलियम है। शीत संलयन की प्रक्रिया एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोगशालाओं में अध्ययन किया जा रहा है। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि गरम पानी के चश्मों के साथ भूमि से उन्मुक्त होने वाली हीलियम गैस शीत संलयन की वजह से पैदा होती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के शासी निकाय

1699. **कुमारी उमाभारती** :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित दिल्ली विश्वविद्यालय के अठारह कालेजों के शासी निकाय नियुक्त कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे 18 कालेजों के विद्यमान शासी निकायों की अवधि कुछ महीने पहले समाप्त हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इन निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रवेश पत्रों में जाति का कालम

1700. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** :

श्री टी० बशीर :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के स्कूल और कालेज के प्रवेश पत्रों में जाति सम्बद्धता वाला कालम निकाल देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों द्वारा दिए गए नकली/अप्राधिकृत जाति प्रमाण पत्रों का पता लगाने के लिए क्या जांच की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार ने स्कूलों, कालेजों और केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रवेश प्रपत्रों से जाति/समुदाय से सम्बन्धित किसी भी उल्लेख को हटाने का निर्णय किया है, यह अपवर्जन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए लागू नहीं होता है। उनके लिए अब तक लागू पद्धति जारी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में वनों और पर्यावरण का संरक्षण

[हिन्दी]

1701. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गंगोत्री, उत्तर काशी और जमुनोत्री, गढ़वाल क्षेत्र में वनों के संरक्षण और पर्यावरण को संतुलित बनाए जाने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हीलियम गैस के भंडार

[अनुवाद]

1702. श्री सुधीर गिरि :

श्री संजय लाल :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में हीलियम गैस के भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस समय इस गैस का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन भण्डारों से इसे निकालने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) इस गैस के आयात को कब तक कम/समाप्त किया जायेगा;

(च) इस समय इसके आयात पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है; और

(छ) इस गैस की उत्पादन लागत के संबंध में सरकार का क्या अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के जिन निक्षेपों का पता लगाया है उनमें हीलियम गैस की मौजूदगी पाई गई है। चोतारू क्षेत्र से प्राप्त

प्राकृतिक गैस के इन नमूनों में हीलियम गैस की मात्रा 0.09 से 0.13 प्रतिशत तक के बीच पाई गई है ।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार के पास प्राथमिकता के आधार पर इन भंडारों से इसे निकालने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं है । मीथेन गैस में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की दिलचस्पी को देखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग हीलियम के लिए एक संयंत्र लगाने की संभाव्यता का अध्ययन कर रहा है। इस सम्बन्ध में मीथेन एक उपोत्पाद के रूप में तैयार होगी। जाहिर है कि हीलियम गैस पर आने वाली लागत आयातित हीलियम पर भारत पहुंचने पर आने वाली लागत से लगभग चार गुना अधिक बैठेगी ।

(ङ) ऐसी कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में इस गैस का आयात कम अथवा बन्द किया जा सके ।

(च) स्थानीय संभरकों के माध्यम से हीलियम की खरीद पर प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं । ये संभरक गैस को द्रव रूप में आयात करने के बाद इसे गैस में बदल देते हैं जिसे उनके स्थानीय संयंत्रों में सिलेंडरों में संपीडित करने का काम अकेले भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा ही किया जाता है ।

(छ) स्थानीय तौर पर हीलियम का उत्पादन करने से इस पर अनुमानत: 900-1000 रुपए प्रति घन मीटर लागत आने की सम्भावना है जोकि आयातित हीलियम पर आने वाली लागत से कहीं ज्यादा है ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश-नीति

1703 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 से पहले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति में यह सुनिश्चित किया जाता था कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता मिले;

(ख) क्या 1984 में विशिष्ट वर्ग से सम्बद्ध नई शिक्षा नीति के साथ इस प्रवेश-नीति में परिवर्तन किया गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से पिछड़े छात्रों को वरीयता देने हेतु जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश-नीति में परिवर्तन करना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1974-75 से 1983-84 तक विश्वविद्यालय में दाखिले पिछले शैक्षिक रिकार्ड, लिखित परीक्षा में निष्पादन और एक साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुसार दिए गए थे । आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय वंचनाओं के लिए एक 100 अंकीय पैमाने के आधार पर 20 अंकों तक का महत्व दिया गया था । यह अनु० जातियों के लिए स्थानों के 15% आरक्षण, अनु० जनजातियों के लिए 7½% और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 3% के अतिरिक्त था ।

तथापि, इसे महसूस करते हुए कि शैक्षिक रूप से योग्य छात्रों के प्रवेश में कमी आ रही थी, विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद नई प्रवेश नीति अनुमोदित की जो 1984-85 शैक्षिक सत्र से लागू की गई और अभी भी जारी है। ऐसा संसद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुमोदन से पूर्व था। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले देश के विभिन्न भागों में स्थित 24 केन्द्रों में आयोजित एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में विनिर्णीत योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय वंचनाओं के लिए महत्व को समाप्त कर दिया गया है, अनु० जातियों के लिए 15%, अनु० जनजातियों के लिए 7½% और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 3% आरक्षण पहले की भांति प्रदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् ने 14-3-90 को आयोजित अपनी बैठक में पुरानी प्रवेश नीति को बहाल रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की मांग पर विस्तार से चर्चा की और यह संकल्प किया कि विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति और कार्यविधियों की प्रत्येक 4 वर्ष में समय-समय पर समीक्षा की जाए। चूंकि, पिछली समीक्षा 1986 में की गई थी, इस वर्ष नई समीक्षा की जानी है।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर कोर्स

1704. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर विज्ञान की दो वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र कम्प्यूटर विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए कालेजों/पालिटेक्निकों में प्रविष्ट के योग्य होंगे; और

(ख) क्या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के मामले में यह कोर्स टैन-प्लस-टू के समकक्ष माना जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि संगणक विज्ञान में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शिक्षा निदेशालय के अधीन कुछ सीनियर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा की 10 + 2 पद्धति के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा में +2 स्तर पर आरम्भ किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में बल उच्च शिक्षा की संस्थाओं में दाखिले को सुकर बनाने की अपेक्षा व्यावसायिक कुशलता के विकास पर दिया जाता है। तथापि, इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार कालेजों में विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रम में उनके दाखिले का प्रावधान विद्यमान है।

(ख) जी, हां।

जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

1705. **श्री प्यारेलाल हांडू** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में सीधे भर्ती वाले तथा स्थानीय पदोन्नत कितने-कितने अधिकारी हैं; और

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य प्रशासनिक संवर्ग के ऐसे कितने सीधी भर्ती के अथवा पदोन्नत अधिकारी हैं, जिन्हें कभी भी राज्य से बाहर तैनात नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पहली जुलाई, 1990 के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :

सीधी भर्ती के अधिकारी	67
पदोन्नति वाले अधिकारी	31

(ख) 36 सीधी भर्ती वाले तथा 27 पदोन्नति वाले अधिकारियों ने राज्य से बाहर सेवा नहीं की है। राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों के नामों का प्रस्ताव करती हैं तथा जिन अधिकारियों के नामों का प्रस्ताव किया जाता है उनमें से केन्द्रीय सरकार उनकी उपयुक्तता के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न नियुक्तियों के लिए अधिकारियों का चयन करती है।

बेरोजगारों को रोजगार

[हिन्दी]

1706. श्री सी० डी० गामित : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या थी;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उनमें से वस्तुतः कितनों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है;

(ग) यदि किन्हीं कारणों से यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, तो वे क्या हैं; और

(घ) उन सभी को रोजगार उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : (क) सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार सातवीं योजना के आरम्भ में समग्र बेरोजगारी 9.20 मिलियन थी और 1985 के आरम्भ में शिक्षितों (मैट्रिक और उससे ऊपर) में 3.7 मिलियन बेरोजगार थे।

(ख) और (ग) सातवीं योजना में कोई 40.36 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष का अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की आशा थी, एक मानक व्यक्ति वर्ष, एक दिन में 8 घण्टे की दर से 273 व्यक्ति कार्य दिवसों के बराबर होता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान सृजित वास्तविक रोजगार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) आठवीं योजना दस्तावेज में रोजगार को योजना के केन्द्रीय बल के रूप में शामिल किया गया है। लक्ष्य यह होगा कि अगले दशक में रोजगार वृद्धि को औसतन 3% वार्षिक की दर प्राप्त की जाए। ब्यौरे आठवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट किए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई कार्य

[अनुवाद]

1707. श्री पी० नरसा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए पिछले खुदाई कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में कोई अन्य खुदाई-कार्य करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अन्तिम खुदाई-कार्य पश्चिम गोदावरी जिले के पेडुवेयी में किया गया था, जिसमें इमारतों के भग्नावशेष और पुरा वस्तुएं मिलीं जो चौथी से 11वीं शताब्दी ईसवी सन् तक के समय की हैं जो आंध्र पर शासन करने वाले सातवाहनों विष्णुकुंडीनों और पूर्वी चालुक्यों के प्राचीन राजवंशों की राजधानी प्राचीन वेंगीपुर से सम्बन्धित हैं। प्राचीन धनमदिम्बा स्थल पर किले के अलावा, एक विशाल स्तूप के अवशेष और एक मंदिर-परिसर मिले थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय कोई विशिष्ट पुरातत्व सम्बधी समस्या नहीं है जिसके लिए खुदाई-कार्य करने की जरूरत हो।

ग्रामीण युवकों को शिक्षा देने हेतु स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान

1708. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण युवकों और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को क्या भूमिका सौंपी गयी है;

(ख) क्या इन एजेंसियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान अथवा अन्य सहायता देने के संबंध में कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इन अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया और सजा संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बाल और युवक साक्षरता कार्यक्रमों को लागू करने हेतु ग्रामीण युवकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के प्रौढ़ों के बीच निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक बड़े

बैठाने पर स्वैच्छिक एजेंसियों के सम्मिलित होने पर बल देता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों का अधिकांश कार्य स्वैच्छिक एजेंसियों और बच्चों की पंचायत राज संस्थाओं के जरिए करवाया जाएगा।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए सहायता की एक केन्द्रीय योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और उत्तर साक्षरता कार्य-कलापों आदि के आयोजन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों, सार्वजनिक ट्रस्टों और लाभ नहीं कमाने वाली कम्पनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के प्रयोगीकरण और नवाचारी कार्यक्रमों के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना है। इन दोनों योजनाओं में उद्देश्य, पात्रता और वित्तीय पद्धति आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा में संलग्न स्वैच्छिक एजेंसियों के संबंध में स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृत सहायता अनुदान की उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर बल दिया गया है :

(i) अपनी-अपनी राज्य सरकारों के जरिये स्वैच्छिक एजेंसियों का पता लगाना और चयन करना तथा एक केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति द्वारा इन स्वैच्छिक एजेंसियों की पर्याप्त जांच करना।

(ii) निर्धारित वार्षिक विवरण/प्रगति रिपोर्ट जिनके नाम है, प्रारम्भिक रिपोर्ट, त्रैमासिक रिपोर्टें, और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(iii) परियोजना के समापन पर सनदी लेखापाल द्वारा यथोचित प्रमाणित सरकारी अनुदान के परीक्षित लेखे प्रस्तुत करना।

(iv) सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान संस्थाओं और संबंध संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का बाहरी मूल्यांकन।

(v) राज्य सरकारों से भी स्वैच्छिक एजेंसियों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने का अनुरोध किया जा रहा है।

(vi) एक बाहरी विशेषज्ञ के अतिरिक्त केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के एक-एक प्रतिनिधि के संयुक्त मूल्यांकन दल या राज्य सरकार द्वारा अनुदानों के दुरुपयोग के आरोप की शिकायतों की जांच पड़ताल।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में अनुदान की उपयुक्त उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर बल दिया गया है—

(i) राज्य सरकारों के जरिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और उसके बाद एक केन्द्रीय सहायता अनुदान समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

(ii) स्वैच्छिक एजेंसियों से योजना में निर्धारित जांच प्रणाली के अन्तर्गत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(iii) परियोजना के समापन पर सनदी लेखापाल द्वारा यथोचित प्रमाणित सरकारी अनुदान के परीक्षित लेखे प्रस्तुत करना।

(घ) इन दोनों योजनाओं में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ग्रामीण शिक्षित युवकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

कलादी में संस्कृत विश्वविद्यालय

1709. डा० ए०के० पटेल :

श्री लालकृष्ण आडवानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जगतगुरु शंकराचार्य के जन्म स्थान कलादी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक करोड़ रुपये की तदर्थ अनुदान राशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) केरल सरकार ने कालादी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। केन्द्रीय सरकार ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए केरल सरकार को 1.00 करोड़ रुपये का एक तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक अभी तक राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राध्यापक/रीडर के लिए अर्हतायें

1710. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक या रीडर के पद के लिए पी०एच०डी० एक अनिवार्य अर्हता नहीं है लेकिन प्रोफेसर के पद के लिए ऐसा है; और

(ख) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार क्या कदम उठाने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1988 को घोषित वेतनमानों के संशोधन की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि सामान्यतः लेक्चरर के पद की नियुक्ति के लिए निम्नतम योग्यताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री अथवा इसके समकक्ष ग्रेड, और अच्छा शैक्षिक रिकार्ड होगा। योजना में यह भी व्यवस्था की गई है कि वे लेक्चरर, जिन्होंने सेवा के कुछ निर्धारित वर्ष पूरे कर लिए हैं, रीडर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं बशर्ते उन्होंने पी० एच० डी० डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य प्राप्त कर लिया है।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पुस्तकालय सेवा

[हिन्दी]

1711. श्री बालेश्वर यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में पुस्तकालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकालयों को कितनी कालोनियों में खोला जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पहले ही 49 पुस्तकालय खोल दिए हैं और समाज के निर्बल वर्गों वाले क्षेत्रों में ऐसे और पुस्तकालय खोलने का भी उनका विचार है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त-पोषित स्वायत्त संगठन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में 31 पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए हैं, किन्तु इस समय उसका शेष पुनर्वास बस्तियों में कोई और पुस्तकालय स्थापित करने का विचार नहीं है।

भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों का वेतनमान

1712. श्री रूपचन्द पाल :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वानस्पतिक (बोटेनीकल) सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने हाल ही में अपने वेतनमानों आदि के सम्बन्ध में अपनी मांगों के बारे में कोई ज्ञापन भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के कर्मचारियों की मांगें क्या-क्या हैं, जिनके लिए उन्होंने 1990 के जून महीने में सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया था ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कर्मचारी संघ की मुख्य मांग यह थी कि सभी वैज्ञानिक सहायकों को 1-1-73 से 550-900 रुपए (संशोधनपूर्व) के उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए जिसमें वे वैज्ञानिक सहायक शामिल हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं; अन्य विभागों आदि में पदोन्नत/स्थानान्तरित हो गए हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि यह लाभ सेवारत वैज्ञानिक सहायकों को दिया जाए। बाद में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात् संघ ने सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर जाने के अभियान को वापस ले लिया था।

केन्द्रीय विद्यालयों से संबद्ध छात्रावास

1713. श्री राज मंगल मिश्र :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बद्ध कुछ छात्रावास संगठन द्वारा चलाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक में भर्ती किए गए कर्मचारियों, उनकी नियुक्ति की तारीखों और वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या छात्रावास के कर्मचारियों को भोजन और आवास की सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। छात्रावास कर्मचारियों के ब्यौरे, नियुक्ति की तारीख तथा वेतनमान इत्यादि से सम्बन्धित विवरण एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रावासों के भोजनालय के कर्मचारी वेतन के अलावा नि:शुल्क भोजन तथा आवास के हकदार हैं।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जहां छात्रावास सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं :—

1. केन्द्रीय विद्यालय संख्या 1, दिल्ली कैन्ट।
2. केन्द्रीय विद्यालय झज्जर।
3. विशेष केन्द्रीय विद्यालय गाजियाबाद।
4. केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 फिरोजपुर।
5. केन्द्रीय विद्यालय पंचमढ़ी।
6. केन्द्रीय विद्यालय सं० 1 खिरकी, पूणे।
7. केन्द्रीय विद्यालय एयर फोर्स नागपुर।
8. केन्द्रीय विद्यालय लैंसडौन।
9. केन्द्रीय विद्यालय जालंधर नं० 1।
10. केन्द्रीय विद्यालय ए०एस०सी० बंगलौर।
11. केन्द्रीय विद्यालय आई०आई०टी० मद्रास।
12. केन्द्रीय विद्यालय जवाहर नगर, बिहार।

निम्नलिखित केन्द्रों में खेल छात्रावास उपलब्ध हैं :—

1. केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 ग्वालियर।
2. केन्द्रीय विद्यालय बी०ई०जी०, खिरकी, पूणे।
3. केन्द्रीय विद्यालय नं० 1 दिल्ली छावनी।
4. केन्द्रीय विद्यालय आई०आई०टी० मद्रास।

कानपुर स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों में चोरी

[हिन्दी]

1714. श्री राम लाल राही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों में बार-बार चोरी की ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कीमती फालतू कल-पुर्जे चुराये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान अब तक अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में ऐसी कितनी चोरियां हुई हैं और इन रक्षा प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी और कर्मचारी भी ऐसी चोरियों में लिप्त पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसी चोरियों को रोकने तथा अपराधियों को पकड़ने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) जी, नहीं। कानपुर के चकेरी में वायुसेना स्टेशन के छीजन यार्ड से चोरी की एक मामूली घटना को छोड़कर जिसका तुरन्त पता लगा लिया गया और दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां हाल में चोरी की कोई अन्य घटना नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश के कालेजों/विश्वविद्यालयों को अनुदान

1715. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का अनुदान दिया है ;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का अनुदान दिया जाएगा;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि उक्त धनराशि का उचित उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई सेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों को वर्ष दर वर्ष के आधार पर अनुदान प्रदान नहीं करता बल्कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों (राज्य) को 3334.73 लाख रुपये और कालेजों को 2105.71 लाख रुपये संस्वीकृत किये।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए आठवीं योजना के आवंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया है। परन्तु इन आवंटनों की सातवीं योजना के आवंटनों से कम होने की उम्मीद नहीं है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों की प्रगति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन समितियां नियुक्त की थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग और योजनाओं की प्रगति की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त की हैं।

कालेजों के लिए अगले अनुदान केवल पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति पर ही जारी किए जाते हैं।

हिन्दी से जुड़े हुए संगठनों को अनुदान

1716. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में हिन्दी से जुड़े हुए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) गत वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिन्दी संस्थाओं को कितना अनुदान दिया गया;

(ग) यह अनुदान देश के अन्य क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं को दिए गए अनुदान से कम क्यों हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान मणिपुर की कतिपय हिन्दी संस्थाओं को अनुदान प्रदान न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त संस्थाओं को पिछले वर्षों के लम्बित पड़े वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष दिसम्बर/जनवरी में आमंत्रित किए जाते हैं ताकि अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में उन्हें अनुदान संस्वीकृत करने पर विचार किया जा सके।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1989-90 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित हिन्दी संगठनों/संस्थाओं को अनुदान संस्वीकृत किए गए :

1. असम	4,86,145 (रुपयों में)
2. मणिपुर	6,14,750
3. मेघालय	38,525
4. नागालैंड	42,000
5. मिज़ोरम	1,01,475

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायक अनुदान समिति (हिन्दी) की सिफारिशों पर स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान की राशि, उनके विगत के निष्पादन के साथ-साथ पिछले वर्षों में उन्हें दी गयी अनुदान राशि के सही उपयोग के आधार पर निर्धारित की जाती है। मणिपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में चूंकि कुछ संस्थाओं ने उन्हें प्रदान किए गए अनुदानों के उपयुक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं तथा उनके प्रस्तावों को राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय क्षेत्रीय समितियों द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया था, अतः केन्द्रीय सहायक अनुदान समिति (हिन्दी) ने उनके मामलों की सिफारिश नहीं की।

(ङ) राज्य स्तरीय क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों के प्राप्त कर लेने के पश्चात हिन्दी स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं से प्राप्त सभी लम्बित/अनुराधों तथा नए प्रस्तावों को केन्द्रीय अनुदान समिति (हिन्दी) के सम्मुख उसके विचारार्थ रखा जाता है।

बिहार में प्रति व्यक्ति व्यय

1717. श्री पुखराज : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम था;

(ख) क्या योजना में नगण्य धनराशि आवंटित किये जाने के कारण अधिकांशत: बन्द पड़े गैर-सरकारी और सरकारी उद्योगों को चालू करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आठवीं योजना तैयार करते समय पिछड़ेपन, जनसंख्या और अन्य सामाजिक घटकों को भी ध्यान में रखा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेष गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड बिहार के सभी 34 बीमार/बन्द उद्योगों के मामले की समीक्षा कर रहा है। बिहार की वार्षिक योजना 1990-91 में बीमार उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए 6 करोड़ रु० का प्रावधान है।

(ग) और (घ) बिहार की आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है। योजना तैयार करते समय पिछड़ापन, जनसंख्या जैसे घटक तथा अन्य सामाजिक घटक सामान्यत: ध्यान में रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

[अनुवाद]

1718. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शिक्षा के लिए हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) : सरकार ने दिनांक 7-5-90 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसके कार्यान्वयन, इस नीति की पुनरीक्षा करने के संबंध में सिफारिशें करने तथा संशोधित नीति का एक निश्चित समयावधि में कार्यान्वयन करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। एक सरकारी संकल्प की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें इस सम्बंध में अपेक्षित ब्यौरे निहित है।

विवरण

(भारत के राजपत्र भाग-खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

फा० संख्या 1-6/90-पी० एन० (डी०-1)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई, 1990

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुनरवलोकन के लिए समिति की स्थापना ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद हमारे देश के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा, जो मानव विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है, से वंचित है, यह भी एक अत्यन्त क्षोभ की बात है कि विश्व के निरक्षरों में से 50 प्रतिशत हमारे देश में हैं । और एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते हैं । सरकार शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है—एक मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के एक साधन के रूप में । यह जरूरी है कि शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन बनाया जाए । इसके अतिरिक्त शिक्षा को कार्य तथा रोजगारउन्मुख बनाया जाना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है जो अभिजात्य विकृति हमारी शिक्षा के परिवेश की एक विशेषता बन गई है, उससे शिक्षा को मुक्त किया जाए । शैक्षिक संस्थाएं जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही हैं । इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर बल देना और सही समतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का पुनरवलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसा ढांचा तैयार हो पाए, जिससे देश शिक्षा के इस परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ सके ।

2. अतः सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरवलोकन समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नानुसार होगा :—

1. आचार्य राममूर्ति, अध्यक्ष
खादीग्राम, जिला—मुंगेर सदस्य
2. प्रो० सी० एन० आर० राव, सदस्य
निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर ।
3. डॉ० सुखदेव सिंह, सदस्य
भूतपूर्व कुलपति,
पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
4. डॉ० एम० संतप्पा, सदस्य
भूतपूर्व कुलपति
मद्रास विश्वविद्यालय ।
5. डॉ० आबेद सिद्दकीकी, सदस्य
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
बम्बई ।
6. डॉ० भास्कर राय चौधुरी, सदस्य
कुलपति,
कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कलकत्ता ।

7. श्री एम० जी० भाटीवाडेकर, सदस्य
भूतपूर्व प्रधानाचार्य,
महाराजा कालेज,
जयपुर ।

8. प्रोफेसर उषा मेहता सदस्य
राजनीतिशास्त्रज्ञ और शिक्षक,
बम्बई ।

9. प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति, सदस्य
संगम जगरलामुड़ी,
गुंटूर ।

10. डा० अनिल सदगोपाल, सदस्य
किशोर भारती,
होशंगाबाद ।

11. फादर टी० वी० कुन्नुंकल, सदस्य
अध्यक्ष,
नेशनल ओपन स्कूल,
नई दिल्ली ।

12. प्रोफेसर मृणाल मिरि, सदस्य
दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग

13. डा० विधानिवास मिश्र, सदस्य
कुलपति,
काशी विद्यापीठ,
वाराणसी ।

14. डा० एस जहूर कासिम, सदस्य
कुलपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली ।

15. श्री वेद व्यास, सदस्य
अध्यक्ष,
डी० ए० वी० कालेज प्रबंध समिति,
नई दिल्ली ।

16. श्री मनुभाई पंचोली, सदस्य
लोक भारती, सणोसरा,
जिला भावनगर ।

17. श्री एस० गोपालन, सदस्य-सचिव
अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली ।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उसके कार्यान्वयन की समीक्षा;

(ख) नीति के संशोधन के संबंध में सिफारिशें करना ; और

(ग) संशोधित नीति के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना ।

4. समिति अपनी कार्य विधि स्वयं तैयार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी। यदि समिति उपयुक्त समझे तो अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है ।

(एस० पी० तुली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों आदि को जानकारी के लिए भेजी जाए ।

(एस० पी० तुली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
नई दिल्ली ।

विद्यालय अधिनियम में संशोधन

1719. श्री मंजय लाल :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1990 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' 'मूव टू अमेन्ड स्कूल एक्ट स्टाल्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 में संशोधन करके दिल्ली में गैर-सरकारी विद्यालयों में की जा रही अनियमितताओं को रोकने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अधिनियम में अभी तक संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में ग्राम विकास के लिए निधि आवंटन

[हिन्दी]

1720. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामों के विकास के लिए योजना आयोग से वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि की मांग की है और योजना आयोग द्वारा उन्हें कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस धनराशि में मध्य प्रदेश को विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना को भी सम्मिलित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानेष गोवर्धन) : (क) वार्षिक योजन 1990-91 के लिए सहमत परिव्यय में ग्रामीण विकास शीर्ष के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 105.64 करोड़ रु० का परिव्यय योजना आयोग द्वारा पूर्णतया अनुमोदित किया गया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष संघटक योजना के लिए ग्रामीण विकास शीर्ष के अन्तर्गत राज्य की प्रारूप वार्षिक योजना की प्राप्ति के रूप में 1992.45 लाख रु० तथा जनजातीय उपयोजना के लिए 3679.53 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

[अनुवाद]

1721. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना कब आरम्भ की गई थी;

(ख) इस योजना के उद्देश्य क्या हैं और अब तक हुई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की धनराशि में अब तक कितनी वृद्धि की गई है और वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार की योजना है। यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 1961-62 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मेधावी लेकिन निर्धन छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत ये छात्रवृत्तियां मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के लिए योजना एवं आय के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के करीब 4.75 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं।

बी०ई०, बी० टेक०, एम०बी०बी०एस०, एल०एल०बी०, बी०एड० व्यावसायिक तथा इंजीनियरी अध्ययन तथा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों आदि में अध्ययन कर रहे छात्रावासीय छात्रों की छात्रावास की दरों को 1-12-88 से 170 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रु० प्रतिमाह कर दिया गया था। छात्रवृत्ति की दरें इस बात को ध्यान में रखते हुये युक्तिसंगत है कि देश में उच्चतर शिक्षा के लिये अधिकाधिक आर्थिक सहायता दी जा सकें।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि देना

1727. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के अनुसार भवन निर्माण और वाहन के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास बहुत कम धनराशि है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि में पर्याप्त वृद्धि करने के कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने इस मामले को 9-8-90 को प्रस्तुत किया है। गृह निर्माण और यात्रा भत्तों के लिए अग्रिम राशियों में पर्याप्त वृद्धि की है। तीन वर्षों के कोषों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	(लाख रुपयों में) आवंटित निधियां		(लाख रुपयों में) उपयोग की गई निधियां	
	अग्रिम राशि	यात्रा भत्ता	अग्रिम राशि	यात्रा भत्ता
1988-89	45.00	15.00	45.00	1 .90
1989-90	100.00	25.00	85.20	23.95
1990-91	100.00	27.00	—	—

नेहरू युवक केन्द्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनर्गठन

1723. **डा० सी० सिलवेरा :**

श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनर्गठन हेतु कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) 18-20 मई, 1990 को नई दिल्ली में आयोजित पिछले राष्ट्रीय युवा नेताओं के दौरान गठित कार्यकारी समूह ने नेहरू युवा केन्द्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के पुनर्गठन की सिफारिश की थी ।

(ख) कार्यकारी समूह ने केन्द्रों का नया नाम सुझाने के अतिरिक्त निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

नेहरू युवा केन्द्र :

(i) नेहरू युवा केन्द्रों का आलोचनात्मक मूल्यांकन ।

(ii) केन्द्रों को राज्य तथा जिला परिषदों के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए ।

(iii) ग्रामीण युवाओं की समस्या का अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, जो राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो, को केन्द्र का पदाधिकारी नियुक्त करना चाहिए ।

(iv) पदाधिकारियों की नियुक्ति एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निकाय द्वारा की जानी चाहिए ।

(v) केन्द्र का विस्तार ग्राम स्तर तक किया जाए ।

राष्ट्रीय सेवा योजना :

(i) एन०एस०एस० को अनिवार्य बनाया जाए ।

(ii) योजना को अपनी पूरी शक्ति केवल निरक्षरता निवारण के प्रति समर्पित करनी चाहिए।

(ग) योजना आयोग को नेहरू युवा केन्द्र संगठन की योजना तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

पंजाब में सेवा निकाय

1724. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार, इसके स्वायत्त निकायों और सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध कितने सेवा चयन निकाय हैं;

(ख) इन निकायों के चयन के विरुद्ध चल रहे मुकद्दमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान जाली नियुक्ति पत्र तैयार करने, जाली प्रमाण पत्र स्वीकार करने आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) अनेक चयन निकाय बनाने तथा पंजाब लोक सेवा आयोग पर निर्भर न रहने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार चयन निकायों की संख्या घटाने और चयन में निष्पक्षता बरते जाने की व्यवस्था करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में कालेजों की संख्या

1725. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने मेडिकल, इंजीनियरी और बी०एड० कालेज हैं;

(ख) क्या दिल्ली की जनसंख्या की तुलना में इन तकनीकी कालेजों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा के लिए अनेक छात्रों को विभिन्न राज्यों में जाना पड़ता है; और

(घ) छात्रों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली में डिग्री स्तर के चार मेडिकल संस्थान, चार इंजीनियरी संस्थान तथा तीन बी०एड० कालेज हैं।

(ख) जी, नहीं। देश के अन्य भागों में उपलब्ध सुविधाएं यहां पर उपलब्ध सुविधाओं के बराबर है।

(ग) और (घ) जी, हां। छात्र देश के अन्य भागों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये स्वतन्त्र हैं और इसलिये इस सम्बन्ध में कोई उपाय किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आरक्षित वनों से जनजातियों को हटाया जाना

1726. श्री के० प्रधानी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी जनजातियों को उनके स्थानों से हटाने का है जिन्होंने वन-भूमि पर अधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान उनमें से किसी को उनके स्थान से अब तक हटाया गया है; और यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका पुनर्वास कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में नेपाली शिकार-चोरों द्वारा चोरी छिपे जानवरों को मारा जाना

1726. श्री आनन्द सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, खीरी जिलों में भारत-नेपाल सीमा के भारतीय क्षेत्र में नेपाल शिकार-चोरों द्वारा बाघों, चीतों तथा अन्य जानवरों को बड़े पैमाने पर चोरी छिपे मारे जाने से अवगत है;

(ख) क्या भारतीय अधिकारियों ने नेपाल के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ग) जानवरों को चोरी छिपे मारे जाने को रोकने के लिए क्या निवारक कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) यह सूचित किया गया है कि नेपाल में रह रहे व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश के गोंडा, खीरी और बहराइच जिलों में वन्य पशुओं की चोरी छिपे शिकार करने की छिट-पुट घटनाएं हुई हैं । लेकिन ऐसे व्यक्तियों द्वारा हाल के वर्षों में इन जिलों में बाघों और चीतों को चोरी छिपे मारने की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिए किए गए उपायों में चोरी-छिपे शिकार रोधी ढांचे को मजबूत बनाना और असुरक्षित क्षेत्रों की गहन गश्त लगाना शामिल है ।

समयबद्ध पदोन्नति योजना के अन्तर्गत पदोन्नतियों में आरक्षण

1728. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जनवरी, 1990 और उच्चतम न्यायालय के (ए०आई०आर० 1989 एस०सी० 189) के इस निर्णय के अनुसार, कि पदोन्नतियों के सम्बन्ध में चाहे जो विधि अपनाई जाए, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण कम नहीं किया जाना चाहिये, समयबद्ध पदोन्नति और योजना के अन्तर्गत पदोन्नतियों में आरक्षण शुरू करने के संबंध में कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये निर्देश जारी करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने डाक एवं दूर संचार विभाग को उच्चतम न्यायालय के निर्णय (ए०आई०आर० 1989 एस०सी० 139) को कार्यान्वित करने के अनुदेश जारी कर दिये हैं। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, इसकी जांच दूर संचार विभाग के परामर्श से की जायेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त अनुदेश जारी किये जाएंगे।

उदयपुर में किलों और मंदिरों का रखरखाव

[हिन्दी]

1729. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उदयपुर (राजस्थान) स्थित महत्वपूर्ण पुराने ऐतिहासिक किलों और मंदिरों का रख-रखाव अपने हाथ में लेने का विचार है; और

(ख) क्या कुम्भलगढ़ का अविजित किला, चित्तौड़गढ़ का किला, सासबहु का मंदिर और अहद सभ्यता के अवशेष पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके रख-रखाव के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतनभाई मेहता) : (क) उदयपुर जिले के निम्नलिखित स्मारक/स्थल पहले से ही केन्द्र के संरक्षण में हैं—

1. कल्याणपुर के प्राचीन खंडहर;

2. कुम्भलगढ़ का सम्पूर्ण किला;

3. नागदा के सास-बहू मंदिर;

4. नव चौकी राजसमन्द स्थित शिलालेखों, मंडपों और तोरणों वाला घाट; और

5. गिलुन्द (भगवानपुरा) स्थित पुरातत्वीय स्तल और अवशेष।

इसके अलावा, इस जिले में राज्य सरकार के संरक्षणाधीन 23 स्मारक हैं।

(ख) कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़ के किले और सास-बहू के मंदिर केन्द्र के संरक्षण में हैं; अहद के अवशेष राज्य के पुरातत्व विभाग के अधीन हैं।

(ग) केन्द्र के संरक्षणाधीन स्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वीय दायित्वों के अनुसार किया जा रहा है। यह एक विधिमत और सतत प्रक्रिया है तथा आवश्यकता और अनिवार्यता के अनुसार समय-समय पर मरम्मत कार्य किये जाते हैं।

बदवाह में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

1730. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह शहर में, जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का केन्द्रीय भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र है और जहां, भवन खानपान, खेल के मैदान आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिविल सेक्टर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का शैक्षिक वर्ष 1990-91 में यह विद्यालय तत्काल खोलने के आदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद यह आदेश अभी तक जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के सत्र में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में बड़वाह शहर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव संगठन के विचाराधीन है।

वन कर्मचारियों को पुलिस के बराबर अधिकार प्रदान करना

[अनुवाद]

1731. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**

श्री डी० अमात :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तलाशी, जब्ती तथा अनधिकृत शिकारियों को गिरफ्तार करने के संबंध में वन कर्मचारियों को पुलिस के बराबर अधिकार देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को ढूंढने, पकड़ने और उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में प्राधिकृत वन अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के समान अधिकार पहले से ही दिये गये हैं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज

1732. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्यरत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज केन्द्रीय योजना के अंतर्गत चलाये जा रहे हैं;

(ख) इन इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश दिये जाने के लिये क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों, जहां ये स्थित हैं, का एक संयुक्त उपक्रम हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में छात्रों के प्रवेश के लिए पचास प्रतिशत सीटें उसी राज्य के अर्हता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को दी जाती हैं तथा शेष पचास प्रतिशत सीटें अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए रखी जाती हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं तथा प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज में दाखिला राज्य द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार प्रवेश परीक्षा अथवा अर्हक परीक्षा में योग्यता के आधार पर दिया जाता है। इसी कारणवश, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मऊ, मध्य प्रदेश में अधिगृहीत भूमि के लिए दिया गया मुआवजा

1733. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में "बेरछा और हेमा रेंज" के लिए मऊ में भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) क्या उक्त भूमि के लिए किसानों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) बेरछा फायरिंग रेंज के लिए दो गांवों अर्थात् बदरखा और बदर तोपखाना की जमीन का कब्जा ले लिया गया है। शेष भूमि के अर्जन की कार्रवाई चल रही है।

(ख) से (घ) बेरछा फील्ड फायरिंग रेंज के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने से जो 370 परिवार विस्थापित होंगे उन्हें पूरा मुआवजा दिए जाने के लिए 11,75,12,131.00 रुपए की राशि समाहर्त्ता के पास जमा करा दी गई है। समाहर्त्ता ने उक्त दो गांवों (बदरखा और बदर तोपखाना) के कुछ भू-स्वामियों को जिनकी जमीन अधिगृहीत की गई है, मुआवजे की अदायगी कर दी है।

राज्य सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में पुनर्वास अनुदान की मांग के लिए जाने तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण हेमा फील्ड फायरिंग रेंज के लिए भूमि अर्जन की औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

हक्सर समिति का प्रतिवेदन

[अनुवाद]

1734. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्रीमती वासवराजेश्वरी :
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा हेतु गठित की गई पी० एन० हक्सर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(क) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इस प्रतिवेदन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए एक नई सांस्कृतिक नीति बनाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रतिवेदन की जांच कर रही है। सरकार राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करते समय इन पर विचार करेगी।

विवरण

हक्सर समिति की रिपोर्ट

तीन राष्ट्रीय अकादमियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष, श्री पी० एन० हक्सर ने अपनी रिपोर्ट 8 जुलाई, 1990 को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री चिमनभाई मेहता को सौंप दी। रिपोर्ट प्राप्त करते समय मंत्री महोदय ने श्री पी० एन० हक्सर द्वारा प्रस्तुत उक्त बृहद् रिपोर्ट की सराहना की। उन्होंने समिति की सिफारिशों को तैयार करने के लिए जो व्यापक काम करना पड़ा, उसकी भी प्रशंसा की।

2. इस समिति का गठन संस्कृति विभाग की चार महत्वपूर्ण स्वायत्त संस्थाओं के कार्यकरण के पुनरावलोकन के लिए मार्च, 1988 में किया गया था। इसके विचारार्थ विषयों का सम्बन्ध इन संस्थाओं के लक्ष्यों के संदर्भ में उनके कार्यकरण के मूल्यांकन के साथ था। इसका एक कार्य इन स्वायत्त निकायों में संरचनागत और अन्य परिवर्तनों की सिफारिश करना और साथ ही राज्यों की सबुध संस्थाओं और निकायों के साथ मिलकर इनके कार्य करने की नेटवर्क व्यवस्था का समग्र अवलोकन करना था। अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार थे : श्री ई० अल्काज़ी, प्रो० गुलाम शेख, डा० प्रेम लता शर्मा, प्रो० इन्दिरा पार्थसारथी, श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, श्री के० बी० रामनाथन। श्री एम० वी० रामकृष्णन समिति के सदस्य सचिव थे।

3. इस रिपोर्ट में नौ अध्याय हैं। प्रथम परिचयात्मक अध्याय में इस समिति के गठन की पृष्ठभूमि से आरम्भ करते हुए, स्वायत संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए इससे पहले गठित दो समितियों, भाभा और खोसला समितियों, का भी उल्लेख किया गया है। "इंडियन सोसाइटी, एन एप्रोच टू कल्चर, आर्ट्स एंड वैल्यूज़" नामक द्वितीय अध्याय में, समित ने संस्कृति के संवर्धन में राज्य की भूमिका के विशिष्ट संदर्भ में संस्कृति और रचनात्मकता जैसे विभिन्न शब्दों के संकल्पनात्मक और अर्थपदक पहलुओं पर विचार किया है। यह अध्याय भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत और विरासत से शुरू करके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य विषयों पर एक अन्य अध्याय में समिति ने इन संस्थाओं के प्रभाव और परस्पर तालमेल, अनुदान, प्रशासन और संस्कृति तथा शिक्षा के मध्य अनिवार्य संबंधों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके बाद साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियों तथा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर विशेष अध्याय हैं।

4. विशेष सिफारिशें करने से पूर्व समिति ने एक पूरे अध्याय में अपने विचारों के निष्कर्ष दिए हैं। ये कला और संस्कृति के प्रति संकल्पनात्मक दृष्टिकोण, संस्कृति को जन-सामान्य तक पहुंचाने और शिक्षा तथा संस्कृति में अलगाव जैसे मुख्य मुद्दों से संबंधित हैं। इस अध्याय में संस्कृति और सृजनात्मकता के क्षेत्र में राज्य की भूमिका जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं और उनके काफी सही-सही उत्तर देने के प्रयास किए गए हैं।

5. हक्सर समिति ने समग्र रूप से अपनी राय व्यक्त करते हुए यह माना है कि "तीनों अकादमियों ने अच्छा काम किया है किन्तु वे और भी अच्छा काम कर सकती थीं"। उन्होंने अकादमियों का पहला उद्देश्य ललित कलाओं और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रसार की प्रक्रिया में सहायता देने के रूप में परिभाषित किया है। इन संस्थाओं की आर्थिक कठिनाइयों के साथ-साथ इन संस्थाओं के अध्यक्ष-पदों पर सर्वाधिक प्रतिष्ठित विद्वानों की नियुक्ति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। वित्त पोषण पर चर्चा करते हुए हक्सर समिति ने सार्वजनिक धन को एक ऐसे वातावरण के निर्माण में लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें कलात्मक व्यवसाय अधिक सरल और लाभप्रद हो सकें।

6. हक्सर समिति ने अलग-अलग अनुक्रम में 22 परिशिष्टों में कला और संस्कृति पर केन्द्रीय और राज्य व्यय, साहित्य अकादमी द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाओं, केन्द्र और राज्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों का संग्रह और समीक्षाधीन चारों संस्थाओं की स्टाफ संख्या जैसे विषयों पर मूल्यवान सूचना संकलित की है। एक परिशिष्ट में विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के 900 से अधिक उन प्रख्यात व्यक्तियों की सूची दी गई है जिनसे 18 शहरों में समिति ने साक्षात्कार किया।

7. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की आलोचनात्मक समीक्षा करते समय समिति ने अनुभव किया कि इन केन्द्रों की स्थापना सुविचारित नहीं थी। समिति के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा प्रयासों के दोहरेपन की संभावना और उनके लिए प्रदान किए जा रहे धन की मात्रा था, जो सांस्कृतिक संगठनों के बीच धन के समान वितरण संबंधी मानदंडों के विरुद्ध है। लोक तथा आदिवासी प्रदर्शनों में हुई अत्यन्त वृद्धि का उल्लेख करते समय समिति ने आग्रह किया है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को प्रामाणिक लोक कला स्वरूपों का प्रलेखन तथा प्रसार करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के एक पर्याप्त भाग को बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अलग से रख दिया जाना चाहिए। उन्होंने सिफारिश की है कि इन केन्द्रों को राज्यों और केन्द्र में सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ अपेक्षतया घनिष्ठ संबंध विकसित करने चाहिए।

इस बात को स्वीकार करते हुए कि उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अधिकार है, समिति ने यह महसूस किया है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की अपनी ऐसी सत्ता बन गई है कि उनके अस्तित्व को पहले ही स्वीकार किया जाने लगा है।

8 वित्त तथा स्वायत्ता संबंधी दूरगामी सिफारिशों में, समिति ने सापेक्ष संदर्भ में सांस्कृतिक कार्यकलापों के आंशिक भाग का उल्लेख किया है। इसका सरकार के समस्त खर्चे में संस्कृति पर होने वाले आनुपातिक खर्च के रूप में विशेष उल्लेख किया गया था, जो एक प्रतिशत का दसवां भाग है। यह बात राज्यों में संस्कृति के लिए किए गए बजट प्रावधान की प्रतिशतताओं के मामले में भी सही थी। अतः समिति ने सांस्कृतिक संस्थाओं को और अधिक धन तथा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए और अधिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया है।

9. उत्सवों में हुई वृद्धि के संदर्भ में हक्सर समिति ने देश के अन्दर सांस्कृतिक बेतुकेपन के अविवेकपूर्ण उन्माद का उल्लेख किया है। समिति का यह विचार है कि इससे संस्कृति को कोई सहायता नहीं मिलती और इस बात का आग्रह किया है कि एक उचित वातावरण में प्रदर्शन-कलाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाए। समिति ने वृहद्ध प्रभावशाली उत्सवों के महत्व के संबंध में भी, चाहे वे देश में आयोजित किए जाएं अथवा देश के बाहर, गहरी आपत्ति व्यक्त की है। लोक कलाओं को प्रदर्शित करने के विषय पर समिति ने उन्हें धार्मिक अथवा सामाजिक उत्कृष्टता की दृष्टि से आंकने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथापि, समिति ने यह स्वीकार किया है कि परिवर्तन की प्रक्रिया ने लोक कलाकारों की जीवन-पद्धति को प्रभावित किया है और इसके व्यापक महत्व को समझने के लिए इन कलाओं को परिष्कृत स्वरूपों में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र का पुनर्गठन

1735. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त परामर्श-दात्री तंत्र के गठन के पश्चात् अनेक नई यूनियनों के बन जाने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र का राष्ट्रीय तथा अन्य स्तरों पर पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में यूनियनों/एसोसिएशनों को शामिल करने के लिए इनकी सदस्यता की जांच हेतु कोई नियम/पद्धति निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के प्रयोजनों के लिए सभी मान्यता प्राप्त ऐसोसिएशनों/यूनियनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ख) और (ग) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र में प्रवेश के लिए सत्यापन के कोई अलग से मार्ग-दर्शी सिद्धान्त नहीं हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाएं

1736. श्री बबनराव ढाकणे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाएं स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में ऐसी कितनी संस्थाएं खोली जाएंगी और इन संस्थाओं में किस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे ;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इस बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० जी०के० मेनन) : (क) से (ग) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास तथा प्रशिक्षण नीति (1986) के अन्तर्गत भुवनेश्वर (उड़ीसा), दिल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तथा पुणे (महाराष्ट्र) में चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी

संस्थानों (आई०आई०आई०टी०) की स्थापना करने का प्रस्ताव था। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० आई; टी०) की स्थापना की दिशा में प्रारम्भिक आधारभूत कार्य कर लिए गए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना में होने वाले भारी पूंजीनिवेश तथा इसके लिए सुस्पष्ट दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने इन संस्थानों के उद्देश्यों, उनकी प्रभाव सीमा, भौगोलिक स्थिति तथा प्रशासन के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों तथा सूचना-विज्ञान और संबद्ध विषयों के कार्यान्वयन एवं अनुप्रयोग के क्षेत्रों में कार्यरत कुछ चुनिन्दा व्यक्तियों के विचार आमंत्रित किए थे। उनके विचार प्राप्त हो गए हैं। इन पहलुओं पर विचार-साम्य और उनमें एकरूपता लाने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें इन संस्थानों की स्थापना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सिफारिशों की और अ गे जांच की जा रही है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० आई० टी०) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सूचना-विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र तथा इसके अनुप्रयोगों के व्यापक क्षेत्र के लिए विशेषज्ञता और जनशक्ति का विकास करना है।

इन केन्द्रों में जिन पाठ्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है, वे अन्तः विषयी स्वरूप के हैं, अर्थात् वे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित हैं।

इस मामले पर उड़ीसा सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई है और वे इसमें भाग लेने तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं। इस योजना का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद अन्य राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का वित्त-पोषण

1737. **श्री नाथू सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाता था ;

(ख) क्या सरकार योजना परिव्यय के वित्तपोषण के मामले में ऋणों और घाटे पर अधिक निर्भर रहती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तपोषण के इन स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिए कोई नीति निर्धारित कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) छठी योजना के दौरान कुल योजना परिव्ययों में बाजार-ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था का हिस्सा 25.1 प्रतिशत था, यथा-नियोजित सातवीं योजना में इसे कम करके 24.8 प्रतिशत किया गया, परन्तु ऋणों और घाटे की वित्त व्यवस्था पर वास्तविक निर्भरता सातवीं योजना में छठी योजना की तुलना में अधिक रही।

विवरण

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्ययों की वित्त व्यवस्था की पद्धति

करोड़ रु०

क्र० सं०	मदें	छठी योजना		सातवीं योजना	
		1979-80 की कीमतों पर मूल	नवीनतम आकलन (वर्तमान कीमतें)	1984-85 की कीमतों पर मूल	नवीनतम आकलन (वर्तमान कीमतें)
1	2	3	4	5	6
1.	चालू राजस्व से अधिशेष	14478	1893	(—)5249	(—)14594
2.	सार्वजनिक उद्यमों का योगदान	9395	5810	35485	24394
3.	बाजार ऋण (निवल)	19500	22120	30562	51659
4.	छोटी बचतें	6463	9912	17916	20395
5.	भविष्य निधि	3702	3956	7327	10759
6.	वित्तीय संस्थाओं से मियादी ऋण	2722	2582	4639	5743
7.	विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	4009	7365	12618	29529
8.	अतिरिक्त संसाधन संग्रहण	21302	329702	44702	42538
9.	विदेशों से निवल पूंजी प्रवाह	9929	8529	18000	19912
10.	विदेशों मुद्रा संग्रह से आहरण	1000	—	—	—
11.	घाटे की वित्त व्यवस्था	5000	15684	14000	34669
12.	कुल संसाधन	97500	110821	180000	225004

अनंतिम ; 1989-90 के लिए वार्षिक योजना के आकलनों सहित

(ग) ऋणों और घाटे की वित्त व्यवस्था पर अधिक निर्भरता प्राथमिक रूप से चालू राजस्व के अधिशेष में अत्याधिक कमी और सरकारी उद्यमों से वस्तुतः न्यून अतिरेक के कारण रही।

(घ) आठवीं योजना तैयार की जा रही है। आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों में से एक यह है कि ऋणों (स्वदेशी और विदेशी) पर निर्भरता को कम किया जाए।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश

[हिन्दी]

1738. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में किया गया प्रति व्यक्ति केन्द्रीय पूंजी निवेश कितना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य के विकास के लिए आठवीं योजना में प्रति व्यक्ति कितनी राशि का निवेश करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री भानेष गोवर्धन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए 1879.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के आवंटन सहित 7000 करोड़ रुपये के सकल परिव्यय के बारे में सहमति हुई थी। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र देश के लिए केन्द्रीय योजना निवेश निर्धारित किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को पार कर जाती हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का लाभ भी समस्त देश में वितरित होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार केन्द्रीय निवेश से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1985—86 (वास्तविक आंकड़े), 1986-87 (स० अ०) और 1987-88 (ब० अ०) के संबंध में केन्द्रीय योजना के राज्यवार व्यय के आकलन मंत्रालयों के साथ परामर्श से तैयार किए गए हैं और संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं ।

(ग) आठवीं योजना के दौरान प्रति व्यक्ति निवेश का पता, आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने से संबंधित की जा रही कार्रवाइयों से चलेगा और उसे योजना दस्तावेज में समाविष्ट किया जायेगा ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान केन्द्रीय योजना व्यय और इसके प्रति व्यक्ति राज्यवार वितरण

केन्द्रीय योजना व्यय (करोड़ रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि	प्रतिशत	प्रति व्यक्ति व्यय
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	5404.57	9.37	1010.2
2. असम	2190.07	3.80	1100.5
3. बिहार	4162.40	7.22	595.5
4. गुजरात	3130.33	5.43	918.0

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	618.63	1.07	479.6
6.	हिमाचल प्रदेश	368.46	0.64	856.9
7.	जम्मू व कश्मीर	501.58	0.87	836.0
8.	कर्नाटक	1999.47	3.47	538.9
9.	केरल	1346.22	2.33	527.9
10.	मध्य प्रदेश	4710.56	8.17	902.4
11.	महाराष्ट्र	4901.16	8.50	780.4
12.	मणिपुर	125.20	0.22	894.3
13.	मेघालय	71.01	0.12	546.2
14.	नागालैंड	87.92	0.15	1099.0
15.	उड़ीसा	2855.08	4.95	1081.5
16.	पंजाब	656.67	1.14	390.9
17.	राजस्थान	1675.35	2.91	488.4
18.	सिक्किम	34.47	0.06	1149.0
19.	तमिलनाडु	3167.09	5.49	654.4
20.	त्रिपुरा	315.93	0.23	647.3
21.	उत्तर प्रदेश	4302.20	7.46	388.0
22.	पश्चिम बंगाल	3480.04	6.04	637.4
23.	कुल राज्य	45924.41	79.64	680.0
		संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30.21	0.05	1510.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	50.69	0.09	844.8
3.	चंडीगढ़	52.86	0.09	1057.2
4.	दादर व नागर हवेली	3.65	0.01	365.0
5.	दिल्ली	1170.95	2.03	1888.6
6.	गोवा, दमन और द्वीप	162.04	0.28	1473.1
7.	लक्षद्वीप	4.04	0.01	1010.0

1	2	3	4	5
8.	मिजोरम	30.13	0.05	602.6
9.	पांडिचेरी	30.63	0.05	510.5
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1535.20	2.66	1582.7
	अनावंटित	10204.26	17.70	
	कुल राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	57663.8	100.00	841.6

टिप्पणी : (1) अनावंटित राशि (10204 करोड़ रु०) में पैट्रोलियम क्षेत्रक में 5500 करोड़ रुपये के अपवटीय और अन्य निवेश शामिल हैं।

(2) छठी योजना के दौरान कुल केन्द्रीय योजना व्यय 57800 करोड़ रुपये का था। विवरण में उपलब्ध ब्यौरा (अनावंटित भाग सहित) 57664 करोड़ रुपये के बारे में है।

(3) चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार आयोजन या हिसाब नहीं रखा जाता इसलिए इन ब्यौरों को तैयार करने के लिए कुछ कल्पनाएं की गई हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रयत्न के आधार के लिए ये यथासंभव सर्वोत्तम कल्पनाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता निश्चय ही सीमित प्रकार की है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(क) नई लाइनों, गैज परिवर्तन तथा विद्युतीकरण पर रेलवे का निवेश का राज्यवार ब्यौरा, प्रत्येक राज्य में पूरी की गई लगभग लम्बाई पर आधारित है।

(ख) रेलवे की योजना का शेष 80 प्रतिशत भाग प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले रूट कि० मी० के आधार पर विभिन्न राज्यों को आवंटित किया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य में, वायुयान उतरने की संख्या के आधार पर वायुयानों (नागर उड्डयन योजना) के क्रय पर होने वाले व्यय का आवंटन किया गया है।

(घ) चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों द्वारा संभाले जाने वाले यातायात के आधार पर, इन हवाई अड्डों को वायुयानों के अधिग्रहण के संबंध में एयर इंडिया का व्यय आवंटित किया गया है।

(ङ) नौवहन के संबंध में, प्रत्येक समुद्रवर्ती राज्य में प्रमुख पत्तनों द्वारा अर्जित यातायात आय के आधार पर राज्यवार आवंटन किया गया है।

(4) चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशतः उन क्षेत्रों में किया गया है जहां आवश्यक आर्थिक संघटक इष्टतम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन के लक्ष्य की केवल सीमित प्रासंगिकता ही हो सकती है।

(5) आवास तथा शहरी विकास में केवल छः स्कीमों के लिए ही प्रावधान है। हुडको के लिए 50 करोड़ रु० का कुल योजना परिव्यय था। वास्तविक रूप में रिलीज की गई धनराशि 675.87 करोड़ रु० थी। ऐसा हुडको द्वारा बाजार ऋण लिए जाने के कारण हुआ।

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा 1985-86 से 1987-88 तक

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान 1985-86	बजट अनुमान 1986-87	तीन वर्षों का जोड़ 1987-88	तीन वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	2105.90 (13.07)	2156.22 (11.23)	2321.37 (11.44)	6583.49 (11.84)	1230.56
अरुणाचल प्रदेश	15.97 (0.10)	28.62 (0.15)	54.49 (0.27)	99.08 (0.18)	1651.33
असम	713.69 (4.43)	621.80 (3.24)	730.50 (3.60)	2065.99 (3.72)	1038.19
बिहार	1133.68 (7.04)	1384.45 (7.21)	1393.82 (6.78)	3911.95 (7.04)	559.75
गुजरात	2109.99 (6.89)	1573.98 (8.20)	1585.63 (7.81)	4269.60 (7.68)	1252.08
हरियाणा	253.14 (1 57)	249.46 (1.30)	329.64 (1.62)	832.24 (1.50)	645.15
हिमाचल प्रदेश	200.71 (1.25)	298.54 (1.56)	325.79 (1.61)	825.04 (1.48)	1918.70
जम्मू व कश्मीर	197.11 (1.22)	167.02 (0.87)	230.64 (1.14)	594.77 (1.07)	991.28
कर्नाटक	558.13 (3.47)	687.32 (3.58)	809.89 (3.99)	2055.34 (3·70)	554.00
केरल	441.61 (2.74)	529.34 (2.76)	531.66 (2.62)	1502.61 (2.70)	589.26

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	1976.29	2508.83	1895.79	6380.91	1222.40
	(12.27)	(13.07)	(9.34)	(11.48)	
महाराष्ट्र	1302.28	1522.80	2020.66	4845.74	771.61
	(8.09)	(7.93)	(9.95)	(8.72)	
मणिपुर	34.33	50.21	69.04	153.58	1097.00
	(0.21)	(0.26)	(0.34)	(0.28)	
मेघालय	24.50	26.49	34.36	85.35	656.54
	(0.15)	(0.14)	(0.17)	(0.15)	
मिजोरम	13.38	22.13	16.45	51.96	1039.20
	(0.08)	(0.12)	(0.08)	(0.09)	
नागालैंड	27.60	30.08	55.46	113.14	1414.25
	(0.17)	(0.16)	(0.27)	(0.20)	
उड़ीसा	1176.75	951.76	1126.29	3254.80	11232.88
	(7.31)	(4.96)	(5.55)	(5.85)	
पंजाब	254.87	326.03	473.79	1054.69	627.79
	(1.58)	(1.70)	(2.33)	(1.90)	
राजस्थान	532.23	648.12	773.42	1953.77	569.61
	(3.30)	(3.38)	(3.81)	(3.51)	
सिक्किम	7.16	7.62	34.56	49.34	1644.67
	(0.04)	(0.04)	(0.17)	(0.09)	
त्रिपुरा	56.82	54.75	58.23	169.80	908.57
	(0.35)	(0.29)	(0.29)	(0.31)	
उत्तर प्रदेश	1702.30	2568.40	2452.45	6723.15	606.24
	(10.57)	(13.38)	(12.08)	(12.09)	
पश्चिम बंगाल	974.70	1234.13	1288.73	3497.56	640.58
	(6.05)	(6.43)	(6.35)	(6.29)	
तमिलनाडु	827.80	964.75	1069.64	2862.19	591.36
	(5.14)	(5.03)	(5.27)	(5.15)	
जोड़ राज्य	15640.94	18612.85	19682.30	53936.09	

1	2	3	4	5	6
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16.62 (0.10)	63.62 (0.33)	18.63 (0.09)	98,87 (0.18)	4943.50
चंडीगढ़	13.50 (0.08)	12.19 (0.06)	11.58 (0.06)	37.27 (0.07)	745.40
दादर व नगर हवेली	1.79 (0.01)	2.10 (0 01)	1.70 (0.01)	5.59 (0.01)	559.00
दिल्ली	366.14 (2.27)	442.38 (2.30)	528.19 (2.60)	1336.71 (2.40)	2155.98
गोवा, दमन व दीव	56.58 (0.35)	53.10 (0.28)	39.42 (0.19)	149.10 (0.27)	1353.45
लक्षद्वीप	1.69 (0.01)	2.43 (0.01)	9.29 (0.05)	13.41 (0.02)	3352.50
पांडिचेरी	7.64 (0.05)	9.74 (0.05)	7.00 (0.03)	24.38 (0.04)	406.33
जोड़ (स.रा.क्षेत्र)	463.96	585.56	615.81	1665.33	
कुल आवंटन योग्य राशि	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42	—
अनावंटन योग्य राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83	—
कुल जोड़	19108 48	(क) 23666.23	(ख) 25275.54	(ग) 68050.25	993.14

नोट : कोष्ठकों में आंकड़े कुल आवंटन योग्य राशि के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

जनसंख्या का स्रोत : सांख्यिकी सार, भारत 1986।

1981 जनसंख्या (करोड़ों में) दो अंकों में पूर्णांकित।

पाद-टिप्पणी

(क) "ग्रामीण विकास" के संबंध में वास्तविक व्यय (1985-86) के आंकड़े भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा दिये गये थे।

(ख) कुल जोड़ में :

(1) "संचार" के लिए वर्ष 1986-87 के वास्तविक व्यय; और

(2) ग्रामीण विकास पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के वर्ष 1986-87 के संशोधित अनुमान-शामिल हैं।

(ग) कुल जोड़ में :

(1) "संचार" के लिये वर्ष 1987-88 के संशोधित अनुमान; और

(2) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के वर्ष 1987-88 के बजट अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी

चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार नियोजन या हिसाब नहीं लगाया जाता इसलिए ये ब्यौरे तैयार करने में कुछ कल्पनाएं की गई हैं। इस प्रकार के प्रयोग के लिए आधारस्वरूप ये कल्पनाएं यथासंभव सर्वोत्तम प्रतीत होती है। परन्तु उनकी प्रामाणिकता निश्चित ही एक समिति स्वरूप की है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(1) रेलवे के मामले में जहां चालू स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण भाग है, वहां वितरण का अनुमान किसी राज्य विशेष से गुजरने वाले ट्रैफिक के रूट/कि०मी० के आधार पर लगाया जाता है।

(2) उसी प्रकार विमानन के संबंध में जहां "एअर" क्राफ्टों के लिए भारी राशि की आवश्यकता होती है, वितरण का आकलन किसी राज्य विशेष के क्षेत्र में उतरने वाले एअर क्राफ्टों की संख्या के हिसाब से किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं के व्यय के ब्यौरे का आकलन सर्किलवार किया जाता है।

चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश प्राय: उन्हीं क्षेत्रों में है जहां आवश्यक आर्थिक घटकों की इष्टतम उपलब्धता हो अत: ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य सीमित रूप से ही संगत हो सकता है।

स्काउट आंदोलन

[अनुवाद]

1739. श्री एम० रमन्ना राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्काउट आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्काउट आंदोलन के लिये कोई धनराशि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) पेरिस में हुए 32वें विश्व सम्मेलन में भारतीय स्काउट आंदोलन का किस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) स्काउट आंदोलन को प्रोत्साहित करने के विचार से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग प्रशासनिक खर्च के लिए तथा कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए भारत स्काउट और गाइड तथा अखिल भारतीय बाल स्काउट संघ को वित्तीय सहायता देता रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 106.89 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

(घ) भारतीय स्काउट आंदोलन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय आयुक्त सरदार लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय शिष्टमंडल द्वारा किया गया था।

केरल-तमिलनाडु सीमा पर भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1740. श्रीमती बालवराजेश्वरी :

श्री टी० बशीर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जुलाई, 1990 को भारतीय वायुसेना का एक विमान जिसमें पांच व्यक्ति सवार थे, केरल-तमिलनाडु की सीमा पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के कारणों की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच के नतीजों की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में सायंकालीन कक्षाएं

1741. श्री आर० एन० राकेश :

श्री माणिक राव होडल्या-पाटील :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली में किन-किन कालेजों में सायंकालीन कक्षाएं लगती हैं;

(ख) क्या स्नातक-पूर्व कक्षाओं में दाखिला लेने वाले छात्रों की बढ़ती हुई संख्या की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी कालेजों में सायंकालीन कक्षाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उन कालेजों के नाम, जिनमें इस समय सायंकालीन पारी चल रही है, निम्नलिखित हैं :

1. देश बन्धु कालेज
2. दयाल सिंह कालेज
3. मोतीलाल नेहरू कालेज
4. पी० जी० डी० ए० वी० कालेज

5. सत्यवती सह शिक्षा कालेज

6. शहीद भगत सिंह कालेज

7. राम लाल आनन्द कालेज

8. एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज

9. श्री अरविन्द कालेज

10. श्यामलाल कालेज

11. जाकिर हुसैन कालेज

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्तर तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

1742. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्तर तक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस निर्देश को अब तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) पूरे देश में इस निर्देश को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसे कब तक पूरी तरह कार्यान्वित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक दिशा निर्देश के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों ने उनके द्वारा चलाये जा रहे सभी स्कूलों में अपर प्राइमरी स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क कर दी गई है।

प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये चौदह राज्यों और चार संघ शासित प्रदेशों ने विधान बना लिए हैं। 11 राज्यों और तीन संघ शासित प्रदेशों की इसी प्रकार के विधान अभी पारित करने हैं। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सभी राज्य सरकारें स्कूली सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक प्रावधान करने के लिये उपाय कर रही हैं और ऐसे कार्यक्रम प्रदान कर रही हैं जो बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोप्रेरित करेंगे।

इनमें से मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) (300 अनु० जा० और अनु० ज० जा० के मामले में 200) वाली सभी बस्तियों से एक कि० मी० की पैदल दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान।

(2) स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले तथा उन लड़कियों के लिए जो पूरे दिन के स्कूलों में नहीं जा सकती कामकाजी बच्चों और बिना स्कूलों की बस्तियों के बच्चों के लिए अंशकालिक गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रावधान।

(3) सामाजार्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए प्रेरणाओं का प्रावधान नि:शुल्क वर्दीयां नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्तियां और मध्याह्न भोजन जैसी राज्य सरकारों द्वारा प्रदान कुछ प्रेरक योजनाएं हैं।

(4) स्थानीय समुदाय की सहभागिता और शिक्षा का विकेन्द्रीकरण।

(5) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के गठन जैसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के जरिये स्कूल की स्थितियों में सुविधाओं का सुधार।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर विचार करने के लिये एक कमेटी गठित की गई है। यह आशा की जाती है कि यह इस संबंध में भी सिफारिशें करेगी।

विवरण

ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम, जिनके अनिवार्य शिक्षा के लिए विधान नहीं है

1. अरूणाचल प्रदेश
2. हिमाचल प्रदेश
3. गोवा
4. मणिपुर
5. मेघालय
6. मिजोरम
7. नागालैण्ड
8. उड़ीसा
9. सिक्किम
10. त्रिपुरा
11. उत्तर प्रदेश
12. दादरा व नगर हवेली
13. दमन और द्वीव
14. लक्षद्वीप।

प्रतिभा-पलायन

1743. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985 से 1990 में अब तक, गत पांच वर्षों के दौरान, सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य कालेजों के, विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध कितने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र विदेश गये और वहीं बस गये;

(ख) वर्ष 1985 से 1989 तक, गत चार वर्षों के दौरान सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारत के सभी इंजीनियरिंग कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग से सम्बद्ध छात्रों को शिक्षा देने वाले कितने प्रोफेसरों और लैक्चरारों ने त्यागपत्र दिया और विदेशों में बसने को चले गये;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरिंग कर्मियों के विदेश जाने पर नियंत्रण लगाने की कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या वर्तमान सरकार का भारतीय प्रतिभाओं के पलायन को रोकने और उन्हें देश में ही उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूरी स्थिति की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता): (क) से (च) भा० प्रौ० संस्थान की समीक्षा समिति जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, की रिपोर्ट के मुताबिक औसतन 20% आई० आई० टी० स्नातक उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। यदि सम्पूर्ण तकनीकी शिक्षा पद्धति पर विचार किया जाए तो विदेश जाने वाले इंजीनियरी स्नातकों की संख्या वर्ष में कुल उत्तीर्ण स्नातकों का तीन प्रतिशत से कम होती है। संकायों में यह अनुमान लगाया गया है कि औसतन 2-3 व्यक्ति प्रत्येक आई० आई० टी० से प्रत्येक वर्ष विदेश में रोजगार के लिए देश छोड़ कर चले जाते हैं। जहां तक दूसरे इंजीनियरी कालेजों का संबंध है, यह संख्या नगण्य होती है। विदेशों में बस गए भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को वापस अपने देश बुलाने के लिए कई उपाए किए गए हैं। इनमें वैज्ञानिकों के पूल की योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का अस्थायी नियोजन, अतिरिक्त पदों का सृजन, विदेश से लौटे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों द्वारा उपस्करों का आयात करने के लिए सुविधाएं, वैज्ञानिक संस्थाओं को संवर्धित प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्रदान करना, प्रवासी राष्ट्रिकों के माध्यम से तकनीकी जानकारी के स्थानान्तरण की योजना आदि शामिल है।

भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान की समीक्षा समिति ने मेधावी छात्रों के लिए सचेतन वृत्तिका विकास की आयोजना और प्रौद्योगिकी मिशन तथा ग्रामीण विकास योजनाओं में उनकी सहभागिता की सिफारिश की है। इस स्थिति को सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

1744. श्री राघवजी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक जिला मुख्यालय अथवा जिले में जहां पर अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं खोले जा सके और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई वैकल्पिक योजना तैयार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में स्रोतों की उपलब्धता तथा निर्धारित प्रायोजित एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर खोले जाते हैं, जबकि नवोदय विद्यालय योजना में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक, उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रत्येक जिले में एक, औसत के आधार पर, नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। ये दो अलग-अलग योजनाएं हैं और वे एक-दूसरे का पूरक नहीं हैं।

(ग) मध्य प्रदेश के उन जिले की एक सूची जहां वित्तीय अभावों के कारण नवोदय विद्यालय नहीं खोले जा सके, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

मध्य प्रदेश के उन जिलों की सूची जहां नवोदय विद्यालय नहीं खोले जा सके

क्रम संख्या	जिले का नाम
1.	बालाघाट
2.	बस्तर
3.	बेतुल
4.	भोपाल
5.	छिन्दवाड़ा
6.	ग्वालियर
7.	खण्डवा
8.	मण्डला
9.	रायसेन
10.	सयगढ़
11.	रतलाम
12.	रीवा
13.	सतना
14.	सरगुजा
15.	शाहजापुर
16.	विदिशा
17.	उज्जैन

खनन कार्य से वनों का नष्ट होना

[अनुवाद]

1745. **श्री नकुल नायक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में खदान मालिकों, राष्ट्रीय खनन विकास निगम, उड़ीसा खनन निगम आदि द्वारा खनिजों की खुदाई से वन क्षेत्र बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है;

(ख) क्या खदान मालिकों, राष्ट्रीय खनन विकास निगम, उड़ीसा खनन निगम द्वारा ऐसी भूमि पर, जहां से खनिज पूरी तरह निकाल लिये गये हैं, वनरोपण के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध आरोप

1746. **श्री मान्धाता सिंह :**

श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री रामजी लाल सुमन :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर इस समय विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक पर लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिंचनभाई मेहता) : (क) से (ग) कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य भिन्न-भिन्न प्रकार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा सामना किये जा रहे आरोपों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यथा तिथि के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्रवाही के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	प्रधानाचार्यों के नाम	आरोपों का सार	उनके विरुद्ध की गई जांच का परिणाम तत्सम्बन्धी निष्कर्ष और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई
1	2	3	4
	प्रधानाचार्य ग्रेड-I		
1.	श्री वी० एन० गुप्ता	नामांकन के मामले में कुछ उम्मीदवारों के प्रति अनुचित पक्षपात	चार्ज सीट के उत्तर में उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे हैं, जिसके लिए सी० बी० आई० से निवेदन किया गया है।
2.	श्री जगदीश प्रसाद	नामांकनों में अनियमितताएं, निधियों का दुरुपयोग तथा प्रशासकीय असंगतियां	अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी तथा रिपोर्टिंग अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।
3.	श्री के० डी० सिंह (सेवानिवृत्त)	वित्तीय अनियमितताएं तथा खरीद प्रणाली का उल्लंघन	मौखिक जांच में प्रगति हो रही है।
4.	एम० बी० सिंह	कार्य के प्रति लापरवाही	मौखिक जांच की प्रगति हो रही है।
5.	डॉ० बी० बी० श्रीवास्तव	विद्यालय के ग्रेड डी कर्मचारी से रिश्वत लेना	मौखिक जांच की प्रगति हो रही है।
6.	श्री सत्य देव	खरीदारी में अनियमितताएं	मौखिक जांच की प्रगति हो रही है।
7.	श्री टी० के० सुमन कुमार	एक महिला शिक्षक को अपने साथ होटल में रुकने के लिए मजबूर करना तथा उस से अपने पक्ष में झूटा बयान लेना	न्यायालय द्वारा जांच कार्रवायी रोक दी गयी।

1	2	3	4
8.	श्री ओ० पी० गर्ग	नामांकन में अनियमितताएं	मौखिक जांच में प्रगति हो रही है।
9.	श्री टी० राय	निधियों का दुरुपयोग सम्बन्धियों की नियुक्ति और नामांकन में अनियमितताएं	मौखिक जांच में प्रगति हो रही है।
10.	श्री एम० पी० जोली (सेवानिवृत्त)	निधियों का दुरुपयोग	अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।
11.	श्री एम० पी० जोली (सेवानिवृत्त)	गलत जन्म तिथि देकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।
12.	श्री सन्त यादव	कुछ अध्यापिकाओं के लिए अनुचित पक्षपात	मौखिक जांच चल रही है।
13.	श्री के० डी० त्रिवेदी	निधियों का दुरुपयोग	अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।
14.	श्री ओ० पी० गर्ग	स्कूल भवन की मरम्मत और अनुश्रवण कार्य में अनियमितताएं	मौखिक जांच चल रही है।
15.	श्री एन० बी० नन्दी	फर्नीचर के क्रय में अनियमितताएं	मौखिक जांच चल रही है।
16.	श्री जे० एन० पी० सिन्हा	अपनी पत्नी के नाम से वरीयता कोटे में स्कूटर का आवंटन, निधियों का दुरुपयोग तथा निजी व्यापार में व्यस्त रहना	मौखिक जांच चल रही है।
17.	श्री जे० एन० पी० सिन्हा	अनियमित नियुक्तियां छात्रों के घरों से भोजन मंगाना, बस के लेखों के सही रख	मौखिक जांच चल रही है।

1	2	3	4
		रखाव में असफल, संस्वीकृति के बिना छुट्टी पर होना विद्यालय के लेखों को सही ढंग से न रखना	
18.	श्री जे० एन० पी० सिन्हा	संगठन के आदेशों के पालन न करना, अनुमति के बिना स्थान छोड़ना, प्रधानाचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निभाने में अनियमितताएं	मौखिक जांच चल रही है।
19.	श्री जे० एन० पी० सिन्हा	वित्तीय अनियमितताएं	मौखिक जांच चल रही है।
20.	श्रीमती जे० डी० कश्यप	ग्रुप "ब" कर्मचारियों की नियुक्ति में हेराफेरी	मौखिक जांच चल रही है।
21.	श्री एस० एस० शर्मा	शिक्षा संहिता का उल्लंघन करके अनियमित नियुक्ति/दाखिले अपने पुत्र तथा पुत्री की नियुक्ति	कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश से पूछताछ सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
22.	श्री जी० राम	महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, कोष का अनधिकृत संग्रहण, दाखिला नियमावली का उल्लंघन करके बच्चों के दाखिले, सरकारी स्थिति का दुरुपयोग	अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पूछताछ रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।
23.	श्री एस० डी० अग्रवाल (सेवा निवृत्त)	दाखिलों में अनियमितताएं	मौखिक पूछताछ में प्रगति हो रही है।
24.	श्री यू० के० द्विवेदी	अध्यापिकाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा दाखिलों में अनियमितताएं	सी० सी० एस० (सी०सी०ए०) नियमावली 1965 के नियम 16 के अंतर्गत दोषी

1	2	3	4
			अधिकारी से ज्ञापन का उत्तर प्राप्त कर लिया गया है तथा अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।
25.	श्री के० एस० मूर्ति	नियमों का उल्लंघन करते हुए एक अध्यापक की अनियमित तदर्थ नियुक्ति तथा एक शिक्षक के विरुद्ध पुलिस जांच करवाना	सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियमावली 1965 के नियम 16 के अंतर्गत दोषी अधिकारी से ज्ञापन का उत्तर प्राप्त कर लिया गया है तथा अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।
	प्रधानाचार्य ग्रेड-II		
26.	श्री ए० बी० सिंह	दाखिले में अनियमितताएं तथा कोष का दुरुपयोग	अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।
27.	श्री पी० एन० सूद	आचरण नियमावली का उल्लंघन करके अपनी पत्नी की अनियमित नियुक्ति	अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

विश्वेश्वरैय्या औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय मंगलौर में शौकिया रेडियो आप्रेटरों के प्रवेश पर रोक

1747. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वेश्वरैय्या औद्योगिक और प्रोद्योगिकीय संग्रहालय, बंगलौर द्वारा अन्वेषी रेडियो आप्रेटरों (एच०ए०एम०एस०) के प्रवेश पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एच०ए०एम०एस० ने उपरोक्त संग्रहालय में अपने प्रवेश पर लगी रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं। संग्रहालय (सोमवार को छोड़कर) निर्धारित समय के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहता है।

(ख) (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रतिनियुक्ति का दुरुपयोग

1748. **श्री राम सागर (सैंदपुर)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले और प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले, दोनों ही संगठनों में उपलब्ध पदोन्नति के अवसरों का लाभ उठाने के लिए "प्रतिनियुक्तियों" का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनियुक्ति संबंधी नियमों/आदेशों में यह अनुमत्य है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस व्यवस्था के दुरुपयोग को किस प्रकार रोकने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) से (ग) भर्ती पद्धतियों की एक सुस्थापित पद्धति 'प्रतिनियुक्ति है' । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति को विनियमित करने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं । इस पद्धति के अधीन नियुक्ति तभी की जाती है जब भर्ती नियमों में इसकी व्यवस्था होती है । अत: इस उपबंध के दुरुपयोग की सम्भावना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में तवाघाट-जिप्ती-गुंजी सड़क का निर्माण

[हिन्दी]

1749. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा तवाघाट-जिप्ती-गुंजी तक एक सड़क के निर्माण के बारे में प्रस्तुत किए गए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) केवल तवाघाट से जिप्ती तक की सड़क के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव है ।

(ख) तवाघाट से 32 कि० मी० सड़क में से प्रथम 18 कि० मी० सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है । भूमि के अधिग्रहण करने और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति लेने के पश्चात् ही सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा ।

अतिरिक्त कार्य भत्ता

[अनुवाद]

1750. **श्री लहरू प्रसाद खरोल** :
श्री सी० श्री निवासन :
श्री राम सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सुपरटाइम भत्ते के स्थान पर अतिरिक्त कार्य भत्ता मंजूर करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत चार वर्षों से लम्बित पड़े इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सरकार ने पहले ही सरकारी कार्यालयों में समयोपरि भत्ते की भुगतान प्रणाली को बन्द करने तथा कर्मचारियों की विशेष श्रेणियों को निर्धारित परिस्थितियों के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया है । इस निर्णय को कार्यान्वित किए जाने संबंधी विधियों को, राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष, आपरेशनल स्टाफ की नियुक्ति करने वाले मुख्य मंत्रालयों/विभागों तथा वित्त मंत्रालय के साथ चल रहे परामर्श के कारण अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । इन विधियों को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिए जाने लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय निधियों के उपयोग पर निगरानी

1751. श्री राम कृष्ण कोंताला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय निधियों के उपयोग पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र बनाने का विचार है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार के सामने ऐसा कोई अवसर आया है जिसमें किसी राज्य सरकार ने निधियों के दुर्विनियोग अथवा उसके अन्यत्र प्रयोग के बारे में बताया हो ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानोभाई गोवर्धन) : (क) राज्यों को केन्द्रीय निधियां मुख्य रूप से योजना सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के केन्द्रीय हिस्से और विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रतिपूर्ति योग्य घटक के रूप में उपलब्ध कराई जाती है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों और विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संदर्भ में निधियों पर निगरानी राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा भी रखी जाती है । दूसरी ओर, योजना सहायता राज्य योजना का भाग ही होती है तथा राज्य योजना व्यय पर निगरानी रखना मूलत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो केन्द्रीय सरकार को व्यय की प्रगति के बारे में सूचना देती हैं ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

नये तकनीकी संस्थान खोलना

[हिन्दी]

1752. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण संस्थान के लिए कितने नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने पालीटैक्निक और इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने की संभावना है ;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार के पास इस वर्ष कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ये संस्थान किन-किन राज्यों में खोले जायेंगे और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने संस्थान खोले जायेंगे ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कितने पालिटैक्निक और कितने इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार किया गया है ;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ; और

(च) इस संबंध में इस वर्ष कितना खर्च किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) इस समय संघ सरकार द्वारा नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इंजीनियरी कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों में सामुदायिक पालिटेक्निकों सहित वर्तमान संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कार

1753. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय आविष्कारों के संबंध में कोई जानकारी प्रकाशित करने हेतु एकत्रित की है जो शीघ्र उपलब्ध हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी हां। संलग्न विवरण में सूचीबद्ध सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों की प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित समस्त प्रक्रमों/प्रौद्योगिकियों/आविष्कारों का "एन०आर०डी०सी० प्रोसेसेस" नाम से एक वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन०आर०डी०सी) प्रकाशित करता है। अंतरिक्ष विभाग भी "आई०एन०डी०यू०एस०पी०ए०सी०ई० (इन्डुस्पेस) नाम से एक वार्षिक प्रकाशन निकाल रहा है जिसमें उसी तरह विभाग के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की सूचना दी जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग का संबंधित प्रकाशन "टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रोम न्यूक्लियर रिसर्च" नाम से प्रकाशित किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी०आर०डी० ओ०) द्वारा "एडवांस्ड टेक्नोलॉजीस फोर सिविल एप्लीकेशंस" नाम से एक दस्तावेज वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त उल्लिखित समस्त प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी हुई हैं।

विवरण

(क) **राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन**

1. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आइ०आर०)
2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ)
3. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई०सी०एम०आर०)
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आइ०सी०ए०आर०)
5. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एन्टरप्रिन्योरशिप पार्कस

जबकि समस्त उपरोक्त संगठन अपनी प्रौद्योगिकियां लगातार एन० आर० डी० सी० को सौंपते हैं, लेकिन सी०एस०आइ०आर की कुछ प्रयोगशालाओं ने अपनी प्रौद्योगिकियों के लाईसेंस सीधे देना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अनुसंधान संस्थान

1. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलेपमेंट, नई दिल्ली
2. ऑल इंडिया रेडियो अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
3. दूर संचार अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली
4. सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलूर
5. रेल्वेज रिसर्च, डिजाईन एंड स्टेन्डर्ड ऑरगेनाईजेशन, लखनऊ
6. विदेश संचार सेवाएं, बम्बई
7. केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई
8. नेशनल बिल्डिंग ऑरगेनाईजेशन, नई दिल्ली
9. सेन्ट्रल वाटर एंड पॉवर कमीशन, नई दिल्ली
10. केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
11. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
12. केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान, बंगलूर
13. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेबिल डिसीसेज, नई दिल्ली
14. महाराष्ट्र इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नासिक

(ग) उद्योग अनुसंधान संस्थाएं

1. इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलूर
2. अहमदाबाद टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन, अहमदाबाद
3. साउथ इंडिया टेक्सटाईल इडस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन, कोयम्बतूर
4. टेक्सटाईल एंड एलाईड इंडस्ट्रीज रिसर्च ऑरगेनाईजेशन, बड़ोदरा

(घ) उच्च शिक्षा संस्थान

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
2. श्री चित्रा तिरूनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई०आई०एम०एस०), नई दिल्ली
4. फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज, देहरादून
5. नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर
6. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, बंगलूर
7. आर्मड फोरसेज मैडीकल कालेज, पुणे
8. इडियन स्कूल ऑफ माईन्स एंड एप्लाईड जियोलोजी, धनबाद

9. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता
10. सेंट स्टीफेंस कालेज, दिल्ली

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन

1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
2. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड
3. इंडियन पैट्रोकैमीकल कारपोरेशन लिमिटेड
4. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
5. फर्टीलाईजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
6. हरियाणा इलेक्ट्रोनिक्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन

(च) निजी क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास संगठन/डी० एस० आई० आर० द्वारा मान्यता प्राप्त उद्योगों के अनुसंधान और विकास विभाग

1. अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अतुल, वलसाड़
2. न्यूकेम प्लास्टिक्स लिमिटेड, फरीदाबाद
3. हरबो-कैम इंडस्ट्रीज, बाराबंकी
4. ए०एम०एम० मुरूगप्पा रिसर्च, इंस्टीट्यूट, मद्रास
5. श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली

प्रधान मन्त्री सचिवालय के कर्मचारी

1754. **श्री हर्षवर्धन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वर्षों तक प्रधान मंत्री सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या आदि के संबंध में ब्यौरा बजट कागजों में सम्मिलित किया जाता था;

(ख) क्या इस प्रथा को 1988 में समाप्त कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रधान मंत्री सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की इस समय संख्या कितनी है और इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) प्रधान मंत्री कार्यालय के बजट अनुमान गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल किए जाते हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय में पदों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा अनुदान मांगों के अंतर्गत समेकित रूप में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(घ) इस समय 48 राजपत्रित अधिकारी और 319 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान बजट अनुमानों में प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए 2.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

"संयुक्त अरब अमीरात" के अरबी जहाजों द्वारा गुप्तचरी

[अनुवाद]

1755. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "संयुक्त अरब अमीरात" के अरबी जहाज आधुनिक रडारों और इलेक्ट्रोनिक उपकरण, जो उपग्रह से जुड़े हुए हैं, अरब सागर में भारत के तटीय क्षेत्र में गत कुछ माह से गुप्तचरी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अरब अमीरात के अरबी जहाजों द्वारा गुप्तचरी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) जी, नहीं। सोने तथा चांदी की तस्करी में लगे हुए कुछ जहाजों को हमारे तटरक्षक पोतों ने पकड़ा है। इनमें से कुछ जहाज ऐसे हैं जिनमें बाजार में उपलब्ध आधुनिक रेडार उपग्रह-नौचालन तथा संचार उपकरण लगे हुए हैं।

दिल्ली में पर्यावरण संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले होटल

[हिन्दी]

1756. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कौन-कौन से होटल पर्यावरण संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन रहे कर हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) दिल्ली में पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले होटलों के नाम अशोक होटल, सम्राट होटल, लोदी होटल, रंजीत होटल, कुतुब होटल, अशोक यात्री निवास, हंस प्लाजा, राजदूत होटल और कनिष्क होटल हैं।

(ख) पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

बटेश्वर स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी

1757. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटेश्वर स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर से बहुमूल्य दुर्लभ मूर्तियों की चोरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मूर्तियों को ढूंढने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) स्थानीय पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, आगरा के निकट दिगम्बर जैन मन्दिर, बटेश्वर, जो केन्द्र

द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है, से 19/20 जून, 1990 की रात में पत्थर की तीन मूर्तियां, धातु की छह मूर्तियां और धातु की दो वस्तुएं, जिसमें एक छत्र और एक प्रभा सम्मिलित है, चुराई गई थीं। इनमें से पांच वस्तुओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है और अन्य वस्तुओं के बरामद करने के लिए प्रयास कर रही है।

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में वनों का विनाश

[अनुवाद]

1758. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में वनों के बड़े पैमाने पर विनाश तथा पेड़ों की कटाई के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में किस सीमा तक वनों का विनाश और पेड़ों की कटाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में किन निवारक उपायों पर विचार किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई तट के निकट नीलम तेल क्षेत्रों का विकास

1759. **श्री पी० एम० सईद :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई तट के निकट नीलम तेल क्षेत्रों के विकास के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या इन तेल क्षेत्रों के विकास से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो पर्यावरण पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और क्या सरकार को इसके विरुद्ध लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां, नीलम तेल क्षेत्र विकास परियोजना के एक भाग के रूप में।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। सरकार को इस परियोजना के विरुद्ध लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में टीपू के किले का नवीकरण

1760. **श्री के० मुरली धरन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य के पालघाट जिले में टीपू के किले के नवीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) केरल सरकार ने केरल विधान मंडल के लोक-निर्माण और परिवहन विभागों की विषय-समिति की सिफारिश का सार भेजा है जिसमें पालघाट स्थित टीपू के किले के पुनर्निर्माण की सलाह दी गई है।

(ख) वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार मुख्य संरक्षण-कार्य किए हैं।

मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

1761. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाकवि कालिदास और महान संस्कृत विद्वान बाणभट्ट की स्मृति में मध्य प्रदेश में क्रमशः उज्जैन और रीवा में राष्ट्रीय महत्व के संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

महानगरों में प्रदूषण

1762. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे कस्बों, नगरों और महानगरों के नाम क्या हैं जहां उद्योग/कारखानों की संख्या अधिक है और जहां पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ;

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे स्थानों पर कोई औद्योगिक एकक स्थापित न करने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) बिहार में ऐसे शहरों/जिलों की संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) देश में अधिकांश नगर मुख्यतः घरेलू मलजल, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और उद्योगों से निकलने वाले बहिस्रावों और उत्सर्जनों से प्रदूषित होते हैं।

(ख) बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं और उद्योगों द्वारा इन मानकों को पूरा करना होता है। औद्योगिक इकाइयों के स्थान निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गये हैं।

(ग) बिहार में और विशेषकर धनबाद में अधिकांश औद्योगिक, शहरी व खनन क्षेत्र पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर में आग की घटनाएं

[अनुवाद]

1763. श्री केशरी लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर में आग लगने की कितनी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई;

(ख) आग की इन घटनाओं से अनुमानित कितनी हानि हुई है;

(ग) बार-बार आग लगने के क्या कारण हैं;

(घ) आग लगने की इस प्रकार की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) एक ।

(ख) लगभग 35-40 लाख रुपये ।

(ग) से (च) आग लगने के कारणों का पता लगाने का कार्य एक जांच अदालत को सौंपा गया है । ऐसी दुर्घटनाएं फिर से न हों इसके लिए सभी आयुध डिपुओं में विद्यमान सुरक्षा तथा अग्नि-शामक प्रबंध व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है ।

सांस्कृतिक नीति

1764. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी सांस्कृतिक नीति तय कर रही है, जिससे संस्कृति को सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया जा सके तथा देश के विकास संबंधी प्रयासों में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) नीति तैयार हो जाने और इसे अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ब्यौरे दिए जा सकते हैं । नीति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है ।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र को स्थानांतरित करना

1765. श्री रमेश चेन्नीथाला :

श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की कुछ इकाइयों को त्रिवेन्द्रम से स्थानांतरित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की किसी भी यूनिट को त्रिवेन्द्रम से स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर बेहतर कार्यकुशलता और सुनयता अर्जित करने के लिए तथा न केवल विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से संबद्ध अपितु अन्य इसरो केन्द्रों से भी संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के विस्तार के लिए इसरो के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी०एस०एस०सी०) के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में त्रिवेन्द्रम में नई यूनिटें स्थापित करने की योजना है।

ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यनिष्पादन

1766. **की सुबाम दत्तात्रेय वेशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 से ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है और प्रमुख केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां यह योजना आरम्भ की गई;

(ख) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं और इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; यदि हां; तो इन लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान यह योजना किन नए केन्द्रों में आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 से निम्नलिखित संगठनों के जरिए इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रायोगिक योजना आरम्भ की गई है :

1. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट लि०, जयपुर
2. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ, तमिलनाडु लि०, मद्रास
3. केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, त्रिवेंद्रम
4. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, जयपुर
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा पूंजीनिवेश निगम लि०, चण्डीगढ़
6. पंजाब राज्य इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन तथा विकास निगम लि०, चण्डीगढ़
7. कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर
8. उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, भुवनेश्वर
9. महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, बम्बई
10. पश्चिम बंगाल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, कलकत्ता
11. उ०प्र० पर्वतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लि०, लखनऊ
12. यू० पी० हिल क्वार्ट्ज लि० लखनऊ

13. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, पटना

14. आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, हैदराबाद

15. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०, भोपाल

राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों से प्राप्त प्रायोगिक परियोजनाओं की रिपोर्टों के आधार पर, इस योजना के जरिए रोजगार में हुई वृद्धि लगभग 700 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों द्वारा स्थापित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के जरिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। इन संस्थाओं के सदस्यों (लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों) को ये लाभ प्राप्त होते हैं—रोजगार, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण समाज में व्यापक दृष्टिकोण।

(ग) नए केन्द्र खोलने के बारे में निर्णय इस समीक्षा पर निर्भर करेगा कि वर्तमान योजनाओं के फलस्वरूप हुए कार्यनिष्पादन की प्रगति कैसी है और इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है।

केरल स्थित परमाणु ऊर्जा

1767. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थानों के चयन हेतु एक दल ने केरल की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो दल ने किन स्थलों का दौरा किया था और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग ने दक्षिणी विद्युत के केरल और आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए स्थलों का पता लगाने के वास्ते जिस तकनीकी समिति का किया था, उस समिति ने केरल में उन स्थलों का दौरा किया था जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने सुझाए थे।

(ख) केरल में पांच स्थलों का दौरा किया गया जो इस प्रकार थे—कसारगोड़ जिले में दो, कन्नानौर जिले में एक, एरनाकुलम जिले में एक और पथानमथिट्टा जिले में एक स्थल।

(ग) अंतिम निर्णय लिए जाने में लगने वाले समय के बारे में इस समय बताना समय से पहले की बात होगी क्योंकि परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थलों का चयन स्थल चयन समिति, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, योजना आयोग आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति होने पर निर्भर करेगा। इस संबंध में सरकार का निर्णय परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए बनाई गई रूपरेखा के अनुरूप होना चाहिए। यह रूपरेखा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता और ऊर्जा के स्रोतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ; इसके आलावा साधनों की उपलब्धता को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। जहां तक केरल के स्थलों का प्रश्न है, इस समय यह काम अन्वेषण के चरण में है।

कालेज साइन्स इम्प्रूवमेंट प्रोगाम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सहायता

1768. **श्री ए० विजयराघवन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम संबंधी योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कालेजों की संख्या का विश्वविद्यालयवार ब्योर क्या है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अवर स्नातक स्तर पर विज्ञान विषयों के शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कालेजों को सहायता प्रदान करता है । आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वि० वि० अनुदान आयोग द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कालेजों को दिए गए अनुदान इस प्रकार हैं :—

वर्ष	अनुदान की राशि
1987-88	रु० 22,50,000.00
1988-89	रु० 19,00,000.00
1989-90	रु० 2,00,000.00

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कालेजों के विश्वविद्यालय-वार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) आयोग कार्यक्रम की समीक्षा कर रहा है ।

विवरण

1987-88

विश्वविद्यालय का नाम	अनुमोदित कालेजों की संख्या
1 2	3
1. पंजाब विश्वविद्यालय	2
2. रांची विश्वविद्यालय	1
3. उस्मानिया विश्वविद्यालय	1
4. सेहिलखण्ड विश्वविद्यालय	1
5. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	1
6. आगरा विश्वविद्यालय	1

1	2	3
7.	ककातिया विश्वविद्यालय	2
8.	कालीकट विश्वविद्यालय	1
9.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	1
10.	पंजाबी विश्वविद्यालय	1
11.	मगध विश्वविद्यालय	1
12.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	1
13.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	1
		15
	1988-89	
1.	शिवाजी विश्वविद्यालय	1
2.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	6
3.	पंजाबी विश्वविद्यालय	1
4.	भारथियार विश्वविद्यालय	1
5.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	1
6.	राजस्थान विश्वविद्यालय	1
7.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	1
8.	बिहार विश्वविद्यालय	1
9.	बर्दवान विश्वविद्यालय	1
10.	पंजाब विश्वविद्यालय	1
11.	एम०के०विश्वविद्यालय	1
12.	पूना विश्वविद्यालय	1
		17
	1989-90	
1.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	1
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1
		2

युवा सम्मेलन

1769. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में एक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा भारत में युवा नीति के बारे में क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन ने व्यापक युवा नीति और कार्यवाही कार्यक्रम के प्रतिपादन पर विचार-विमर्श किया। इसमें महत्वपूर्ण सुझाव हैं : राष्ट्रीय युवा नीति के लक्ष्य, राष्ट्रीय युवा आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्षक कार्यक्रम, नेहरू युवा केन्द्रों एन० सी० सी० तथा राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल्यांकन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में एन० एस० एस० सेवाकर्मियों को शामिल करना, राष्ट्रीय एकीकरण, संस्कृति, खेलकूद का संवर्धन, रोजगार/स्वरोजगार अवसरों का सृजन, युवा कार्यकलापों के संवर्धन में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और युवा कार्यक्रमों का समन्वय तथा प्रबंध।

(ग) सुझाव/सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों की पदोन्नति

1770. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोलबाग जोन को छोड़कर प्राथमिक विद्यालयों के नगर निगम के सभी जोनों के शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवावधि पूरी हो जाने के बाद 1400-2600 रुपये के अगले वेतनमान में पदोन्नत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो करोलबाग जोन के शिक्षकों के साथ यह भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें दिल्ली नगर निगम के अन्य जोनों के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं। करोलबाग क्षेत्रों के सभी पात्र शिक्षकों को सीनियर वेतनमान देने के प्रयास जारी हैं। करोलबाग क्षेत्र में 376 शिक्षकों को पहले ही वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नेत्रहीन उम्मीदवारों को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करना

1771. **श्री राम सजीवन** : क्या प्रधान मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में नेत्रहीन उम्मीदवारों को प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति के बारे में 2 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में नेत्रहीन उम्मीदवारों को प्रवक्ता (लेक्चरर) के रूप में नियुक्त करने से संबंधित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स

1772. श्री रामबहादुर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ स्थित सेमी कण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड जोकि देश में सेमीकण्डक्टर की सुविधा की एकमात्र कम्पनी थी, फरवरी, 1989 में एक अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो गई थी;

(ख) क्या उक्त काम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण अभी तक आरंभ नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस काम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण आरंभ किए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य को आरम्भ किए जाने में विलम्ब होने के कारण पुनर्निर्माण की लागत में कितनी वृद्धि हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के अतिरिक्त, देश में सेमीकण्डक्टरों के क्षेत्र में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें अलग-अलग किस्म की तकनीकें तथा सूक्ष्मता और जटिलता के विभिन्न स्तर मौजूद हैं। साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब स्थित सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि० में फरवरी, 1989 में हुई अग्नि दुर्घटना में बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत (एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०) चिप विनिर्माण और साथ ही प्रक्रिया से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्य की सुविधाएं नष्ट हो गई हैं, लेकिन कम्प्यूटर साधित डिजाइन और माड्यूलों तथा उप-प्रणाली से संबंधित सुविधाओं के कुछ अंश को क्षति नहीं पहुंची।

(ख) और (ग) सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि० का पुनर्निर्माण करने का निर्णय किया गया है जिसमें 6 इंची अद्यतन तकनीकी जानकारी से युक्त उत्पादन की सुविधा और संबद्ध अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलाप शुरू करने की सुविधा उपलब्ध होगी। पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि० में बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (वी० एल० एस० आई०) का परीक्षण के तौर पर उत्पादन 30 महीने के अन्दर शुरू होने की संभावना है।

(घ) सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

निरक्षरता उन्मूलन

[हिन्दी]

1773. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे विश्व में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के क्रम में भारत साक्षरता कार्यक्रम का संचालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में शामिल सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के नामों और उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में राज्यवार कितने व्यक्ति साक्षर हैं और कुल जनसंख्या की तुलना में उनका अनुपात क्या है तथा मातृभाषा के जरिए पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन-सी योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) क्या चालू वर्ष के एक पूरे महीने के दौरान सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी दलों को नैनात करके और स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा शिक्षकों की ज्ञान शक्ति का उपयोग करके एक गहन साक्षरता अभियान चलाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) निरक्षरता उन्मूलन के लिए निम्नलिखित सरकारी और गैर-सरकारी संगठन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं ।

(1) ग्रामीण कार्यात्म साक्षरता कार्यक्रम :

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रत्येक सघन और सनिकट क्षेत्र, जो एक या दो से अधिक ब्लाकों में हो सकते हैं, में 300 केन्द्रों की ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की परियोजना प्रारम्भ करने के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं। इस समय 513 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं ।

(2) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को प्रारम्भ करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इस समय 93 विश्वविद्यालय और 1284 महाविद्यालय इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

(3) स्वैच्छिक एजेन्सियां :

पंजीकृत स्वैच्छिक एजेन्सियों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं, जन शिक्षण निलयमों को प्रारम्भ करने और सम्मेलनों/संगोष्ठियों और प्रकाशनों आदि के आयोजन जैसे अन्य कार्यकलापों के आयोजन/प्रारम्भ के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय 628 स्वैच्छिक एजेन्सियों को विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सहायता दी जा रही है।

(4) भूतपूर्व सैनिक :

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में, जहां भूतपूर्व सैनिकों का बाहुल्य है, इन राज्यों में राज्य सैनिक बोर्डों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 44 खण्डों में प्रारम्भ किये जाने वाले 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(5) रेलवे :

9 रेलवे प्रभागों में अपने निरक्षर कर्मचारियों के लाभ के लिए रेलवे इस समय 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यान्वित कर रहा है।

(6) राष्ट्रीय सेवा योजना और गैर-राष्ट्रीय सेवा आयोजना के छात्र :

कार्यात्मक साक्षरता के जन-कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना और गैर-राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना की लगभग आधी स्वीकृति तादाद अब इस कार्यक्रम में सक्रियता से लगी हुई है।

(7) कारागृह प्रबन्ध :

सभी राज्य सरकारों को निरक्षर बन्दियों को कार्यात्मक साक्षरता और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कारागृह प्रबन्ध को सम्मिलित करने की सलाह दी गई थी। 5 राज्यों ने कार्य-योजनाएं तैयार कर ली हैं और 6 राज्य/संघशासित क्षेत्र अपने कुछ जेलों में पहले से ही कक्षाएं चला रहे हैं।

(8) बैंक :

20 राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने निरक्षर ग्राहकों के लाभ के लिए साक्षरता कक्षाएं शुरू करने का अनुरोध किया गया था। साक्षरता कार्य शुरू करने के लिए यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने अपनी सभी शाखाओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(9) अन्य गैर-सरकारी संगठन :

अन्य गैर-सरकारी संगठन जिन्होंने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई हैं, वे हैं, सहकारी समितियां, रोटरी क्लब, लॉयन क्लब, जेसीज़ क्लब और थल, जल और वायुसेना के कल्याण संगठन।

(ग) 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में यह परिकल्पना की गई है कि बोलचाल की भाषा में साक्षरता प्रदान की जाएगी। सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ राज्य संसाधन केन्द्रों से द्विभाषी प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकें तैयार करने का अनुरोध किया गया है ताकि पहले बोलचाल में साक्षरता प्रदान की जाए और बाद के स्तर पर शिक्षार्थी को राज्य की प्रमुख भाषा में स्थानान्तरित किया जाए।

(घ) और (ङ) शिक्षकों, छात्रों, कार्मिकों और युवकों सहित सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने एक "क्षेत्र दृष्टिकोण अर्थात् निर्धारित समय के अन्तर्गत एक संघन क्षेत्र में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन को अपनाने का अनुरोध किया गया है। फिर भी एक महीने के गहन साक्षरता अभियान में इन संगठनों तथा छात्रों और शिक्षकों को भी सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्र० सं०	राज्य/ संघशासित क्षेत्र	विवरण: निरक्षर व्यक्तियों की संख्या	विवरण: अनुपात
1	2	3	4
	भारत*	241,0,31,849	36.23
1.	आंध्र प्रदेश	1,60,34,818	29.94
2.	बिहार	1,83,21,004	26.20
3.	गुजरात	1,48,95,844	43.70
4.	हरियाणा	46,69,898	36.14
5.	हिमाचल प्रदेश	18,18,287	42.48
6.	जम्मू और कश्मीर	15,96,776	26.67
7.	कर्नाटक	1,42,82,717	38.46
8.	केरल	1,79,24,732	70.42
9.	मध्य प्रदेश	1,45,44,568	27.87
10.	महाराष्ट्र	2,96,20,806	47.18
11.	मणिपुर	5,87,618	41.35
12.	मेघालय	4,55,191	34.08
13.	नागालैण्ड	3,29,878	42.57
14.	उड़ीसा	90,27,205	34.23
15.	पंजाब	68,60,349	40.86
16.	राजस्थान	83,54,117	24.38
17.	सिक्किम	1,07,738	34.05
18.	तमिलनाडु	22,6,37,659	46.76
19.	त्रिपुरा	8,64,799	42.12
20.	उत्तर प्रदेश	3,01,03,260	27.16
21.	पश्चिम बंगाल	2,23,44,153	40.94
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	97,321	51.56
23.	अरूणाचल प्रदेश	1,31,333	20.79
24.	चंडीगढ़	2,92,580	64.79
25.	दादरा और नागर हवेली	27,655	26.67
26.	दिल्ली	38,28,326	61.54

1 2	3	4
27. गोवा दमन और दीव	6,15,752	56.66
28. लक्षद्वीप	22,165	55.07
29. मिजोरम	2,95,685	59.88
30. पाण्डिचेरी	3,37,615	55.85

*असम शामिल नहीं है, जहां 1981 की जनगणना के समय अशान्त स्थितियों के कारण जनगणना नहीं करवाई जा सकी थी।

उस क्षेत्र की जनसंख्या शामिल नहीं है जो पाकिस्तान और चीन के गैरकानूनी कब्जे में है और वहां जनगणना नहीं की जा सकी।

पश्चिम बंगाल में कोयला खनन से पर्यावरणीय असंतुलन

[अनुवाद]

1774. **श्री हाराधन राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में "पिट माइन्स" ओपन "ओपन कास्ट प्रोजेक्ट" में कोयला खनन कार्यों से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) "ओपन कास्ट" और "पिट" कोयला खनन कार्यों के फलस्वरूप भूमि अवक्रमण, धसान, वायु और जल प्रदूषण तथा वननाशन आदि होते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू और नयी खानों का पर्यावरणीय प्रबन्ध विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में बजट सम्बन्धी पर्याप्त सहायता का प्रावधान करने के पश्चात पर्यावरणीय कार्य योजनाओं को शामिल करके सुनिश्चित किया जाता है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर

1775. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर में अध्ययन कर रहे आंध्र प्रदेश के अनेक छात्र घाटी में अशांति और कालेज को अनिश्चित काल तक बंद किये जाने के कारण असमंजस की स्थिति में हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन छात्रों को शीघ्र स्थानान्तरण पत्र देकर आंध्र प्रदेश में दाखिला दिलाने में मदद देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) कश्मीर घाटी में लम्बे समय से व्याप्त अशान्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के छात्रों को देश के अन्य इंजीनियरी कालेजों में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से दिनांक 26-6-1990 को यह अनुरोध किया गया था कि वे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में पढ़ने वाले छात्रों को अपने इंजीनियरी कालेजों में खपाएं।

दहानू ताप विद्युत केन्द्र, महाराष्ट्र का निर्माण कार्य रोका जाना

[हिन्दी]

1776. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में दहानू में 500 मेगावाट की क्षमता वाले ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त निर्माण कार्य को पुनः चालू करने का अनुरोध किया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना प्रस्तावक से समादेश याचिका और स्थानीय पर्यावरणीय समूहों के प्रतिवेदन पर निर्णय होने तक निर्माण कार्य रोक देने को कहा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रतिवेदनों में उठाये गये मुद्दों की जांच से केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दहानू में स्थित ताप विद्युत स्टेशन पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य है।

आयुध कारखानों द्वारा लघु उद्योगों से पीतल की छड़ें खरीदना

[अनुवाद]

1777. श्री उदयसिंहराव नानासाहिब गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाने गत कई वर्षों से लघु उद्योगों से नौहरहित धातुएं, विशेषरूप से पीतल की छड़ें खरीदते रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों से पीतल की छड़ें इत्यादि न खरीदने के लिए हाल ही में आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का व्यापक जनहित में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे आदेशों में संशोधन करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) आयुध निर्माणियां पीतल की छड़ों जैसी अलौह धातु की मदों को केवल बड़े तथामध्यम उद्योगों से ही प्राप्त नहीं कर पा रही है बल्कि ऐसी लघु उद्योग इकाइयों से भी इन मदों की खरीद की जा रही है जहां इनके निर्माण की क्षमता स्थापित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दी राज्यों से अंग्रेजी का हटाया जाना

[हिन्दी]

1778. श्री जनार्दन तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हिन्दी भाषा को मजबूत बनाने की दृष्टि से सभी हिन्दी भाषी राज्यों से अंग्रेजी हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अभी भी अंग्रेजी में कार्य किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में, संविधान तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के संबंधित उपबन्ध नीचे उद्धृत किए जाते हैं :

"अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

परन्तु जब तक राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबन्ध, न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।"

इस प्रकार, संविधान में राज्यों को अपनी राजभाषा तय करने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा दखल देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसी अनुच्छेद की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

संसद ने बाद में राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित करके उन भाषाओं का उपबंध किया जो संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी। उक्त अधिनियम की

धारा 3 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए तथा संसद में प्रयोग के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के बने रहने का उपबन्ध किया गया। इस उपबंध के अनुसार, कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अधिनियम की धारा 3(5) में निम्नलिखित उपबन्ध भी किया गया :—

"3(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।"

इस प्रकार, जब तक अहिंदी भाषी राज्यों के विधान मंडल संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने के लिए संकल्प पारित नहीं कर देते और उसके बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित नहीं किया जाता तब तक राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 में उल्लिखित प्रावधान बना रहेगा।

(ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

शिक्षा विभाग में, हिंदी के विकास, प्रोन्नति, प्रचार तथा उसे लोकप्रिय बनाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) अहिंदी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तथा हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता। (दूसरी पंचवर्षीय योजना में, इसके प्रारम्भ से ही इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 25000 हिंदी शिक्षकों को नियुक्त किया गया है और स्कीम के अन्तर्गत 31 हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज लाभान्वित हुए हैं)।

(2) हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति तथा प्रचार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता (अनुमोदित व्यय अनुमानों के 75% की दर से सहायता प्रदान की जाती है)।

(3) भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता (अनुमोदित व्यय अनुमानों के 80% की दर से)।

(4) केन्द्रीय हिंदी संस्थान (जोकि शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है) द्वारा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण।

(5) पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरण के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद (इस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम 200 प्रतियां खरीदी जाती हैं)।

(6) शिक्षा विभाग के अधीन केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम (हर वर्ष लगभग 14,000 छात्रों का नामांकन किया जाता है)।

(7) केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में द्विभाषिक तथा बहुभाषिक शब्दकोशों का निर्माण (20 द्विभाषिक तथा बहुभाषिक शब्दकोश निकाले गये हैं तथा 24 त्रिभाषिक शब्दकोश तैयार किए जा रहे हैं)।

(8) शिक्षा विभाग के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावलियों का संकलन तथा निर्माण (वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विभिन्न शब्दावलियों में 5 लाख से भी अधिक शब्द बनाये गये हैं)।

(9) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना।

(10) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के मार्गदर्शन में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण (इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 9,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं)।

बिहार के जहानाबाद जिले में औद्योगिक सुरक्षा तथा पर्यावरणीय कार्य संस्थान

[अनुवाद]

1779. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, बिहार के जहानाबाद जिले में औद्योगिक सुरक्षा तथा पर्यावरणीय कार्य संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामले पर तभी विचार किया जाएगा जब कभी इसकी आवश्यकता होगी।

हिमाचल प्रदेश में सैनिक छावनी के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

1780. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री हिमाचल प्रदेश में सैनिक छावनी के लिए सर्वेक्षण के बारे में 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4875 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में अब तक आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : यह प्रस्ताव आरम्भिक चरण में है और इसमें कितनी प्रगति हुई है, इस बारे में कोई नई बात ऐसी नहीं हुई है जो उल्लेखनीय हो।

पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी परियोजनाएं

[अनुवाद]

1781. श्री जे० चोक्का राव :

श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा और टिहरी बांध परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से मंजूर कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) जी, हां। नर्मदा और सरदार सरोवर परियोजनाओं को मंजूरी जून, 1987 में दी गई थी, जबकि टिहरी बांध परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी जुलाई, 1990 में दी गई। तीनों परियोजनाओं को स्वीकृत देते समय यह शर्त रखी गई कि विस्तृत पर्यावरणीय कार्ययोजनाएं समयबद्ध तरीके से तैयार की जाएंगी तथा इंजीनियरी कार्यों के समरूप इनका कार्यान्वयन किया जाएगा। ऐसा न करने पर पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1985 के प्रावधान के तहत निर्माण कार्य रोका जा सकता है। नर्मदा परियोजना के लिए निर्धारित आवाह क्षेत्र सुधार, कमान क्षेत्र विकास, विस्थापितों का पुनर्वास, जलजीवों सहित प्राणिजात और वनस्पतिजात का संरक्षण, जलाशय के ढालों की स्थिरता, क्षेत्र की वहन क्षमता तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि पर पर्यावरणीय कार्य योजनाओं के अतिरिक्त टिहरी बांध परियोजना को भी, विशेषरूप से गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की तसल्ली से सुरक्षा पहलू की जांच को सुनिश्चित करने के उपरांत दुर्घटना प्रबंध योजना तैयार करनी है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय

1782. डॉ विजयनायम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े महानगरों में विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रदूषण की जांच करने के बारे में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ख) कारखानों से अधिक मात्रा में धुआं निकलने के कारण पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) महानगरों की गन्दी बस्तियों में रुके हुए मलकुंडों से फैलने वाली दुर्गन्ध पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन सीमा 1 मार्च, 1990 से लागू हो गई है। इस उपाय के फलस्वरूप प्रदूषण स्तरों में कमी होने का अभी अध्ययन किया जाना है।

(ख) केन्द्र सरकार ने देश में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए (वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 नामक दो कानून पास किए हैं। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति लिए बिना कोई व्यक्ति किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं कर सकता है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले अभिनिर्धारित उद्योगों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(ग) घरेलू मलजल के शोधन के लिए महानगरों में निम्नलिखित स्कीमें आरम्भ की गई हैं :—

(1) मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण/उनमें वृद्धि करना।

(2) सीवेज कनवेंस प्रणाली बिछाना, उनकी मरम्मत करना और रख-रखाव करना।

(3) प्रदूषण स्तर कम करने के लिए स्लज टैपिंग स्कीमें।

(4) मलजल को टर्मिनल शोधन संयंत्रों में पंप करने के लिए सीवेज पंपिंग स्टेशन के निर्माण की स्कीमें।

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में वन्य जीव अभयारण्य

1783. **श्री हेमेंद्र सिंह बनेरा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में मेनाल के आसपास एक वन्य जीव अभयारण्य विकसित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में प्रदूषण-रोधी उपाय करके तथा व्यापक वन-रोपण कार्य करके मंडलगढ़ से प्रस्तावित ताप बिजली परियोजना को अन्यत्र ले जाये बिना इसे वहीं विकसित किया जायेगा ;

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा के व्यावसायीकरण की उपलब्धियां

1784. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) शिक्षा के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सिफारिश की गई थी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 1990 तक 10% तथा 1995 तक 25% उच्चतर माध्यमिक छात्र दाखिल किये जायेंगे।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यावसायीकरण योजना फरवरी, 1988 से क्रियान्वित की जा रही है। उपलब्धियां एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं को शामिल करने तथा दाखिले के सम्बंध में कुछ प्रगति हुई है, फिर भी कार्यक्रम के कुछ पहलुओं में पर्याप्त प्रबंध प्रद्धति की स्थापना, शैक्षणिक सामग्री का विकास और लागू किए जा रहे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षकों का प्रशिक्षण जैसी कमियां हैं। सातवीं योजना के अन्त तक 7820 व्यावसायिक कक्षाओं सहित 2478 संस्थानों में 1.९5 लाख विद्यार्थियों के वार्षिक दाखिले के लिए सुविधाएं मंजूर की गयी हैं। सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम तथा रेल मंत्रालय के साथ रोजगार संबंधों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के साथ इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे मंत्रालयों के साथ भी वार्तालाप शुरू की गयी है।

(ग) स्कूली शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों का दायित्व है। फिर भी, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को कार्यक्रम का प्रसार करने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये समय-समय पर उन्हें अनुदेश/मार्गदर्शी रूपरेखाएं प्रदान की जाती हैं। + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिये राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता देने के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान 84.20 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया गया है।

उर्दू भाषा में सुधार

1785. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू भाषा में सुधार लाने के लिये गठित गुजराल समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह आशा की जाती है कि समिति 19 सितम्बर, 1990 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

महात्मा गांधी पार्क, कानपुर में रक्षा-विभाग की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

1786. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी पार्क, कानपुर में रक्षा विभाग की भूमि पर अब भी अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध ससद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : जी, नहीं।

(ख) रक्षा राज्य मंत्री को संसद सदस्य, श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद का एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि कानपुर कैंट के महात्मा गांधी पार्क में स्थित पंडित होटल में अभी भी अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। कानपुर छावनी बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उस होटल में कथित निर्माण कार्य के लिए कानपुर छावनी बोर्ड ने स्वीकृति दी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धनता सम्बन्धी विश्व विकास रिपोर्ट

1787. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धनता संबंधी विश्व विकास रिपोर्ट 1990 का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने विशेषकर विश्व विकास रिपोर्ट 1990 के संदर्भ में निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाए किए हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धनता के मुद्दों से संबंधित विश्व विकास रिपोर्ट 1990 की मुख्य विशेषताएं हैं।

(i) शताब्दी के अन्त तक विश्व निर्धनता के आयामों और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रक्षेपणों पर विचार-विमर्श;

(ii) विश्व में निर्धनता पर क्षेत्रीय घट-बढ़; और

(iii) कार्रवाई की संभावना।

(ग) सरकार का निर्धनता की स्थिति के संबंध में अपना स्वयं का मूल्यांकन रहा है और देश में निर्धनता दूर करने की अपनी योजना रही है। विशेष स्व-रोजगार एवं वैतनिक रोजगार कार्यक्रम और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम निर्धनता दूर करने के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों से निर्धनों को आय सृजनात्मक परिसम्पत्तियां प्राप्त होती हैं तथा वैतनिक रोजगार भी सुनिश्चित होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रमों में और वृद्धि की जायेगी। निर्धनों के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। चालू वर्ष के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में जहां ग्रामीण बेरोजगारी की घोर समस्या है, रोजगार गारंटी स्कीम आरंभ की गई है।

टेक्नोलोजिकल इन्फोरमेशन पायलट सिस्टम

1789. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (यू०एन०डी०पी०) की सहायता से प्रौद्योगिकी सूचना पायलट प्रणाली (टी० आई० पी० एस०) स्थापित करने में कुल कितना खर्चा हुआ और इसके रख-रखाव पर कितना खर्चा हुआ;

(ख) क्या यह कम्प्यूटर-लिंक नेटवर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है और यह किन-किन देशों से जोड़ा गया है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी सूचना पायलट प्रणाली की सेवाओं का भारतीय उद्योग द्वारा पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चूंकि उद्योग में इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका किस अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) प्रौद्योगिकी सूचना पायलट प्रणाली स्थापित करने पर भारत सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है। भाग लेने वाले सभी देशों के लिए समस्त व्यय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा आरंभ से जून, 1990 तक इसके रखरखाव पर 16 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और इसके अलावा दिल्ली से रोम तक टेलीग्राफ लाइन के किराए के रूप में 14,92,083 रुपये खर्च किए गए जिसमें से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत सरकार को 200 डालर प्रति माह की दर से राशि वापस की गई है जो मार्च, 1990 तक 7414.30 अमरीकी डालर है।

(ख) जी, हां। इससे ब्राजील, चीन जनवादी गणतंत्र, मिस्र, भारत, मैक्सिको, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपीन्स और जिम्बाबवे देश जुड़े हुए हैं।

(ग) भारतीय उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी सूचना पायलट प्रणाली का अधिकतम उपलब्धता तक उपयोग किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

1790. श्री डी० अमात : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अधीन कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों की भी सहायता ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) उड़ीसा में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के विचार से राज्य में स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा) की सहायता से एक विशेष प्रायोजना कार्यान्वित की गई है। प्रायोजना में मुख्य रूप से ग्राम-वनों की स्थापना, अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण तथा पुनर्स्थापना, गांव के गरीब लोगों के लिए वन-खेती और फार्म वानिकी शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों के 47580 हैक्टेयर कुल लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 46991 हैक्टेयर रही है।

केन्द्र सरकार के परती भूमि विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 3.40 लाख हैक्टेयर कुल क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम (विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजना सहित) चलाए गए।

(ग) और (घ) उड़ीसा में कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेंसियों को सम्बद्ध किया जा रहा है। केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को पौधशालाएं उगाने, वृक्षारोपण करने, जागरूकता पैदा करने आदि जैसे क्षेत्रीय कार्यकलाप चलाने के लिए सीधे सहायता प्रदान कर रही है।

राजस्थान में पर्यावरणीय प्रदूषण

1791. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं जो पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं और वे कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर हटाकर अथवा उन्हें बन्द करके इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) राजस्थान में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. भारत एल्यूमिनियम एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, अलवर
2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी
3. बिरला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़
4. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर

(ख) और (ग) प्रदूषण नियंत्रण की कार्य योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. उद्योगों को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सहमति शर्तों में दिए अनुसार उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए निदेश दिए गए हैं। दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।
2. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषक उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।
3. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
4. प्रोत्साहन देकर, संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करके, अनुसंधान और विकास के जरिए संघर्षनात्मक उपाए आरम्भ किए गए हैं।

सिंचाई परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्र का जलमग्न होना

[हिन्दी]

1792. श्री एस०सी० वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 15 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट किया जा रहा है; और

(ख) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन से कितना वन क्षेत्र जलमग्न हो गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) 1985 से मार्च, 1990 तक 1.34 लाख हेक्टेयर वन भूमि को वनेत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है जिससे सातवीं पचवर्षीय योजना में वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की औसत सालाना दर 26,800 हेक्टेयर हो गई।

(ख) मई, 1985 और जुलाई 1990 के बीच सिंचाई परियोजनाओं के लिए 91,023.414 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाया गया।

हिन्द महासागर में घुसपैठ

[अनुवाद]

1793. डॉ० वेंकटेश काब्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों द्वारा घुसपैठ की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) हिन्द महासागर में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ० राजा रमन्ना) : (क) पारम्परिक अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा समुद्र कानून पर हुई तीसरी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रावधानों अनुसार सभी राष्ट्रों के जलपोतों को सभी गहरे समुद्रों में आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। यहां तक कि प्रादेशिक जल सीमा (तट से 12 सामुद्रिक मील तक) में भी सभी राष्ट्रों के जलपोत आ जा सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के युद्ध पोतों द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र की प्रादेशिक जल सीमा में प्रवेश करने से पहले यह जरूरी है कि उस विदेशी राष्ट्र को पहले से इसकी सूचना दें।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यद्यपि विदेशी जलपोत हिन्द महासागर में मौजूद हैं तथापि इसे घुसपैठ की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में वन क्षेत्र

[हिन्दी]

1794. श्री हरि शंकर महाले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में कुल कितना वन क्षेत्र है;

(ख) हरित क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम कितना क्षेत्र होना आवश्यक है और यदि इसमें

कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य में काफी गैर-वन क्षेत्र को अभिलेखों में वन क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) महाराष्ट्र में रिकार्डेड वन क्षेत्र 6.38 मिलियन हैक्टेयर है। भूदृश्य प्रतिबिम्बकीका प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 4.4 मिलियन है० में वन हैं।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, पहाड़ियों में कम से कम 66.6 प्रतिशत और मैदानों में 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए। तदनुसार, महाराष्ट्र में 10.15 मि० है० क्षेत्र में वन होने चाहिए।

कृषि, मानव बस्तियों, सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं, उद्योगों की स्थापना होने के कारण वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की वजह से वन क्षेत्र में कमी हुई है। इसके अलावा काफी वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा भी है। 1951 तथा 1980 के बीच वनेत्तर प्रयोजन के लिए 0.4 मिलियन है० क्षेत्र उपयोग में लाया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र के रिकार्डों में किसी भी वनेत्तर क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं दिखाया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या

1795. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कितने कर्मचारी थे ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 1-1-1990 की स्थिति के अनुसार 61 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या
(1-1-1990 की स्थिति के अनुसार

	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ सफाई कर्मचारियों को छोड़कर
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
अनुसूचित जाति	5176	8480	270796	206810
अनुसूचित जनजाति	1420	1472	88372	68631
कुल कर्मचारी	62 00	77297	1913720	1035862

टिप्पणी :—इसमें निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सूचना सम्मिलित नहीं है :—

1. दूर संचार विभाग।
2. उर्वरक विभाग।
3. वस्त्र मंत्रालय।
4. खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय।
5. औद्योगिक विकास विभाग।

राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1796. श्री नन्दलाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनेक लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था; यदि हां, तो इस संबंध में अब तक राज्यवार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ख) राजस्थान में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो सातवीं योजना के आरंभ में विभिन्न जनजातीय उप-योजना जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे और इनमें से कितने लोगों को सातवीं योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया है ; और

(ग) क्या 1990-91 के दौरान जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार का कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का प्रतिशत अनुपात 1984-85 में 36.9 मिलियन से घटकर 1989-90 में 25.8 मिलियन हो जाएगा। योजना में राज्यवार गरीबी में कमी के लक्ष्यों को निर्दिष्ट नहीं किया गया। ग्रेरलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात 1983-84 में 37.4 प्रतिशत की तुलना में 1987-88 में 29.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का जिला-वार अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) कल्याण मंत्रालय ने 1990-91 के दौरान जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए राजस्थान को 1455.30 लाख रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। उसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से राजस्थान के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए 2661 लाख रु० प्राप्त होने की आशा है।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना

[अनुवाद]

1797. डॉ० सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में स्वीकार की जाने वाली समितियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए कोई उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन अपने सदस्यों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए दबाव डाल रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसायटी होने के नाते यह स्वतः केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ जाता। केन्द्रीय प्रशासनिक न्याय धिकरण अधिनियम, 1985 का खंड 14(2) केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के निकायों के कर्मचारियों के सेवा मामलों के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्वामित्व अथवा नियंत्रित निगमों/सोसाइटियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यद्यपि अ०भा०के०वि०शि०संघ से अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। अब तक सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को शामिल करते हुए इस प्रकार की अधिसूचना जारी करना उचित नहीं समझा है।

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1798. डॉ० सुधीर राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों के विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों और उनके समकक्षियों का कितनी धनराशि का बीमा किया जाता है;

(ख) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने इसमें परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) संघ शासित प्रदेशों में अध्यापकों को सहित केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय विद्यालयों के विभिन्न वर्गों के शिक्षा और उनके प्रतिरोधी अध्यापकों की बीमा राशियों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	श्रेणी	केन्द्रीय विद्यालय योजना (बीमायोजना से सम्बद्ध सामूहिक बचत योजना	संघ शासित प्रदेशों में शिक्षकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 1-1-90 से सरकारी योजना सामूहिक बीमा योजना)
1	2	3	4
1.	प्रधानाचार्य	40,000/- रु०	1,2,000/- रु० ग्रुप "क"
2.	उप-प्रधानाचार्य	30,000/- रु०	60,000/- रु० ग्रुप "ख"

1	2	3	4
3.	अन्य सभी शिक्षक	20,000/- रु०	30,000/- रु० ग्रुप "ग"
4.	प्रयोगशाला परिचर	10,000/- रु०	15,000/- रु० ग्रुप "घ"

(ख) से (घ) जी, हां। मामले की समीक्षा की जा रही है।

आई०आई०टी०/आई०आई०एम० अध्यापकों को उच्चतर वेतनमान

1799. **डॉ० सुधीर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०) अथवा भारतीय प्रबन्ध संस्थान (आई० आई० एत०) के अध्यापकों को विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों से अधिक वेतनमान देने की घोषणा की गई है;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान अथवा भारतीय प्रबंध संस्थान के अध्यापकों को कभी विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों से अधिक वेतनमान मिले हैं; और

(ग) क्या इन वेतनमानों के कारण विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) : दिनांक 1-1-1973 से पूर्व, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संकाय के वेतनमान अन्य डिग्री स्तरीय संस्थाओं में व्याप्त वेतनमानों की तुलना में बेहतर थे। इसके विपरीत विश्वविद्यालय/कालेज प्रणाली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबन्ध संस्थानों में मात्र तीन नियमित संवर्ग अर्थात् सहायक प्रोफेसर, सहप्रोफेसर और प्रोफेसर हैं। हाल ही में सहायक प्रोफेसरों के लिए यथोचित वेतनमान 3700-125-4950-150-5700 रुपये हैं जो वही हैं, जो विश्वविद्यालय/कालेज प्रणाली में लैक्चरर (प्रवेश ग्रेड) और रीडर के हैं। जबकि विश्वविद्यालय प्रणाली में 4500-150-5-700-200 7300 रुपये के वेतनमान में प्रोफेसरों का एक संवर्ग है, वहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंध संस्थानों में 4500-150-5700-200-6300 रुपये के वेतनमान में सह-प्रोफेसरों/ का एक संवर्ग है और 5100-150-5700-200-7300 रुपये के वेतनमान में प्रोफेसरों का एक संवर्ग है। प्रभावी 4500-7300 रुपये के वेतनमानों को 4500-6?00 रुपये और 5100-7300 रुपये के दो वेतनमानों में विभाजित कर दिया गया है। उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों से किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास दिल्ली और महाराष्ट्र संबंधित विचाराधीन मामले

[हिन्दी]

1?00. **श्री हरि शंकर भाभले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास पिछले तीन वर्षों से दिल्ली और महाराष्ट्र से संबंधित कितने मामले लंबित हैं;

(ख) कितने मामलों में जांच जारी है; और

(ग) कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र से संबंधित लम्बित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	1987	1988	1989
दिल्ली	10	55	72
महाराष्ट्र	6	30	40

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट सभी मामलों में जांच कार्य प्रगति पर है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र से संबंधित जिन मामलों में चार्ज-शीट दाखिल कर दी गई है उनका वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

	1987	1988	1989
दिल्ली	52	46	13
महाराष्ट्र	49	33	22

रक्षा उपकरणों का निर्यात

[अनुवाद]

1801. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा उपकरणों का निर्यात बड़े पैमाने पर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान इस संबंध में किन-किन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) निर्यात किये जाने वाले हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हस्ताक्षर किए गए समझौतों में क्या शर्तें निहित हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) सरकार ने रक्षा सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

(ख) से (घ) यह सूचना वर्गीकृत किस्म की है और इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

बिहार के सिंहभूम जिले में आदिवासियों द्वारा अवैध कब्जा

1802. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के सिंहभूम जिले में आदिवासियों ने कुल कितनी एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया है;

(ख) क्या उनके द्वारा यह परती भूमि कृषि योग्य भूमि बनायी जा रही है;

(ग) क्या सरकार का इस अवैध कब्जे के संबंध में उनके साथ कोई बातचीत करने का विचार है; और

(घ) क्या इन आदिवासी किसानों के लिए अस्थाई आधार पर पट्टे मंजूर किये गये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पारादीप पत्तन के इर्द-गिर्द वृक्षारोपण का प्रस्ताव

1803. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरणीय संरक्षण हेतु समुद्र तट के साथ-साथ पारादीप पत्तन के इर्द-गिर्द वृक्षारोपण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इस बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्राप्त सुझाव यह था कि समुद्री किनारे के लिए पारादीप पत्तन नगर क्षेत्र में तीन किलोमीटर लम्बी और आधा किलोमीटर चौड़ी पौधरोपण पट्टी बनाना वांछनीय होगा। इस संबंध में मंत्रालय का विचार है कि पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को अपनी परियोजना के एक अनिवार्य भाग के रूप में इस तरह की पौधरोपण करनी चाहिए विशेषकर क्योंकि यह पारादीप में साउथक्वे के विस्तार के लिए परियोजना को हाल ही में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों में से एक शर्त है।

आठवीं योजना में काम का अधिकार

1804. श्री एल० वी० सिंह :

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना में "काम का अधिकार" को मान्यता देने के कार्य को प्रमुखता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार निवेश की दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्या तंत्र अपनाने का है; और

(ग) क्या इस समय इस बात का अनुमान लगाना संभव है कि "काम का अधिकार" कार्यक्रम के लक्ष्य के प्राप्ति और इसे बनाए रखने के लिए धनराशि के रूप में कितना निवेश करना पड़ेगा; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश्वर गोवर्धन) : (क) से (ग) : आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण में यह प्रस्ताव है कि "काम के अधिकार" की संकल्पना आयोजना के पुनरनुस्थापन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण रोजगार की कार्य नीति को यह सुनिश्चित करते हुए परिचालित किया जाए कि संवृद्धि को व्यापक-रूप से विभिन्न क्षेत्रों और जनसंख्या के वर्गों के बीच बांटा जाय और वह ऐसे आकार-प्रकार की हो जो श्रमशक्ति में वृद्धि और बेरोजगारी के बैकलाग को आत्मसार कर सके। इस कार्यनीति के अंग के रूप में निवेश की पद्धति को रोजगार प्रधान क्षेत्रों के अनुकूल

बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि इस प्रकार समूचा योजना निवेश रोजगार लक्ष्योन्मुखी होगा। रोजगार के सम्बन्ध में प्रस्तावित निवेश के ब्यौरे योजना दस्तावेज में समाविष्ट किये जाएगें।

सी-हैरियर विमान की खरीद

[हिन्दी]

1805. श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 में नौसेना के लिए सी-हैरियर विमान के एक स्क्वैड्रन की खरीद की गई थी;

(ख) क्या इस खरीद के समझौते में यह शर्त रखी गई थी कि यदि एक निर्धारित अवधि के भीतर कुछ और विमान खरीदे गए तो सप्लायर द्वारा उनकी सप्लाई उसी मूल्य पर की जाएगी, यदि हां, तो क्या इस विकल्प का लाभ उठाया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी हैरियर विमान भी इस विकल्प की अवधि समाप्त होने के बाद खरीदा गया था, और यदि हां, तो उक्त विकल्प का लाभ न उठाये जाने के कारण कितना अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा था; और

(घ) उक्त परिहार्य हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) भारतीय नौसेना के लिए सी-हैरियर वायुयान की खरीद का करार नवंबर, 1979 में किया गया था।

(ख) इस करार में अतिरिक्त सी-हैरियर वायुयान खरीदने का विकल्प रखा गया था लेकिन उसका उपयोग मई, 1980 तक ही किया जा सकता था। पूरी तरह विचार करने के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि अतिरिक्त सी-हैरियर वायुयान को खरीदने पर तभी विचार किया जायेगा जब मूल रूप से आर्डर दिए गये वायुयान का मूल्यांकन कर लिया जायेगा।

(ग) सी-हैयिरर वायुयानों की पहली खेप का भारत पहुंचने पर भारतीय नौसेना ने मूल्यांकन किया और उसे हमारे विमानवाहक पोत के लिए उपयुक्त पाया। इसके बाद अक्तूबर, 1983 में सरकार ने इस वायुयान के सुधरे हुए रूप के लिए जो त · उपलब्ध हो चुका था, स्वीकृति दे दी। इस विमान की दूसरी खेप में सुधार किए जाने और इस बीच मूल्यों में हुई सामान्य वृद्धि के कारण दूसरी खेप के सुधरे हुए वायुयान को पिछले वायुयान की अपेक्षा अधिक कीमत पर खरीदा गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भूल करार में दिलाये विकल्प का उपयोग न करना कोई भूल नहीं थी।

समान रैंक समान पेंशन योजना

[अनुवाद]

1806. श्री उत्तम राठौड़ :

श्री बालेश्वर यादव :

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल :

प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री कमल चौधरी :

श्री डी० डी० खनोरिया :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री ए० चार्ल्स :

श्री वाई० एम० राजशेखर रेड्डी :

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "समान रैंक समान पेंशन" का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सेवा निवृत्त हुए पुराने भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो कार्रवाई शुरू की गई थी, वह काफी आगे बढ़ है गई;

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण

[हिन्दी]

1808. **श्री एम० एस० पाल : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वन सेवा के कितने अधिकारियों को उनके अनुरोध पर उनको मूल रूप से आबंटित राज्य संवर्ग से अन्य राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) 20 अगस्त, 1987 से शुरू हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वन सेवा के कुल 10 अधिकारियों का उनके अनुरोध पर उनको मूल रूप से आबंटित संवर्ग से उस संवर्ग में स्थानांतरण किया गया जो उस अधिकारी के अखिल भारतीय सेवा के पति या पत्नी को आबंटित किया गया था।

सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की तैनाती की अवधि

[अनुवाद]

1809. **श्री एम०एस० पाल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में, विशेषकर मेडिकल कोर और नर्सिंग कोर में, अधिकारियों की एक स्टेशन पर तैनाती की अवधि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और पुणे में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो एक स्टेशन पर जिनकी निर्धारित तैनाती अवधि समाप्त हो गई है और अभी भी वे यहां तनात हैं;

(ग) कितने मामलों में गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अनुकम्पा के आधार पर अवधि बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए और इनमें से कितने मंजूर किए गए और कितनों को अस्वीकृत किया गया; और

(घ) अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध न मानने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं के 38 अफसर दिल्ली और पुणे में निर्धारित कार्य-काल से अधिक समय से रह रहे हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुक्रमा के आधार पर निर्धारित कार्य-काल से अधिक अवधि बढ़ाने के लिए प्राप्त 179 आवेदनों में से 120 आवेदन स्वीकार कर लिए गए और 59 को नामंजूर किया गया। सैन्य नर्सिंग सेवा से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है। अवधि बढ़ाने के लिए प्राप्त आवेदनों पर मुख्य रूप से सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और ऐसे कारणों को देखते हुए औचित्य नहीं थे, सहमति नहीं दी गई।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में सुरक्षा विंग

1810. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कोई सुरक्षा अनुभाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुभाग में नैमित्तिक श्रमिक भी नियुक्त किये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त करने की प्रणाली समाप्त करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई नेहता) : (क) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अलग से कोई सुरक्षा विंग नहीं है ताकि सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिन पर सभी स्मारकों और संग्रहालयों के सुरक्षा-कार्य की देख-रेख का दायित्व है। वे वरिष्ठ स्मारक परिचरों और स्मारक परिचरों को सुपरवाइज करते हैं और जिनकी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों/संग्रहालयों के संरक्षण हेतु पहरा व निगरानी स्टाफ के रूप में नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा, जिन स्मारकों/स्थलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, उनके लिए राज्य पुलिस/केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल से लेन्ट सेवा के आधार पर सशस्त्र पुलिस गार्डों की सेवाएं भी ली गई हैं। सुरक्षा और बहुमूल्य पुरावस्तुओं मूर्तियों और स्थल-संग्रहालयों के लिए नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति सामान्य नहीं की जाती है और केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही नियुक्ति की जाती है। तथापि जहां नैमित्तिक मजदूर नियुक्त किए गए हैं, वहां उनकी ड्यूटी इस ढंग से लगाई गई है कि नियमित स्टाफ को अतिरिक्त सहायता मिले। नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्तियों को बंद करने का कोई प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, जहां बहुत जरूरी होगा, वहां इस पद्धति को जारी रखा जाएगा।

केरल से सशस्त्र सेनाओं में भरती हुए लोगों के संबंध में सत्यापन

1811. **श्री टी० बशीर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य से भारतीय शस्त्र सेनाओं में भरती किये गये लोगों के संबंध में विशेष सत्यापन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से इस प्रथा को बन्द करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां। इस संबंध में रक्षा राज्य मंत्री को राज्य के मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (क) में बताई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय राजसहायता

1812. डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सिंचाई की दरों, बिजली की दरों में और शैक्षिक सुविधाओं के लिए कितनी तथा समाज के किन वर्ग के व्यक्तियों को राज सहायता दी जाती है;

(ख) वर्ष भर में दी जाने वाली ऐसी राज सहायता की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान इन सुविधाओं पर राजसहायता देने की नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश चन्द्रवंश) : (क) वर्ष 1887-88 के संदर्भ में, जिसके नवीनतम राष्ट्रीय लेखा उपलब्ध हैं, सिंचाई के लिए इमदाद 603.2 रु० प्रति हेक्टेयर और बिजली के लिए इमदाद 74 पैसे प्रति किलोवाट बनती है। तथापि राष्ट्रीय लेखा अनुमानों से इमदाद की सभी दृष्टियों से मात्रा पूरी तरह परिलक्षित नहीं होती। शैक्षिक सुविधाओं का भी इमदाद दी जाती है किन्तु शिक्षा से संबंधित इमदाद के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। सिंचाई एवं बिजली की सहायता का लाभ खेतिहरों को प्राप्त होता है और शैक्षिक सहायता का लाभ सभी वर्गों के लोगों को प्राप्त होता है ।

(ख) राष्ट्रीय लेखा के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान सिंचाई के लिए 2648 करोड़ रु० की और बिजली के लिए 277 करोड़ रु० की इमदाद दी गयी। शैक्षिक इमदाद के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण में अपेक्षा की गई है कि सहायता के समग्र मुद्दे के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ताकि सहायता के परिमाप का निर्धारण किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि वर्गों/श्रेणियों/क्षेत्रों को किस सीमा तक लाभ मिलता है जिससे इसे कम विकसित क्षेत्रों और अपेक्षाकृत गरीब तबकों के लिए अधिक कार्यसाधक लक्ष्योन्मुखी बनाया जा सके और सिंचाई बिजली तथा जनसंख्या के उस वर्ग को सामान्य उच्च शिक्षा प्रदान करने जो इसके पात्र नहीं हैं, में इमदाद के प्रच्छन्न घटकों को दूर किया जा सके ।

सिंधी भाषा के अध्ययन के माध्यम के रूप में सुविधा

1813. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल । क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल स्तर पर सिंधी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को इसकी सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सिंधी सलाहकार समिति कब गठित की गई थी;

(घ) सिंधी भाषा के विकास के लिए कितनी बार बैठक हुई है और इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ङ) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में क्या आर्थिक कठिनाइयां हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्कूल स्तर पर सिंधी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए सुविधाएं गुजरात और राजस्थान राज्यों में उपलब्ध हैं।

(ग) शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान सिंधी सलाहकार समिति का गठन 16 जनवरी, 1989 में किया गया था।

(घ) और (ङ) उपरोक्त संदर्भित सिंधी सलाहकार समिति की 27 जुलाई, 1989 को एक बार बैठक हुई है । इस बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयी थीं :

(i) सिंधी विकास बोर्ड की स्थापना ।

(ii) सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन ।

(iii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अधीन सिंधी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र का गठन ।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अधीन सिंधी विकास बोर्ड और सिंधी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना सम्बंधी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है तथापि वर्ष 1989-90 के दौरान तीन कार्यशालाएं और एक सेमिनार आयोजित किया गया था और उस पर एक लाख रुपये खर्च किए गए थे।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनाओं की प्रगति

[हिन्दी]

1814. डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके कार्य की प्रगति नवीनतम समीक्षा के अनुसार अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(ख) क्या इस विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) मध्य प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन, 100 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाएं जो निर्धारित समय से पीछे चल रही है; संलग्न विवरण पत्र में दर्शायी गयी है।

(ख) दिनांक 31-3-90 की स्थिति के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं की समय तथा लागत वृद्धि संबंधी ब्यौरा उपरोक्त उल्लिखित विवरण पत्र में दिया गया है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबोधन कार्य को तेज कर दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि अधिक लागत और समय वृद्धि से संबंधित ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली अन्तर मंत्रालयीय समस्याओं के समाधान के लिए सचिवों की समिति के समक्ष लाया जाये।

हाल ही में स्वयं प्रधान मंत्री महोदय से संबंधित मंत्रियों के साथ समय वृद्धि और लागत वृद्धि से प्रभावित ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा आरम्भ की है।

विवरण

प्रत्येक 20 करोड़ रु० और अधिक की 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन संबित केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची।

क्र० सं०	परियोजना (जिला)	अभिकरण	प्रतिशत समय वृद्धि मूल के संदर्भ में	प्रतिशत लागत वृद्धि मूल के संदर्भ में
1	2	3	4	5
	क्षेत्र : कोयला			
1.	अम्लोहरी सिधि ओ०सी०	एन०सी०एल०	38	63
2.	जयंत एक्सप्रेस ओ०सी० सिधि	एन०सी०एल०	17	19
3.	जिनगुरडाह ओ०सी० सिधि	एन०सी०एल०	154	9
4.	अमलाई ओ०सी० शाहडोल	एस०ई०सी०एल०	80	63
5.	धनपुर ओ०सी० शाहडोल	एस०ई०सी०एल०	145	148
6.	दीपका ओ०सी० बिलासपुर	एस०ई०सी०एल०	106	53
7.	बंगवार यू०जी० शाहडोल	एस०ई०सी०एल०	130	52

1	2	3	4	5
8.	बल्गी यू०जी० बिलासपुर	एस०ई०सी०एल०	36	36
9.	चुर्चा पश्चिम यू०जी० सरगुजा	एस०ई०सी०एल०	50	82
10.	केन्द्रीय कार्यशाला सिंगरौली सिंधी	एन०सी०एल०	73	126
	क्षेत्र : इस्पात			
11.	भिलाई इस्पात संयंत्र. 4 एम०टी०वाई० विस्तार भिलाई	सेल	131	144
12.	भिलाई इस्पात संयंत्र : 6 बायलर पी० एवं बी० स्टेशन भिलाई	सेल	33	1
	क्षेत्र : विद्युत			
13.	विंध्याचल एस०टी०पी०पी० सिंधि	एन०टी०पी०सी०	13	46
	क्षेत्र : लोक उद्यम			
14.	नया गांव विस्तार	सी०सी०आई०	80	111
15.	नेपा मिल विस्तार नेपा नगर	एन०एन०पी०एम०	66	126
	क्षेत्र : रेलवे			
16.	भोपाल-नागदा विद्युतिकरण	आई०आर०	9	0
17.	कटनी-बीना विद्युतिकरण	आई०आर०	21	36

टिप्पणी :—इस सूची में बहु-राज्य परियोजनाएं जैसे विद्युत संचरण लाइनें, पाईप लाइनें और रेलवे लाइनें आदि शामिल नहीं हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद

[अनुवाद]

1815. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् के निर्देश पद क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग हेतु नीति और निदेशन प्रदान करने के लिए विशेषकर राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से काम में लाने के दृष्टिकोण से एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् का गठन करने का निर्णय किया है।

सरदार सरोवर परियोजना का पुनर्मूल्यांकन

1816. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक पर्यावरण और सामाजिक संगठनों ने नई दिल्ली में 4 अप्रैल, 1990 को धरना दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि सरदार सरोवर परियोजना का कार्य तुरंत बंद किया जाए और इसकी सामाजिक तकनीकी और पर्यावरणीय क्षमता के निर्धारण के लिए इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के तीन संबंधित सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है तथा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत शुरू की गई है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़कों की कथित निम्नगुणवत्ता

[हिन्दी]

1817. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान बनाई गई सड़कों की लम्बाई क्या है और ये सड़कें कहां बनाई गई हैं;

(ख) क्या ये सड़कें ठेकेदारों द्वारा बनवायी गयी थीं;

(ग) यदि हां, ता क्या उनमें प्रयुक्त सामग्री की निम्नगुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इन सड़कों के निर्माण हेतु काली सूचीबद्ध कुछ ठेकेदारों को भी ठेके दिए गये हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान सीमा सड़क संगठन ने अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,

उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों तथा भूटान में 1473 कि० मी० सड़क का निर्माण किया है। कुछ बड़े स्थायी पुलों को छोड़कर शेष सभी निर्माण कार्य विभागीय रूप से सम्पन्न किए गए।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज उत्पादक क्षेत्रों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से अलग रखना

[अनुवाद]

1818. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में अनुमानत: कितने वन क्षेत्र में वृक्ष नहीं है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनों के सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) जिन क्षेत्रों में खनिज उपलब्ध है, उनको वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की परिधि से अलग न रखने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) मध्य प्रदेश का दर्ज वन क्षेत्र 15.54 मिलियन हेक्टेयर है और भारतीय वन सर्वेक्षण के 1985-87 के मूल्यांकन के अनुसार वास्तविक वन क्षेत्र 14.319 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण और सीमांकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) खदान क्षेत्रों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की सीमा से छूट नहीं है क्योंकि खनन वनेत्तर गतिविधि है और ऐसी गतिविधि के लिए पट्टा स्वीकृत करने से पहले केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है।

विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति

1819. **श्री भवानी शंकर होटा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनेक कुलपति भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और सेना अधिकारी काडर से नियुक्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुलपतियों की योग्यता और इनके चयन के तरीके के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को कोई ठोस मार्गनिर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा और राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा की जाती है। कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों और संविधियों के अन्तर्गत की जाती है। सरकार को यह जानकारी है कि कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति आई० ए० एस०/आई० पी० एस० काडरों आदि से की गई है। इस समय, कुलपतिमों के पात्रता-मानदंडों और चयन पद्धति के संबंध में कोई एक समान दिशा-निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर रोक

1820. श्री भवानी शंकर होटा :

श्री बालेश्वर यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस्तेमाल किए जा रहे उन पदार्थों के नाम क्या हैं जिनके कारण ओजोन परत नष्ट होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) क्या क्लोरोफ्लोरो कार्बन को समाप्त करने के लिए इस समय कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है और संभावित पदार्थ कौन-कौन से हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एच० सी० एफ० सी० 22, मिथाइल क्लोरोफारम, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हैलन्स के अलग-अलग मिश्रणों से ओजोन को ह्रास करने वाले पदार्थ बनते हैं जिनका भारत में इस्तेमाल होता है।

(ख) और (ग) भारत ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों के बारे में मांट्रियल प्रोटोकाल में भाग लेने के मामले पर विचार कर रहा है जिसमें निर्धारित किया गया है कि विकसित देशों द्वारा सन् 2000 तक और विकासशील देशों द्वारा सन् 2010 तक एच० सी० एफ० सी० 22 के अलावा ओजोन का ह्रास करने वाले इन पदार्थों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए।

(घ) सरकार ने देश में प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संभावित विकल्पों में लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एच० एफ०सी० 134ए और एच०सी०एफ०सी० 22 जिनकी ओजोन को ह्रास करने की क्षमता कम है; का कतिपय उपयोगों के लिए संभावित विकल्पों के रूप में पता लगाया गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

1821. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए आठवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने की संभावना है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आठवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेब गोबर्धन) : (क) और (ख) सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास प्रस्तावों पर उनकी प्राथमिकता सहित आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समग्र प्रस्तावों के संदर्भ में विचार किया जाना है। आठवीं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने और अनुमोदित किए जाने पर धनराशि के आबंटन का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र विकास, किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों के विकास के दायित्व का अविछिन्न भाग है। इसके अतिरिक्त रोजगार स्कीमों, डी० डी० पी० इत्यादि जैसी केन्द्रीय स्कीमों/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त होते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी सहायता दी जाती है। मूलत: यह विनिर्दिष्ट आधार संरचना विकास कार्यक्रमों के लिए था लेकिन बाद में इसमें शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों और इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अधिक जोर दिया गया।

(घ) आठवीं योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान में हॉकी के लिए कृत्रिम ऊपरी परत

1822. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में हॉकी के लिए कृत्रिम ऊपरी परत उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या राजस्थान को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में हॉकी की कृत्रिम परत बिछायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का राजस्थान में हॉकी की कृत्रिम परत बिछाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कृत्रिम हॉकी सतह नहीं बिछाती।

तथापि, "सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम सतह बिछाने की योजना" के अंतर्गत संबंद्ध राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक सतह के लिए लागत का 50%, अधिकतम 50.00 लाख रुपये तक, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में खेलों का विकास

1823. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खेलों के विकास हेतु राजस्थान के लिए कुछ और धनराशि मंजूर करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) राज्यों को खेलों के विकास के लिए विभाग की कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती। तथापि, "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर खेल अवस्थापना के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं हेतु धनराशि मंजूर की जाती है। इस योजना तथा कुछ अन्य योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्य सरकारों को स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-1, विवरण-2, विवरण-3 और विवरण-4 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) काफी बड़ी संख्या में केन्द्रीय सहायता प्राप्त खेल अवस्थापना परियोजनाएं अधूरी पड़ी होने के विचार से केन्द्र सरकार ने खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस० पी० डी० ए०) केन्द्रों तथा राज्य स्तरीय खेल परिसरों को छोड़कर "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान की योजना" के अंतर्गत नई परियोजनाओं को तब तक प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया है जब तक कि लम्बित परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो जाती। यह नीति सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। राजस्थान को और धनराशि मंजूर की सकती है बशर्ते कि लम्बित परियोजनाएं पूर्ण की जाएं तथा नई परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव भेजे जाएं।

तथापि, अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	26,02,500 रु०	55,87,500 रु०	8,91,000 रु०
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,64,450 रु०	—	37,500 रु०
3.	असम	28,55,300 रु०	45,37,500 रु०	2,75,000 रु०
4.	बिहार	10,00,000 रु०	1,09,350 रु०	—
5.	गोवा	38,58,375 रु०	1,24,56,000 रु०	31,17,825 रु०
6.	गुजरात	11,06,250 रु०	13,55,350 रु०	6,89,000 रु०
7.	हरियाणा	28,20,250 रु०	15,34,000 रु०	63,075 रु०
8.	हिमाचल प्रदेश	29,07,500 रु०	11,58,050 रु०	21,33,100 रु०
9.	जम्मू और कश्मीर	19,21,890 रु०	1,25,000 रु०	—
10.	कर्नाटक	7,57,250 रु०	6,22,750 रु०	26,77,730 रु०
11.	केरल	1,17,72,800 रु०	61,44,500 रु०	9,95,000 रु०
12.	मध्य प्रदेश	8,99,000 रु०	26,38,510 रु०	—
13.	महाराष्ट्र	95,91,250 रु०	70,21,775 रु०	94,76,875 रु०

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	10,26,440 रु०	—	—
15.	मेघालय	5,91,750 रु०	36,65,500 रु०	—
16.	मिजोरम	77,19,000 रु०	1,47,34,130 रु०	20,28,380 रु०
17.	नागालैंड	6,25,000 रु०	—	—
18.	उड़ीसा	24,68,500 रु०	4,27,425 रु०	48,49,750 रु०
19.	पंजाब	25,00,000 रु०	2,73,44,350 रु०	—
20.	राजस्थान	77,04,537 रु०	17,63,990 रु०	38,50,000 रु०
21.	सिक्किम	—	23,26,800 रु०	—
22.	तमिलनाडु	20,62,500 रु०	8,08,690 रु०	6,32,000 रु०
23.	त्रिपुरा	75, 000 रु०	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	52,50,000 रु०	34,24,155 रु०	38,75,000 रु०
25.	पश्चिम बंगाल	5,63,42,620 रु०	21,75,414 रु०	9,17,475 रु०
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	62, 000 रु०	37, 700 रु०	—
27.	चंडीगढ़	20,00,000 रु०	40,00,000 रु०	34,00,000 रु०
28.	दादर व नागर हवेली	—	—	—
29.	दमन और दीव	30,34,000 रु०	—	—
30.	दिल्ली	14,66,000 रु०	11,59,000 रु०	2,50,000 रु०
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	10,000 रु०	—
	कुल ।	13,98,75,362 रु०	10,51,67,439 रु०	4,01,58,710 रु०

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	53,340
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—

1 2	3	4	;
3. असम	—	—	—
4. बिहार	—	—	—
5. गोवा	—	—	—
6. गुजरात	—	—	—
7. हरियाणा	—	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9. जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10. कर्नाटक	—	—	57,400
11. केरल	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	—	—	—
13. महाराष्ट्र	—	—	2,98,885
14. मणिपुर	—	—	—
15. मेघालय	—	—	—
16. मिजोरम	—	—	—
17. नागालैंड	—	—	—
18. उड़ीसा	—	—	—
19. पंजाब	—	—	1, 175500
20. राजस्थान	—	—	—
21. सिक्किम	—	—	—
22. तमिलनाडु	—	—	1, 71, 820
23. त्रिपुरा	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	—	3,00,000	14,98,492
25. पश्चिम बंगाल	—	—	—
संघ शासित क्षेत्र			
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			
27. चंडीगढ़	—	—	—
28. दादरा और नागर हवेली	—	—	—
29. दमन और दीव	—	—	—
30. दिल्ली	—	—	—
31. लक्ष द्वीप	—	—	—
32. पांडिचेरी	—	—	—
कुल :		3,00,000	21,97,437

विवरण-3

(रुपये लाखों में)

क्र.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90
1.	बिहार	--	40.00	—
2.	हरियाणा	—	40.00	—
3.	जम्मू और कश्मीर	—	—	45.00
4.	केरल	50.00	—	—
5.	महाराष्ट्र	35.00	95.00	—
6.	मध्य प्रदेश	35.00	—	57.49
7.	उड़ीसा	—	—	50.00
8.	पंजाब	40.00	92.00	—
9.	उत्तर-प्रदेश	—	—	120.00
10.	दिल्ली	40.00	—	—
11.	चण्डीगढ़	—	—	45.00
	कुल :	200.00	267.00	317.49

विवरण-4

(रुपये लाखों में)

क्रम संं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिलों की कुल संं	योजना के अंतर्गत स्वीकार्य अधिकतम राशि	वर्षों के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा मांगी गई राशि		
				1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	20.70	12.00	11.70	17.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	9.90	0.20	0.90	—
3.	असम	18	16.20	6.00	5.60	—
4.	बिहार	38	34.20	14.30	16.80	18.30
5.	गोवा	2	1.80	1.80	1.40	01.50
6.	गुजरात	19	17.10	8.70	11.30	11.20
7.	हरियाणा	13	11.70	10.80	10.80	10.10
8.	हिमाचल प्रदेश	12	10.80	9.70	9.70	10.10
9.	जम्मू और कश्मीर	15	13.50	7.40	4.90	06.50
10.	कर्नाटक	21	18.90	6.70	—	11.50

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	15	13.50	11.10	6.70	7.50
12.	मध्य प्रदेश	45	40.50	29.40	17.90	27.80
13.	महाराष्ट्र	30	27.00	22.60	19.90	21.80
14.	मणिपुर	9	8.10	5.10	5.80	—
15.	मेघालय	5	4.50	1.10	0.70	02.30
16.	मिजोरम	3	2.70	2.70	2.70	—
17.	नागालैंड	7	6.30	3.20	3.10	—
18.	उड़ीसा	13	11.70	6.70	4.60	—
19.	पंजाब	13	11.70	8.50	7.20	11.70
20.	राजस्थान	28	25.20	17.30	16.30	15.60
21.	सिक्किम	4	3.60	2.80	—	—
22.	तमिलनाडु	20	18.00	18.00	18.00	11.94
23.	त्रिपुरा	3	2.70	2.30	2.20	—
24.	उत्तर प्रदेश	57	51.30	15.90	27.10	33.60
25.	पश्चिम बंगाल	17	15.30	7.40	8.70	0·8.20
संघ शासित क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1.80	1.50	1.50	01.60
2.	चंडीगढ़	1	0.90	0.90	0.50	—
3.	दादरा और नागर हवेली	1	0.90	शून्य	—	—
4.	दिल्ली	1	0.90	शून्य	3.20	02.90
5.	दमन और द्वीव	2	1.50	0.40	0.50	00.70
6.	लक्षद्वीप	1	0.90	शून्य	—	—
7.	पाण्डिचेरी	4	3.60	शून्य	—	—
	कुल :	453	407.70	234.50	219.60	232.14

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्थान में जांच के मामले

1824. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजस्थान में जांच के मामलों के बारे में 14 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8457 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मामलों की जांच का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो किन निष्कर्षों पर पहुंची है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 14-5-90 की स्थिति के अनुसार लम्बित 60 मामलों में से 17 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है।

(ख) और (ग) इनमें से 9 मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिए हैं। 6 मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एक मामला मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी न मिलने के कारण लम्बित है तथा एक मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे वापिस ले लिया गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बिहार को सहायता

[हिन्दी]

1825. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आठवीं योजना में भी इस सहायता को जारी रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) शून्य, सातवीं योजना में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम केवल जम्मू व कश्मीर, पंजाब और गुजरात में चलाया गया था। आठवीं योजना के संदर्भ में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जा सकता है।

सरकारी प्रकाशनों का कापीराइट अधिकार

[अनुवाद]

1826. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सेवारत सरकारी कर्मचारी ऐसी कृति जो अधिकांशतः और मुख्यतः उसके कार्यालय से संबंधित है और जो उसके सरकारी कर्तव्यों से संबंधित है, का अपने नाम में कापीराइट अधिकार प्राप्त कर सकता है;

(ख) क्या ऐसी कृति का कापीराइट अधिकार सरकारी अधिकारी अपने परिवारजनों अथवा बेनामी मित्रों के नाम करा सकता है ;

(ग) क्या किसी विभाग का राजनैतिक अध्यक्ष भी ऐसा कर सकता है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को विनियमित करने के लिए क्या नियम/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ङ) क्या कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी कृति के मुद्रण/प्रकाशन और बिक्री के लिए किसी गैर-सरकारी प्रकाशक के साथ कोई अनुबंध कर सकता है, यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या पैरामीटर्स निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 17 (घ) में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कृति के मामले में सरकार, इसके विपरीत किसी करार के अभाव में, उसकी कापीराइट का प्रथम स्वामी होगा। "किसी सरकारी कृति की परिभाषा अधिनियम में इस प्रकार की गई है सरकारी कृति से तात्पर्य ऐसी कृति से है जो निम्नलिखित के दिशा-निर्देशांतर्गत अथवा उसके नियंत्रण में तैयार की जाती है अथवा प्रकाशित की जाती है :—

(i) सरकार अथवा सरकार का कोई विभाग।

(ii) भारत में कोई विधान मंडल।

(iii) न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा भारत में कोई अन्य न्यायिक प्राधिकरण"।

(ख) सरकारी अधिकारी केवल उस स्थिति में कापीराइट सौंप सकता है जब वह उस कृति के कापीराइट का स्वामी हो।

(ग) धारा 17 (घ) के प्रावधान किसी सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं करते बल्कि इसके विपरीत किसी करार के अभाव में सरकार को किसी सरकारी कृति के प्रथम कापीराइट का अधिकार देते हैं।

(घ) संविधि के प्रावधान पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और केवल न्यायालयों द्वारा व्याख्या पर निर्भर करते हैं।

(ङ) सरकारी कर्मचारी उस स्थिति में किसी कृति के मुद्रण/प्रकाशन तथा बिक्री के लिए निजी प्रकाशकों के साथ ठेका कर सकता है जब वह उस कृति के कापीराइट का स्वामी हो।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर संस्थायें

1827. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थाओं के नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नांगल (पंजाब) में उद्योगों के कारण प्रदूषण

[हिन्दी]

1828. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नांगल (पंजाब) के आसपास स्थित उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां। मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन तथा मैसर्स पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निस्सरण और वहिस्राव निर्धारित मानदंडों के अनुसार हैं। पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन को मानदंडों को पूरा करने के लिए 1991 तक का समय दिया गया है। पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के मामले में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो कम्पनी का दौरा करेगी तथा मानदंडों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में अपनी सिफारिशें पेश करेगी। इन उपायों में निर्माण प्रक्रिया में रिसाव को रोकने के बारे में तरीके सुझाना भी शामिल हैं।

गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान

1829. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कोरी में गोविन्द पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के अन्तर्गत अब तक कितने उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं; और वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसे उपकेन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) हिमालय प्रदेश में अब तक ऐसा कोई भी उपकेन्द्र नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम और नागालैंड में अब तक चार उपकेन्द्रों की स्थापना की गई है। 1990-91 के दौरान किसी नए उपकेन्द्र को खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह संस्थान अभी योजना स्तर पर है। नए केन्द्र चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे।

गोपीनाथ बाजार दिल्ली छावनी में भूमि की अवैध बिक्री

[अनुवाद]

1830. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में "गोपीनाथ बाजार बीइंग सोल्ड लीगली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टे वाली सम्पत्ति की कथित अवैध बिक्री की जांच हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गैर-कानूनी बिक्री के लिए की गई जांच के क्या परिणाम निकले और इस सौदे में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली छावनी बोर्ड से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। बोर्ड की रिपोर्ट से प्रकट हुआ कि जी० एल० आर० सर्वे संख्या 52/15 के मूल पट्टेदारों के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने इस सम्पत्ति में बैठे विभिन्न किराएदारों/कब्जाकारों के साथ इस सम्पत्ति को बेचने के करारनामे कर लिए थे। बोर्ड ने समाचारपत्रों आदि में विज्ञापन देकर सभी लोगों को सूचित किया है कि दिल्ली छावनी बोर्ड की पूर्व अनुमति लिए बिना उक्त सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को बेचना अथवा उसका अन्तरण करना गैर-कानूनी है। इस सम्पत्ति के कब्जेदारों को भी इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा, सम्पत्ति स्थलों पर लाईव-बोर्ड लगा दिए गए हैं जिनमें इस सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से बेचने/खरीदने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है।

अभ्यास पुस्तिकाओं की कमी

1831. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के काम आने वाली पुस्तिकाओं और लेखन सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि हो जाने के बावजूद उनकी अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं के कागज के अधिकृत कोटे की सप्लाई बंद कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके मूल्य नियन्त्रित रखने तथा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं को कागज के अधिकृत कोटे की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) शिक्षा विभाग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा क्षेत्र को स्कूल पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं तथा परीक्षा उत्तर-पुस्तिकाएं मुद्रित करने के लिए रियायती सफेद मुद्रण कागज आवंटित करता रहा था।

आर्थिक सहायता की योजना के अंतर्गत हिन्दुस्तान कागज निगम को रियायती सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

निगम द्वारा कुछ कठिनाइयों जैसे उत्पादन लागत में आकस्मिक वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के कारण निगम द्वारा कागज की आपूर्ति नियत मात्रा से कम रही। तथापि यह योजना से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा क्षेत्र की शत प्रतिशत आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने निगम को शिक्षा विभाग द्वारा किये गये आवंटनों की आपूर्ति को प्रभावी बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं।

तकनीकी शिक्षा की लागत

1832. श्री मदन लाल खुराना :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री कमलनाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेजों आदि से

शिक्षा प्राप्त करके आने वाले छात्रों से यह कहने का विचार है कि वे उन्हें तकनीकी शिक्षा दिए जाने में हुए व्यय की राशि का वापस भुगतान करें, जो शिक्षा उनको लगभग नगण्य रूप पर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) व्यावसायिक संस्थाओं में वर्तमान शिक्षा शुल्क का ढांचा अधिकांशत: पूर्व-स्वतंत्रता स्तर का है। दूसरी ओर, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की लागत कई गुना बढ़ गयी है। इस तथ्य पर विचार करते हुए, व्यावसायिक संस्थाओं में शिक्षा शुल्क को उचित और वास्तविक बनाए जाने की तत्काल जरूरत है ताकि वसूल किए जा रहे शिक्षा शुल्क और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत के बीच तर्कसंगत संबंध हो। एक औसत छात्र की सीमित अदायगी क्षमता पर विचार करते हुए शिक्षा शुल्कों के ऊंची संशोधन को छात्रों के लिए कुछ ऋण संबंधी प्रबंधों के साथ इसके आर्थिक स्तर के साथ सम्बद्ध करने के लिए विचार करना जरूरी है, जिसे उनके रोजगार में नियुक्त हो जाने के कुछ समय बाद यह ऋण उनके द्वारा लौटाया जा सकता है । यह उच्च व्यावसायिक शिक्षा को जारी रखने वाले मेधावी छात्रों को एक अवसर प्रदान करेगा और न केवल उन छात्रों को जो अधिक शिक्षा शुल्क अदा कर सकते हैं। यह अन्य आर्थिक स्थिति का ध्यान किए बिना सभी छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करेगा और छात्रों में सम्मान की भावना उत्पन्न होगी कि उन्हें उनकी भावी कमाई पर आधारित उच्च शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं

[हिन्दी]

1833. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (घ) जी, हां। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त प्रमुख शिकायत विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में डाक टिकटों और फ्रैंकिंग मशीन के कारण लगभग 2.32 लाख रुपये के तथाकथित गबन से संबंधित है।

विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय को अप्रैल, 1989 में निधियों के गबन का पता चला था। प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के बाद, विश्वविद्यालय ने उक्त गबन की जांच करने के लिए 6-9-89 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे :

(i) यह निर्धारित करना कि किसने गबन किया और विश्वविद्यालय से लगभग 2.32 लाख रुपये की धोखाधड़ी की;

(ii) इस संबंध में जिम्मेदारी तय करना; और

(iii) ऐसे गंभीर दोषों की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय सुझाना ।

हाल ही में कुलपति द्वारा जांच-रिपोर्ट प्राप्त की गई है और इस पर कार्यकारी परिषद् द्वारा 7-9-90 को विचार किया जाना है ।

चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें

[अनुवाद]

1834. **श्री राजमंगल मिश्र :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री सूर्यनारायण सिंह :

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चट्टोपाध्याय आयोग की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अब तक स्वीकार कर लिया है;

(ख) अभी तक सरकार के विचाराधीन सिफारिशों और उसके द्वारा रद्द कर दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न अध्यापक संगठनों की मांगें क्या हैं ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक पर सरकार का क्या रुख है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) चट्टोपाध्याय आयोग (राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-I) की सिफारिशों से सम्बन्धित कार्यवाई योजना को संसद के सभा पटल पर क्रमश: 2-3-88 और 12-5-88 को रख दिया गया है ।

(ग) और (घ) चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षक संगठनों की मुख्य मांगें यह हैं कि शिक्षकों को सतत रूप से चलने वाला वेतनमान तथा मूल वेतन का 7.5% की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाए । सरकार ने सतत रूप से चलने वाले एकल वेतनमान की मांग को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह शैक्षिक स्तरों को बनाए रखने के लिए हितकारी नहीं होगा और उच्च अर्हताएं प्राप्त करने वाले शिक्षकों के एक हतोत्साही कारक के रूप में काम करेगा । यहां तक 7.5% की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान करने का सम्बन्ध है वास्तविक आवश्यकताओं के अभाव में चिकित्सा भत्ता प्रदान करना सरकार की नीति नहीं है ।

राजस्थान में आदिवासियों द्वारा भूमि पर कब्जा करना

[हिन्दी]

1835. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1988 से पहले से कितने भूमिहीन आदिवासी किसानों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है ;

(ख) इन किसानों के खिलाफ प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं ;

(ग) क्या सरकार का, इन लंबित मामलों को वापस लेने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार राजस्थान सरकार के पास वन भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित 4447 मामले लम्बित थे। इनमें से 1-1-1971 से पहले की अवधि के 3712 मामलों को नियमित कर दिया गया है, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित 1798 मामले भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) 1980 से पूर्व की अवधि के पात्र श्रेणी के सभी मामलों को नियमित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर रही है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम

1836. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम गठित करने का क्या उद्देश्य था और इसकी अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस निगम ने कौन-कौन से विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं शुरू की हैं तथा यदि शुद्ध लाभ के रूप में कोई धनराशि अर्जित की गयी है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन व बागान विकास निगम को गठित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) वन संसाधनों के दोहन एवं उनके विकास के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा मुहैया कराना, वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, मुख्य भूमि और विदेशों में इमारती और अन्य वन संसाधनों के विपणन की व्यवस्था करना।

(2) प्रामाणिक उपयोगिता वाले विभिन्न वन प्रजातियों और अन्य कृषि बागानों, बागवानी फसलों आदि के पौधे लगाना, उगाना, जोतना, उत्पादन करना और पौधरोपण करना।

(3) पौधे लगाने वालों, खेती करने वालों, उत्पादन करने वालों, विक्रयकर्त्ताओं और संसाधित अथवा असाधित इमारती लकड़ी के व्यापारियों के व्यापार को जारी रखना ।

(4) वन उत्पादों के निर्माण, कृषि सम्बन्धी पौधरोपण और बागवानी फसलों, औषधीय और सुगंधि के पौधों की खेती से संबंधित उपायों की स्थापना, उनका प्रशासन, स्वामित्व और संचालन।

(5) प्राकृतिक संसाधन बनाए रखना और उनमें सुधार लाना।

1977-78 से 1989-90 के बीच निगम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

(1) इमारती लकड़ी की कटाई 322473 घन मीटर

(2) 1539 हेक्टेयर भूमि पर रेड आयल पाम का पौधरोपण

(3) पाम आयल का उत्पादन	1981-82 से 1989-90 तक 2024.6 मीट्रिक टन
(4) रबड़ उत्पादन	1983-84 से 1989-90 तक 2938 मीट्रिक टन

वर्ष 1977-78 से 1989-90 तक संचयी कुल लाभ 1232.11 लाख रुपए और शुद्ध लाभ 29.43 लाख रुपये था। निगम ने लाभांश के रूप में सरकार को 175.88 लाख रुपए दिए। वर्ष 1989-90 में लगभग 140 लाख रुपए का कुल लाभ होने का अनुमान है।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की शिकायतें

1837. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधानाचार्यों की एसोसिएशन ने हाल ही में संगठन को अपनी शिकायतें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य मंच के प्रतिनिधियों ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए हैं :—

1. प्रधानाचार्यों और उप-प्रधानाचार्यों की स्थानान्तरण नीति।
2. भर्ती और पदोन्नति नीति।
3. उच्च वेतनमान प्रदान करना।
4. प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गोपनीयता को बनाए रखना।
5. विगत की सेवाओं की गणना।
6. प्रधानाचार्यों तथा उप-प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण के कारण प्रभावित होने वाले उनके बच्चों को कालेजों में प्रवेश।
7. शैक्षिक कार्यक्रम की समीक्षा।
8. व्यय के वित्तीय मानदण्डों का संशोधन।
9. केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पुनरीक्षा समिति रिपोर्ट मुहैया करना।
10. सेवारत पाठ्यक्रम, बैठकों के आयोजन तथा सी०जी० एच० एस० सुविधाओं आदि को प्रदान करने के लिए विद्यालयों का पता लगाना।

(ग) संगठन में इस अभ्यावेन की जांच की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा

1838. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि तकनीकी शिक्षा में प्रवेश संबंधी नीति का अधिकार केवल योग्यता ही होगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों में दाखिले की मार्गदर्शी रूपरेखाओं को शैक्षिक वर्ष 1991-92 से प्रभावी कर इन्हें लागू करने के लिए उपाय आरंभ करने हेतु इन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है ।

निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाएं निम्नलिखित हैं :

(1) **डिग्री पाठ्यक्रम** : डिग्री कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा में एक ही बार बैठने से भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में न्यूनतम कुल 60 प्रतिशत अंकों सहित 10+2 विज्ञान शिक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी राज्य सरकारें 10+2 स्तर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित के विषय में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करें। यह प्रवेश परीक्षा राज्य में सभी इन्जीनियरी डिग्री संस्थानों के लिए समान होनी चाहिए । प्रवेश परीक्षा की पात्रता के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना आवश्यक नहीं और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को बैठने की अनुमति होनी चाहिए । प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता रैंक ही दाखिले का आधार होना चाहिए ।

(2) **डिप्लोमा पाठ्यक्रम** : इंजीनियरी में डिप्लोमा कार्यक्रमों में दाखिले के न्यूनतम अर्हता परीक्षा में एक बार बैठने से विज्ञान तथा गणित में कुल न्यूनतम 60% अंकों सहित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।

इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि अमुक-अमुक राज्य सरकारों द्वारा ही दाखिले केन्द्रीय रूप से अभिशासित होने चाहिए । दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन का मानदण्ड 10+ स्तर पर माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की परीक्षा में अर्हक होने के लिए सभी विषयों में अंकों की कुल प्रतिशतता पर आधारित योग्यता रैंक होना चाहिए अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

[हिन्दी]

1839. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रसार करने के लिये उठाये जाने वाले ठोस और समय-बद्ध कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां ।

(क) उत्तर प्रदेश, जिसके अन्तर्गत राज्य के पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है । विभागीय प्रयासों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम

से अवक्रमित वन तथा सामुदायिक भूमि वनीकरण, विकेन्द्रित पौधशालाओं की स्थापना, जागरूकता पैदा करके, प्रेरणा तथा विस्तार कार्यों द्वारा और किसानों को उनकी भूमि पर रोपण के लिए पौद सप्लाई करके इन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। छठी योजना अवधि के दौरान 562010 हैक्टेयर उपलब्धि की तुलना में सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में सभी वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यकलापों के अन्तर्गत कुल 11,89,689 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य पूरा किया गया। कार्यक्रम अभी जारी है। वनीकरण लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाते हैं जोकि धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

होटलों के निर्माण हेतु पर्यावरण सम्बन्धी मापदण्ड

[अनुवाद]

1840. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तट के निकट और वन क्षेत्र में होटलों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र तट के निकट और वन क्षेत्रों में होटलों के निर्माण हेतु क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) होटलों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हुए हैं और अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) शर्तों के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

(ग) पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। अब तक 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

विवरण

तटीय भागों में समुद्रतट सैरगाहों/होटलों/आवास गृहों के निर्माण के लिए निर्धारित शर्तों के सम्बन्ध में विवरण।

(1) परियोजना प्रस्तावक ज्वार क्षेत्र से 200 मीटर तक (भूमि की ओर) तथा भाटा और ज्वार क्षेत्र के बीच के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य (अस्थायी निर्माण और कंटीली तार अथवा इस प्रकार के अन्य अवरोधकों सहित) नहीं करेंगे;

(2) आच्छादित क्षेत्र प्लाट के आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। खुले क्षेत्र में उपयुक्त हरियाली से सही तरीके से भू-दृश्य निर्माण किया जाना चाहिए;

(3) निर्माण आस-पास के भू-दृश्य तथा स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए;

(4) भवन की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और भवन दो मंजिलों (भूमि तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए;

(5) केन्द्रीय/राज्य भूमि जल बोर्ड की सहमति के बिना भूमि जल एच० टी० एल० से 500 मीटर के अन्दर से नहीं लिया जाना चाहिए;

(6) ज्वार क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर भवन, तरण-ताल तथा बेसमेंट के बुनियादी ढांचे के अलावा रेत निकालने, रेतीले भागों को समतल बनाने या खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(7) परियोजना क्षेत्र से शोधित बहिस्रावों, ठोस अपशिष्टों, उत्सर्जनों की क्वालिटी और शोर स्तर आदि केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सक्षम प्राधिकरणों, तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए;

(8) बहिस्रावों और ठोस अपशिष्टों के शोधन के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ न किए गए बहिस्रावों और ठोस अपशिष्टों को जल या समुद्री किनारों पर न बहाया जाए;

(9) लोग समुद्री किनारों तक जा सकें, इसके लिए किन्हीं दो प्लाटों के बीच कम से कम 20 मीटर चौड़ी पट्टी मुहैया कराई जाए, और

(10) यदि परियोजना से बनेस्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो तो इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी लेने की आवश्यकता है। परियोजना के सम्बन्ध में लागू अन्य केन्द्रीय और राज्य कानूनों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र में (जैसे मेरीन पार्क, कच्छ वनस्पति, मूंगे की चट्टानें, मछलियों के प्रजनन और अंडे देने की जगह तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक अन्य क्षेत्र) समुद्री सैरगाहों/होटलों/आवासों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केरल में साक्षरता मिशन योजनाएं

1841. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या प्रधा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के लिए साक्षरता मिशन सम्बन्धी कौन-कौन सी योजनाएं मंजूर की गयी हैं;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) क्या साक्षरता मिशन के लिए केरल को निःशुल्क अखबारी कागज दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) केरल सरकार द्वारा मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में, स्थापित की गई एक पंजीकृत सोसाइटी केरल साक्षरता समिति तिरुवनंतपुरम मार्च, 1990 में समाप्त हो रहे एक वर्ष की अवधि में केरल राज्य में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

(ख) परियोजना के प्रारम्भ से ही निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए गए हैं :

रु० लाख में

स्कीम	1989-90 में दी गई राशि	1990-91 में दी गई राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4
ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	152.76	125.00	लेखों के सामंजस्य की शर्त पर 27.68 लाख रुपये की दूसरी राशि पर विचार किया जाएगा।

1	2	3	4
पूर्ण साक्षरता परियोजना के लिए अतिरिक्तता	100.00	200.00	
राज्य/जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक ढांचे	2.00	*	*राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
स्वैच्छिक एजेंसियां	5.81		

यह भी निश्चय किया गया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केरल राज्य में पूर्व में प्रदत्त निधियां इकट्ठी की जाएगी और पूर्ण साक्षरता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केरल साक्षरता समिति को दी जाएगी।

(ग) भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को न्यूजप्रिंट आवंटन की योग्यता पूरी नहीं करती। तथापि, मानव साधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दिए गए हवाले पर उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) द्वारा कलकत्ता के हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, लिमिटेड को 10-7-90 को अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उसे कारपोरेशन और समिति के मध्य तय किये गये मूल्य के आधार पर केरल साक्षरता समिति को 300 टन कागज तत्काल सप्लाई करने को कहा गया है। इस मंत्रालय की सिफारिश पर भी यूनीसेफ परियोजना के लिए साक्षरता पुस्तकों के कागज और मुद्रण की लागत को आंशिक रूप से सम्मिलित करते हुए केरल साक्षरता समिति को 12.00 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है।

केरल में पेरियार नदी की सफाई

1843. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में पेरियार नदी की सफाई हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) निधियां उपलब्ध होने पर और गंगा कार्य योजना से प्राप्त अनुभव पर आठवीं योजना में इस परियोजना पर विचार किया जा सकता है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रचार सामग्री की कमी

1844. **श्री डी० अमात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रादेशिक भाषाओं में इश्तिहारों, प्रौढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में दिखायी जाने वाली फिल्मों जैसी उचित प्रचार सामग्री की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से वितरण के लिए पोस्टर, श्रव्य कार्यक्रम, वीडियो फिल्में, "स्पाट्स" तथा क्विकीज", और 16 मि० मी० फिल्में, अंग्रेजी तथा हिंदी, दोनों

में तैयार की हैं। क्षेत्र प्रचार अधिकारियों, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों और अन्य प्रौढ़ शिक्षा एजेंसियों को मुद्रित सामग्री भेजी जाती है। निदेशालय अनुरोध करने पर साफ्टवेयर भी उधार देता है। इलैक्ट्रानिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग (ई० टी० एंड टी०) को निदेशालय द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर के वितरण (सस्ते दाम पर) का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों अथवा राज्य संसाधन केन्द्रों की सिफारिश पर निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के निर्माण को संस्वीकृति प्रदान करता है।

प्रौढ़ शिक्षा के राज्य संसाधन केन्द्रों ने भी, जो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टर, फिल्में और अन्य सामग्री तैयार की है ताकि क्षेत्र प्रचार, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण को सुकर बनाया जा सके।

इनके अतिरिक्त, प्रौढ़ शिक्षा यदाधिकारी पोषण, प्रतिरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, बाल विकास, पर्यावरण, जनसंख्या शिक्षा; आदि के संबंधित विषयों पर राज्य सूचना विभागों, स्वास्थ्य शिक्षा विभागों और क्षेत्र प्रचार संगठनों द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर तथा मुद्रित सामग्री को भी उपयोग में लाते हैं।

निरक्षरता उन्मूलन में गैर-सरकारी एजेन्सियों का शामिल किया जाना

1845. **श्री डी० अमात : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का देश में निरक्षरता उन्मूलन अभियान में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय निरक्षरता उन्मूलन कार्य में संलग्न किसी गैर-सरकारी संगठन ने केन्द्रीय सरकार से सहायता देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए भारत सरकार के पास पहले से ही सहायता की एक योजना है जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को साक्षरता उत्तर साक्षरता और अन्य कोई कार्यकलाप चलाने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन०एल०एम०) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त हो।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के आरंभ अर्थात 1987-88 से 45433 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और 2355 जन शिक्षण निलयम चलाने के लिए 620 स्वैच्छिक एजेंसियों को 2700.34 लाख रुपए का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है।

इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सुझाव

1846. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि रुग्ण एककों को शीघ्र अर्थक्षम बनाने और उनकी रुग्णता रोकने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में, इसके लिए रणनीति शामिल की जाये; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने यह भी कहा है कि यदि यह कदम तत्काल नहीं उठाये गये तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, औद्योगिक रुग्णता की स्थिति चिंताजनक हो जायेगी;

(ग) यदि हां, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने अन्य क्या सुझाव दिए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अन्य उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) से (ग) हमें ऐसे किसी संगठन के संबंध में जानकारी नहीं है जो "इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री" के नाम से जाना जाता है, और न ही पूर्वोक्त चैम्बर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। फिर भी औद्योगिक रूग्णता का मुद्दा औद्योगिक पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यशाला के लिए पृष्ठ-भूमि पत्र के रूप में सी०ई०आई० (कंफेडेरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री) द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज में उठाया गया था। उक्त दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ भारत में औद्योगिक रूग्णता के विस्तार, प्रबंध व्यवस्था में प्रमुख संरचनात्मक खामियों सरकार भारतीय रिजर्व बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक रूग्णता से निपटने के लिए की गई कार्रवाई का सारवृत्त दिया गया है और उसमें औद्योगिक रूग्णता से निपटने के कुछ सुझाव भी दिये हैं।

(घ) और (ङ) औद्योगिक रूग्णता से निपटने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इनमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत वित्तीय और अन्य राहत बी०आई०एफ०आर० और आई०आर०बी० आई० जैसी संस्थाओं की स्थापना केन्द्रीय मंत्रालयों आर० बी० आई०, आई० डी० पी० ई० आदि में औद्योगिक रूग्णता के प्रबोधन के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना, विशेष आधुनिकीकरण योजनायें जैसे जूट आधुनिकीकरण निधि और कपड़ा उद्योग आधुनिकीकरण निधि और रूग्ण लघु उद्योग इकाईयों के पुनरुत्थान के लिए मार्जिन मनी का प्रावधान आदि शामिल है।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उससे निर्मित वस्तुओं की बिक्री और निर्यात

1847. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना वाणिज्यक दृष्टि से की गई है;

(ख) क्या देश में विकसित अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उससे निर्मित वस्तुओं की बिक्री और निर्यात करने का कोई व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के क्रियाकलापों का उद्देश्य मुख्य रूप में दूरसंचार, दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण और वितरण, मौसम विज्ञानीय सेवाएं, सुदूर संवेदन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और मानीटरन इत्यादि, जैसे राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोगों के लिए अन्तरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। उपर्युक्त के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक और स्पिन-आफ प्रयोगों का संवर्धन इसके गौण उद्देश्य के रूप में हैं।

(ख) और (ग) विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक कार्यक्रम विद्यमान है। अन्तरिक्ष विभाग के प्रौद्योगिकी अन्तरण कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्तरिक्ष उपस्करों और उत्पादों के उत्पादन में राष्ट्रीय उद्योगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, के उपयुक्त विस्तार के माध्यम से इसका अनुसरण किया जा रहा है। इन मदों और संबंधित/सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के स्पिन-ऑफ

उपयोग हो सकते हैं, जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है । स्वदेशी रूप में विकसित अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के निर्यात को निम्न प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है :

—इस कार्यक्रम में विकसित उत्पादों/सेवाओं, जिनकी बाजार के संदर्भ में अच्छी सम्भावना तथा लागत लाभ हैं, की कुछ मदों के निर्धारण द्वारा; उदाहरण के लिए संचार जाल आधारित सेवाओं का अनुवर्तन करना, उपग्रहों में प्रयुक्त संचार उपकरण जैसे उपयोग संबंधी संघटक, उपग्रह पुर्जों तथा दीर्घ काल में स्वयं सम्पूर्ण उपग्रह प्रणाली प्रदान करके; और

—पिछले दशक के दौरान भारत में अन्तरिक्ष कार्यक्रम द्वारा अपने प्रौद्योगिकी अन्तरण में प्राप्त अनुभव के प्रयोग से और राष्ट्रीय उद्योगों, जिन्हें अन्तरिक्ष से संबंधित प्रणालियों, उप-प्रणालियों और संघटकों का उत्पादन करने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन तैयार किया गया है, को समुचित रूप से सहयोग देकर प्रोत्साहित करना ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में मार्ग निर्देश

1848. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कोई नये मार्ग निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अंश-कालिक अध्यक्ष, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं तथा इस संबंध में एक समय-अनुसूची निर्धारित की गई है । बोर्ड स्तर की विभिन्न नियुक्तियों के लिए पद पर रिक्ति होने से छः मास पहले चयन की प्रक्रिया शुरू की जानी होती है तथा यह उन मामलों में लागू होगा जहां पर अधिवर्षिता कार्यविधि समाप्त होने आदि की वजह से रिक्तियों की प्रत्याशा की जाती है । चयन की प्रक्रिया केवल उन्हीं मामलों में रिक्ति होने के पश्चात् शुरू की जाती है जब पद रिक्त त्याग पत्र देने, पद से हटाए जाने, पदधारी की मृत्यु अथवा किसी व्यक्ति द्वारा एक उद्यम से दूसरे उद्यम में जाने पर होती है ।

कागज और लुगदी उद्योग को प्रौद्योगिकी का अन्तरण

1849. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने कागज और लुगदी उद्योग के कुछ निर्माताओं को पांच स्वदेशी निर्मित उपकरणों के रूप में नई प्रौद्योगिकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई प्रौद्योगिकी से देश में कागज और लुगदी के उत्पादन में वृद्धि होगी; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को अब तक किस सीमा तक प्रयोग में लाया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) जी, हां। निम्नलिखित उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण की पेशकश की गई है :

(1) लोकोमॉन (न्यून संगतता मॉनीटर)

(2) आर्द्रता मापन यंत्र

(3) जी० एस० एम० मापन यंत्र

(4) सी-फ्रेम यंत्रीकरण

(5) ओ-फ्रेम यंत्रीकरण

उपकरणों के कार्य

लोकोमॉन : यह उपकरण 0.1% से 1% के रेंज में लुगदी की एकरसता पर निगरानी रखता है। कागज के उत्पादन में एक जैसी क्वालिटी के लिए इसका एकरस होना अत्यंत महत्वपूर्ण मापदण्ड है।

आर्द्रता मापन यंत्र : यह उपकरण कागज में आर्द्रता मापने के प्रयोग में लाया जाता है, साथ ऑन लाइन प्रचालन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्द्रता का मापन ठीक-ठीक होने से वाष्प का प्रयोग अभीष्ट स्तर पर होता है। और निम्न स्तर की क्वालिटी के कागज को दुबारा संसाधित करने की जरूरत कम पड़ती है और इसके फलस्वरूप एक ओर जहां ऊर्जा की बचत होती है वहीं दूसरी ओर उत्पादन अधिक होता है।

जी०एस०एम०मापन-यंत्र : इस उपकरण से कागज तैयार करने वाली मशीन का प्रचालक आधार भूत भार का नाम ग्राम प्रति वर्ग मीटर में निकाल सकता है। इससे कागज की क्वालिटी में सुधार लाने में सहायता तो मिलती ही है, साथ ही कच्ची सामग्रियों की बचत होती है और उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

सी-फ्रेम यंत्रीकरण : इस उपकरण से कागज तैयार करने वाली मशीन का प्रचालक एक ही स्थान से ऑन-लाइन परिमापन के जरिए आधारभूत वजन तथा आर्द्रता पर निरन्तर रूप से नियंत्रण रख सकता है। इसके फलस्वरूप न केवल बढ़िया क्वालिटी के कागज का उत्पादन होता है, बल्कि ऊर्जा की भी बचत होती है।

ओ-फ्रेम यंत्रीकरण : यह उपकरण तीन महत्वपूर्ण मापदण्डों का परिमापन करता है अर्थात् कागज तैयार करने की प्रक्रिया में ऑन-लाइन मोड पद्धति से आधारभूत भार, आर्द्रता तथा कैलिपर। इससे बढ़िया क्वालिटी के कागज का उत्पादन करने, ऊर्जा और कच्ची सामग्रियों की बचत करने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

प्रौद्योगिकी का प्रवर्तन : उपर्युक्त सभी उपकरणों का पिछले चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य स्थित कुछ लुगदी एवं कागज मिलों में भली-भांति क्षेत्रीय परीक्षण किया गया है। इन परीक्षणों के परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं, और लुगदी एवं कागज उद्योग ने इन उपकरणों में काफी दिलचस्पी दिखाई है; इन उपकरणों के कई विनिर्माताओं ने इनके विनिर्माण में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने वर्ष 1989 में इन उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारतीय उपकरण विनिर्माताओं को इस प्रौद्योगिकी की पेशकश की थी और इस समय चार विनिर्माताओं को यह प्रौद्योगिकी अनन्य रूप से अन्तरित करने के बजाए अन्य विनिर्माताओं के लिए भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है।

भारतीय शान्ति सेना के अपंग कर्मियों को रोजगार

[हिन्दी]

1850. श्री संजय लाल :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय शांन्ति सेना के अपंग सैनिकों को वरीयता के आधार पर रोजगार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1990 तक ऐसे कुल कितने सैनिकों को रोजगार दिया गया; और

(ग) सरकार का शेष सैनिकों को कब तक रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) युद्ध अथवा शांति काल में निशक्त हुए रक्षा सेवा कार्मिक जिनकी निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो, को रोजगार के लिए प्राथमिकता-I दी जाती है। भारतीय शांति सेना के निशक्त कार्मिकों के लिए विशेष रियायत के रूप में यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें भारत सरकार तथा अन्य सामान्य भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाये।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वानिकी स्नातकों को रोजगार

1851. श्री संजय लाल :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में "फारेस्ट्री ग्रेजुएट्स फ्यूचर अनसर्टेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या ऐसे सैकड़ों स्नातक उचित रोजगार के अवसरों की तलाश में हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने से पहले राष्ट्रीय वन नीति को ध्यान में रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो वनों के विकास के लिए इन युवाओं की सेवाओं का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वानिकी स्नातकों के लिए कोई विशिष्ट पद आरक्षित नहीं किये गये हैं। भारतीय वन सेवा में भर्ती के लिए वानिकी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे राज्य वन सेवाओं और रेन्जर संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं में वानिकी को एक विषय के रूप में शामिल करें।

"नेशनल राइफल्स फोर्स" का गठन

1852. श्री संजय लाल :

श्री आर० एन० राकेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करके "नेशनल राइफल्स फोर्स" का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त "फोर्स" के लिए किस तारीख से भर्ती प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो 2.82 लाख भूतपूर्व सैनिकों को, जो 10 जनवरी, 1990 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) से (घ) 1. सरकार ने एक समर्पित तथा विशिष्ट बल का गठन करने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। इस बल में अधिकांश रूप से सेना के सेवारत तथा/अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक होंगे। इस बल का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ सीमावर्ती राज्यों के भीतरी भागों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने और विद्रोही तत्वों को नियंत्रित रखने के उपायों में और तेजी लाना है। इस बल के ब्यौरे अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं किए किए हैं। बल का गठन होने पर देश के सभी रोजगार कार्यालयों में जिन भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज हैं उन सभी को उसमें खपाए जाने की व्यवस्था नहीं है।

2. केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी सिविल पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा, उनके लिए अपना रोजगार खोलने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें ये शामिल हैं—सैम्फैक्स-1, जिसके अंतर्गत लघु उद्योग चलाने के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था है; सैम्फैक्स-2, जिसमें देहातों में खेती या खेती से भिन्न कार्य-कलापों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां देना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एजेंसियां देना, कोयला तथा पेट्रोल पदार्थों को ढोने की एजेंसियां देना, रक्षा स्थापनाओं आदि को अपना माल बेचने वाली भूतपूर्व सैनिकों की लघुक्षेत्र औद्योगिक इकाइयों को मूल्य में राहत देना आदि।

वायुसेना के लिए ट्रालियां

[अनुवाद]

1853. डॉ० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक भारतीय वायुसेना के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रालियों की सप्लाई करता करता है;

(ख) क्या ट्रालियों का स्वयं उत्पादन करने की बजाए, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इनकी खरीद गैर-सरकारी संगठनों से करता है तथा इस प्रकार एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इन ट्रालियों का उत्पादन जनशक्ति और इनके उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद क्यों नहीं कर रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां ।

(ख) ट्रालियों का डिजाइन हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में निजी क्षेत्र की कपनियों/लघु क्षेत्र यूनिटों द्वारा इन ट्रालियों का निर्माण किया जाता है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कमीशन एजेंट के रूप में काम नहीं करती। इन ट्रालियों का डिजाइन इस कम्पनी के सृजन सम्पत्ति है और वह तकनीकी सेवाओं के प्रभार के रूप में उनसे इन ट्रालियों के निर्माण का वही खर्च लेती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कम्पनी को ट्रालियों की जरूरत बहुत थोड़ी होती है लेकिन उनके निर्माण के लिए अपेक्षित सुविधाएं जुटाने पर अधिक धन लगाना होता है इसलिए उनका निर्माण कार्य उप संविदा पर निजी/लघु क्षेत्र फर्मों को देना अधिक किफायती होता है ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की उपलब्धियां

1854. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने विभिन्न प्रकार के विमानों का डिजाइन बनाने और उनका निर्माण करने के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं;

(ख) शत प्रतिशत भारतीय प्रौद्योगिकी से किस विमान का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा विमानों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) इस समय एच० पी० टी०-32 प्रशिक्षण वायु का जो देशी डिजाइन का है, निर्माण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में किया जा रहा है ।

(ग) वायुयानों का लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण करने के संबंध में निजी क्षेत्र की कुछ फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परन्तु इनमें से किसी भी फर्म को अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है।

विवरण

मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) का मुख्य व्यवसाय विभिन्न प्रकार के वायुयानों, हैलीकाप्टरों, एयरो-इंजनों, वैमानिकी यंत्रों तथा हिस्से पुर्जों के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत तथा ओवरहाल करना है। प्रारम्भ से ही मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड स्वदेशी

डिजाइन के विमानों के साथ-साथ विदेशी सहयोग से लाइसेंस के अंतर्गत वायुयानों के निर्माण में लगा हुआ है। दोनों तरह के वायुयानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	देशी डिजाइन के आधार पर निर्मित वायुयान	क्र० सं०	विदेशी सहयोग से लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित वायुयान
1.	एच० टी०-2	1.	प्रेंटिस
2.	पुष्पक	2.	वैम्पायर
3.	कृषक	3.	नैट
4.	मारूत मार्क-1	4.	जगुआर
5.	मारूत प्रशिक्षक	5.	मिग-21 श्रेणियां
6.	बसन्त	6.	मिग-27 एम०
7.	किरण मार्क-1/मार्क-1क	7.	एच० एस०-748
8.	अजीत	8.	डोरनियर
9.	एच० पी० टी०-32	9.	चीता हेलीकाप्टर
10.	किरण मार्क-2	10.	चेतक हेलीकाप्टर
11.	अजीत प्रशिक्षक		
12.	एच० टी० टी०-34		

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड एक उन्नत किस्म के हल्के हेलीकाप्टर के डिजाइन और विकास कार्य में भी लगा हुआ है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिला छात्रावासों के लिए अनुदान

1855. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला छात्रावासों के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष कितने महिला छात्रावासों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है और उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में महिला छात्रावासों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने प्रस्तावों पर विचार किया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ उच्चतम सीमा की शर्तें पर कालेजों/विश्वविद्यालयों में महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण लिए सहायता का अपना अंशदान सातवीं योजना में 75 प्रतिशत से आठवीं में योजना 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

(ख) आयोग ने सातवीं योजना के दौरान 156 महिला छात्रावासों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार छात्रावासों की क्षमता 6 से 200 तक की है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाराष्ट्र के कालेजों/विश्वविद्यालयों में 14 महिला छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी। आयोग ने आठवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच

1856. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी अधिकारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामलों की जांच की गई; और

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के जंगल में आग लग जाने से जानवरों के मरने संबंधी शिकायतें

[हिन्दी]

1857. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 तक के दौरान जंगल में आग लगने और चोरी छिपे शिकार करने की घटनाओं से जंगली जानवरों और संरक्षित नस्लों के मरने और उनके मारे जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इनमें मारे गए जानवरों के नाम और उनकी संख्या कितनी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की पत्नी/पति का उसी स्थान पर स्थानांतरण

[अनुवाद]

1858. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय के जिन शिक्षकों के पति/पत्नी विभिन्न स्थानों पर कार्यरत/रह रहे हैं, उनके स्थानांतरण एक ही स्थान पर करने संबंधी उपबंध क्या है; और

(ख) ऐसे कितने शिक्षक हैं जो पिछले तीन वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनका अभी तक उनकी पत्नी/पति के कार्य करने के स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विमनभाई मेहता) : (क) रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर पति/पत्नी को अपने परिवार के साथ रहने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानांतरण संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं में प्रावधान विद्यमान है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को भी उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की तैनाती

1859. **श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में तैनात अध्यापक उस क्षेत्र में तीन वर्ष तक रहने के बाद अपनी मनपसंद के स्थान पर स्थानांतरित होने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संगत प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अनेक अध्यापकों को वहां पांच वर्ष से अधिक समय तक अथवा लगभग पांच वर्षों तक तैनात रहने के बाद भी स्थानांतरित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक उसी पद्धति के आधार पर आवश्यक परिवर्तन सहित रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, क्षेत्र में तीन वर्षों के प्रवास के बाद अपनी इच्छा के स्थान पर स्थानांतरण के पात्र होते हैं।

(ग) और (घ) अनुदेशों के अन्तर्गत शामिल शिक्षकों को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर पिछले सत्र में स्थानान्तरित किया गया था। तथापि, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वर्ष 1984 में विशेष रूप से भर्ती किए गए शिक्षकों के संबंध में उत्तर पूर्व क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने का निर्णय, संगठन की स्थानांतरण संबंधी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, वर्ष 1990-91 से लागू कर दिया गया है।

नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के कारण पर्यावरण संबंधी खतरा

1860. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के कारण पर्यावरण संबंधी खतरों और उन संयंत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को होने वाले खतरों पर विचार किया है;

(ख) क्या विकिरण, आदि से होने वाले खतरों का अध्ययन करने के संबंध में कोई प्रणाली है;

(ग) क्या सरकार का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का विचार है;

(घ) आर० ए० पी० पी० रावतभाटा का, इसके आरम्भ से लेकर अब तक का क्या सुरक्षा रिकार्ड रखा है; और

(ङ) सुरक्षा में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। बिजलीघरों के सामान्य रूप से काम करने के दौरान संयंत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाती हैं और सुरक्षोपाय काम में लाए जाते हैं।

(ख) जी, हां। जीवों पर विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किए जाने वाला अनुसंधान कार्य एक निरंतर चलने वाला प्रयास है।

(ग) वर्तमान नियामक व्यवस्था के अंतर्गत परमाणु बिजलीघरों से संबंधित सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी पहलुओं के बारे में निरन्तर समीक्षा की जाती है। सभी कार्यरत परमाणु बिजलीघरों में जल, मिट्टी, खाद्य पदार्थ, वायु और विभिन्न अन्य उत्पादों के नमूनों की निरंतर जांच उनमें विकिरण सक्रियता की मात्रा का पता लगाने के लिए करने के वास्ते पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं। पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं परमाणु बिजलीघर का प्रचालन शुरू होने से पहले ही काम करना शुरू कर देती हैं ताकि भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधारभूत आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा की गई खोजों की समीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा की जाती है।

(घ) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, रावतभाटा का सुरक्षा संबंधी रिकार्ड विशेष तौर पर पर्यावरण से संबंधित पहलुओं की दृष्टि से बहुत संतोषजनक रहा है।

(ङ) परमाणु बिजलीघरों में सुरक्षा की दृष्टि से सुधार करना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यह काम सुरक्षा के संबंध में तीन स्तरों पर समीक्षा करके किया जाता है। यह स्तर हैं— संयंत्र स्थल पर बिजलीघर प्रचालन समीक्षा समिति, यूनिट सुरक्षा समिति जिसमें बिजलीघर से बाहर के व्यक्ति भी सदस्य होते हैं तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की सुरक्षा समीक्षा समिति। सुरक्षा की दृष्टि से प्रचालन संबंधी कार्यनिष्पादन की अंतिम रूप से समीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा की जाती है।

खाद्य किरणन की समस्याएं

1861. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य किरणन प्रक्रिया से खाद्य घटकों में परिवर्तन और कुछ आवश्यक पौष्टिक घटकों के नष्ट होने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं;

(ख) यदि हां, तो खाद्य किरणन को अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उपभोक्ता भारत से निर्यात किए जाने वाले किरणन खाद्य पदार्थों की अस्वीकृति कर उसका विरोध करेंगे;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रेडियोधर्मी सामग्री और किरणन के प्रयोग की सम्पूर्ण प्रक्रिया में एटामिक एनर्जी आइसोलाइफ यूनिटस और इररेडिएटर्स में कार्य करने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों को भी इससे गंभीर खतरा होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके खतरनाक प्रभावों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) किरणन के परिणामस्वरूप खाद्य घटकों और आवश्यक पौष्टिक घटकों में परिवर्तन होते हैं, लेकिन निर्धारित मात्रा स्तरों पर किरणन करने से ये परिवर्तन अल्पतम होते हैं। भारत सहित अनेक देशों में विस्तृत रूप से जांच करने पर यह पाया गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता तथा पौषणिकता पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है।

(ख) सरकार खाद्य पदार्थों के किरणन का कार्यक्रम और आगे इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि वह जानती है कि खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में जैसे कि फसल के बाद होने वाली हानियों को कम करने, रोग जनकों को दूर करने, कीड़ों और जीवाणुओं से विसंदूषित करने

में उसके बहुत लाभ हैं तथा भारत से निर्यात की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की क्वालिटी को कठोर मानदंडों के अनुसार पूरा करने में उसका बहुत महत्व है।

(ग) यूरोप और अमरीका में अनेक देशों में कई विशिष्ट खाद्य सामग्रियों का खाद्य किरणन किया जाता है।

(घ) और (ङ) खाद्य किरणन की प्रक्रिया में लगे कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव से कार्मिकों और पर्यावरण का बचाव सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार ने सुरक्षा संबंधी पर्याप्त सावधानियां बरती हैं। इस बात को सुनिश्चित करने तथा इस बारे में जांच करने के लिए कि ग्रहण की गई विकिरण की मात्रा स्वीकार्य स्तरों से काफी कम है, सुप्रसिद्ध प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा पान की बेल की खेती का आधुनिकीकरण

1863. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ पान की बेल की खेती के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा कितने एकड़ भूमि पर गैर-सरकारी किसानों द्वारा इस आधुनिकीकरण को अपनाया गया है तथा इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने पान की बेलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन भी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सुधारात्मक उपाय के लिए कृषि तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों का ध्यान इन परिणामों की ओर आकर्षित किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन० बी० आर० आई०) लखनऊ द्वारा पान की बेल की खेती से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है। आकृति विज्ञान (मोरफोलोजी) और आवश्यक तेलों के रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) के आधार पर पान की बेल का 85 किस्मों को पांच प्रमुख कृषि जोपजातियों (कल्टीवार) में वर्गीकृत किया गया है। सिंचाई जल और उर्वरकों के प्रयोग में किफायत, 100 प्रतिशत तक रोगों और नाशकजीवों के कारण पान की बेल की खेती की बचत करने की लागत व्यवस्था जैसी कृषि तकनीकों के पैकेज को भी संस्थान ने मानकीकृत किया है। इन रोगनिरोधी उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन (पैदावार) में बढ़ोतरी, निधानी (सेल्फ) जीवन और गुणता में सुधार हुआ है।

किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिसके माध्यम से आधुनिकीकरण का विस्तार हो रहा है। महोबा जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में लगभग 150 एकड़ भूमि में और पड़ोस के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्य 200 हेक्टर भूमि पर इन उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इससे खेती की वसूली में ही केवल वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि इससे पान की खेती करने वालों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

(ख) और (ग) केवल रोग प्रबन्धन के लिए आमानीपूर्वक बायो-डिग्रेडेबिल ताम्र कवकनाशियों का प्रयोग करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययनों में सिफारिश की गई है। आई० सी० ए० आर० समन्वित परियोजना की वार्षिक कार्यशाला में नाशक जीवों और रोग प्रबंधन पर प्रयोगों (परीक्षणों) के परिणामों की चर्चा की जाती है और कृषकजनों को इसकी अन्तिम सिफारिशें हस्तान्तरित की जाती हैं। ये सिफारिशें कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय हेतु भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय युवा आयोग

1864. **श्री बी० कृष्णराव :**

श्री सी० पी० मुद्दाल गिरियप्पा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक युवा संगठनों ने सरकार से युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इन संगठनों ने सरकार से युवाओं की समस्याओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय युवा आयोग गठित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) 18 से 20 मई, 1990 तक आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ने अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का सुझाव दिया। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

जनजातियों को स्वामित्व और अधिकार देने सम्बन्धी नीतिगत निर्णय

1865. **श्री के० प्रधानी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातियों को जो पिछले 20 वर्षों से वन भूमि में रह रहे हैं, भूमि में रह रहे हैं, भूमि के अधिकार का अन्तिम रिकार्ड देने का कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सरकार ने आदिवासियों द्वारा ऐसी वन भूमि के स्वामित्व को विनियमित करने का निर्णय लिया है, जहां संबंधित राज्य सरकारों ने वन (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने से पहले वन भूमि के अधिक्रमण की पात्र श्रेणियों को नियमित करने का निर्णय लिया था किन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम के पारित होने के कारण निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका था। केवल ऐसे मामलों पर निर्णय लिया जाएगा जहां 1980 से पहले ऐसी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अधिकार किया गया था और वह अधिकार अब भी जारी है।

पंजाब में भारत-अमेरिकी संयुक्त इलेक्ट्रोनिक परियोजनाओं की स्थापना

[हिन्दी]

1866. **स० अतिन्दर पाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना हेतु इस क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए किसी अमेरिकी दल ने जून, 1990 में पंजाब का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमेरिकी दल के दौरे के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या अमेरिकी सहयोग से पंजाब में इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सहयोग किन शर्तों पर किया जा रहा है और पंजाब में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड में आरक्षित पद

[अनुवाद]

1867. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्र धातु निगम लिमिटेड में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सामान्यतः मिलने वाली छूट क्यों नहीं दी गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) वर्ष 1987 से 1989 के दौरान पदोन्नत किए गए कुल 589 कर्मचारियों में से 107 कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा 28 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के थे।

(ख) कम्पनी के इन पदोन्नतियों के समय आरक्षण संबंधी नियमों के अनुपालन के साथ-साथ सामान्य छूट/रियायतों को भी ध्यान में रखा है।

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड में समयबद्ध पदोन्नति

1868. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड में समयबद्ध पदोन्नति योजना नीति का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रबन्ध मंडल द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जनवरी, 1990 तथा उच्चतम न्यायालय (ए० आई० आर० 1989 एस० सी० 189) के निर्णयों के अनुसार टाइम स्केल पदोन्नति नीति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय जिन तथ्यों पर आधारित हैं वे हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में रिक्तियों पर आधारित पदोन्नति प्रणाली समयबद्ध पदोन्नति प्रणाली के अतिरिक्त है न कि

इसके स्थान पर तथा कम्पनी में केवल रिक्तियों पर आधारित पदोन्नति प्रणाली के अन्तर्गत ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% तथा 7½% आरक्षण की व्यवस्था जारी है।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

[हिन्दी]

1869. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार सुखाड़िया विश्वविद्यालय को वर्ष 1990-91 के दौरान विकास के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विश्वविद्यालय को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर न देकर पंचवर्षीय योजना के लिए अनुदान प्रदान करता है। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 7वीं योजना के दौरान सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 1,67,81,000/- रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया था जिसमें से वास्तव में 1,08,35,000/- रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 8वीं योजना के लिए विश्वविद्यालयों के आवंटनों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। तथापि, इन आवंटनों की 7वीं योजना के आवंटनों से कम होने की संभावना नहीं है।

ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना

1870. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :**

श्री नकुल नायक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू योजनाओं के अतिरिक्त मूलभूत खेल सुविधाओं के सृजन के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजनाएं तथा अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं मुख्यतः ग्रामीण खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए संचालित की जा रही हैं।

(ख) उपर्युक्त दो योजनाओं में से प्रथम योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक में एक ग्रामीण विद्यालय को प्रारम्भ में एक लाख रुपये तक तथा दूसरी योजना के अन्तर्गत ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) 1990-91 के दौरान क्रमश: 200 लाख रुपये (योजनागत) तथा 52 लाख रुपये (योजनेत्तर) का बजट प्रावधान किया गया है।

पुरानी दिल्ली में छोटे विद्यालयों के लिए भूमि

[अनुवाद]

1871. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुरानी दिल्ली में अनेक छोटे विद्यालयों को पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रेक्षागृहों, खेल के मैदानों आदि शिक्षा सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता है; और

(ख) इन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, नगर की चार दीवारी के क्षेत्र में अधिकांश स्कूलों में पुस्तकालयों और वाचनालयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु खेल के मैदान नहीं हैं। नए स्कूलों को खोलते समय दिल्ली प्रशासन बुनियादी सुविधाओं प्रदान करने का विशेष ध्यान रखता है। तथापि भूमि की कमी के कारण, नगर की चार दीवारी वाले क्षेत्र में इन सुविधाओं के प्रसार किए जाने की संभावना नहीं है।

तेज ध्वनि के कारण खजुराहो मंदिरों में दरारें आना

[हिन्दी]

1872. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने सरकार को सुझाव दिया था कि खजुराहो मंदिरों के पास से गुजरने वाले वायुयानों की तेज ध्वनि से मंदिरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप इन मंदिरों में दरारें आ सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हवाई अड्डे को, खजुराहो से कुछ दूरी पर स्थानांतरित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का विचार है ताकि मंदिरों को ऐसी क्षति न पहुंच सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) खजुराहों के मंदिरों के ऊपर नीची उड़ान भरने वाले हवाई-जहाजों द्वारा होने वाली ध्वनि-कंपनों से उन पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभावों और तरेड़ों के आने के बारे में 1981 में समाचार-पत्रों में व्यक्त की गई आशंकाओं के बाद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) और नागर उड्डयन प्राधिकारियों, जिनसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संपर्क किया था, ने स्पष्ट किया है कि वायु उड़ानों से हुई कंपनों के प्रभाव नगण्य हैं और इस प्रकार के हैं कि उनसे मंदिरों पर किसी दरार पड़ने या हानि होने की संभावना नहीं है। इसीलिए एयरपोर्ट को स्थानांतरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट

[अनुवाद]

1873. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट के खंड-एक में शहरीकरण की गति बढ़ाने के लिए किन-किन 58 जिलों की जोरदार सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा बेरोजगारों के आर्थिक विकास के लिए क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) (क) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट के खंड 2 में दिए अनुसार 58 जिलों के नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) अभी तैयार की जानी है । जिला विशेष को आवंटन के ऐसे ब्यौरों की गणना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य की योजना तैयार करते समय की जानी होगी ।

विवरण

1. अहमदाबाद
2. पुणे
3. नागपुर
4. कानपुर
5. विशाखापटनम
6. कृष्णा
7. धनबाद
8. सिंहभूम
9. रांची
10. धनबाद
11. सूरत
12. वडोदरा
13. धारवाड़
14. एर्नाकुलम
15. इंदौर
16. जबलपुर
17. ग्वालियर
18. दुर्ग
19. सुन्दरगढ
20. लुधियाना
21. अमृतसर
22. जोधपुर
23. कोटा
24. कोयम्बटूर
25. मदुराई
26. तिरूचिरापल्ली
27. सलेम
28. वाराणसी
29. आगरा
30. इलाहाबाद
31. मेरठ
32. भडौच

33. दक्षिण कन्नड
34. वर्धमान
35. मिदनापुर
36. कटक
37. कोरापुट
38. लखीमपुर
39. कृष्णा
40. जामनगर
41. राजकोट
42. भावनगर
43. जूनागढ़
44. अम्बाला
45. बेलारी
46. रतलाम
47. जालंधर
48. अजमेर
49. बीकानेर
50. चेंगलपट्ट
51. नीलगिरि
52. तिरूनेलवेली
58. देहरादून
54. झांसी
55. दमन
56. यनम
57. माहे
58. करैकल

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटन

[हिन्दी]

1874. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय सरकार ने कितनी अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया है; और

(ख) इस धनराशि को किन-किन कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से सम्बद्ध वार्षिक योजना 1989-90 और 1990-91 में अनुमोदित परिव्ययों का विवरण संलग्न है।

विवरण

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1874 दिनांक 20-8-90

उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में प्रमुख गरीबी विरोधी कार्यक्रमों से सम्बद्ध वार्षिक योजना 1989-90 और 1990-91 में अनुमोदित परिव्ययों के तुलनात्मक आंकड़े।

(लाख रु०)

क्रम सं०	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	
		1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और सम्बद्ध कार्यक्रम	7805	8118

1	2	3	4
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)	693	693
3.	जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)	10341.23	11275
4.	भूमि सुधार	3000	3610

दमन में एक होटल के लिए आरक्षित वन भूमि रिलीज करना

[अनुवाद]

1875. श्री बी० राज रवि वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दमन में 3.5 हेक्टेयर सरकारी भूमि एक होटल समूह द्वारा पट्टे पर दिये जाने के सौदे की जांच करने का आदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पट्टे पर दी गई यह भूमि आरक्षित वन भूमि का भाग है और दमन और द्वीप के प्रशासन द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अपेक्षित केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना ही इसे पट्टे पर दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) कलेक्टर, दमन ने दिनांक 10-6-1988 को सर्वेक्षण सं० 70 और 71 में जामपुर गांव, मोती दमन और भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित 3.55 हैक्टेयर क्षेत्र को होटल वालों के एक दल को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व अपेक्षित मंजूरी लिए बिना पट्टे पर दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया है। दमन और द्वीव प्रशासन ने इस पट्टे को रदद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

राजस्थान के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

[हिन्दी]

1876. श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में किए गए कुल निवेश का कितने प्रतिशत निवेश राजस्थान में स्थित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में किया गया;

(ख) क्या राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय निवेश को दुगना किए जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) 31-3-1989 तक राजस्थान स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परि-सम्पत्ति के रूप में 1.45% निवेश किया गया था।

(ख) अलग-अलग परियोजनाओं में पूंजीनिवेश करने सम्बंधी निर्णय करते समय किसी स्थान में आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता अथवा अन्यथा को ध्यान में रखा जाता है। यह प्रत्येक परियोजना की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आठवीं योजना के लिए सुझाव

[अनुवाद]

1877. श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधान मन्त्री कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की जून, 1990 में हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा तैयार आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को मंजूरी प्रदान कर दी गई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में यह सुझाव भी दिया गया था कि आठवीं योजना के दौरान केरल जैसे पिछड़े राज्यों में अधिक केन्द्रीय निवेश किया जाना चाहिए, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) पिछली योजनाओं में विभिन्न राज्यों हेतु प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय और इन योजनाओं में राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिव्यक्ति परिव्यय वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना तैयार करते समय उन राज्यों पर, जिनका प्रति-व्यक्ति योजना परिव्यय, राष्ट्रीय औसत से हमेशा कम रहा है, केन्द्रीय सहायता के आवंटन के मामले में विशेष ध्यान देने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों को अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के पक्ष में है।

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) से सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) तक अनुमोदित योजना परिव्यय/व्यय और प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय, व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण संलग्न है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के तैयार किए जाने के संदर्भ में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने से संबंधित वर्तमान गाडगिल फार्मूले का संशोधन विचाराधीन है।

विवरण

अनुमोदित योजना परिव्यय/व्यय और प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय/व्यय प्रथम योजना (1951-56) से सातवीं योजना (1985-90)—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार

(करोड़ रु०)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रथम योजना (1951-56)		दूसरी योजना (1956-61)		तृतीय योजना (1961-66)		वार्षिक योजना (1966-69)	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	114.14	107.00	219.19	180.64	305.00	344.78	221.03	235.62
		(36)	(33)	(64)	(53)	(82)	(92)	(55)	(59)
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.21	2.31	9.51	3.74	7.15	7.32	8.57	7.79
		(139)	(76)	(293)	(115)	(199)	(203)	(209)	(190)
3.	असम	21.67	28.00	57.94	63.15	120.00	132.24	89.25	87.12
		(26)	(34)	(61)	(66)	(104)	(115)	(69)	(67)
4.	बिहार	68.67	102.00	194.22	176.87	337.04	331.74	216.59	217.37
		(17)	(25)	(44)	(40)	(70)	(69)	(42)	(42)

1. 2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. गोवा	@	@	@	@	23.04	15.27	24.02	19.82
	—	—	—	—	(349)	(231)	(321)	(265)
6. गुजरात	30.49	99.00	55.59	146.83	235.00	237.68	204.56	207.80
	(18)	(58)	(29)	(77)	(108)	(110)	(85)	(86)
7. हरियाणा	@	@	@	@	@	@	50.36	84.62
							(56)	(94)
8. हिमाचल प्रदेश	5.70	4.99	14.72	16.97	27.93	33.85	40.22	39.88
	(23)	(20)	(55)	(64)	(96)	(116)	(127)	(126)
9. जम्मू एवं कश्मीर	12.74	13.00	33.92	26.82	75.00	61.24	60.99	59.28
	(39)	(39)	(99)	(78)	202)	(165)	(148)	(144)
10. कर्नाटक	50.92	94.00	84.37	138.72	250.00	250.69	164.64	192.15
	(25)	(47)	(38)	(62)	(102)	(102)	(62)	(72)
11. केरल	31.28	44.00	71.95	79.00	170.00	181.59	128.70	144.74
	(22)	(31)	(45)	(50)	(96)	(102)	(66)	(74)
12. मध्य प्रदेश	83.68	94.00	230.19	145.50	300 00	288.35	171.17	166.82
	(31)	(35)	(76)	(48)	(88)	(85)	(46)	(44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	159.86 (48)	125.00 (37)	266.25 (72)	214.03 (58)	390.00 (94)	433.60 (105)	384.47 (84)	388.83 (85)
14.	मणिपुर	1.55 (25)	1.08 (18)	6.25 (89)	6.22 (88)	12.88 (155)	12.82 (154)	10.14 (107)	7.20 (76)
15.	मेघालय	@	@	@	@	@	@	@	@
16.	मिजोरम	@	@	@	@	@	@	@	@
17.	नागालैंड	@	@	@	@	7.15 (180)	10.79 (271)	17.36 (382)	15.98 (352)
18.	उड़ीसा	21.23 (14)	85.00 (56)	99.87 (61)	89.36 (54)	160.00 (87)	224.06 (122)	128.69 (64)	122.75 (61)
19.	पंजाब	44.62 (47)	163.00 (173)	162.68 (157)	151.34 (146)	231.39 (200)	254.23 (220)	131.58 (105)	121.85 (97)
20.	राजस्थान	27.28 (16)	66.00 (40)	105.27 (56)	99.86 (53)	236.00 (112)	210.69 (100)	136.21 (59)	136.60 (59)
21.	सिक्किम	@	@	@	@	@	@	@	@

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	90.20	85.00	173.06	186.19	290.86	342.33	236.53	265.93
		(29)	(28)	(53)	(87)	(83)	(98)	(62)	('0)
23.	त्रिपुरा	2.29	1.62	8.47	9.41	16.32	15.51	14.00	11.44
		(32)	(23)	(88)	(98)	(132)	(126)	(100)	(82)
24.	उत्तर प्रदेश	129.83	166.00	253.10	228.32	497.00	560.25	450.52	451.40
		(20)	(25)	(36)	(32)	(65)	(73)	(55)	(55)
25.	पश्चिम बंगाल	76.45	154.00	153.66	155.84	250.00	300.49	179.17	161.47
		(26)	(56)	(48)	(49)	(68)	(82)	(44)	(4)
	कुल योग	976.81	1435.00	2200.31	2118.90	ङ941.78	4249.52	3068.77	3146.52
संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.83	0.83	5.92	3.63	9.79	6.17	7·05	5.29
		(1094)	(237)	(1184)	(724)	(1360)	(857)	(766)	(575)
2.	चंडीगढ़	@	@	@	@	1/	9.56	3.60	2.72
							(655)	(180)	(136)
3.	दादर व नागर हवेली	@	@	@	@	1/	0.25	1.29	0.71
							(41)	(193)	(106)

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. दमन व द्वीप	£	£	£	£	£	£	£	£
5. दिल्ली	6.79	5.85	16.97	11.42	81.76	93.09	75.25	63.88
	(35)	(30)	(72)	(48)	(283)	(322)	(220)	(187)
6. लक्षद्वीप	@	@	—	4.42	0.97	0.99	1.62	0.95
				(183)	(388)	(396)	(579)	(339)
7. पांडीचेरी	0.73	0.50	4.76	3.66	6.93	6.01	6.50	5.26
	(23)	(15)	(137)	(105)	(180)	(156)	(153)	(124)
जोड़	11.35	7.18	27.65	19.12	99.44	116.07	95.31	78.81
	(48)	(30)	(95)	(66)	(278)	(324)	(225)	(186)
जोड़ : राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	988.16	1442.18	2227.96	2138.02	4041.22	4365.59	3164.08	3225.33
	(26)	(38)	(54)	(52)	(88)	(95)	(63)	(64)
सम्बन्धी प्रयुक्त आंकलन	1953	1953	1958	1958	1963	1963	1967	1967

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चौथी योजना (1969-74)		पांचवी योजना (1974-79)		छठी योजना (1980-85)		सातवीं योजना (1985-90)	
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	420.50 (97)	425.51 (98)	1333.58 (277)	1469.18 (305)	3100.00 (557)	3221.29 (578)	5200.00 (868)	5846.52 (975)
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.99 (383)	21.12 (449)	63.30 (1161)	64.83 (1120)	212.00 (3169)	223.01 (3333)	400.00 (5355)	548.60 (7314)
3.	असम	223.75 (153)	198.41 (136)	473.84 (279)	428.63 (252)	1115.00 (533)	1279.79 (612)	2100.00 (919)	2527.49 (1107)
4.	बिहार	531.28 (94)	479.21 (85)	1296.06 (207)	1187.17 (190)	3225.00 (442)	2948.71 (404)	5100.00 (642)	5977.47 (753)

1 2	11	12	13	14	15	16	17	18
5. गोवा	39.50	41.93	85.00	87.38	192.00	224.42	360.00	438.42
	(459)	(448)	(855)	(879)	(1687)	(1972)	(2871)	(3770)
6. गुजरात	455.00	545 02	1185.76	1379.35	3680.00	3880.45	6000.00	5168.72
	(170)	(204)	(392)	(456)	(1034)	(1091)	(1563)	(1346)
7. हरियाणा	225.00	358.26	601.34	677.18	1800.00	1569.47	2900.00	2498.90
	(224)	(357)	(527)	(593)	(1318)	(1149)	(1911)	(1647)
8. हिमाचल प्रदेश	101.40	113.43	238.95	235.10	560.00	668.83	1050.00	1273.30
	(293)	(328)	(621)	(611)	(1258)	(1502)	(2194)	(2661)
9. जम्मू और कश्मीर	158.40	162.22	362.64	376 05	900.00	919.37	1400.00	2012.91
	(343)	(351)	(685)	(710)	(1440)	(1471)	(2045)	(2940)
10. कर्नाटक	350.00	374.14	997.76	1079.83	2265.00	2665.47	3500.00	3749.99
	(119)	(128)	(304)	(329)	(583)	(686)	(830)	(890)
11. केरल	258.40	333.35	568.96	667.71	1550.00	1645.39	2100.00	2129.32
	(121)	(156)	(242)	(284)	(588)	(624)	(741)	(752)
12. मध्य प्रदेश	383.00	475.51	1379.71	1437.39	3800-00	3864.74	7000.00	6936.51
	(92)	(114)	(294)	(307)	(697)	(709)	(1178)	(1168)

1 2	11	12	13	14	15	16	17	18
13. महाराष्ट्र	898.12	1004.51	2347.61	2659.11	6175 00	6520.68	10500.00	10705.75
	(178)	(199)	(415)	(471)	(942)	(994)	(1481)	(1509)
14. मणिपुर	30.25	31.15	92.86	98.90	240.00	243.32	430.00	516.94
	(283)	(291)	(747)	(795)	(1604)	(1626)	(2608)	(31.35)
15. मेघालय	38.00	36.24	89.53	99.07	235.00	259.96	440.00	549.45
	(376)	(359)	(770)	(852)	(1662)	(1838)	(2794)	(3489)
16. मिजोरम		9.30	46.59	48.73	130.00	150 09	260.00	368.49
	2/	(28)	(1195)	(1249)	(2421)	(2795)	(4180)	(5924)
17. नागालैंड	40.00	38.52	83.63	96.25	210.00	229.79	400.00	477.21
	(769)	(741)	(1360)	(1565)	(2488)	(2773)	(4065)	(4850)
18. उड़ीसा	222.60	249.34	585.02	638.00	1500.00	1562.20	2700.00	3298.84
	(101)	(114)	(241)	(263)	(549)	(572)	(919)	(1123)
19. पंजाब	293.56	428.47	1013.49	940.16	1957.00	1891.50	3285.00	3439.27
	(217)	(316)	(575)	(626)	(1117)	(1080)	(1746)	(1828)
20. राजस्थान	302.00	308.81	709.24	867 94	2025.00	2134 64	3000.00	3098.24
	(117)	(120)	(241)	(295)	(559)	(589)	(746)	(770)

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
21.	सिक्किम	@	@	39.64	40.10	122.00	147.80	230.00	289.94
				(157)	(1591)	(3567)	(4322)	(5838)	(7358)
22.	तमिलनाडु	519.36	551.69	1122.32	1149.62	3150.00	3583.50	5750.00	6102.00
		(126)	(134)	(248)	(254)	(630)	(717)	(1077)	(1143)
23.	त्रिपुरा	34.66	34.66	69.68	75.96	245.00	292.71	400.00	681.33
		(222)	(222)	(395)	(430)	(1131)	(1351)	(1850)	(2865)
24.	उत्तर प्रदेश	965.00	1126.58	2445.86	2909.48	5850.00	6519.02	10447.00	10818.47
		(109)	(132)	(249)	(296)	(505)	(563)	(832)	(861)
25.	पश्चिम बंगाल	322.50	363.55	1246.83	1253.23	3500.00	2433.27	4125.00	4298.66
		(73)	(82)	(253)	(255)	(616)	(428)	(672)	(700)
	योग :	6830 27	7746.93	18479.11	19966.35	47738 00	49079.42	79117.00	83752.74
		(126)	(143)	(305)	(329)	(675)	(694)	(1030)	(1093)
संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	14.00	14.70	33.72	28.40	96.60	99.90	285.00	234.96
		(1273)	(1336)	(2278)	(1919)	(4644)	(4803)	(11400)	(9398)
2.	चंडीगढ़	7.75	17.37	39.76	37.30	100.75	111.72	203.10	220.4
		(298)	(668)	(1190)	(1117)	(1995)	(2212)	(3265)	(3538)
3.	दादर व नगर हवेली	2.30	2.33	9.41	8.87	23.09	30.02	46.29	45.35
		(329)	(333)	(1094)	(1031)	(2099)	(2729)	(3826)	(3748)

1 2	11	12	13	14	15	16	17	18
4. दमन व दीव	£	£	£	£	£	£	£	33.35 (3665)
5. दिल्ली	162.65 (400)	155.10 (381)	316.01 (630)	341.06 (680)	800.00 (1183)	1042.09 (1542)	2000.00 (2520)	2634.58 (3320)
6. लक्षद्वीप	2.00 (667)	1.90 (633)	6.23 (1731)	5.14 (1428)	20.35 (4845)	28.25 (6726)	43.90 (9977)	67.38 (15314)
7. पांडिचेरी	12.20 (266)	14.37 (306)	34.04 (635)	34.56 (645)	71.54 (1128)	98.96 (1561)	170.00 (2457)	236.01 (3411)
जोड़	201.20 (402)	205.77 (411)	439.17 (714)	455.33 (740)	1112.33 (1347)	1410.94 (1708)	2748.29 (2844)	3471.67 (3559)
जोड़ : राज्य वसंघ राज्य क्षेत्र	7031.47 (128)	7952.70 (145)	18918.28 (309)	20421.68 (333)	48850.33 (683)	50490.36 (706)	81865.29 (1054)	87224.41 (1124)
जनसंख्या संबंधी प्रयुक्त आंकलन	1971	1971	1976	1976	1983	1983	1987	1987

कोष्ठकों में दी गई संख्या प्रतिव्यक्ति परिव्यय/व्यय रु० में।

@ : तब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नहीं थे। £ : गोवा में सम्मिलित।

* : 1985-89 के लिए व्यय और 1989-90 के लिए संशोधित परिव्यय शामिल है।

1/ : संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 1965-66 में बना। 2/ : ये असम के अधीन सम्मिलित है।

दूरदर्शन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का हिन्दी में प्रसारण

1878. **डॉ० वेंकटेश काबडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों को हिन्दी में भी प्रसारित करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही करने में क्या अड़चने आ रही हैं; और

(ग) दूरदर्शन पर छात्रों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण कब से प्रारम्भ हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दूरदर्शन पर अतिरिक्त समय उपलब्ध हो जाने पर आयोग की हिन्दी में शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने की योजना है।

कुछ कर्मचारियों द्वारा अपनी आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति अर्जित किया जाना

[हिन्दी]

1879. **श्री रामलाल राही :**

डॉ० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों सहित सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बरामद की गई आपत्तिजनक वस्तुओं तथा अर्जित सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं ,तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1 जनवरी से 31 जुलाई 1990 तक की अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के आरोप पर 28 अधिकारियों के विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऐसे सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के आवासों/कार्यालय परिसरों की तलाशियां ली गई हैं। तथापि 1 जनवरी से 31 जुलाई 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध कोई तलाशी नहीं की गई थी।

(घ) इन तलाशियों के दौरान निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियों का पता चला है :—

(i) चल परिसम्पत्तियां :	120.31 लाख
(ii) अचल परिसम्पत्तियां :	82.57 लाख

इसके अतिरिक्त विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी पकड़े गए थे।

जिन अधिकारियों के परिसरों की तलाशियां की गई थीं उनके विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिन अधिकारियों के परिसरों की तलाशी-ली गई थी उनके विभाग/सार्वजानिक क्षेत्र क उपक्रमवार ब्यौरे

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	वित्त मन्त्रालय—प्रवर्तन निदेशालय	1
2.	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	6
3.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1
4.	केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क विभाग	3
5.	दूर संचार विभाग	3
6.	कोयला विभाग	4
7.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1
8.	भारतीय साइकिल निगम	2
9.	नवेली लिगनाइट निगम	1
10.	माइक्रोवेव परियोजना	1
11.	आयल इण्डिया लिमिटेड	1
12.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	1
13.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1
14.	भारतीय स्टेट बैंक	1
15.	पंजाब सहकारी बैंक	1
	कुल :	28

12.00 मध्यान्ह

संयद मोदी की हत्या के मामले में तथा जिला और सत्र-न्यायाधीश के स्थानांतरण तथा वकीलों की नियुक्ति के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे, संक्षेप में बात कीजिए।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : मैं संक्षेप में ही बात करूंगा।

यद्यपि इस मामले को राज्य सभा में भी उठाया गया और इस पर चर्चा भी की गई तथा प्रधान मंत्री ने इसका उत्तर देने की कृपा भी की परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस विषय में प्रधान मंत्री जी का क्या दृष्टिकोण है। मैं इस विषय में तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहता कि इस सम्बन्ध में आदेश किसने जारी किए, यह आपको कब दिखाया गया, क्या यह फाईल प्रधान मंत्री को केन्द्रिय अन्वेषक ब्यूरो के लोगों द्वारा दिखाई गई या नहीं इत्यादि। मुख्य प्रश्न विश्वसनीयता का है। माननीय प्रधान मंत्री मूल्यों पर आधारित प्रणाली के प्रवंतक माने जाते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुद्दों पर आधारित।

श्री बसंत साठे : मूल्यों पर आधारित नीति ने अब मुद्दों पर आधारित नीति का रूप ले लिया है। अगर यह नीति मुद्दों पर आधारित भी है तो भी प्रधान मंत्री से निकट से सम्बन्धित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी से मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं :

(क) एक तो वह तरीके जिसके द्वारा वकीलों की नियुक्ति की गई—पहले उनको हटा दिया फिर उनको पुन: नियुक्त कर दिया गया; और

(ख) दूसरा जिस तरीके से मुकद्दमा शुरू होने से कुछ दिन पहले जिला तथा सत्र न्यायाधीश का स्थानांतरण किया गया। इतना ही नहीं, जिस नए न्यायाधीश को वहां पर नियुक्त किया गया है; उसके कार्यकाल के केवल कुछ ही महीने बाकी हैं। वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की पदोन्नति पाने के लिए पैनल पर है। अगर वह जिला तथा सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके कार्यकाल में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी परन्तु अगर वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं तो उनके कार्यकाल में दो साल की बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी। इससे सारी विश्वसनीयता पर शंका उत्पन्न होती है।

एक माननीय सदस्य : किस मामले में ?

श्री बसंत साठे : सैय्यद मोदी हत्याकाण्ड के मामले में।

तकनीकी आधार पर हमने इस मामले की पेचीदगीयों को सुलझाने तथा इसकी व्याख्या करने की जितनी भी कोशिश की; और यदि माननीय प्रधान मंत्री भी ये आरोप लगाएं कि हमने अपने शासन काल में बुरे कार्य किए इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं—तो इससे यह सब न्यायोचित सिद्ध नहीं हो जाता।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आपको इतनी शंका क्यों है कि हम आप पर आरोप लगायेंगे ?

श्री बसंत साठे : मुझे कोई शंका नहीं। (व्यवधान) क्योंकि ऐसा ही उत्तर राज्य सभा में दिया गया था; इसलिए मैं आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूं। (व्यवधान)

मैं यह चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री न केवल इस सदन को तथा इस देश के लोगों को इस सम्बन्ध में आश्वस्त करें कि इस गंभीर हत्याकाण्ड जिस पर कि सारे देश का ध्यान केन्द्रित है, के मामले में कोई भी ऐसी शंकापूर्ण अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की जायेगी जिससे कि न्याय को धक्का लगे क्योंकि यह सर्वविदित है कि कानून को विधान तथा न्याय शास्त्र के अनुसार न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए परन्तु ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। और प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में

शंका उत्पन्न होती है। (व्यवधान) इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि--- मैं इस मामले को पूरी विनम्रता से प्रस्तुत कर रहा हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, आप एक विनम्र व्यक्ति हैं।

श्री वसंत साठे : मैं अनावश्यक दोषारोपण नहीं करना चाहता। मैं केवल इस मामले में न्याय चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। बात को दोहराइए नहीं।

श्री वसंत साठे : सरकार न्यायपालिका, कानून, अथवा किसी व्यक्ति का सी० बी० आई० अथवा किसी और द्वारा कोई भी ऐसी कार्यवाही अथवा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे कि इस मामले में सरकार की विश्वसनीयता को धक्का लगे। मैं प्रधान मंत्री से इसका उत्तर चाहूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय वसंत साठे जी ने जो यह कहा है कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, वह बिल्कुल ठीक है और विशेष रूप से जबकि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की हत्या की गई है, और प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में चिन्तित है। मैं इस सदन को कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहूंगा जैसे कि सरकारी वकीलों के अलावा उनके साथ निजी वकील भी हैं। सरकारी वकील वहां पर सभी मामलों में हैं। सरकारी वकील जोकि इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनके साथ-साथ उन्हें सहायता के लिए गैर-सरकारी वकील भी उपलब्ध कराये गए हैं। वे तीन वकील अभी भी इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। जब इस मामले की कुछ दिन पहले अदालत में सुनवाई हुई तो उन्होंने इस में पूरी पहल थी। इसलिए इस मामले में सशंकित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है जबकि तथ्य यह है कि ये वकील·····(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उन्हें पहले हटाया क्यों गया था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इसी बात पर आ रहा हूं। पहले शंकाओं का निवारण कर लेते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : और उन्हें किसने हटाया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसे कुछ ही मिनट पहले ही देखा है, मैं आपसे सहयोग कर रहा हूं। मैं केवल आपकी सहायता कर रहा हूं। कुरियन जी मुझे आपका नोट मिला कि आप इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और मुझे यहां ठहरना चाहिए। इसीलिए मैं ठहर गया। मुझे यह नहीं पता था कि आप यह मुद्दा उठायेंगे। मैं तो आपके नोट के अनुसार ठहर गया।

श्री कुरियन ने एक नोट भेजा था कि वह यह मुद्दा उठाने जा रहे हैं और मुझे यहां ठहरना चाहिए। और मैंने कहा कि मैं अवश्य ही ठहरूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : परन्तु श्री साठे ने उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया। इसलिए यह मामला निजी वकीलों के पूर्ण नियन्त्रण में है। और इस मामले के गुण दोषों से कोई समझौता किए बगैर सरकार की तरफ से इस मामले की पूरी पैरवी की और पूरी बहस की।

यह तो एक बात थी। दूसरे यह कि जब मैंने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए थे तो उस निजी वकीलों की छंटनी के सम्बन्ध में एक आदेश लागू था कि जितने भी निजी वकीलों की सेवाएं ली गई हैं;

उनकी सेवाएं पहले समाप्त की जानी चाहिएं। वह किफायत करने की नीति का एक हिस्सा था। जब इन दो मामलों की जानकारी मुझे मिली, जोकि एक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पर घातक हमले और दूसरा मोदी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में है, तो मैंने तुरंत इन तीन वकीलों की बहाली के आदेश जारी किए, यद्यपि दूसरे मामलों में (व्यवधान) उन्हें मंत्रिमण्डल के समक्ष जाना चाहिए।

जैसे कि साठे जी ने कहा कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। परन्तु मेरे आदेश ही न्याय के हित में हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरे आदेश ही इस वाक्य से शुरू होते हैं कि न्याय के हित में इन वकीलों को तुरन्त बहाल किया जाये और यहां तक कि मंत्रिमण्डल के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना·····"। देश में यही एक ऐसा मामला है जिस में बहाली के आदेश जारी किए गए हैं, और किसी भी मामले में बहाली के आदेश नहीं किए गए हैं।

एक माननीय सदस्य : यह सब राज्य सभा में यह मामला उठाए जाने के बाद किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, इसने बहुत पहले जैसे ही यह मामला मेरी जानकारी में आया। इसे किया गया। जहां तक न्याय का सम्बन्ध है, तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार इस मामले के उचित निर्देहन के लिए पूरी ताकत लगायेगी तथा न्याय के सिद्धांतों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। (व्यवधान) न्यायाधीशों के सम्बन्ध में कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं क्योंकि यह न्यायपालिका का मामला है। परन्तु न्यायपालिका के प्रति बिना किसी असम्मान की भावना के जो भी जानकारी मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। मेरे विचार में इस न्यायाधीश का विशेष रूप से स्थानांतरण नहीं किया गया; परन्तु जून तथा इन महीनों में आमतौर पर स्थानांतरण किए जाते हैं तथा यह स्थानांतरण भी ऐसे ही किया गया। मैं समझता हूं कि इससे आगे मैं न्याय के क्षेत्र में हस्त-क्षेप नहीं कर सकता चूंकि न तो वह हमारा कार्यक्षेत्र है और न सरकार का, यह पूरी तरह न्यायपालिका के अधिकार में है।

मेरी जानकारी के अनुसार अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनका स्थानांतरण किया गया है। लेकिन हमें किसी न्यायाधीश पर शंका नहीं करनी चाहिये। किसी भी न्यायाधीश पर आरोप लगाना गलत होगा। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह न्यायपलिका द्वारा किया गया कार्य है।

दूरदर्शन के 'खुला मंच" कार्यक्रम के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश सिंह।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने सदन में शुक्रवार को खुला मंच का मुद्दा उठाया था जिसमें मैंने यह डर व्यक्त किया था कि खुला मंच कार्यक्रम में सरकार अपनी सुविधा के अनुसार काट-छांट और सेंसर करती है। उस दिन, माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री ने एक आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था, "महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं। किसी प्रकार का सेंसर लागू नहीं किया जाएगा।" यह खुला मंच कार्यक्रम रविवार को प्रसारित किया गया, और जैसा कि हमें भय था इसे सेंसर किया गया। प्रश्न पूछने के लिये इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए एक पत्रकार से कहा गया था, और उसने कार्यक्रम के संचालक से विशेषरूप से तीन विशिष्ट प्रश्नों को पूछने की अनुमति मांगी थी और उसे उन तीन प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे दी गई थी। उसने उन प्रश्नों को पूछा था। उन प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया था। उसे प्रसारण में शामिल नहीं किया गया।

उनमें से एक प्रश्न जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा चूंकि सरकार को वह असुविधाजनक लगी होगी—वह प्रश्न मंडल आयोग के संबंध में था। प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि : क्या गाड़ियां जला दी गई थीं। क्या रेलवे व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। रेल मन्त्री का इस संबंध में क्या विचार था। रेल मंत्री ने इस संबध में अपने विचार व्यक्त किये थे और मुझे विश्वास है कि सभी इससे सहमत होंगे। उन्होंने सभी भाग लेने वाले प्रश्नकर्त्ताओं से इस बारे में पूछा था और सबने कहा कि वे रेल मंत्री के विचार से सहमत नहीं हैं। वे मंडल आयोग की रिपोर्ट से भी सहमत नहीं थे। ये सारी बातें निकाल दी गई थी। उसी तरह उनसे कश्मीर मामलों के मंत्री होने के नाते कश्मीर के बारे में प्रश्न किये गये थे। उन्हें भी निकाल दिया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : औद्योगिक नीति के बारे में भी प्रश्न···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जनार्दन जी, आप बैठ जायें। यह क्या है ? सारा काम चल रहा है। आप उठकर खड़े हो जाते हैं। दिनेश जी आप जल्दी समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह बताना चाहता था कि ऐसा आभास दिया जा रहा था कि मंत्रालय विशेष से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऐसी ही बात है तो प्रश्नकर्त्ताओं को पहले ही बता दिया जाए कि मंत्रालय से जो प्रश्न संबंधित नहीं होंगे, उन्हें पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि प्रश्न पूछे गये हैं तो उनका प्रसारण होना चहिये। यह प्रश्न समय बचाने का नहीं है चूंकि दूरदर्शन समय पर पूरा ध्यान रखता है और कार्यक्रम के लिये जो भी समय निर्धारित है, वह ठीक उसी समय पर समाप्त हो जाता है। इसलिये, यहां सेंसर करने का कोई बहाना नहीं है। महोदय, मैंने आपसे मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार करने का निवेदन किया था·····(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रिविलेज मोशन मिला है। वह विचाराधीन है।

श्री दिनेश सिंह : आप उस पर ज़रूर विचार करें। यह बहुत ही इम्पार्टेंट मैटर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उपेन्द्र, क्या आप जवाब देना चाहते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैंने माननीय मंत्री श्री दिनेश सिंह को आश्वासन दिया है ·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भूल हो गई है।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, वह तो हमारे लिये हमेशा 'राजा' है·····(व्यवधान) मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का सेंसर नहीं किया जाएगा। लेकिन, सेंसर करने में तथा संपादन करने में अंतर है·····(व्यवधान) महोदय, जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था तो कुछ मानदंड़ों पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इस कार्यक्रम में मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा करेंगे और चुने हुए श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न मांगे जाते हैं। जिन

लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, उनमें से कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है। यह संख्या 25 या 30 होती है। उन्हें विशिष्ट श्रोताओं के रूप में वहां आमंत्रित किया जाता है। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्राय: उनसे उन्हीं प्रश्नों को पूछे जाने की अपेक्षा की जाती है, जिसे उन्होंने सम्मिलित करने के लिये दिया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उन प्रश्नों को पूछा जाता है जो उस मंत्रालय विशेष से संबंधित नहीं है। इसके बाद, मंत्रालय से संबंधित अंशों को सम्मिलित कर लिया जाता है और अन्य असंगत बातें जो उस मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं, उन्हें संपादन के दौरान निकाल दिया जाता है .....(व्यवधान) धैर्य रखें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसलिये, इस मामले में भी रेलवे से संबंधित सभी बातों को यहां तक कि उत्तेजनात्मक वक्तव्यों को भी शामिल किया गया और उनमें से एक भी शब्द नहीं निकाले गये। अपमानजनक टिप्पणियों को भी शामिल किया गया। मैं अपने वक्तव्य पर दृढ़ हूं। किसी प्रकार का सेंसर नहीं किया गया है। दर्शकों और प्रश्न कर्त्ताओं को पुन: याद दिलाया गया कि प्रश्न मंत्रालय विशेष से ही संबंधित होने चाहियें और अन्य सभी बातों को संपादन के स्तर पर हटा दिया जाएगा। यही नीति है और इसका पालन किया जाता रहेगा। यही मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० वी० थामस। अनुपस्थित। श्री इरा अन्नारासु।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह उत्तर देकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : कृपया, उसी विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपने उन्हें उसी विषय पर बोलने की अनुमति दी है लेकिन हम कुछ दूसरा मुद्दा उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं विषय के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मंत्री ने सेंसर करने का बड़ा ही अच्छा तरीका अपनाया है यह कहते हुए कि यह सेंसरशिप नहीं है बल्कि संपादन है। कार्यक्रम का नाम 'खुला मंच' है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय को 'खुला मंच' का अर्थ क्या है, पता होगा। शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हुए यह कहना कि यह संपादन है और वह सेंसरशिप तो इससे स्वतंत्र दूरदर्शन और दूरदर्शन की स्वायत्तता के बारे में, जिसकी वे बात करते हैं, सरकार के इरादे साफ दिखाई देते हैं। प्रश्न यह है कि अब उन्होंने संपादन का सहारा लिया है सेंसरशिप का नहीं—जो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ होने दिया है—भविष्य में भी इस कार्यक्रम को सम्पादित किया जाएगा—क्या सरकार यह घोषित करने जा रही है कि "यह संपादित कार्यक्रम है" ?

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : "खुला मंच" पर ही मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के वक्तव्य पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मैं किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दे जाने रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मलिक कुछ कहेंगे। श्री अकबर, मैं मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति देने नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वही बात दुहरा रहे हैं जो आप कह चुके हैं। मंत्री जो कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री सत्यपाल मलिक) : श्रीमन्, मैं एक औचित्य का सवाल उठाना चाहता हूं। आपने कहा कि एक माननीय सदस्य का प्रिविलेज मोशन आपके विचाराधीन है, यदि आप कॉल एण्ड शकधर की पुस्तक को देखें तो उसके अनुसार किसी भी ऐसे मैटर की प्रेस में पब्लिसिटी नहीं की जा सकती। इन्होंने प्रो-मैच्योर प्रेस में पब्लिसिटी की है, जबकि कॉल एण्ड शकधर के अनुसार ऐसा करना निषिद्ध है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय आपको उन्हें फटकार लगाने का अधिकार है। वह कुछ नहीं जानते। उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है। 'कौल एण्ड शकधर' के अनुसार वह प्रेस में नहीं जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री इरा अन्बारासु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अकबर साहब, आप सुविज्ञ सदस्य हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री इरा अन्बारासु को बुलाया है। उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

(व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय मैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज श्री इरा अन्बारासु को एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता चुका हूं कि एक विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव है। यह बात आपने नहीं सुनी। श्री दिनेश सिंह ने एक विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव दिया है। मैं यह कह चुका हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह तरीका नहीं है। आप अपनी जगह पर जाइए। हर चीज की कोई सीमा होती है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री इरा अन्वारासु को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री अन्वारासु इरा (मद्रास मध्य) : मैं श्री कुप्पुस्वामी द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं------

अध्यक्ष महोदय : आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं है। वह मुद्दा उठाइये जिसके बारे में आपने मुझे सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुप्पुस्वामी को वह मामला उठाने की अनुमति नहीं दी है जो वह उठाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया है और ना ही उन्होंने मुझे बताया है कि वह फलां फलां मुद्दा उठाएंगे। अन्यथा मैं उन्हें अनुमति दे देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इरा जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने श्री इरा को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थामस जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं अपना मुद्दा उठाने के लिए श्री इरा को अनुमति दे रहा हूं।

श्री अन्वारासु इरा : इस महीने की 17 तारीख को दादर एक्सप्रेस में हुई क्रूर और जघन्य घटना की ओर आपका ध्यान दिलाते समय मुझे वास्तव में बहुत दुःख हो रहा है। दादर एक्सप्रेस में केरल की तीन लड़कियां मद्रास से तिरुपति जा रही थीं। जब वे यात्रा कर रही थीं तो 8 गुंडे गाड़ी में चढ़ गये, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और चले गये। जब यहां इस सभा में महिलाओं पर अत्याचार विषय पर जोरदार चर्चा चल रही है, उस समय गाड़ी में ऐसा जघन्य अपराध किया गया। ऐसे जघन्य अपराध के लिए हम सभी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। इसलिए मैं रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि ऐसे खतरे के समय रेल के प्रत्येक डिब्बे में कुछ प्रावधान होना चाहिए तथा ऐसी घटनाओं की सूचना निकटतम रेलवे स्टेशन अथवा पुलिस स्टेशन को देने हेतु कुछ सुविधा होनी चाहिए। अतः मैं रेल मन्त्री से इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए निवेदन करता हूं------(व्यवधान) में इस घटना के बारे में उचित जांच की मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, जब से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी है और राज्यों में जनता दल और उनके सहयोगी दलों की सरकारें बनी हैं तब से राज्य सेवाओं में लोगों को नियोजित कार्य देना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो अब तक दो बार प्रतिबंध लग चुका है, पहले दिसम्बर में लगाया गया। था और उसके बाद फिर 31 अगस्त तक लगा दिया गया। इस प्रतिबंध के कारण शिक्षित बेरोजगारों में बिल्कुल हताशा पैदा हो गई है और जातीय आरक्षण के आधार पर आज जो आन्दोलन चल रहे हैं यह उसी हताशा का परिणाम है। जब यह सरकार बनी थी तो इस सरकार ने कहा था कि बेरोजगारों को काम देंगे। मेरे उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती के लिए दरख्वास्त मांगी गई, इंटरव्यू नहीं लिए गए और रद्द कर दिए गए। लोकपालों, ग्राम सेवकों के, ग्राम स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं से पहले दरख्वास्त मांगे गए लेकिन फिर उनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया। देहातों में अस्पताल खोले गए लेकिन वहां पर न तो डाक्टर हैं, न कम्पाउन्डर हैं। यही नहीं, हमारे प्रदेश में होम गार्ड की बड़ी भारी संख्या है वहां हजारों की तादाद में लोग काम करते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने होम गार्डों को निकालने का काम शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए। आप बैठ जाएं।

श्री राम लाल राही : हजारों आदमी निकाल दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे राज्य सरकारों से कहें कि वे आदेश दें कि राज्यों की सेवा में भर्ती का कार्यक्रम जारी हो।

[अनुवाद]

श्री आर० गुंडू राव (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, पिछले शुक्रवार को मैंने कर्नाटक और विशेषतौर पर बंगलौर शहर में डीजल, पैट्रोल और मिट्टी के तेल की भारी कमी के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया था। अभी तक इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं लोगों को सुबह से शाम तक विशेषतौर पर श्रमिकों, गन्दी बस्ती वासियों, कारखाने के श्रमिकों, विद्यार्थियों, दुपहिए, तिपहिए तथा चौपहिए वाहनों के ड्राईवरों को दो तीन या चार लीटर पैट्रोल तथा डीजल लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े हुए देखता हूं। कर्नाटक, विशेषतौर पर बंगलौर शहर में यह हाल है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्रालय से यह निवेदन करता हूं कि वे इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करें और देखें कि कर्नाटक और बंगलौर शहर में इनकी उचित सप्लाई की जाए क्योंकि यह एक बहुत आवश्यक मामला है। प्रतिदिन मुझे पत्र तथा तार मिल रहे हैं। पिछले सप्ताह मैं बंगलौर में था। हजारों लोग मुझसे मिलने आये। सरकार बिलकुल भी रुचि नहीं ले रही है.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

क्या बात है ?

[अनुवाद]

मैं एक विशेष विषय पर बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा पैट्रोलियम मिनिस्टर को पुल-अप करिये।

उनका डिपार्टमेंट बंगलौर में सो रहा है। उनको उठने के लिये बोलिये और काम करने के लिये बोलिये। केवल बात करने से काम नहीं होता है। लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है।

[अनुवाद]

अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि तत्काल कदम उठाए जायें और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु पैट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति की जाए।

*डा० के० कालीमुथु (शिवकाशी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी भाषा उन लोगों के लिए कवच का काम करती है जो हिन्दी नहीं बोलते हैं। बहरहाल, चार उत्तरी राज्यों में अंग्रेजी पर एक साथ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह सरकार उन राज्यों में अंग्रेजी पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सक्रिय प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए यह सरकार एक भारतीय सरकार नहीं है, यह केवल एक हिन्दी सरकार है। (व्यवधान) महोदय, एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें हमें हिन्दी थोपने को रोकने के लिए अलगाव का पक्ष लेना पड़े। माननीय प्रधान मंत्री ने हिन्दी में पत्र लिखा है। माननीय सदस्य श्री कुप्पुस्वामी ने इसे सभा में दिखाया है और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिये। मैं यह चेतावनी देता हूं कि भविष्य में यदि हमें पत्र हिन्दी में मिले तो हम इन पत्रों के टुकड़े करने को बाध्य हो जायेंगे। (व्यवधान) हम हिन्दी को कभी स्वीकार नहीं करते, हम हिन्दी को कभी स्वीकार नहीं करते, हम हिन्दी को कभी स्वीकार नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, विजय कुमार मल्होत्रा जी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए.....

(व्यवधान)

श्री आर० सुचिया (पेरियाकुलम) : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री विजय कुमार मल्होत्रा को बुलाया है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तानके सिंध प्रान्त से हजारों की संख्या में हिन्दू वहां से भाग करके राजस्थान में आ रहे हैं। वहां पर अपहरण, हत्यायें, बलात्कार और धर्म परिवर्तन के कारण किसी भी अल्पसंख्यक का, किसी हिन्दू का रहना असम्भव हो गया है। कई हजार लोग राजस्थान में पहुंच गये हैं। हर रोज सैकड़ों की संख्या में परिवार वहां पर आ रहे हैं। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की बातचीत हो रही है। कई लैवल पर बातचीत हो चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री उनसे इस बात पर भी बातचीत करें और उन पर दबाव डालें कि जो हिन्दू भाग कर राजस्थान में आये, वह वापस जा सकें। पाकिस्तान से यह भी कहना चाहिये कि वह अपने यहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये कदम उठाये और उनको वहां पर बसाने के लिये कोशिश करे। जो मन्दिर तोड़े गये हैं उनको पाकिस्तान सरकार वहां पर बनाये, यह भी उनसे कहना चाहिये। भारत की सरकार, यह जो

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विस्थापित राजस्थान में आये···(व्यवधान)—तो राजस्थान के अन्दर पाकिस्तान से जो विस्थापित आये हैं, भारत सरकार उनके पुनर्वास का इन्तजाम करे और वह वहां पर ठीक तरह से रह सकें, इसे देखें। उनकी जो सम्पत्ति वहां लूटी गई है, वह उनको वहां से वापस दिलाई जाय। उनकी जो वहां हत्यायें कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को कहें कि उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये। इसके लिए भारत सरकार उस पर दबाव डाले। (व्यवधान)

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में देसिया, पोलिया, राजवंशी और चासौर जाति के लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किये गये हैं। संविधान बनाने के समय यह जातियां·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर बिल आ रहा है।

श्री युवराज : अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने से छोड़ दी गई थी। कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला किया था कि इस सम्बन्ध में यथास्थिति बनाकर रखी जाए लेकिन नई सरकार ने यह तात्कालिक निर्णय किया है -कि इसमें परिवर्तन करके अनुसूचित जनजाति में इन जातियों को शामिल किया जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन जातियों को, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं, को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय। (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैंने आज सुबह आपको नोटिस दिया है, वह मामला इतना सीरियस है—

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री जग पाल सिंह : आप सुन लो न। अभी मल्होत्रा जी ने मंदिर तोड़ने का सवाल उठाया। मैं इसको उतना ही बुरा मानता हूं, अगर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में कोई मंदिर तोड़ा जाय लेकिन ·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप विजय जी से सहमत हैं।

श्री जग पाल सिंह : लेकिन मल्होत्रा जी को और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 9-8-1990 को विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल और आर० एस० एस० के लोगों ने 18 × 23 की मस्जिद को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। मेरे पास, जो मस्जिद बनी हुई थी, बनी हुई की भी फोटो है और जो आर० एस० एस० वालों ने उस मस्जिद को गिराया, गिराने के बाद भी मेरे पास फोटो है। अध्यक्ष जी, 9-8-1990 से मैं इस सवाल को इस सदन में इसलिए नहीं उठा रहा ताकि सदन में कोई उत्तेजना न पैदा हो। मैंने 15 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र में हिन्दू और मुसलमान, दोनों के नेतृत्व में जुलूस निकाला ताकि कोई कम्युनल तनाव न पैदा हो·····(व्यवधान) लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद का सिलसिला·····

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री जग पाल सिंह : आप सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का सिलसिला·····

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री जग पाल सिंह : केन्द्रीय सरकार से शुरू हो गया है। मेरे कम्युनल हारमनी पैदा करने वाले जुलूस के बाद आर० एस० एस०, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला जिसमें कम्युनल इश्तहारअंगेज नारे लगाये गये, ऐसी हालत वहां पर पैदा हो रही है। स्पीकर सर, उन

रेलवे अधिकारियों को जब तक सस्पैण्ड नहीं किया जाय और उस एस० एच० ओ० को, जो आर० एस० एस० के लोगों के साथ था, तब तक यह सदन उस मस्जिद के सवाल को उठाता रहेगा और मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से मांग कर रहा हूं कि आप रेलवे मंत्रालय के मिनिस्टरों को बुलवा कर इस सीरियस मामले पर स्टेटमेण्ट दिलवाइये वरना मैं और मेरी पार्टी सदन में इस सवाल को तब तक उठाती रहेगी जब तक उस मस्जिद का पुनर्निर्माण और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न की जाय।

12.45 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच सितम्बर को देश में टीचर्स-डे मनाया जाता है। देश के अध्यापकों की समस्याओं को देखने के लिए चटोपाध्याय कमीशन का गठन किया गया था। चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट 1-1-1986 को लागू की गई थी और चौथे पे-कमीशन के समय देश के टीचर्स से कहा गया था कि आपके बारे में चटोपाध्याय कमीशन बैठा हुआ है, वह विचार करेगा। लेकिन चटोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को दिए हुए दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक चटोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच सितम्बर को देश में टीचर्स-डे मनाया जाएगा और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने जो देश के टीचर्स के साथ वायदा किया था, उन सिफारिशों को उस दिन के उपलक्ष्य में लागू किया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, 22 मार्च, 1990 को अखिल भारतीय कार्य चिकित्सा/शल्प चिकित्सा तथा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में 1800 डाक्टर बैठे हैं। वे सभी उन अस्पतालों शिक्षण संस्थानों, जहां उन्हें अध्ययन करना है, में स्थानों के आवंटन के लिए एक सरकारी आदेश का इन्तजार कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों जिनमें लगभग 300 पश्चिम बंगाल से हैं, द्वारा बार-बार की गई मांगों के बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। परीक्षा 22 मार्च, 1990 को हुई थी और सीटों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय 7 अप्रैल, 1990 तक किया जाना था। इसे बढ़ा कर 10 मई, 1990 कर दिया गया। अभी तक किसी भी अस्पताल/शिक्षण संस्थान में एक भी विद्यार्थी को जगह नहीं दी गई है। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तत्काल कदम उठाने चाहियें। (व्यवधान) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बार बार तार देकर यही कह रहे हैं कि वे स्थानों की घोषणा करेंगे। उनकी सभी परीक्षाओं में छः महीने का विलम्ब होगा——

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकमदेव नारायण यादव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। बम्बई हाईकोर्ट में एक्साइज ड्यूटी का 10 हजार करोड़ रु० से 20 हजार रुपये का मामला दायर हुआ। वहां तीन जजों में से दो जजों ने कहा है, यह रुपया व्यापारी को वापिस मिलना चाहिये, जबकि एक जज जो गरीबों के प्रति हमदर्दी रखने वाले थे, श्री कौशल पाटिल,

उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि इस देश की अदालत में गरीबों के हक में इन्साफ नहीं होता। खण्ड पीठ के बाद पूर्ण-पीठ में मामला गया। पूर्ण-पीठ ने कह दिया कि यह रुपये व्यापारियों को वापिस नहीं दिये जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ताओं से दस हजार करोड़ रुपये, टैक्स के ले लिए गए हैं और यह रुपया वापिस न किया जाये। सरकार अपने कोष में नहीं रखती है तो उपभोक्ता कल्याण कोष बनाकर उसमें यह दस हजार करोड़ रुपये डाल दिए जायें। हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद वित्त मंत्रालय से एक अधिसूचना जारी कर दी गई कि दस हजार करोड़ रुपये व्यापारियों को वापिस कर दिये जायें। जहां उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का मामला है और उत्पाद-कर वसूल कर लिया गया है तथा उपभोक्ताओं का पैसा है—(व्यवधान)··· दस हजार करोड़ रुपए व्यापारियों को दिये जा रहे हैं, यह अन्याय हो रहा है। ···(व्यवधान)··· वित्त मंत्रालय ने किन परिस्थितियों में नोटिफिकेशन जारी किया कि दस हजार करोड़ रुपये व्यापारियों को दे दिये जाएं। अगर किसानों का कर्जा माफी होता ···(व्यवधान) ···उपाध्यक्ष महोदय, यह दस से बीस हजार करोड़ रुपये का मामला है। उत्पाद-कर ले लिया है, तो व्यापारियों को क्यों पैसा दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय इस घोटाले में शामिल है। दस हजार करोड़ रुपये में वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारी, पदाधिकारी···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : उपाध्यक्ष महोदय, ए-320 विमानों ने इस वर्ष 19 फरवरी से उड़ान नहीं भरी और यह स्पष्ट है कि केवल राजनीतिक कारणों से इन्होंने उड़ान नहीं भरी। सरकार की द्वैधवृत्ति दिन प्रतिदिन असाधारण होती जा रही है। राष्ट्र को 200 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। उन्होंने यह घोषणा की कि ए-320 विमानों की उड़ानें 16 जुलाई, 1990 से पुनः आरम्भ होंगी। स्पष्ट रूप से यह प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय के आदेशों को रद्द करते हुये उड़ानों को पुनः आरंभ करने के प्रयास को रोक दिया गया है। अब प्रधान मंत्री का कार्यालय यह सिद्ध करने के प्रयास में लगा है कि यह विमान, जिन्हें विश्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, तकनीकी तौर पर अनुकूल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का यहां क्या काम है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह राजनीति से प्रेरित है। हम नागर विमानन मंत्री से यह सुनना चाहते हैं कि एयर-बस-320 के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और सरकार को भविष्य में क्या हानि होगी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री आर० मुथिया : हम सरकार के व्यवहार की निन्दा करते हैं। (व्यवधान) हम विरोध में सभा से बाहर निकलते हैं।

12.51 म० प०

[तत्पश्चात् श्री आर० मुथिया और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

की धारा 12 तथा 13 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 375(अ) जो 10 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या का०आ० 728(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1234/90]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ जिओमेगनेटिज्म, मुम्बई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1990 जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 263 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1990, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 264 में प्रकाशित हुयेथे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1990, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 265 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1990 जो 26 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 317 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1990 जो 26 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 318 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1990, जो 30 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 393 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1990, जो 30 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 394 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1235/90]

(2) भूतपूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 10क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का०आ० 1647, जो 16 जून 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 159 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1236/90]

(3) (एक) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ जिओमेग्नेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ जिओमेग्नेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1237/90]

12.51½ म०प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) पशु कल्याण बोर्ड

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली शेष अवधि के लिए 2 मार्च, 1992 तक कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 धारा 5(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली शेष अवधि के लिए 2 मार्च, 1992 तक कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्री चिमनभाई मेहता की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड (1) के उपखण्ड (चौबीस) अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन श्री सत्यपाल मलिक, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर इस कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड (1) के उपखण्ड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परितियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन श्री सत्यपाल मलिक, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर इस कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12·52½ म०प०

छावनी (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम विधेयक पुनः स्थापित करेंगे। डा० राजा रमन्ना।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजा रमन्ना) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० राजा रमन्ना : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

12·53 म०प०

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक*

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य (श्री आरगिल श्रीधरन) : श्री प्रस्ताव करता हूं "कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*दिनांक 20-8-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरंगिल श्रीधरन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.53½ म०प०

तम्बाकू उपकर (संशोधन) विधेयक*

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि तम्बाकू उपकर, अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री अरंगिल श्रीधरन : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विषय, नियम 377 के अधीन मामले। श्रीमती उमा गजपति राजू।

12.54 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विशाखापट्टनम स्थित पोर्ट हाई स्कूल का भवन गिरने से हताहत हुए बच्चों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने तथा इस दुर्घटना के कारणों की जांच किए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सारा देश स्वतन्त्रता दिवस मना रहा था, विशाखापत्तन में बहुत दुखद घटना हुई। 14 अगस्त को एक दुखद घटना हुई जब पोर्ट हाई स्कूल का भवन ढहने से 13 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए। इस दुखद घटना को आसानी से टाला जा सकता था क्योंकि इस इमारत की तत्काल मरम्मत के सम्बन्ध में छात्रों के अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों तथा स्थानीय निवासियों ने कई बार आग्रह किया था और शिकायत की थी कि भवन की हालत खतरनाक है लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह कर्त्तव्य-पालन में आपराधिक लापरवाही है। केन्द्र सरकार को इस दुर्घटना के कारणों की एक उच्चस्तरीय जांच करानी चाहिए और बन्दरगाह के क्षेत्र में आने वाली खस्ता हालत की सभी इमारतों की स्थिति की भी समीक्षा की जाए। सरकार को प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम एक लाख रुपया और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 25,000 रुपए देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(दो) कच्चे रबड़ का आयात कम करके घरेलू रबड़ उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : सरकार द्वारा कच्चे रबड़ की अधिक मात्रा आयात करने की नीति से रबड़ उत्पादकों विशेषकर केरल के रबड़ उत्पादकों में भय और आतंक उत्पन्न हो रहा है। स्वदेशी रबड़ के लिए लाभप्रद मूल्य तथा उसकी बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए।

*दिनांक 20-8-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

इसलिए, अनुरोध है कि सरकार को कच्चे रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए तथा स्वदेशी उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य और रबड़ के विक्रय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं।

(तीन) 1947 में पाक-अधिकृत कश्मीर से जम्मू तथा राज्य के अन्य भागों में बसे शरणार्थियों के दावे निपटाए जाने की मांग

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों से वर्ष 1947 के दौरान काफी शरणार्थी आए और जम्मू, कठुआ, उधमपुर पूंछ और राजौरी जिलों में बस गए। लेकिन अभी तक उनके दावों का निपटारा नहीं हुआ है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए ताकि वह इन लोगों को उनके दावों के निपटान के तहत स्वीकृत 12,500 रुपए नकद और 12,500 रुपए ऋण के रूप में दे सके। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लिखित में नहीं दिया है। जो लिखित में नहीं दिया गया है वह कार्यवाही वृत्तान्त का भाग नहीं होगा।

(चार) उत्तर प्रदेश सरकार को लोगों को आग्नेयास्त्रों के लिए लाइसेंस देने की नीति उदार बनाने के निदेश दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : उत्तर प्रदेश में अग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस पिछले अनेकों वर्षों से बनना बन्द हैं। प्रदेश में इतनी पुलिस भी नहीं है कि हर नागरिक की सुरक्षा हो सके। राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं व भले लोगों की हत्याओं की भरमार सुरक्षा के अभाव में होती है। शस्त्रों के अभाव में डकैती व हत्याएं दिनोंदिन बढ़ रही हैं। इस वर्ष 8 प्रतिशत जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से संस्तुति की है कि प्रदेश में लायसेंस देने की अनुमति दी जाए। मैं नियम 377 के माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में बन्द अग्नेय शस्त्रों के लायसेंस बनाने की अनुमति प्रदान करे।

(पांच) राउरकेला इस्पात संयंत्र से गैस का रिसाव रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री डी० अमात (सुन्दरगढ़) : ऐसा समाचार है कि पिछले तीन माह से राउरकेला इस्पात संयंत्र में गैस का लगातार रिसाव हो रहा है जिससे राउरकेला इस्पात संयंत्र के श्रमिकों और अधिकारियों में दहशत फैली है। प्रबन्धकों और फैक्टरी निरीक्षकों ने कतिपय कारणों से इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही गैस के रिसाव को रोकने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। इससे क्षेत्र का पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। चिकित्सा स्रोतों से यह पता चला है कि राउरकेला इस्पात सयंत्र के अनेक कर्मचारी गैस रिसाव के शिकार हुए हैं। यहां चार बड़ी चमन भट्टियां हैं जो

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपरिष्कृत गैस छोड़ती हैं और इसी अपरिष्कृत गैस को परिष्कृत करने के पश्चात् ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पिछले 30 वर्षों से प्रयोग में आ रहे गैस पाइपों में कई जगह दरार पड़ गई हैं जिसमें से गैस का रिसाव होता है। इसके स्थान पर तुरन्त नए पाइप लगाए जाने चाहिए। धमन भट्टियों से निकलने वाली अपरिष्कृत गैस में कार्बन मोनोक्साइड है जो बहुत ही जहरीली है और जिसे सूंघने के तुरन्त बाद ही मृत्यु हो जाती है। कुछ वर्षों पूर्व तीन श्रमिकों की पहली धमन भट्टी को साफ करते हुए मृत्यु हो गई थी। यही नहीं यह भी कहा जा रहा है कि राउरकेला उर्वरक संयंत्र के गैस टैंक में भी कुछ दरार आ गई है जिससे गैस का रिसाव हो रहा है। इससे राउरकेला इस्पात शहर के लोगों और राउरकेला इस्पात संयंत्र के निकट रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा हो गया है।

अतः इन कमियों को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि राउरकेला दूसरा भोपाल न बने।

(छः) समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए देश में, विशेषकर उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के और अधिक केन्द्र खोले जाने की मांग

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : धान की बिक्री में कमी के कारण उड़ीसा और देश के कुछ अन्य राज्यों में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। उड़ीसा में धान 120/- रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है जबकि समर्थन मूल्य 205/- रुपए है। भारतीय खाद्य निगम सरकार की मदद नहीं कर रहा है। नए क्रय केन्द्र खोलने की बजाय वह किन्हीं कारणों से धान खरीदने से भी मना कर रहे हैं।

उड़ीसा में धान की बिक्री की इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही और वह भी इस मन्दी के मौसम में। अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध न होने के साथ-साथ बहुत कम मूल्य पर बिक्री ने ग्रामीण क्षेत्र को दिवालिया बना दिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार पूरे उड़ीसा राज्य और राष्ट्र के अन्य भागों में शीघ्र ही भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्र खोलें।

(सात) खेल के मैदानों को अधिक्रमण से बचाने के लिए विधान बनाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन यह मनुष्य की विकास की पहली आवश्यकता है। निरोगी काया और मन के लिए स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, व्यायाम, खेल इन सभी की बचपन से आवश्यकता है। देश के भावी नागरिक खिलाड़ी तथा खिलाड़ी-वृत्ति के बनें इस दृष्टि से उनकी खेलों में रुचि बढ़ाना, उस दृष्टि से पूर्ण सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है।

आबादी बढ़ने के कारण लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर दौड़ रहे हैं। शहरों में बढ़ती आबादी के साथ इमारतों की बाढ़ सी आयी है और इस प्रकार से शहर में कांक्रीट जंगल बन रहे हैं, जिससे कि नगरों व अन्य जगहों पर खुली भूमि, बच्चों व विद्यार्थियों के लिए खेलने के स्थान कम पड़ते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसके द्वारा प्रत्येक नगर में बच्चों के खेल के मैदान सुरक्षित किए जा सकें जिन्हें कोई और हड़प न सके। ऐसा करने से हमारी आने वाली संतानों को सहायता मिलेगी।

अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि खेल के मैदान सुरक्षित करने की दृष्टि से कानून बनाए जाएं।

———

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2·00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1·00 म०प०

ततपश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2·08 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 08 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा सशस्त्र बल (जम्म-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक (जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय इससे पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूं मैं आपके माध्यम से सभा से निवेदन करना चाहूंगा। क्या हम इस विधेयक पर चर्चा आज समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत होना है? यदि आवश्यक हुआ तो हम 8 00 म०प० या 8·30 म०प० तक बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे विभिन्न दलों के मुख्य सचेतकों पर छोड़ता हूं कि वे आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लें और मुझे बतायें कि वे क्या चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय यह ठीक रहेगा।

मैं अपने इस संकल्प पर बोल रहा था कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई 1990 को प्रख्यापित सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है। इस चर्चा के लिए मेरा प्रस्ताव सभा के विचाराधीन नहीं है। हम वास्तव में तीन अलग-अलग पहलुओं की चर्चा एक साथ कर रहे हैं। साथ में हमने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के पहलू पर चर्चा शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त हम गृह मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तावित आनुषंगिक विधेयक के साथ-साथ उस अध्यादेश पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिसमें सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार दिए गए हैं।

इस प्रकार हम वास्तव में कश्मीर समस्या से संबंधित जो आन्तरिक, अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारत-पाक समस्या से जुड़ी हैं, सभी बातों तथा जम्मू-कश्मीर मामले से निपटने में पिछली और वर्तमान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जांच कर रहे हैं।

अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी अपने संकल्प के बारे माननीय सदस्यों द्वारा जो बातें पूछी जा सकती हैं उनका जवाब देने के लिए अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, मैं इस अवसर का लाभ जम्मू-कश्मीर की समस्या पर यथासंभव विचार करने के लिए उठाना चाहता हूं।

महोदय, आज जम्मू-कश्मीर में हमारे सामने जो चुनौती है उसे बताते हुए केन्द्रीय मन्त्री महोदय ने व्याख्यात्मक ज्ञापन/टिप्पणी में, जो उन्होंने संसद में प्रस्तुत किया है, अनेक कारण बताएं हैं जैसे—हथियारों की किस्म, बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ, पाकिस्तान के हथियारों और गोला-बारूद का प्रयोग तथा हजारों युवकों को हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्रियों के प्रयोग का प्रशिक्षिण किया जा रहा है तथा एक पहलू यह भी है कि राज्य पुलिस सहित पर्याप्त संख्या में राज्य सरकार के कर्मचारियों को इतना निष्प्रभावी बनाया जा रहा है कि वे या तो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त रहे हैं अथवा उनका समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा और सशस्त्र बल (जम्मू कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश के बारे में इस प्रकार व्याख्या की गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी बताये गये हैं—जैसे—गर्मी के मौसम का आना तथा सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बुलाया जा रहा है, मैं इन सब बातों को पढ़ना नहीं चाहता। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभा और माननीय सदस्य उन्हें पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में व्याप्त स्थिति की यह सही तस्वीर नहीं है। इससे पहले मैंने अनेक अवसरों पर कहा है कि आज जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मेरे विचार से, वह राष्ट्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को चालीस वर्षों से उचित ढंग से न निपटने का परिणाम है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की यह समस्या प्राय: अपराध और जान-बूझकर सकीर्ण तथा अदूरदर्शी राजनैतिक लाभों के लिए स्थिति का फायदा उठाने के कारण जटिल हुई है और बिगड़ी है। परिणामस्वरूप मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर हमारे राष्ट्र, राजनीति और भारत के संबंध में हमारी अवधारणा को बड़ी गंभीर चुनौती है। स्वतन्त्रता के बाद समारे सामने यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चुनौती है। इसका उल्लेख करने से पहले हमें जम्मू-कश्मीर के मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत ही संक्षेप में पाक-भारत सन्दर्भ में जम्मू-कश्मीर की समस्या बताना चाहता हूं। मैंने यह पहले भी कहा है और फिर दोहराता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर में विशेषत: कश्मीर घाटी में जो कुछ हो रहा है वह बाहरी सहायता, प्रोत्साहन और प्राय. विद्रोह के कारण हो रहा है।

पाक-भारत सन्दर्भ में दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भारत के महत्वपूर्ण भाग को अलग करने के लिए कम खर्चीला रास्ता अपना रहा है। पाक-भारत सन्दर्भ में तीसरा पहलू जम्मू-कश्मीर का प्रतीकात्मकवाद है। मैं जम्मू-कश्मीर के प्रतीकात्मकवाद का विस्तार से उल्लेख कर सकता हूं लेकिन मेरे विचार से उस पर आज चर्चा नहीं होगी। मेरे लिए विद्वान राजनैतिक टीकाकार की टिप्पणी के, जो उन्होंने हाल ही में की है, पैराग्राफ को संक्षेप में उद्धृत करना ही पर्याप्त है। भारत और पाकिस्तान के सन्दर्भ में यह टिप्पणी कश्मीर के प्रतीकात्मकवाद से संबंधित है।

मैं उद्धृत करता हूं :

"भारत और पाकिस्तान के बीच मनोवैज्ञानिक मतभेद 1947 की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गए हैं।

— रूढ़िवादी घृणा इतनी बढ़ रही है कि समाज में साम्प्रदायिकता तब से बढ़कर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी है हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं। हम आधुनिक राजनीति में पहले से व्याप्त वैमनस्य को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास करते हैं।

— इस सन्दर्भ में कश्मीर के कारण भारत और कश्मीर के बीच मतभेद पैदा होते हैं। इससे प्राचीन पूर्वाग्रहों तथा आशंकाओं को बल मिलता है। पाकिस्तान विभाजन के अधूरे लक्ष्यों पर सतत नजर रखे हुए हैं तथा भारत का शक्तिशाली होना और 1971-72 के युद्ध के बदले की भावना ये दोनों बातें पाकिस्तान को खटकती रहती हैं। कश्मीर का मामला, मानवाधिकारों की आधुनिक भाषा में उलझाया जा रहा है।

महोदय, यह बड़ा संक्षिप्त उदाहरण है जिसे मैंने सभा के विचारर्थ रखना उचित समझा है। परन्तु भारत-पाक संघर्ष में कश्मीर की प्रासंगिकता के संबंध में मेरे विचार से दो और उद्धरण देना आवश्यक है। उनमें से एक पाकिस्तान के राष्ट्रपति माननीय गुलाम इशाक खां का है। उनकी इस बात का लिखित सबूत है :

"जहां तक कश्मीर घाटी का संबंध है, अभी स्वतंत्रता का कार्य पूरा किया जाना है।"

इससे साफ और स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : विभाजन।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अधूरा कार्य।

श्री जसवन्त सिंह : विभाजन का अधूरा कार्य····माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति माननीय गुलाम इशाक खां की इस बात का सबूत है कि जम्मू और कश्मीर विभाजन के लिए पाकिस्तान के अधूरे कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके अतिरिक्त उनके सेना अध्यक्ष जनरल मिर्जा असलम बेग द्वारा अनौपचारिक सभा में की गयी टिप्पणी कम प्रचलित है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिनिधियों को सूचित किया जाए कि कश्मीर घाटी के मामले को बेहतर ढंग से जल्दी सुलटाया जाए। अन्यथा वह—जनरल मिर्जा असलम बेग—अपने बेरोजगार मुजाहिद्दीनों या पाक अधिकृत कश्मीर के असन्तुष्ट लोगों अथवा पंजाब के अन्य लोगों को, जिन्हें वह अभी भी नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा होता है तो युद्ध होगा।

इसीलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि कश्मीर घाटी की स्थिति पर चर्चा करते समय पाक-भारत सन्दर्भ का हवाला दिया जाए।

इसके अलावा एक अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी है। इस अन्तर्राष्ट्रीय पहलू के संबंध में मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख किए बगैर आपके समक्ष एक धारणा प्रस्तुत करता हूं। मैं तीन बातें कहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगस्त माह की तीन विशेष तारीखों, 2 अगस्त, जो इराक ने कुवैत पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया; 6 अगस्त, जब पाकिस्तान में सरकार बदली और इसे पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने संवैधानिक सरकार पर संघातिक प्रहार करना बताया है; 13 अगस्त, जब पाकिस्तान ने अमरीकी आर० डी० एफ० की सहायता के लिए साऊदी अरब के लिए अपने सैनिक भेजे, पर टिप्पणी करें।

यदि मैं तीनों तारीखों की प्रासंगिकता पर अपने दावे का खुलासा करने का प्रयास करूं तो न केवल मैं सभा का अधिक समय लूंगा बल्कि कश्मीर घाटी के संबंध में, जोकि आज दोपहर का हमारा मुख्य विषय है, तुरन्त ध्यान केन्द्रित करने के बजाय काफी हट जाएंगे। परन्तु यहां दो अन्य पहलू भी हैं। एक घटना जो पहले घटित हुई और जो पश्चिम ऐशिया में हुई घटनाओं की वजह से निष्प्रभ हो गई है वह इस्लामी देशों के संगठनों की बैठक थी। इस्लामी देशों के संगठन की इस बैठक के आरम्भ में साऊदी अरब के युवराज, जो उस वक्त इस्लामी देशों के संगठन (ओ० आई० सी०) के अध्यक्ष थे, ने काश्मीर से संबंधित एक वक्तव्य दिया था जिसे दैवी कारणों की वजह से अब पार्श्व में पड़ गया है। और इसके बारे में मैं गृह मंत्री को याद नहीं दिलाना चाहता। इस्लामी देशों के संगठन की पूरी ताकत को दूसरी तरफ लग गया है। परन्तु यदि मैं केन्द्रीय गृह मंत्री और सभा को इसकी याद नहीं दिलाऊं तो मैं अपना दायित्व पूरी तरह नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि ओ० आई० सी० के सम्मेलन के आरम्भ में ओ० आई० सी० के अध्यक्ष ने पश्चिम एशिया की घटनाओं से व्यस्त होने के बावजूद जो संकल्प या वक्तव्य दिया था और जो संकल्प ओ० आई० सी० के द्वारा स्वीकार किया गया था वह कश्मीर घाटी की समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना ही नहीं था बल्कि जो हो रहा है उसका भी इस्लामीकरण करना था। रबात की बैठक के बाद पहली बार ओ० आई० सी० ने भारत में घट रही घटनाओं पर ध्यान दिया है। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों घटनाओं के बारे में टिप्पणी करें और भारत सरकार के विचार हमें बतायें। और मैं इसे विशेष रूप से नोट करूंगा क्योंकि ओ० आई० सी० का यह संकल्प रबात के बाद पहली बार पश्चिम एशिया के साथ-साथ पाकिस्तान में हुई अनुवर्ती घटनाओं द्वारा दब गया है।

दूसरे मैं आपको 13 अगस्त के बाद, पश्चिम एशिया में साऊदी अरब और अमरीका आर० डी० एफ० की सहायता हेतु पाकिस्तानी सैनिकों की वचनबद्धता के बारे में बताना चाहता हूं जोकि वास्तव में भारत की आन्तरिक समस्या है, और यह एक भिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो जाएगा। साथ ही मैं कहूंगा कि 13 अगस्त 1990 के बाद, कश्मीर की घाटी की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने से भारी खतरा पैदा हो गया है। हम न केवल कश्मीर समस्या के इस्लामीकरण से जूझ रहे हैं बल्कि इस समस्या को अन्तर-राष्ट्रीय रंग देने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। मैं यहां यह कहना आवश्यक समझता हूं कि क्योंकि जब हम सम्पूर्ण कश्मीर समस्या को देखते हैं तो हमें कम से कम इस सभा में इसके सारे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि केवल इसके एक या दो पहलुओं को ही देखना चाहिये। अत: फिर इससे कुछ निष्कर्ष निकालने चाहिएं। मैं केवल ऐसे दो निष्कर्ष और एक परामर्श सरकार को दूंगा। इससे पहले कि मैं उन दो निष्कर्षों और एक परामर्श की बात करूं हमें कुछ आंकड़े जोकि वास्तविक तथ्य हैं, पर विचार करना है। महोदय, पाकिस्तान में 3 मिलियन लाईसेंसशुदा 'कालाशिलनिकोव' हैं। दूसरा तथ्य यह है कि पेशावर में शस्त्र बाजार में अतिरिक्त शस्त्रों की भरमार है जो किसी न किसी रूप में भारत आते रहते हैं। तीसरे, लगभग 3000 काश्मीरी युवक पाकिस्तान में इन शस्त्रों के प्रयोग, बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण पा रहे हैं, इनकी संख्या के बारे में कोई ठीक-ठीक नहीं कह सकता। यहां तक कि सरकार भी अपनी आसूचना व्यवस्था के बावजूद कुछ नहीं बता सकती है। जैसा कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने स्वयं कहा है कि इस बात के संकेत हाल ही में पकड़े गये शस्त्रों से मिलते हैं। पकड़े गए शस्त्रों की काफी बड़ी सूची है। 400 ए० के०-47 राईफलों सहित 400 मशीन गन और 120 राकेट पकड़े गये हैं जिसका अर्थ है कि उनके पास 120 राकेटों के राकेट

लांचर भी होगे क्योंकि श्रीनगर में जो हो रहा है हमने देखा है। पकड़े गये शस्त्रों मे 50 बूस्टर राकेट हैं, 700 एन्टी पर्सनल माईन हैं और 100 एन्टी टैंक माईन हैं और लगभग एक टन विस्फोटक हैं। मुझे आंकड़ों की व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है। ये आंकड़े तो स्वयं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने दिये हैं। परन्तु मैं यह सब सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि जब वे इसकी पुष्टि करते हैं या इन आंकड़ों से इन्कार करते हैं या जम्मू और कश्मीर में पकड़े गए शस्त्रों के बारे में सही आंकड़े देते हैं तो हमें उन शस्त्रों से जो जम्मू और कश्मीर में पकड़े जाते हैं यह नहीं समझना चाहिए कि कश्मीर घाटी में इस तरह से आने वाले सारे शस्त्र पकड़ लिए गए है बल्कि ये शस्त्र तो वहां पहले से पहुंचे या पहुंच रहे शस्त्रों का कुछ भाग ही होता है। इन आंकड़ों को यहां पेश करना मेरे लिए इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की इस समस्या का सामना कर रहे हैं। देश की आन्तरिक समस्या और अन्तर्राष्ट्रीय समस्या, अर्थात भारत-पाक समस्या के संदर्भ में, और उस संदर्भ में भी जिससे हम पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सैनिक प्रयासों से जूझ रहे हैं, मैं समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं।

अत: इससे मैं दो निष्कर्षों पर पहुंचा हूं। एक यह कि आज जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वह एक युद्ध है, जोकि पाकिस्तान द्वारा लड़ा जा रहा है, एक ऐसा युद्ध जो पाकिस्तान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जा रहा है, और यह एक कम खर्चे वाला युद्ध है तथा इस अप्रत्यक्ष युद्ध से, जिसमें पाकिस्तान हमें कश्मीर घाटी में व्यस्त किए हुए है, हमें पाकिस्तान से जूझना होगा। दूसरा निष्कर्ष यह है कि मानव अधिकार किसी भी सरकार के लिए एक व्यापक और महत्वपूर्ण तथा विशेष मुद्दा होता है लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केवल मानव अधिकार की बात करने पर जोर देना भ्रम में डालने वाली बात है। अब क्योंकि इस पर गलत ढंग से जोर देना ठीक नहीं है अत: यह सरकार का दायित्व हो जाता है कि जब कभी अनुशासन के उलंघन का भी सुझाव आता है या भारत में कहीं भी मूल-भूत मानव अधिकारों के उलंघन की बात आती है तो उसे इन उल्लंघनों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने इस अध्यादेश को अस्वीकृत करने संबंधी अपने संकल्प को क्यों प्रस्तुत किया है? मैंने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट की है। मैं तो समझता हूं कि स्थिति इतनी गंभीर और भयावह है और मैंने तो इसकी केवल एक तस्वीर ही खींची है यदि। ऐसा नहीं होता तो मैं निरनुमोदन संबंधी संकल्प क्यों प्रस्तुत करता? इस क्यों को स्पष्ट करने से पहले जोकि बहुत ही साधारण तौर पर यहां कहा गया है, मैं जम्मू और काश्मीर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में अपनी स्थिति और अपने दल की स्थिति स्पष्ट करूंगा। मेरा विश्वास है कि यह एक अनिवार्य कदम है। इस संबंध में कोई अन्य व्यवहारिक संवैधानिक विकल्प नहीं है।

जहां तक सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां विधेयक की बात है, मैं सरकार द्वारा हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए इन शक्तियों को मांगने और प्रदान कराने की बात का समर्थन करता हूं। मैं सरकार के इस तरह के अध्यादेश जारी करने के लिए अपनाये गये तरीके को ठीक नहीं समझता हूं। मैं इस अध्यादेश को अस्वीकार करता हूं इसलिए नहीं कि मैं संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों की वकालत कर रहा हूं बल्कि मैं यह मानता हूं कि जब कभी बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तभी सरकार कभी-कभार ऐसा अध्यादेश जारी करने के लिए अपने अधिकार का सहारा ले सकती है। तथापि मुझे इस अध्यादेश पर आपत्ति है क्योंकि यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा संसद का अधिवेशन बुलाने के बाद जारी किया गया है। यह हो बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा संसद का अधिवेशन बुलाये जाने के बाद यदि सरकार एक अध्यादेश जारी करती है तो यह संसद के

विशेषाधिकारों और कार्यों का एक तरह पूर्व-उल्लंघन है। निश्चित रूप से सरकार पहले से ही यह भांप सकती थी कि जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करना अपरिहार्य है। सरकार को जून के महीने में, मई के महीने में यह भली-भांति देख लेना चाहिए था कि सशस्त्र सेनाओं को विशेष शक्तियां देना, जैसे कि पहले असम में दी गई थी, और जैसे कि पहले पंजाब में किया गया था, एक तरह से अनिवार्यता भी हो चुकी थी। हमें ऐसा करना पड़ेगा। यदि यह दूरदृष्टि होती तो संसद के अधिवेशन को बुलाने के बाद जारी किये गये इस अध्यादेश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरी आपत्ति केवल प्रक्रिया संबंधी नहीं है। फिर यह एक पुष्ट और ठोस बात है कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा संसद का अधिवेशन बुला लेने पर सरकार को अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

महोदय, मेरी इस अध्यादेश विशेष के संबंध में एक दूसरी आपत्ति है, साथ ही एक सावधानी बर्तने के लिए भी कहूंगा। मैंने सरकार को सावधान करते हुए एक संकल्प प्रस्तुत किया था और सावधानी यह थी कि "जो कुछ पिछली सरकार ने किया है उसे न दोहराओ।" अध्यादेशों और विधेयकों द्वारा अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने के संबंध में पिछली सरकार का रिकार्ड शायद अतुलनीय रिकार्ड है। सरकार को इन्हीं गलतियों का शिकार नहीं बनना चाहिए। निष्क्रियता के लिए विधि निर्माण का सहारा न लें। किसी विश्वासोत्पादक नीति संबंधी ढांचे की अनुपस्थिति में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना इसका कोई हल नहीं है। महोदय, मेरा निवेदन है कि काश्मीर नीति प्रयोग के लिए कोई परीक्षण क्षेत्र नहीं है। कश्मीर घाटी में घुसपैठ को रोकने के लिए ढुल-मुल शासन चलाने से और अचानक शासकीय नीति में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होने वाला है।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं सशस्त्र सेवाओं के संबंध में तीन सावधानियां बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि संसद का देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रति एक विशिष्ठ भूमिका और दायित्व है चाहे इन्हें श्रीलंका में तैनात करना हो या भारत के पूर्वोत्तर में या पंजाब में अथवा जम्मू काश्मीर में उन्हे अप्रिय कार्य में इस समय लगाने की बात हो। सशस्त्र सेना के बारे में, जो विषम परिस्थितियों का सामना करती हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता है। श्रीलंका में भेजी गयी भारतीय शांति सेना के प्रवास के दौरान जनरल सरदेशपांडे ने, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका की आलोचना किए जाने के कारण कमीशन से इस्तीफा दे दिया और अपने सभी अलंकरण पदक भी वापस कर दिए। यदि हम अपनी सशस्त्र सेना का सभी राजनीतिक गलतियों को सुधारने के लिये प्रयोग करते रहे तो इस सिलसिले का कभी अंत नहीं होगा। चाहे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के०रि०पु०ब०) का जवान जो श्रीनगर के किसी मोहल्ले में अकेला चौकसी करता है या सीमा सुरक्षा बल का कोई रक्षक दल जो हो या सेना की टुकड़ी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात रहती है, उनके लिये प्रशंसा और सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा जाता, क्योंकि, वे एक ऐसी राजनीतिक भूल को सुधारने के लिये अपना जीवन दे रहे हैं जो हमारी गलतियों का परिणाम है। इसलिये जब आप सशस्त्र सेना की भूमिका पर कोई टिप्पणी करें तो आप बहुत सजग और सचेत रहें।

इसके अतिरिक्त और भी चेतावनियां हैं। हमारे देश में शरणार्थियों की समस्या से जिसका अनुभव हमें भी है। जब असम में उपद्रव हुए तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जो असमी मूल के नहीं थे—वे बंगाल या किसी अन्य स्थान से आए थे—उन्हें वहां से निकलना पड़ा तो बहुत उपद्रव हुआ और वह उचित ही था। आज कश्मीर घाटी के अनेक भारतीय जम्मू में रह रहे हैं और उनकी दुखद स्थिति पर

सहानुभूति के एक भी शब्द नहीं कहे जाते । जो नागरिक और निर्दोष व्यक्ति कश्मीर घाटी में आतंकवादी वारदातों के दौरान मारे जाते हैं उनके लिये सहानुभूति के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किये जाते, चाहे मीर मुस्तफा की हत्या हो या किसी अन्य व्यक्ति की ।

दूसरी चेतावनी की बात करने से पहले मैं प्रशासनिक सेवा के उन लोगों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने अभ्यावेदन भेजे हैं । मैं इस बारे में सरकार के विचार से पूरी तरह सहमत हूं, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल, जिन्होंने कहा है कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध हैं । ये प्रशासनिक सेवा के जम्मू-कश्मीर में कार्यरत अधिकारी हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अभ्यावेदन दिया है । सरकार उन्हें बर्खास्त करने के बजाय उनका स्थानांतरण कर रही है । यदि वे संयुक्त राष्ट्र को अपना अभ्यावेदन देना ही चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर हमारी सभा में शामिल हो जाना चाहिये ताकि हम एक दूसरे का नाम ले सकें और एक दूसरे की आलोचना कर सकें या जो भी उचित समझें कर सकें । लेकिन यदि सरकार केवल उनका स्थानांतरण ही करती है तो आप कहना क्या चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिये । एक आवश्यक चेतावनी : यह बल (सेना) के प्रयोग में अन्तर्निहित है विशेषकर उन्हें जो जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रदान करते हैं और यह उचित एवं पर्याप्त अपरिहार्य आवश्यकता है :

(क) बल (सेना) को निर्देश : सशस्त्र सेना का स्पष्ट और साध्य कार्य होना चाहिए । मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सेना को स्पष्ट और साध्य कार्य सौंपा है ।

(ख) नेतृत्व : सिद्धांत एवं व्यवहार में नेतृत्व । मुझे यह आश्वासन बिल्कुल नहीं मिला है कि यह सरकार जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में ऐसा करने जा रही है । सरकार मुझे इस बारे में आश्वस्त करे ।

(ग) संयम : सशस्त्र सेना को प्रदान शक्ति के प्रयोग में उन्हें संयम बरतना चाहिये । सशस्त्र सेना द्वारा शक्ति के प्रयोग के बारे में हमें टीकाटिप्पणी करने में संयम बरतना चाहिए । इसके लिए कोई सशस्त्र सेना को न तो दोषी ठहराया जा सकता और न इनकी जवाबदेही ।

अन्त में मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि जो समस्या हमारे सामने है और जिन समस्याओं से कश्मीर घाटी में भारतीय गणतंत्र जूझ रहा है, यह एक गंभीर समस्या है और यह गंभीरतम समस्या 1947 से ही चली आ रही है । यह सब कहने के पश्चात् इस सीमा तक सरकार को इसके लिये दोषी ठहराने तथा अपनी असहमति व्यक्त करने के पश्चात् हमें इस मुद्दे का समाधान करने के लिये एकमत होकर अपने विचार करने चाहियें । मेरा यही अनुरोध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ संशोधनों की सूची माननीय सदस्यों ने दी है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 13 नवम्बर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित किया जाये ।" (1)

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनन्तनाग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां

प्रदान करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी
(2) श्री जी० एम० बनातवाला
(3) श्री चन्द्र शेखर
(4) श्री सोमनाथ चटर्जी
(5) श्री सैफुद्दीन चौधरी
(6) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(7) श्री जसवन्त सिंह
(8) श्री पी० आर० कुमारमंगलम
(9) कुमारी मायावती
(10) श्रमती गीता मुखर्जी
(11) श्री वसंत साठे
(12) श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद
(13) श्री कपिल देव शास्त्री
(14) श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह; और
(15) प्रो० सैफुद्दीन सोज़

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।" (17)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर दिसम्बर, 1990 तक राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया जाए।"..... (18)

[अनुवाद]

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नौवीं लोक सभा में हमें कश्मीर की समस्या पर कई बार चर्चा करने का मौका मिला। हर बार सरकार ने यही आश्वासन दिया कि कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन स्थिति में सुधार होने के बदले स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। यह कश्मीर समस्या का सबसे चिंताजनक पहलू है। कश्मीर की समस्या का एक इतिहास है, और जितनी भी राजनीतिक दलों ने कमोबेश उसकी स्थिति सुधारने में अथवा बिगाड़ने में योगदान किया है।

लेकिन अतीत के बारे में उल्लेख करने का मेरा कोई विचार नहीं है। बहुत कुछ कहा गया है और सदन में यह चर्चा भी की गई है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समस्याएं और मुद्दे विरासत में मिली हैं। यह बहाना कब तक बनाया जाएगा ? उनमें से अधिक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वे कभी हमारे ही अंग थे। वे भी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण से जुड़े थे। इसलिए हमें बहाना बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना है।

कश्मीर का मुद्दा कोई अकेला नहीं है। देश में आज जो भी हो रहा है यह उसी का एक भाग है। इसके दो पहलू हैं जो मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं। जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई तो उसने ऐसा आभास दिया कि पहले जो भी हुआ वह गलत था और उन सभी मुद्दों पर फिर से बातचीत हो सकती है। जहां तक कांग्रेस सरकार का संबंध है, इसकी नीतियों से सभी अवगत थे चाहे सदस्य इस बात से सहमत हो या नहीं। वे नीतियां और कार्यक्रम दृढ़ थे। संभावनाओं की सीमा सभी जानते थे और इसलिए स्थिति पर नियंत्रण था।

एक बात यह है कि ये सीमाएं खत्म हो गई हैं और यह अनुभव करते हुए कि सभी मुद्दों पर फिर से बातचीत की जा सकती है चाहे वह कश्मीर का हो, पंजाब का हो, असम का हो या किसी अन्य राज्य का हो इन विद्रोही, आतंकवादी, और पृथकतावादी तत्वों ने स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया ताकि वे दृढ़ता के साथ सौदेबाजी कर सकें। मैं सरकता हूं कितनी जल्दी ऐसी भावना दूर हो और जितनी जल्दी सरकार दृढ़ नीति और कार्यक्रम लाए और उन सीमाओं को निर्धारित करें जिनके अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप किए जाएं, तभी इन समस्याओं का समाधान साध्य हो पायेगा।

पिछली सरकार की नीतियों का महत्व कम करके दिखाने की दृष्टि से ही यह सरकार विपरीत दिशा में चल पड़ी है। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जारी रखने के बजाए उन्होंने पहला कार्य यही किया कि वहां की राजनीतिक प्रक्रिया को नष्ट कर दिया। श्री जगमोहन की राज्यपाल के पद पद नियुक्ति राजनीतिक प्रक्रिया को तोड़ने की शुरूआत थी। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद फारुख सरकार ने इस्तीफा दे दिया। वह सरकार जिसे लोगों ने चुनकर भेजा था वह सत्ता से बाहर हो गई। राज्यपाल ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। उसके तुरन्त बाद ही विधानसभा भंग कर दी गई।

सभी जनप्रतिनिधि तथा राजनैतिज्ञ, जो इस समस्या के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकते थे पीछे हटा दिए गए। कठोर कदम उठाए गए। कश्मीर में नौकरशाही का शासन शुरू हो गया। मेरा यह कहना नहीं है कि कानून और व्यवस्था को बनाए नहीं रखा जाए। मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य की यह पहली शर्त है कि वहां कानून और व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक बनाए रखा जाए। आतंकवादियों को अपने माल असबाब के साथ भागने नहीं दिया जाए। लेकिन, साथ ही, निर्दोष लोगों को भी तंग नहीं किया जाना चाहिये। वे जनता के लोग जो निर्दोष लोगों और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कर सकते थे, जो निर्दोष लोगों की रक्षा कर सकते थे, उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया।

दूसरा पहलू, जिससे राष्ट्रीय पहलू के रूप में कश्मीर की समस्या और भी गंभीर हुई यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की आन्तरिक लड़ाई है। साहचर्य, समझदारी या स्पष्ट सूझ-बूझ के बिना ही सरकार कार्य करने लगी। यहां गृह मंत्री हैं। हमें गृह मंत्री के प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन उनके ऊपर कश्मीर मामलों के मंत्री आरोपित कर दिए गए हैं। यह करना अनावश्यक था। अगर गृहमंत्री कश्मीर का मामला संभालने में अक्षम थे, तो दूसरा गृह मंत्री नियुक्त किया जा सकता था या अगर सरकार ने यह निर्णय ले लिया होता कि कश्मीर मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए और कश्मीर मामले को गृह मंत्रालय से निकालकर किसी अन्य मंत्रालय में किसी अन्य मंत्री को सौंप देना चाहिए, वे यह कर सकते थे; ऐसा करना मुश्किल नहीं था; अगर ऐसा किया जाता तो यह एक युक्तिसंगत कदम होता। किन्तु हुआ यह कि एक और मंत्री को अधिकार दे दिया गया। ऐसा आभास दिया गया कि

एक गृह मंत्री हैं जो कठोर उत्पीड़न की नीति पर चलेंगे और एक और मंत्री थे जो राजनीतिक प्रक्रिया दोबारा शुरू करेंगे। मैं अपने मित्र मुफ्ती साहब को इस जिम्मेवारी से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। मंत्रालय इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह कितने दिनों तक चलेगा? जिस तरह यह चल रहा है, वह पांच दिनों तक चले। किन्तु, कम से कम आप एक सही संदेश तो कश्मीर भेज सकते थे। मुझे खेद है कि यह नहीं किया गया; और दोबारा एक सतत परिवर्तन की अवधि शुरू की गई जिसमें आतंकवादियों ने पुनः शक्ति प्राप्त कर ली यह सोचकर कि सदन में मतभेद है, कि जम्मू-कश्मीर राज्य के मामलों की देखभाल करने वाली सरकार में मतभेद है।

मीर कासिम और शफी कुरैशी जैसे अन्य नेता हैं जो हमारे पी०सी०सी० के अध्यक्ष हैं। हो सकता है आप उनके बारे में ज्यादा विचार न करें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आप ऐसा कैसे कहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं सिर्फ "हो सकता है" वाक्यांश का प्रयोग कर रहा हूं। किन्तु यदि आप एक बेहतर शब्द प्रयोग करते हैं, तो इससे हमें सहायता मिलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सब, यहां दिल्ली में बैठकर कश्मीर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ़े सकते। मैंने आपको ये दो नाम दिए हैं। कई और भी हो सकते हैं। इन्हें कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढ़ने की प्रक्रिया में शामिल किया ही जाना चाहिए। सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि अन्य लोग जो कश्मीर मामले की जानकारी रखते हैं या कश्मीर में रुचि रखते हैं, जो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं, अगर आप जम्मू-कश्मीर राज्य की समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो इन सभी लोगों को एकत्र करना चाहिए। किन्तु, महोदय, यहां भ्रम का निवारण नहीं होता। भ्रम बना रहता है। और इसके कारण, राज्यपाल श्री जगमोहन को जाना पड़ा। जब श्री जगमोहन गए, तो इस सरकार के अन्य समर्थन दल को भी वैसा ही हर्जाना देना पड़ा और इसलिए श्री जार्ज फर्नान्डीज से भी दायित्व वापस ले लिया गया। जो समिति उन्हें सहायता दे रही थी उसे भी भंग कर दिया गया।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह सरकार की रोकथाम और संतुलन व्यवस्था है।

श्री दिनेश सिंह : मुफ्ती साहब मैं रोकथाम और संतुलन के प्रयासों का प्रशंसक हूं यदि वे सफल होते हैं तो ! मुझे भय है, कि वे असफल हो गए हैं। जिसका समाधान ढूंढने का जो भी थोड़ा बहुत राजनैतिक प्रयास का अवसर था वह भी गंवा दिया गया। और एक सरकारी पदाधिकारी को हटा कर दूसरे पदाधिकारी को राज्यपाल के रूप में जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रमुख बना दिया गया। मैं राज्यपाल के विरुद्ध नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि वे एक अच्छे सिविल अधिकारी हैं। वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह पूरा करेंगे। किन्तु, जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान के लिए दोबारा एक नौकरशाही समाधान पर पूर्ण रूप से निर्भर हुआ जा रहा है। और यह सफल नहीं हो रहा। जम्मू-कश्मीर राज्य की समस्या को सुलझाने में यही हमारी समस्या है और मैं गृह मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर रहे। आज कश्मीर की जो समस्या है उसकी जिम्मेवारी हम सब पर है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम दिल से हरसम्भव सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाधान तभी खोजे जा सकते हैं यदि हम सही रास्ते पर चलेंगे। यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और सरकार का समर्थन करते हैं तो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे साथ चलने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? ऐसे सरकार को मदद देने के या सरकार के साथ काम करने का प्रयत्न करने से क्या होगा जब दिशा ही गलत है ? इसलिए, सबसे पहले दिशा सही होनी चाहिए।

महोदय, कश्मीर की राजनैतिक स्थिति एक महत्त्वपूर्ण कारण से बिगड़ी है। और वह है जम्मू-कश्मीर राज्य का देश की मुख्यधारा से कट जाना और मैं धारा 370 की बात नहीं कर रहा। संविधान में उस धारा को लाने की एक आवश्यकता थी और अभी भी इसे जारी रखने की आवश्यकता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कश्मीर के मुख्यधारा से कटने की बात कर रहा हूं। कश्मीर एक संरक्षित प्रदेश बन गया और एक प्रकार का संक्रमित प्रदेश बना दिया गया। कश्मीर की जनता को ऐसा लगा कि यह सारे देश से अलग है। धारा 370 संघ के अन्य भागों और कश्मीर में एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने पर रोक नहीं लगाती। यह कश्मीर की जनता को, कश्मीर की सरकार को, कश्मीर की विधानसभा को कुछ अधिकार देती है जिनसे वह केन्द्रीय सरकार की सहायता से कानून बना सकती है। अथवा, अगर आप चाहें तो आप इसे अन्यथा ले सकते हैं, कि धारा 370 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य से संबंधित कानून बनाने में राज्य सरकार से परामर्श करेगी। किन्तु ऐसा कुछ नहीं था जो सरकार को रोकता था कि वह कश्मीर में लोगों को उद्योग स्थापित न करने दे, या उन उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाएं न जुटाए, या उन्हें कर्ज न दे, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कश्मीर की सरकार लोगों को राज्य में होटल बनाने से रोके, या लोगों को घर बनाने से रोके। मैं बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदे जाने की बात नहीं कर रहा। मैं उस संभावना की बात कर रहा हूं जो जम्मू-कश्मीर राज्य तथा शेष देश के लोगों के बीच निकट संबंधों के सिलसिले में अभी भी है। किन्तु ऐसी भावना पैदा की गई कि कश्मीर अलग है। इसलिए वहां जो भी होता है वह प्रकाश में आ जाता है, जो कुछ भी यहां होता है वह कश्मीर की जनता को भयभीत करता है। यह आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर राज्य, जम्मू-कश्मीर के निवासियों और शेष देशवासियों, कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों के बीच अधिक संबंध, अधिक सम्पर्क, अधिक लचीलापन बहाल किया जाए।

महोदय, कश्मीर में गरीबी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह सही है कि कश्मीर में गरीबी है। बाकी देश में भी गरीबी है। राज्य में गरीबी के कारण विद्रोह नहीं हो सकता। राज्य इससे निपटने के लिए ज्यादा अधिकार की मांग करता है। यह सिर्फ कश्मीर के मामले में ही नहीं है बल्कि देश के कई राज्यों की भी यही स्थिति है। जम्मू-कश्मीर राज्य को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए नागरिक समस्याओं से निपटने के लिए, रोजगार की समस्या से निपटने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, व्यापार तथा अन्य कार्यों के लिए वे सुविधाएं दी जानी चाहिए। क्योंकि यह राज्य पहाड़ी क्षेत्र में हैं अतः कृषि के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। सिर्फ यही उचित हो सकता है कि ज्यादा केन्द्रीय सहायता दी जाए जैसे कि केन्द्र सरकार के अन्य राज्यों को जो समान स्थिति में हैं, उन्हें दी जाती है। किन्तु इस सबको इस राज्य की मुख्यधारा से कट जाने की बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है।

महोदय, कश्मीर की जनता शांतिप्रिय है। पूरी घाटी से शांति की गूंज उठती है। शांति की खुशबू आती है कश्मीर में प्रवेश करते ही आप एक शांति की भावना का अनुभव करते हैं। अतः, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कश्मीर की जनमा शांतिप्रिय बनी रहे। वे लोग जो बाहर से आए हैं। जिन्होंने कश्मीर में समस्या पैदा की है, जो कश्मीर के युवकों को भड़का रहे हैं, उन्हें जनता से अलग-थलग करना चाहिए।

मेरे मित्र, माननीय श्री जसवंत सिंह ने कश्मीर की सीमा के साथ पाकिस्तान में रहने वाले काफी लोगों की बात की, जिसका उल्लेख राज्यपाल ने किया है। यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि वे किसी भी कीमत पर कश्मीर में न घुसें। इस देश के गृह मंत्री या प्रधान मंत्री इस

उत्तरदायित्व से कैसे बच सकते हैं ? उन्हें चाहिए कि वे उन लोगों को कश्मीर में गैरकानूनी रूप से घुसने और कठिनाई पैदा करने न दें । यह सुनिश्चित करने के लिए की चोरी-छिपे लोगों का कश्मीर में प्रवेश न हो पाए जो भी साधन लगाने जरूरी हों वे लगाने चाहिए । यह इसकी अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन लोगों के देश में घुसने के बाद कार्यवाही की जाए ।

महोदय, धीरे-धीरे कश्मीर घाटी में जनता यह अनुभव करने लगी है कि जब भी सरकार बोलती है तो वह दृढ़ता के साथ नहीं बोलती । मेरे पास नवीनतम उदाहरण हैं । आपकी अनुमति से, मैं 17 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धरण देना चाहता हूं । इसमें कहा गया है :

> "श्रीनगर, 16 अगस्त, कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद उग्रवादियों ने यह कर दिखाया। सरकार न तो घाटी के कई भागों में हरा पाकिस्तानी झंडा फहराने से रोक पाई और ना ही 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाई ।"

इस तरह ही बातें अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं । एक बार सरकार ने सोच लिया कि वे पाकिस्तानी झंडा फहराने की अनुमति नहीं देंगे, तो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहिए ।

3.00 म० प०

अन्यथा, आपको यह नहीं कहना चाहिए । उन्हें झण्डा फहराने दें । आप इसे अगले दिन मोड़कर रख सकते हैं और भारतीय झण्डा फहरा सकते हैं । किन्तु यदि आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी झण्डा नहीं फहराया जाना चाहिए, तो इसे फहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया बिगड़ने की जिम्मेवारी से सरकार बच नहीं सकती ।

इसी तरह, घाटी से बड़े पैमाने पर हिन्दुओं का पलायन हो रहा है । माननीय सदस्य, जो मुझसे पहले बोले थे, ने भी इसका उल्लेख किया था । मैं सोचता हूं लोगों - हिन्दू, मुसलमान, या अन्य कोई — को घाटी से निकलकर राज्य के अन्य भागों अथवा देश के अन्य भागों में शरणार्थी बनने देना एक गलती है । यदि कोई असुरक्षा थी, यदि उनके जान व माल को खतरा था, तो घाटी के अन्दर ही कैम्प लगा देने चाहिए थे । उन्हें घाटी के अन्दर ही रखना चाहिए था । घाटी में से हिन्दुओं के निकलने से आपने पहले ही पाकिस्तान बना दिया है । आप किसे क्या देते हैं, किस प्रयोजन के लिए देते हैं ? यह पहले ही पाकिस्तान बन गया है । दो-देश का सिद्धान्त स्थापित हो चुका है । मेरे माननीय मित्र ने फिर विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में कहा है । इससे विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी । अब जबकि बहुत विलम्ब हो चुका है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे घाटी के अन्दर कैम्प लगाएं, लोगों को वापिस जाने के लिए जोर दें और किसी भी प्रकार से उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, न कि उन्हें घाटी छोड़ने दें और आतंकवादियों और अलगाववादियों को यह कहने का अवसर दें कि वे कश्मीर की घाटी से अन्य सम्प्रदाय के लोगों को निकाल पाने में सफल हो गए हैं ।

इस सम्बन्ध में, मैंने अखबारों में देखा था कि जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के मुख्य लोगो को श्रीनगर में पकड़ लिया गया था । मैं सोचता हूं कि जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के अनेक कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है । जिन्होंने भी उन्हें गिरफ्तार किया है मैं उन्हें इस कार्यवाही पर बधाई देना चाहूंगा । किन्तु मैं सोचता हूं कि जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें दिल्ली में आगे वार्त्ता के लिए ले आया गया है या लाया जा रहा है । मैं केवल वही कह रहा हूं जो मैंने सुना है । गृह मन्त्री अवश्य ही इस बात का खंडन करेंगे ।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : कोई श्री यासिन मलिक जो, जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के मुख्य क्षेत्रीय कमाण्डर हैं, दिल के मरीज हैं। उन्हें हार्ट पेस मेकर लगा हुआ है। उन्हें यहां इलाज के लिए लाया गया था।

श्री बिनेश सिंह : मैं कहीं भी मानवतावादी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। किन्तु इस बात में विश्वास करना कठिन है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में दिल का इलाज नहीं किया जा सकता था। किन्तु मैं इस पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। मेरा तात्पर्य है कि इन आतंकवादियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए और न ही ऐसी कोई भावना पनपने दी जानी चाहिए कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम उनके साथ बातचीत या वार्ता तभी कर सकते हैं जब वे संविधान के अन्दर रहकर वार्ता करना चाहें।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने कहा था कि उसे यहां लाया गया था। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे पहले गोलीबारी के बाद पकड़ा गया था। तब उसे शेर-ए-कश्मीर मेडिकल कालेज में ले जाया गया था जहां से वह भाग निकला। उस समय भी, वह गम्भीर रूप से घायल था। वह एक दिल का मरीज है। उसे हार्ट पेस-मेकर लगा हुआ है। चिकित्सकों के परामर्श पर ही उसे यहां लाया गया था। मैं यह बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री बिनेश सिंह : मैं इस पर कोई झगड़ा नहीं चाहता। अब जब गृह मन्त्री ने उसका नाम बता दिया है तो जहां तक मुझे याद है, कुछ समय पहले, सरकार ने एक वक्तव्य दिया था कि वह पहले ही मारा जा चुका है। इसलिए उसे फिर एक नई जिन्दगी मिली है। महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से, कुछ मुद्दों के बारे में कहना चाहूंगा जो, हम समझते हैं, कश्मीर की इस समस्या के समाधान में मदद करेंगे। मैं कहूंगा कि पहले तो सरकार के शासन को बहाल किया जाए अर्थात् कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जाए और यह भावना पैदा की जाए कि कश्मीर में सरकार है। यदि आपके सिविल अधिकारी काम नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि कश्मीर में सरकार नहीं है। यदि आपके सिविल अधिकारी संयुक्त राष्ट्र को अपील कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि कश्मीर में सरकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मन्त्री यह बात ध्यान में रखेंगे कि स्थानान्तरण दण्ड नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार देश के अन्य भागों में भी स्थानान्तरण दण्ड के रूप में नहीं कर रही है। यदि कोई दण्ड है तो उसे कुछ गलत काम किए जाने पर दिया जाना चाहिए। स्थानान्तरण तो प्रशासन की एक सामान्य प्रक्रिया है। किन्तु, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद आप क्या कर सकते हैं, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, जब इस देश का मंत्रीमण्डलीय सचिव आम रूप में ज्योतिषी की भविष्य-वाणियां शुरू कर देते हैं, फिर आप अन्य सिविल अधिकारियों को ऐसे कार्यों में भाग लेने के लिए कैसे रोक सकते हैं।

महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान सीमा को युद्ध विराम रेखा के साथ-साथ सील कर दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी घुसपैठिया सीमा के अन्दर न आ पाए।

माननीय सदस्य, जो मुझसे पहले बोले थे, ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति की कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हवाला दिया है। क्योंकि मैं उनसे सहमत हूं इसलिए मैं उन्हें दोहराना और सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा किन्तु कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि बाहर का हस्तक्षेप है और इस हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

महोदय, श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र के साथ हमारे समझौते के अनुसार हमें इस कार्यालय को चलाये रखना है। किन्तु, ये ऐसे बन्धन हैं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार सीमित रखना चाहिए। जब स्थिति इसकी मांग नहीं करती तो किसी बड़ी स्थापना की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर माननीय सदस्य से जो मुझसे पहले बोले थे; सहमत हूं कि जब आप सैन्य बल का प्रयोग करते हैं और आप उन्हें कुछ विशेष अधिकार देते हैं, तो आप उन्हें सीमाओं में मत बांधिए। इससे उनके कार्यकलाप में बाधा पहुंचती है और इसके साथ ही आपको उन्हें उनके उद्देश्यों के बारे में एक स्पष्ट दिशा दे देनी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि ऐसा किया गया है। और इसके बिना सैन्य शक्ति क्या करेगी। क्या उन्हें जवाबी कार्यवाही करने से पहले गोली खाकर मरने की प्रतीक्षा करनी है, क्या उन्हें सबसे पहले स्वयं को गोली मारनी है? उनका उद्देश्य है? क्या उन्हें गिरफ्तारी करनी है, क्या उन्हें हत्या करनी है या जो भी वहां है उसे फेंक देना है? एक बहुत स्पष्ट दिशा की आवश्यकता है। इसे पुलिस के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसे एक स्पष्ट उद्देश्य दिया जाना है और उन सीमाओं के बीच रह कर, जिन्हें निर्धारित किया गया है, इसे कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब, राज्य में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पुनः बहाल करना, जैसे डाकखाना, संचार व्यवस्था इत्यादि जो आवश्यक सुविधाएं हैं। मुझे बताया गया है कि यदि बैंक के लॉकर में आपका कुछ रखा हुआ है तो आप उसे निकाल नहीं सकते। यदि बैंक में आपका धन जमा है, आप इसे निकाल नहीं सकते। क्या वह राज्य, भारत का एक हिस्सा है? यदि इस देश की सारी सेना एक व्यक्ति के साथ जाने में, जो बैंक में छोड़े हुए अपने सामान को निकालना चाहता है, उसकी मदद नहीं कर सकती तो कश्मीर में किस प्रकार का शासन है?

इलैक्ट्रोनिक माध्यम को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। यह लोगों को उचित रूप से समझाए न कि उस तरीके से जिससे दूरदर्शन 'खुला मंच' दिखा रहा है, जिसके बारे में हमने सुबह चर्चा की थी। यह उस प्रकार का होना चाहिए जो विश्वास पैदा करे, विकास के कार्यक्रमों के बारे में बात करे, यह कश्मीर के भविष्य को भारत के एक अखण्ड भाग के रूप में दिखाए, और लोगों को एक सुरक्षित और शान्त जिन्दगी का आश्वासन दे। इसके साथ, यह भी आवश्यक है कि हम विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शुरू करें —जल-विद्युत उत्पादन, उद्योगों की स्थापना, और यह सुनिश्चित करना कि उनके लिए सुरक्षा हो। जब तक सरकार पर्याप्तपर्याप्त सुरक्षा की गारण्टी नहीं देती तब तक यह नहीं कह सकते कि सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है। मुफ्ती साहब मेरे पुराने मित्र हैं लम्बे समय से मैं उनको जानता हूं मैं उन्हें कहूंगा कि वे कश्मीर को आज की मुख्य चुनौती के रूप में स्वीकार करें। उनकी जो भी स्थिति है, मैं सोचता हूं उनका दायित्व है·····(व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : आपने आर्थिक कदम उठाने के बारे में कहा था किन्तु उनका विवरण नहीं दिया।

श्री बिनेश सिंह : मैंने विस्तृत रूप में कहा था कि आपको सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिएं, जिसका अर्थ है कि आप अवश्य उन्हें बिजली उपलब्ध कराएं, आप उन्हें जल उपलब्ध कराएं, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आप उन्हें संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिनके बिना कोई विकास नहीं हो सकता। किन्तु आज आपकी चुनौती कश्मीर होनी चाहिए। आपके नेता ने अभी घोषणा की है कि वे पंजाब में पदयात्रा पर जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि यह एक चुनावी हथकंडा है या इसमें कोई सच्चाई है। किन्तु मैं आपके लिए यह सिफारिश करूंगा आपको अपने लोगों के पास अवश्य जाना चाहिए। आपका घर वहां है, आपके लोग वहां हैं। आप उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते और वहां गृह

मन्त्री के रूप में बैठकर ऐसा रवैया नहीं अपना सकते कि आपको कश्मीर की चिन्ता नहीं है। इसलिए, मुफ्ती साहब, आपके लिए पूरे सम्मान के साथ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आपकी पहली और प्रमुख चिन्ता कश्मीर समस्या का समाधान होनी चाहिए।

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : महोदय, उन्हें दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिए। जहां तक श्री फारूख अब्दुल्ला, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और सोज साहिब का प्रश्न हैं, उन्हें भी 'पदयात्रा' पर चला जाना चाहिए। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, वे सब एक है.....(व्यवधान)

3.13 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, जिस कश्मीर की स्थिति के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी तथा जो स्थिति वहां पर आज है यदि मुझ से यह पूछा जाए कि क्या कश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है तब मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि स्थिति में कोई बुनियादी तथा ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है। महोदय, परन्तु अनेक व्यक्तियों की भांति मुझे भी घोर निराशा में भी आशा की किरण देखने का प्रयत्न करने की आदत है तथा आज मैं यह बताना चाहता हूं कि स्थिति में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। तथा वे कौन से परिवर्तन हैं? दो महीने पूर्व स्थिति क्या थी तथा आज क्या स्थिति है? मैं सोचता हूं कि परिवर्तन के कुछ आसार हैं तथा इस परिवर्तन को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। पहला यह कि अब अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तथा जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। महोदय, पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों द्वारा अन्धाधुन्ध व्यक्तियों की हत्या की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। यह खबर भी है कि जो आतंकवादी गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनसे पुलिस पूछताछ के दौरान अनेक महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई हैं। यह खबर भी है कि घाटी में रहने वाले अनेक व्यक्ति वहां से बाहर निकल रहे हैं तथा सुरक्षा कर्मियों को जानकारी दे रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जिनके आधार पर मैं कुछ आशा कर सकता हूं। इसी संदर्भ में, मैं वर्तमान राज्यपाल श्री सक्सेना द्वारा दिए गए साक्षात्कार का उल्लेख करना चाहता हूं। 11 जुलाई, 1990 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि समझदार युवक यह महसूस करते हैं कि वर्तमान राजनैतिक संकट का समाधान को संविधान के अन्तर्गत ही ढूंढा जा सकता है। अतः मैं नहीं कह सकता कि यही स्थिति दो महीने पहले थी। वहां एक ऐसे राज्यपाल थे जो कश्मीर में ऐसे व्यक्ति होने का दावा नहीं कर सकते थे। इस समय, हमारे यहां एक ऐसा प्रशासक है जो यह कह सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस समस्या का समाधान संविधान के अन्तर्गत ही पाने के इच्छुक हैं।

महोदय, इस समय कश्मीर में ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान के अन्तर्गत ही समस्या का समाधान चाह रहे हैं। इस समय, राज्यपाल का कहना है कि युवा वर्ग तथा उग्रवादी संगठन के बीच में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि उनमें से कुछ व्यक्ति संविधान के अन्तर्गत ही बातचीत आरम्भ करना चाहते हैं। उन्हें हिंसा छोड़नी होगी, उन्हें यह अकाट्य तथ्य स्वीकार करना होगा कि कश्मीर भारत का ही एक अंग है। यदि आर्थिक आधार पर अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के आधार पर उनकी कोई अन्य शिकायतें हैं तब सम्पूर्ण देश उनसे बात करने के लिए तैयार है। केवल सरकार को ही इस सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करनी चाहिए बल्कि हम सभी को उस प्रकार की शिकायतों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह भी कह सकता हूं कि कश्मीर के वर्तमान प्रशासन के रवैये में परिवर्तन आया है। मैं सोचता हूं कि पूर्व राज्यपाल द्वारा शासित पूर्व प्रशासन का रवैया इस प्रकार का था कि कश्मीर घाटी की सारी जनता ही भारत-विरोधी हो गई थी। वे सभी लोग भारत का विरोध करने लग गए थे तथा उस प्रकार के रवैये को देखते हुए ही कार्रवाई की जा रही थी तथा उसी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा सम्बन्धी तथा प्रशासनिक कदम उठाये जा रहे थे। मुझे यह भी याद है कि जिस समय सलाहकार समिति का गठन किया गया था, उन्होंने घाटी का दौरा किया था तथा वे काफी अधिक संख्या में उन व्यक्तियों से मिलने में सफल भी रहे थे जो आतंकवादियों द्वारा लगाये गए कर्फ्यू को चुनौती देकर घाटी से बाहर आ गए थे तथा सलाहकार समिति से आकर मिले और उन्हें अपनी शिकायतें बताई। वे अपने दुःखों के बारे में बता रहे थे तथा वे यह बता रहे थे कि एक ओर तो बन्दूकधारी आतंकवादी उनसे 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाने को कहते हैं तथा दूसरी ओर वे यह बता रहे थे कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनका दमन किया जा रहा था। हमने उन्हें उस समय यह बताया था कि हम उनकी स्थिति को समझते हैं तथा हो सकता है कि आप यह समझें कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनका दमन किया जा रहा हो—परन्तु हमारे सुरक्षाकर्मी तथा सैनिक इस स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। वे अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस समय यदि कश्मीर के लोग आगे बढ़कर आयें तथा आतंकवादियों के पता ठिकानों के बारे में ठीक सूचना दें कि वे कहां से आ रहे हैं तथा किस प्रकार की कार्रवाई वे कर रहे हैं तब हम संसद में यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आवाज बुलन्द कर सकते हैं कि सेना द्वारा जनता के लिए कोई अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न न की जाए। मैं सलाहकार समिति की जनता के साथ की गई उन बैठकों को याद कर सकता हूं जिनसे हमें काफी अच्छी आशा बंधी थी। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उस समय अनेक व्यक्तियों ने हमारी भावनाओं को नहीं समझा था। उस समय हम यह समझ सके थे कि इस समस्या को एक साम्प्रदायिक रूप देने के इस्लामिक रूढ़िवादियों द्वारा प्रयत्न करने के बावजूद तथा एक सम्प्रदाय विशेष के ही कुछेक गिने-चुने व्यक्तियों की हत्या करने के प्रयासों के बावजूद सामान्यतः साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति खराब नहीं हुई थी। हमारी समिति में भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यन्त वरिष्ठ नेता श्री केदार नाथ साहनी भी थे तथा मैं उनका काफी सम्मान करता हूं। वह भी हमारे साथ उपस्थित थे। वह वापस आये तथा पार्टी अध्यक्ष जो इस सभा के एक सदस्य भी हैं उनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें उन्हें यह उल्लेख करना पड़ा कि कश्मीर के मुसलमान घाटी छोड़कर जाने वालों के घर तथा अन्य सम्पत्ति की रक्षा कर रहे हैं। इस सच्चाई को इससे पहले कभी नहीं दर्शाया गया था। इस समय सलाहकार समिति ने क्या किया। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हम अधिक नहीं कर सके तथा मुझे यह भी पता नहीं है कि उस समिति का क्या स्तर है। (व्यवधान) मैं मैं नहीं जानता। मुझे उस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। (व्यवधान) केवल इतना ही नहीं था कि इस समस्या का समाधान पाने के लिए हमें घाटी में जाना चाहिए बल्कि स्वयं भी घाटी की वास्तविकता को समझना चाहिए। हममें से कई व्यक्ति घाटी की वास्तविकता को नहीं जानते हैं तथा वहां के व्यक्तियों से बात करते समय भी हमने समझा था कि इन आतंकवादियों को जनता से अलग-थलग करने की आवश्यकता है तथा उस सम्बन्ध में कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जो आतंकवादी बन्दूकें ताने हुए हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रशासनिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्रवाई में ढील भी नहीं हो सकती। उनका मुकाबला बन्दूकों से करो, इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप सीमा को सील कर दीजिए तथा जो आतंकवादी प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें सीमा में प्रवेश न करने दीजिए। यह बातें आतंकवादियों के सम्बन्ध में थी। परन्तु जनता के सम्बन्ध में आपको भिन्न रवैया अपनाना होगा, आपको कुछेक निश्चित आर्थिक उपाय करने होते हैं। उस समय सेब उगाने वालों को समर्थन मूल्य देने का प्रश्न

सामने आया। हमने उस मामले को प्रशासन के समक्ष उठाया परन्तु उन्होंने कहा कि इस मसले पर इस समय बातचीत नहीं की जा सकती। आतंकवादियों को जनता से अलग-थलग कैसे किया जाए? यदि आतंकवादियों को जनता से अलग-थलग नहीं किया जा सकता तथा प्रशासन और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। उस मामले में प्रशासन के रवैये में परिवर्तन हुआ है जो मैं आपको बताता हूं। तथा यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। यह नया राज्यपाल तथा उनके अधीन जो प्रशासन चल रहा है, मुझे विश्वास है कि जनता पर जिस प्रकार से अन्धाधुंध गोलियां चलाई जाती थी वह समाप्त हो गई है तथा जो अन्धाधुन्ध तलाशियां जो कुछ दिन पूर्व की जाती थी, उनमें कमी आई है। इसके बावजूद कि पांजीपोर में कुछ दिन पूर्व जो घटना घटी थी, उसी प्रकार की कुछेक ज्यादतियां की जा रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह पथभ्रष्टता है तथा इसकी निन्दा की जानी चाहिए क्योंकि आतंकवादी चाहते हैं कि सुरक्षा बल जनता पर अन्धाधुन्ध गोलियां बरसायें तथा उससे उनको मदद मिलेगी। यह कार्य करके हम आतंकवादियों के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महोदय, इस नये प्रशासन के कारण ही कुछ प्रशंसा की जा रही है तथा मैं प्रशंसा करने को तैयार हूं। मैं उसकी तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं बरतूंगा। परन्तु यहां पर पुनः मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछेक सकारात्मक संकेत मिले हैं जिन पर उचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां पर उसका उल्लेख करते समय तथा हमारे समक्ष रखे जा रहे अधिनियमनों जिनमें से एक असाधारण है तथा अत्यन्त कठिन है, अर्थात् सशस्त्र बल विशेष शक्तियां विधेयक के सम्बन्ध में हमें अत्यन्त सचेत भी रहना है क्योंकि सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां दी जा रही है। आपकी तथा मेरी अवधारणा के अनुसार उसकी आवश्यकता है। परन्तु तब उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए तथा मैं श्री जसवंत सिंह के इस कथन का समर्थन करता हूं कि इस शक्ति विशेष के लिए उस सम्बन्ध में पर्याप्त निदेश होने चाहिए। हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों के साथ युकाबला करके घाटी में शान्ति बहाल कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को घाटी में संकट उत्पन्न करने के लिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। मैं इस मसले में इस्लामी सम्मेलन के द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की घोर निन्दा करता हूं। उन्हें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। वे किस प्रकार के इस्लामिक सम्बद्ध के बारे में बात कर रहे हैं? उन्हें कुवैत तथा सऊदी अरब के सम्बन्ध में क्या कहना है? कश्मीर का मुद्दा भारत का अपना मुद्दा है। यह कोई साम्प्रदायिक मुद्दा नहीं है। यह एक धर्मनिरपेक्षता का मसला है जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि बाहरी तातकों द्वारा हस्तक्षेप से केवल आतंकवादियों को मदद ही मिलती है तथा शांतिप्रिय जनता के हितों को नुकसान पहुंचता है। परन्तु इस सम्बन्ध में एक भिन्न प्रकार का निर्णय भी हो सकता है। श्रीमती बेनजीर भुट्टो की बर्खास्तगी के बाद पाकिस्तान के विदेश सचिव हमारे देश में आए थे तथा उन्होंने हमारे विदेश सचिव से बातचीत की। मैंने देखा है कि हममें से बहुत से व्यक्ति इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्रसन्न हैं। अमरीका ने भी यह कह कर इसका स्वागत किया था "कि अच्छा है, एक अच्छी शुरूआत हुई है।" हमने क्या चर्चा की है। हमने अग्रिम जानकारी, बलों को तैनात करने, परस्पर विश्वास आदि उत्पन्न करने के बारे में चर्चा की है। परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में संदेह है। उस देश में निर्वाचित सरकार की बर्खास्तगी के तुरन्त पश्चात् इस कामचलाऊ सरकार को जिया-उल-हक तत्वों का सहारा मिल गया था। तथा वे यह साबित कर रहे हैं कि हम बहुत वफादार हैं तथा अमरीका भी इसका समर्थन कर रहा है। अतएव वे अपनी सरकार को तथा लोकतंत्र के विरुद्ध किये गये अपने कार्य को वैध ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस काम चलाऊ सरकार की कोई भी बात गम्भीरतापूर्वक नहीं लेता हूं। इनकी बातों में मत आइए। वहां अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए वे वैधता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वे

आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। वे ऐसा करते रहेंगे और इस गतिविधि को भी बढ़ाते रहेंगे। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है क्योंकि भारत के साथ वे आमने सामने लड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। वे उग्रवादियों का समर्थन करना चाहते हैं जिससे कि कश्मीर के अधिक से अधिक लोग उनका समर्थन कर सकें ताकि वे घाटी में उपद्रव फैला सकें। इससे ही उनका उद्देश्य पूर्ण होगा। फिर वे इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि अभी बहुत देर हो चुकी है। श्रीमती भुट्टो की सरकार को बर्खास्त कर देने के पश्चात् उनके विदेश सचिव का स्वागत हमारे देश में नहीं होना चाहिए।

अब एक अन्य मुद्दा भी है। वे अब जिस प्रकार का रुख अपना रहे हैं क्या उसे हम स्वीकार कर सकते हैं? जिया उल हक के समर्थकों द्वारा समर्थन प्राप्त यह कामचलाऊ सरकार कह रही है कि श्रीमती बेनजीर का रवैया भारत के प्रति नम्र था। जबकि वे कहते हैं कि हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बनाना है, वे यह भी कहते हैं कि श्रीमती बेनजीर का रवैया भारत के प्रति नम्र था। हमें उनकी चालों को समझना है। मैं ऐसा समझता हूं कि जब पाकिस्तान में लोकतन्त्र की स्थापना सुदृढ़ रूप से नहीं होती है, हमारे सम्बन्धों में पूरी तरह से सुधार नहीं आ सकता है क्योंकि पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है इसे भी विश्व की बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। वे इसे सहारा दे रहे हैं। इन सबके पीछे एक षडयंत्र है। अतः हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। जबकि आतंकवादियों से निपटने के लिए हमें पर्याप्त उपाय करने होंगे, हमें लोगों के साथ बहुत सावधानीपूर्वक, शायद सहानुभूतिपूर्वक पेश आना होगा और उन्हें जीतने के लिए कल्याणकारी उपाय करने होंगे। यह जमीन हमारी है और घाटी की जमीन पर पाकिस्तान कभी कब्जा नहीं कर सकता है। उस पर कभी भी कब्जा नहीं किया जा सकता है। चाहे वे कितनी भी तैयारियां कर लें, चाहें कितने भी देशों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो लेकिन पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कभी भी कब्जा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कश्मीर के लोग हमसे दूर हो जायेंगे तो हमारी असफलता और कमजोरी सिद्ध हो जाएगी। हमें उनका दिल जीतना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इस संदर्भ में मैं एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूं। घाटी से हिन्दू समुदाय का पलायन पांच महीने पूर्व शुरू हुआ है। (व्यवधान)

जब घाटी से पलायन शुरू हुआ तो सिर्फ हिन्दू ही नहीं बल्कि अनेक मुसलमान भी दूसरी जगहों में चले गए हैं क्योंकि वहां अनेक समस्यायें हैं। जब वे दूसरे स्थानों में चले गए, उस समय हम सबने कहा कि उनके पुनर्वास के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। अब मैं देखता हूं कि अभी भी हम इस कार्य में पीछे हैं। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि पूरी परिस्थिति में यह सबसे उत्तेजनशील मुद्दा है। अब कुछ दिनों से हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें इन अप्रवासी लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें किसी स्थान पर बसाना चाहिए, कर्मचारियों को काम देना चाहिए, छात्रों को विद्यालय की सुविधा देनी चाहिए। अनेक कार्य किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं पाता हूं कि इनमें से अनेक कार्य नहीं किए गए हैं। आज एच०एम०टी० के कर्मचारियों के साथ हमारी एक बैठक थी। श्री मुफ्ती साहब ने कल और आज भी उनसे भेंट की। उन्होंने उनके साथ सहानुभूति जतायी थी। वे अप्रवासी लोग हैं। वे कश्मीर घाटी से आए हैं। उनकी समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हुआ है। मुझे यह सलाह नहीं देनी है कि घाटी में जो लोग काम कर रहे थे उन सबों को वहां से चले आना चाहिए और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थायी तौर पर पुनः बसा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक को वापस घाटी में ही लौटना होगा। यह उनका निवास स्थान है और मुझे खुशी है कि उनके निवास स्थान सुरक्षित हैं। वे इसे कट्टरपंथियों को नहीं सौंप सकते हैं। वहां के अधिकांश व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि ये लोग बाहर जायें। परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में घाटी

का दौरा करते समय अनेक लोगों ने हमसे मुलाकात की और कहा : "आप जाईए और उन लोगों से वापस घाटी में लौट आने के लिए कहिए।" हमने घाटी के लोगों से कहा, "हमारे कहने मात्र से वे वापस नहीं आयेंगे। आपको इस प्रकार का वातावरण तैयार करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं। जब आतंकवादी आते हैं तो आप उनका सामना कीजिए। तब उन लोगों में विश्वास जगेगा।"

हमारी राजनीति की यह एक बहुत ही खराब स्थिति है। जब इस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तब प्रमुख राजनीतिक दल निष्क्रिय हो जाते हैं। वे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि आप कांग्रेस दल में हैं, यदि आप किसी अन्य दल में हैं तो क्यों आपके लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है और उनके साथ मिल गए हैं ? एक विचारधारा पर अडिग रहने की यह किस प्रकार की वचनबद्धता है ? मुझे यह कहते हुए दुःख होता है। हममें इस प्रकार की जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। मैंने जिन कुछ वास्तविक तथ्यों का उल्लेख किया है उसके बावजूद भी हमारी सबसे बड़ी चिन्ता यही है कि राजनीतिक तालमेल नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पहले प्रशासन की ओर से भी राजनैतिक तालमेल के सन्दर्भ में कोई उत्साह नहीं दर्शाया गया था। अनेकों बार हमें रोका गया था। उस आधार पर भी इस प्रकार की कार्यवाही की शुरूआत करने का उचित वातावरण नहीं है। यहां फिर से उनसे संबंध बनाने के लिए और पुनः उन्हें सक्रिय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की आवश्यकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रशासनात्मक कार्यवाही और सुरक्षात्मक कार्यवाही द्वारा हम लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए राजनैतिक तालमेल आवश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वदलीय सम्मेलन के प्रस्ताव पर गठित उस परामर्शदात्री समिति का क्या हुआ। मैं इस संबंध में नहीं जानता हूं। यदि मैं इस परामर्शदात्री समिति का सदस्य नहीं होता तो मैं इस सरकार की घोर आलोचना करता। यदि समिति का सदस्य अन्य कोई व्यक्ति होता तो मैं ऐसा अवश्य करता। वहां किस प्रकार का तालमेल हुआ है ? श्री जगमोहन को क्यों हटाया गया है ? पहले हमने उनकी नियुक्ति का विरोध किया। लेकिन फिर हमने उन्हें हटाए जाने पर दबाव नहीं डाला। क्यों ? क्योंकि हम नयी सरकार के लिए समस्यायें उत्पन्न करना नहीं चाहते। बाद में आप भी समझ गये कि कश्मीर समस्या से निपटने के लिए वे योग्य व्यक्ति नहीं थे। आप सभी जानते हैं कि उस समय क्या हुआ जब आतंकवादियों ने धार्मिक नेता श्री मीरवाईज फारूख की हत्या कर दी। उनका शोक मनाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। आप उस अवसर का लाभ उठा सकते थे और लोगों को आतंकवादियों के विरुद्ध कर सकते थे। ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले लोगों पर गोलियां चली थीं और लोग मारे गए थे। इस प्रकार आपने वह अवसर भी खो दिया। क्या कश्मीर के लिए इससे भी अधिक अपराधजनक कुछ हो सकता है ? यह घटना घटी है। फिर हमने इन्हें हटाए जाने की मांग की क्योंकि इस व्यक्ति का पद पर बने रहना कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं था। श्री जगमोहन के विरुद्ध मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। वे राज्य सभा के सदस्य बन गए हैं। मैंने उनका स्वागत किया। यह ठीक है। उन्हें उचित रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें हटाए जाने के पश्चात् क्या हुआ ? परामर्शदात्री समिति भी निष्क्रिय हो गयी थी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस समिति से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन हमें आशा थी कि हम उन्हें समिति का सदस्य पुनः बन जाने के लिए तैयार कर लेंगे और उन्हें यह समझाने में कामयाब हो जायेंगे कि श्री जगमोहन देश के हित से ऊपर नहीं हैं। जब परामर्शदात्री समिति घाटी का दौरा कर रही थी तो लोगों को कुछ बातों के बारे में ही सिर्फ बताया ही नहीं जा रहा था बल्कि समिति को कश्मीर की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त हो रही थी। हमने पाया कि घाटी में जनता में साम्प्रदायिकता की कोई भावना नहीं थी। हमें दूरदर्शन और रेडियो द्वारा यह नहीं बताया गया था। हमारे दूरदर्शन और रेडियो ने सही चित्र प्रस्तुत

नहीं किया। घाटी में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं ने उन्हें बताया कि राष्ट्रीय अखण्डता के सन्दर्भ में उनके पास कई कार्यक्रम हैं। लेकिन दूरदर्शन द्वारा लोगों को इसे दिखलाने की अनुमति नहीं दी गयी थी। मैं नहीं जानता हूं कि देश के लोगों को घाटी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के पीछे क्या स्वार्थ था। हम इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह की स्थिति में जब आप इस प्रकार के विधेयक लाते हैं हम इनका विरोध नहीं कर सकते हैं, आप जो भी अधिकार चाहते हैं हमें आपको वह देना है। लेकिन तब इस बात पर ध्यान रखना है कि इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल न हो और लोग हमसे और दूर नहीं चले जायें। कुछ दिनों पहले जो ज्यादतियां की गई थीं क्या वे सही थीं? क्या हत्यायें करना उचित है?

अपने सशस्त्र बलों का मैं पूरा सम्मान करता हूं जब हमने अपने सशस्त्र बलों के अनेक उच्चाधिकारियों से भेंट की, उन्होंने हमें बताया, "यदि हमें लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है तो हम किस प्रकार सफल हो सकते हैं?" उन्होंने लोगों को इसके लिए तैयार करने हेतु राजनैतिक कार्यवाही की मांग की। यही मुख्य मुद्दा है। इस पर मेरा कहना है कि लोगों के साथ राजनैतिक तालमेल बनाए रखने की बहुत ही आवश्यकता है। आर्थिक कल्याण से संबन्धित उपाय किए जाने चाहिए।

पाकिस्तान की इस वर्तमान सरकार के धीखे में हमें नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान चालें चल रहा है। लेकिन हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है और हमें आतंकवादियों का और कश्मीर हड़पने की योजना का उचित रूप से सामना करना चाहिए। इस सन्दर्भ में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। जे० के० एल० एफ० करीब-2 निष्क्रिय है। आतंकवादियों के अनेक समूह हैं। मैं समझता हूं कि इनके 120 समूह हैं। वे विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे कट्टरवादी हिजबुल मुजाहीदीन है जिनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है आपको उनके साथ संघर्ष करना है। यह सबसे खतरनाक समूह है।

यदि हम ये सब कार्यवाही करें और यदि हम सम्पूर्ण देश को अपने विश्वास में लें तथा देश के शेष भागों में उचित वातावरण बनाये रखें, वास्तविक रूप से साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखें और ऐसा कुछ नहीं करें जिससे कि घाटी के वातावरण में और अशान्ति आए तो मुझे विश्वास है कि इसमें समय लग सकता है लेकिन कश्मीर कभी हमसे अलग नहीं होगा। यह हमारे साथ ही रहेगा और वह भी धर्मनिपेक्षता के एक प्रतीक के रूप में।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, पहले ही बहुत सी बातें यहां कही जा चुकी हैं। बेशक, पाकिस्तान में परिवर्तन तथा पश्चिम एशिया में नई घटनाएं आपस में सम्बन्धित हैं। परन्तु पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि जब तक कश्मीर का पाकिस्तान में विलय नहीं होता, तब तक भारत का विभाजन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, पाकिस्तान द्वारा हमेशा ही समायाएं खड़ी करने का प्रयत्न किया जाता रहेगा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है।...(व्यवधान) इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए हर सम्भव कठिनइयां खड़ी की जायेंगी। इसलिए हमें ऐसी सभी समास्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा, जो हमारे लिए पैदा की जा सकती हैं। बेशक, पाकिस्तान ऐसी गतिविधियां को प्रोत्साहन देना जारी रखेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न दे सके, हमें अपनी सीमाओं को सील करना होगा। हमें ऐसे सुदृढ़ कदम उठाने होंगे जिससे कि पाकिस्तान से बढ़ती हुई घुसपैठ को रोकने के साथ-साथ प्रशिक्षित सशस्त्र आतंकवादियों का भारत में आगमन भी रोका जा सके। इस सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। इसका कोई

विकल्प नहीं। हम इसका समर्थन करते हैं। हम राष्ट्रपति शासन के प्रख्यापन का समर्थन करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के रहते हुए, राष्ट्रपति शासन का कोई विकल्प नहीं है। सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक का भी हम समर्थन करते हैं। इसके साथ एक बात का हमें ध्यान रखना होगा। परिस्थिति ऐसी है कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए। परन्तु ज्यादतियां की जा रही हैं। हमारी सशस्त्र सेनाओं को दो काम करने होंगे। आतंकवादियों से सख्ती से निपटते हुए उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कश्मीर के लोग अलग-थलग न हो जायें। अब बहुत सी कहानियां फैलाई जा रही हैं जिससे कि अलगाव की भावना को और बल मिल रहा है। इस दिशा में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जिसका हम स्वागत करेंगे। परन्तु इसके साथ-साथ, उन्हें यह मार्गनिर्देश भी दिये जाने चाहिए कि उन्हें स्थिति से कैसे निपटना है। जैसाकि मैं जानता हूं, हमारी सशस्त्र सेनाएं सदैव देशभक्ति से कार्य करती हैं। अगर यह भावना बनी रहे तो ज्यादतियों को रोका जा सकता है। परन्तु कश्मीर के सम्बन्ध में यह बात प्रमुख है कि लोगों के मन को जीत कर उन्हें मुख्य-धारा में कैसे लाया जाए। यह मुख्य समस्या है। इसलिए कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। हम कश्मीर को अपने साथ रखने के लिए सभी कदम उठायेंगे। इस सम्बन्ध में कोई दूसरी राय नहीं है। परन्तु मुख्य बात यह है कि कश्मीर के लोगों के मन को जीत कर कैसे भारत की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसी एकमात्र मुद्दे पर हमें अपना सारा ध्यान केन्द्रित करना होगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, इस नौवीं संसद में जिस पहले मुद्दे पर चर्चा की गई थी, वह कश्मीर का था। यह बड़ा स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रीय आम राय की आवश्यकता है और इसीलिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाने के लिए प्रस्ताव किसी और द्वारा नहीं बल्कि स्वयं श्री वसंत साठे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और सारे सदन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। अब हम सब को, सभी राजनीतिक दलों को कश्मीर के लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रत्येक देश प्रेमी को देना होगा। मेरे विचार में ऐसा नहीं है। ऐसी भावना नहीं है। हमारे एक नेता हैं जिन्होंने कहा था कि वह पद यात्रा पर जायेंगे। मैंने विपक्ष के नेता से इस सम्बन्ध में पूछा है और उनका कहना है कि वे बर्फ के पिघलने पर कश्मीर जायेंगे। मेरे विचार में बर्फ पिघल चुकी है और फिर से बर्फ जमने का समय आ गया है। परन्तु वह कश्मीर की यात्रा पर नहीं गए हैं। यद्यपि हम यह कहते हैं कि कश्मीर एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसका समाधान राष्ट्रीय आम सहमति तथा सभी के सहयोग से ढूंढा जा सकता है; फिर भी इसे एक अलग मुद्दा माना जाता है। हम सभी इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसे इस दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कश्मीर और कश्मीर के लोगों को मुख्य-धारा में लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक सांझा और सूझबूझपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। हमें इस बात को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। श्री जसवन्त सिंह जी के इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के नियन्त्रित करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें अपने ऊपर भी नियन्त्रण करना होगा। अगर देश में साम्प्रदायिक तनाव बना रहेगा तो क्या कश्मीर को मुख्य-धारा में लाने में सहायता मिल सकती है? यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हमें ढूंढना ही होगा। हम कश्मीर के लोगों को जानते हैं। हम जानते हैं कि विलय से पहले जब कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था तो 'प्रजा परिषद' द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ तथा जम्मू और लद्दाख का भारत के साथ विलय होना चाहिए। यह एक इतिहास है। मुझे वे दिन याद हैं जब इन राज्यों का विलय हुआ था। मैं अपील करने के साथ-साथ इस सदन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या कश्मीर को वापिस मुख्य-धारा में लाने की जिम्मेवारी से हमें बचना चाहिए। अगर हम कश्मीर और भारत को एक देखना चाहते हैं तो हमें इस महत्त्व-

पूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। मेरा यह कहना है कि कश्मीर धर्म-निरपेक्षता का प्रतीक है क्योंकि मुस्लिम-बहुल राज्य होने के कारण यह उन्हीं का निर्णय था कि उन्हें भारत के साथ रहना है। हम जानते हैं कि जूनागढ़ में एक मुस्लिम महाराजा थे। यद्यपि वहां पर हिन्दू जनसंख्या अधिक थी; फिर भी इसका विलय पाकिस्तान के साथ हुआ। यह एक इतिहास है। कश्मीर के लोगों ने भारत के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप तथा इसकी अखण्डता को बनाये रखने में भरपूर योगदान दिया है जिसका हमें गर्व है। इस कारण जिस मुख्य मुद्दे पर हमें विचार करना है वह यह है कि उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य-धारा में वापिस कैसे लाया जाए जो हमारे कुशासन के कारण अलगाव की भावना रखने लगे हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिये? श्री सैफुद्दीन चौधरी कह रहे थे कि एक सर्वदलीय समिति गठित की गई थी जिसे भंग कर दिया गया है। इसको क्यों भंग किया गया था? मेरे विचार में अभी तक वहां पर सरकार ने बंदूक की नीति अपनाई हुई है। मैं कलिंग से सम्बन्ध रखता हूं जिसने 'चन्द्र अशोक' को 'धर्म अशोक' बना दिया था। मैं जानता हूं कि उन्हें केवल प्यार की भावना से ही वापिस लाया जा सकता है। हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया पुनः आरम्भ करने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की गई थी। जब इस समिति को भंग किया गया तो क्या हमसे सलाह ली गई थी? क्या सरकार ने इस सदन को विश्वास में लिया था? वह जैसा चाहते थे; वैसा कर लिया। इस लिए सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जहां राष्ट्रीय आम राय की आवश्यकता हो, वहां पर सरकार को सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए और उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए चाहे यह कश्मीर का मामला हो या पंजाब का, देश की अखण्डता को कायम रखना सरकार का उत्तरदायित्व है। लोगों ने कांग्रेस को इसीलिए सत्ता से अलग कर दिया था क्योंकि इस सारे अलगाववाद के लिए प्रमुख रूप से कांग्रेस उत्तरदायी थी। लोग यह चाहते थे कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को देश की अखण्डता के लिए कदम उठाने चाहिए न कि इसे खण्डित करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को इस सम्बन्ध में कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनानी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर के लोगों का मन जीतने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सिख, हिन्दू तथा दूसरे लोग वहां से आये हैं, उनसे हम अच्छा व्यवहार करें और उनके रहने तथा उन्हें वापिस भेजने का अच्छा प्रबन्ध करें।

राजनैतिक स्तर पर एक सर्वदलीय समिति गठित की जानी चाहिए जोकि कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए वहां पर अपनी गतिविधियां आरंभ करे। तीसरे, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कुछ आर्थिक कदम भी उठाए जाने चाहिए। वहां पर विद्यमान परिस्थितियों के कारण पर्यटन, जिस पर कि लोग काफी निर्भर करते हैं, में बहुत कमी आई है। आज वे कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर कुछ आर्थिक कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि उन्हें मुख्य-धारा में वापस लाया जा सके।

मेरे विचार में अभी स्थिति में सुधार की कुछ संभावनाएं नजर आ सकती हैं, परन्तु वे बाहरी हस्तक्षेप के कारण अधिक दिनों तक स्थाई नहीं हो सकती। देश के भीतर भी मैं अपने मित्रों से अपील करना चाहूंगा कि वे अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान से हटाने का अभियान न चलायें क्योंकि इससे कश्मीर के लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचेगा। मैं अपने मित्रों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि साम्प्रदायिक तनाव को जो वे बढ़ावा दे रहे हैं, उसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। अगर सभी सदस्य एक होकर ईमानदारी से प्रयास करें तो सद्भावना का वातावरण तैयार किया जा सकता है; और हम कश्मीर के लोगों को मुख्य-धारा में लाने के बारे में सोच सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिव गंगा) : सभापति महोदय, कार्यभार संभालने के पश्चात् इस सरकार ने घोषणा की थी कि इसका पहला काम उस सब को समाप्त करना है जोकि पिछली सरकार द्वारा किया गया है। वास्तव में इनमें से अधिकांश लोग भूल गए थे कि पिछली सरकार में ये लोग वरिष्ठ सदस्य थे, वे कई वर्षों तक उसी सरकार का हिस्सा रहे, और उसी का हिस्सा रहे जिसने पिछली सरकार बनाई थी।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, जनता दल के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पक्ष के दो सदस्यों के पश्चात् उस पक्ष के एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायेगा। अगली बार जनता-दल के एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री पी० चिदम्बरम : कश्मीर के मामले में उनमें से बहुत से सदस्यों ने कश्मीर नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या गृह मंत्री ईमानदारी से इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि पिछली सरकार की कश्मीर नीति बनाने में उन्होंने एक सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी ? ठीक है, वे वर्तमान सरकार द्वारा नीति बनाए जाने में सक्रिय भागीदार नहीं थे, परन्तु वे पिछली सरकार द्वारा नीति बनाते समय भागीदार थे।

महोदय, कृपया कश्मीर के उस समय के हालात की तुलना वर्तमान हालात से कीजिए। इस तुलना के मापदण्ड क्या हैं ? वे हैं : खाद्य सामग्री एवं दवाईयों की उपलब्धता, डाकघरों, टेलीफोन, रेडियो, टेलिविजन का कार्य चालन पर्यटन संबंधी गतिविधियां, कितने दिन कर्फ्यू लागू रहा, कितने क्षेत्र पर सेना का प्रभावी नियन्त्रण है, कितने क्षेत्र को अर्द्ध-सैनिक बलों के अधीन किया गया है और उनके नियन्त्रण में दिया गया है। आप कोई भी मानदंड अपना कर देख लीजिए। क्या इस सदन में कोई व्यक्ति ईमानदारी से यह बात कह सकता है कि 2 दिसम्बर, 1989 तक के हालात आज के हालात से बेहतर नहीं थे ? यहां तक कि मैं इस बात को दोहरा सकता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा, यहां तक कि राष्ट्रीय मोर्चा के चुनाव घोषणा-पत्र में पंजाब के बारे में पूरे एक पृष्ठ का ब्यौरा था जबकि कश्मीर के विषय में एक भी पंक्ति नहीं थी। वास्तव में, वहां एक समस्या थी। वहां अलगाववाद की समस्या थी, वहां हिंसा की समस्या थी, वहां राज्य में ऐसी सरकार थी जोकि आंशिक रूप से प्रभावी थी, हमने उस सरकार को प्रभावी बनाने का प्रयास किया था। परन्तु निश्चय ही 1989 में कश्मीर के हालात आज 1990 जैसे नहीं थे। महोदय, ऐसा क्यों हुआ ? मेरे पास अधिक समय नहीं है। परन्तु मैं इसके पांच मुख्य कारण बताता हूं जिनके कारण हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं।

सर्वप्रथम तो गृह मन्त्री महोदय की पुत्री को छुड़ाने के लिए एक अस्वीकार्य समझौता किया गया जोकि कश्मीर में की गई पहली बड़ी गलती थी। दूसरा कारण कश्मीर में श्री जगमोहन की नियुक्ति है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया। तीसरा कारण प्रधान मन्त्री से सलाह मशविरा किए बिना विधान सभा को भंग करना है, परन्तु वह एक ऐसी घटना है जिस पर केवल अल्प-बुद्धि वाले व्यक्ति ही विश्वास करेंगे, चौथे कश्मीर राज्य से सम्बन्धित नीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व और पांचवा कारण पृथकतावादी तत्वों एवं ऐसे व्यक्तियों, जो अपनी अलग पहचान बनाये हुये हैं, को खुला समर्थन देना है।

इस सरकार ने धीरे-धीरे इस देश को और कश्मीर को विनाश के रास्ते पर ला दिया है। प्रत्येक बार उन्हें चेतावनी दी गयी थी। यह चेतावनी केवल हमने ही नहीं दी थी, बल्कि उनके तथाकथित मित्रों ने भी दी कि 'आप गलत रास्ता अपनाकर, विनाश के रास्ते की ओर जा रहे हैं, वे उसे पार नहीं करेंगे परन्तु वे उस रास्ते में ही रुक जायेंगे।'

मैं आपके सामने वे पंक्तियां पढ़ता हूं जो जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना विभाग ने 19 फरवरी, को श्री जगमोहन के द्वारा विधान सभा भंग करने के बाद प्रकाशित की थीं। इसे एक अच्छे कार्य, एक महान दूरदर्शितापूर्ण और वचनबद्ध कार्य के रूप में बताया गया था जो कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था कायम करेगा, इसे टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित किया गया था। यह बात श्री जगमोहन ने कही थी। श्री जगमोहन ने विधान सभा भंग करने के अपने इस निर्णय को राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक अत्यधिक दृढ़ और सकारात्मक कदम बताया था। इससे इस बात का आधार ही समाप्त हो जाएगा कि 1987 के चुनाव में हुई धांधली की वजह से कुछ तत्व आतंकवादी बन गए। उससे कुछ दूसरे तत्वों की साजिश पर भी रोक लगेगी। श्री जगमोहन ने जो कुछ कहा, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "गत एक अथवा दो वर्षों की घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो गई है कि विधान सभा अब यह दावा नहीं कर सकती कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, इसके कुशासन का कोई अन्त नहीं था।"

विधान सभा को भंग करने की शक्तियों के बारे में श्री जगमोहन ने कहा, कि जम्मू-कश्मीर संविधान के अन्तर्गत केवल राज्यपाल ही विधान सभा को भंग करने में सक्षम था।

यह किसकी नीति थी? क्या विधान सभा भंग करने का निर्णय प्रधान मन्त्री की नीति और निर्णय थे? अथवा यह निर्णय राज्यपाल, श्री जगमोहन का था?

4.00 म०स०

पिछली सरकारों के कार्यों को कुशासन के रूप में वर्गीकृत करने की नीति किसकी थी? यदि 19 फरवरी, 1990 को यह नीति थी, तो सरकार यूरोप में श्री फारुख अब्दुल्लाह के पास एस० ओ० एस० क्यों भेज रही थी? सरकार उसे अब यहां क्यों बुलाती है। आप उनके साथ रात्रि भोज के माध्यम से मुलाकातें क्यों करते हैं? आप उनसे बातचीत क्यों करते हैं? सरकार उनसे यह निवेदन क्यों करती है कि वे कश्मीर में वापिस जाकर सरकार की बागडोर संभालें? सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का वायदा क्यों करती है? गत छः महीनों में सरकार की क्या नीति रही है?

मैंने श्री जसवन्त सिंह को मानव अधिकारों के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोलते हुए सुना है। उन्होंने कहा था, "आप कश्मीर को एक मानव अधिकार समस्या के रूप में नहीं देख सकते। आतंकवादियों से पीड़ित व्यक्तियों की क्या स्थिति है? उन सुरक्षा बलों के जवानों की क्या स्थिति है जो प्रतिदिन मारे जाते हैं? निर्दोष व्यक्तियों की क्या स्थिति है?" मुझे याद है, केवल आठ महीने पूर्व जब हमने पंजाब के विषय में कहा था, कि हमें उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी जिनके पास बन्दूकें हैं। वहां निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है, निर्दोष लोगों का अपहरण किया जाता है। श्री जसवन्त सिंह जब दूसरे सदन के सदस्य थे, तो मानव अधिकारों के पक्ष में अधिक स्पष्ट रूप से बोलते थे। आज जबकि वे सत्ता पक्ष के नजदीक आ रहे हैं, तो वे एक विपक्ष के सदस्य की भूमिका से दूर चले जाते हैं, वे जैसे-जैसे सत्ता के नजदीक आते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका सुर, उनकी

दिशा, उनकी आवाज और उनके शब्द बदलते जाते हैं। (व्यवधान) मैं आपको कश्मीर में अपनी पार्टी की नीति के बारे में बताता हूं। (व्यवधान) महोदय, सुनिए। हमने आपकी बात शान्ति से सुनी थी। श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री जसवंत सिंह और अन्य जो भी सदस्य कश्मीर, जिसे हमारी धर्म-निरपेक्षता का प्रतीक बताया, के बारे में बोले, यह सब काफी हद तक सही है। कश्मीर में धर्म निरपेक्षता को बरकरार रखने में इस सरकार की नीति लड़खड़ा गयी है। सरकार कश्मीर में हिन्दुओं, मुसलमानों और किसी की भी सुरक्षा नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं है कि कश्मीर से लाखों हिन्दू बाहर चले गये हैं। मुझे बताया गया है कि कश्मीर घाटी से 50,000 मुसलमान भी चले गये हैं। सरकार कश्मीर में किसकी रक्षा कर रही है? मैंने श्री सैफुद्दीन चौधरी की बात सुनी थी और मैं कहता हूं, "कि कश्मीर भारत से अलग नहीं होगा।" हां, यह सरकार अपने पागलपन की वजह से भी कश्मीर की भूमि को भारत से अलग नहीं होने देगी। परन्तु कश्मीर के लोगों का क्या होगा? उनकी भावनाओं का क्या होगा? आज उनमें से प्रत्येक अलग-थलग पड़ गया है। सरकार वहां अपनी फौज भेजेगी। सरकार अपने अर्द्ध-सैनिक बलों को वहां भेजेगी और उस भूमि की रक्षा करेगी। परन्तु सरकार वहीं की जनता के विषय में क्या करेगी? आज कश्मीर के मामले में सरकार के साथ कौन है? 137 अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के पास एक याचिका भेजी है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं उस कार्य की निन्दा करता हूं। श्री जसवन्त सिंह का भी यही मत है। परंतु हमें इस सदन में क्या करना चाहिए? आगे कार्रवाई कीजिए और पूछिए: "इन 137 अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र को वह याचिका क्यों भेजी थी?" उन्होंने ऐसा क्यों किया? श्रीनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भूमिगत क्यों हो गये? (व्यवधान) मैं इसके बारे में नहीं जानता। मुझे उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है। परंतु श्रीनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भूमिगत क्यों होना पड़ा और विघटनकारी तत्त्वों के साथ सांठ-गांठ होने के कारण उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? ये कौन लोग हैं जो एक ही रात में विघटनकारियों में तबदील हो गये? ये कौन लोग हैं जो एक ही रात में पृथकतावादी तत्त्वों में बदल गये? वे कौन लोग हैं जो इस सरकार के अनुसार रातों-रात उग्रवादियों में परिवर्तित हो गये? ये कौन लोग हैं जो रातों-रात ऐसे लोगों में बदल गये जो उग्रवादियों को सहायता देंगे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर के मामले में इस सरकार की कोई नीति नहीं है। यदि कश्मीर के सम्बन्ध में कोई नीति होती, तो उसे सरकार स्पष्ट शब्दों में बता देती, जैसाकि हमने किया था। और मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि हमारी नीति पूरी तरह सफल रही थी। परन्तु कम से कम हमारी सरकार की एक नीति थी और हमने इसे स्पष्ट रूप से बता दिया था। जब तक श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारी सरकार में रहे, तब तक उन्होंने भी उस नीति का समर्थन किया। हमने कहा था कि कश्मीर की समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से, काफी सावधानी से करना होगा, क्योंकि इसका अपना एक विशेष इतिहास है। कोई इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकता। कोई भी, कश्मीर और इसकी परिस्थितियों की तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं कर सकता जिनके अन्तर्गत कश्मीर भारत के साथ जुड़ा था। हमें कश्मीर के इतिहास को याद करना होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि कश्मीर एक अशान्त दौर से गुजरा था। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ हमें कई बार युद्ध करना पड़ा है। हमने कश्मीर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। हमने कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। कांग्रेस दल और नेशनल कांफ्रेंस कश्मीर के दो मुख्य राजनीतिक दल हैं। कभी, वे साथ-साथ काम करते हैं तो कभी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। इन दोनों के बीच एक दूरी रही है। किन्तु कम से कम इन्होंने कश्मीर को एक लोकतांत्रिक सरकार देने का प्रयास तो किया ही है। गलतियां की गईं और लोगों को अलग

किया गया। युवकों को अलग-थलग कर दिया गया। किसी चुनाव की कुछ आलोचना की गई है। किन्तु इन सबके बावजूद, कांग्रेस (आई) और नेशनल कांफ्रेंस इन दोनों राजनैतिक दलों ने पिछले 40 वर्षों से कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का स्वरूप प्रस्तुत करने का अथक प्रयास किया है। महोदय, हमने कहा था कि अगर कश्मीर में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पृथक हो गए हैं, तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह अलगाववाद क्यों हुआ। हमें अलगाववाद का कारण दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वहां कोई भी ऐसा है जिसे पाकिस्तान से सहायता मिलती है। जिसे प्रशिक्षित किया जाता है, पैसे और हथियार देकर कश्मीर घाटी से भारत भेजा जाता है तो निश्चय ही उस व्यक्ति के खिलाफ हमें कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। कश्मीर की जनता को दुश्मन की तरह समझना गलता है। संपूर्ण कश्मीर की जनता को आतंकवादियों का समर्थक समझना गलत है। इसलिए, आपको जिम्मेदार समझते हैं? हमने गलतियां की। मैं इससे इंकार नहीं करता कि हमने गलतियां की थीं। इसलिए हम आपको जिम्मेदार समझते हैं। वहां एक राज्य सरकार बनाई गई। वहां डा० फारूख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। हमने उन्हें अपना समर्थन दिया और उनकी सहायता की। हमने उन्हें कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया और मुझे विश्वास है कि 1988 और 1989 में चाहे जो भी स्थिति होती, श्री फारुख अब्दुल्ला और तत्कालीन राज्य सरकार ने कार्यवाही शुरू की होती। उस कार्यवाही का परिणाम भी निकलता यदि आपने श्री अब्दुल्ला पर विश्वास किया होता और उन्हें कुछ और महीने रहने दिया होता। इसके विपरीत, आपके एक समर्थन दल द्वारा आपको उकसाने पर और दूसरे समर्थक दल की सलाह के खिलाफ आपने श्री जगमोहन को वहां राज्यपाल बनाकर भेज दिया। और पांच महीने बाद, आपके एक समर्थक दल की धमकी के दबाव में और दूसरे समर्थक दल की धमकी के खिलाफ आपने श्री जगमोहन को बर्खास्त कर दिया। चार महीनों में, 19 जनवरी, 1990 और 19 मई, 1990 के बीच हमने कश्मीर की जनता का विश्वास और प्यार खो दिया। मैं यह नहीं कहता कि कश्मीर हमेशा के लिए हमने गंवा दिया है। किन्तु इन चार महीनों में, श्री जगमोहन के हाथों काफी नुकसान हुआ है जोकि आतंक, उत्पीड़न और फासिज्म के एक माध्यम थे। इन चार महीनों में, कश्मीर में पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा नुकसान हुआ, चाहे सत्ता में किसी की भी गलती हो। आज, मैं गृह मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि वे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

महोदय, पी०यू०सी०एल० ने कश्मीर में एक दल भेजा था और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी। जब यह दिल्ली के दंगों की बात हो या पंजाब की बात हो तो उस पक्ष की ओर से प्रत्येक आवाज, यहां तक कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी मेजें थपथपाते हैं। पी०यू०सी० एल० ने मानवाधिकारों के हनन पर जो भी खोजें की हैं उसके पक्ष में भी सभी बोलते हैं। किन्तु जब पी० यू० सी० एल० ने कश्मीर पर रिपोर्ट दी थी तो इसकी एक गुप्तचर संस्था कहकर निंदा की जाती है और यह कहा जाता है कि यह कश्मीर के मामलों में अपनी टांग अड़ा रहा है और ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। श्री तारकुण्डे एक बहुत प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हैं। वे जनता दल के समर्थकों में से एक हैं और अभी भी राष्ट्रीय मोर्चा के पक्के समर्थकों में से एक हैं। कश्मीर की घटनाओं के बारे में श्री तारकुण्डे क्या कहने जा रहे हैं? महोदय, प्रबुद्ध प्रतिबद्ध नागरिकों के एक दल ने कश्मीर पर एक समिति का गठन किया। इससे पूर्व, मार्च, 1990 में उन्होंने चार आदमियों की एक टीम भेजी थी। उस दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और हमने सदन में इस मुद्दे को उठाया। सरकार और गृह मंत्री उस रिपोर्ट के बारे में कोई उत्तर नहीं देंगे। जून, 1990 में इसी समिति ने चार महिलाओं के एक दल को कश्मीर घाटी पर सैन्यीकरण के प्रभाव को जानने के लिए, और वहां के लोगों विशेषकर महिलाओं की जिन्दगी पर इसके प्रभाव को जानने के बारे में एक दल भेजा। महोदय, मैं एक जिम्मेवारी के अहसास के साथ बोल रहा हूं, और इसीलिए, मुझे संयम से

बोलना पड़ रहा है। क्या गृह मंत्री ने यह रिपोर्ट पढ़ी है ? अगर इस रिपोर्ट का 10 प्रतिशत भी सही है तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सिर्फ जिम्मेवारी की भावना से नहीं बल्कि गहरे दुख और घाटी के लोगों के साथ इस दुःख को बांटने की भावना से।

इस रिपोर्ट को पढ़ना संभव नहीं है। अगर मैं कुछ अनुच्छेद भी पढ़ता हूं तो, हम लोग ऐसी शर्म में डूब जाएंगे जिससे हम कभी उबर नहीं पाएंगे। महिलाओं और बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है मैं उन बातों को पढ़ना नहीं चाहता। किन्तु यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं उसे सभा पटल पर रखूं। कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा, गृह मंत्री महोदय, क्या आपने वह देखा है; अगर इसका दस प्रतिशत भी सही है ? अगर यह सही नहीं है तो आपके कानून की लम्बी बाहें उन लोगों के खिलाफ क्या कर रही हैं जिन्होंने यह सूचना फैलाई है ? आप उन पर मुकद्मा क्यों नहीं चलाते ? यह मेरे पास कई दिनों तक थी। मैंने कुछ अनुच्छेद पढ़ने की कोशिश की। इसे पढ़ना संभव नहीं है। इसमें इतने विस्तार से लिखा है कि कश्मीर में महिलाओं का जो अपमान किया गया है उसे पढ़ना संभव नहीं है।

श्री जसवंत सिंह ने कहा—भारतीय शांति सेना की निंदा मत करें। शांति सेना की किसने निंदा की ? हमने नहीं की। यह आपके साथी द्रविण मुनेत्र कड़गम हैं जो दिनरात शांति सेना की निंदा करते हैं। श्री जसवंत सिंह ने कहा : शांति सेना की निंदा मत कीजिए; किन्तु हिम्मत नहीं है। उनमें इतनी ईमानदारी नहीं है कि वे खड़े होकर कहें, मैं द्रविण मुनेत्र कड़गम की निंदा करता हूं। मैं अर्ध-सैनिक बलों की निंदा नहीं करता। वहां ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत सेनाएं हैं, अकेले सैनिक हैं, अकेले जवान हैं जिन्होंने यह किया है। मैं चार वर्षों तक सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का अध्यक्ष था और मैंने निश्चित रूप से संगठन को कमजोर नहीं किया। मैं जानता हूं कि एक ऐसे संगठन को चलाने में कितनी कठिनाई होती है जिसमें हजारों वर्दीधारी पुरुष व महिलाएं हों। मैं जानता हूं कि उन्हें तैनात करने में कितनी कठिनाई होती है। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को जिन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें दिनमें 18 घंटे, सप्ताह में सात दिन, वर्ष में 12 महीनों के लिए ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। हम उन्हें किसी प्रकार का आराम देने में समर्थ नहीं हुए, हम उन्हें क्रमिक प्रशिक्षण देने में सफल नहीं हुए, हम उन्हें उनके बटालियन मुख्यालय में वापस लाने में सफल नहीं हुए। हम उन्हें आवास सुविधा देने में सफल नहीं हुए ताकि वे अपना परिवार अपने साथ रख सकें। मैं परेशानियों को जानता हूं। कोई भी इस प्रकार अर्ध-सैनिक बलों की निंदा नहीं कर रहा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का उद्देश्य एक स्थिति को संभालने के लिए उसे थोड़े विराम से प्रयोग करना था। किन्तु, पिछले पांच-दस वर्षों से हमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लगभग रोज ही लगाना पड़ता है। सीमा सुरक्षा दल हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हैं। सीमा सुरक्षा दल आंतरिक सुरक्षा के के लिए नहीं है; मैं यह जानता हूं। किन्तु, कोई और बल नहीं हैं, इसलिए आज हमें सीमा सुरक्षा बल को चाहे-अनचाहे आंतरिक सुरक्षा के लिए लगाना पड़ता है। जब आपके पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की कम्पनियों की कमी हो जाती है, तो कभी हमने सेना को भी बुलाया है और सेना के पास आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए आवश्यक यंत्र नहीं होते : सेना को आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

4.13 म०प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : श्री चिदम्बरम एक लम्बे समय तक गृह मंत्री रहे हैं और वे पंजाब

समस्या को कई वर्षों से देख रहे थे। क्या उस समय अर्ध-सैनिक बलों द्वारा की गई ज्यादतियों के किस्से उनके सामने आए ?

श्री पी० चिदम्बरम: महोदय, पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अर्ध-सैनिक बलों के किसी जवान ने कानून और शिष्टाचार की सीमाओं के बाहर जाकर काम किया है। कुछ घटनाएं हुई हैं..... (व्यवधान)। यह इतनी गम्भीर मसला नहीं है कि इस पर प्रश्नोत्तर काल रखा जाए। मैं गृह मन्त्री को जवाब दे रहा हूं।

वहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। वास्तव में, आप जानते हैं कि पंजाब में एक घटना हुई थी, मेरे ख्याल में यह बरहामपुर में हुआ था, जहां एक जांच का आदेश दिया गया था और दोषी व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार की सजा दी गई थी। मणिपुर में एक घटना हुई थी और मेरे ख्याल में, एक सुविख्यात महिला कार्यकर्त्ता के घर को लूटा गया था और लोगों को धमकी दी गई थी। जांच की जा रही थीं। उच्च न्यायालय में एक मामला आया था और न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था। ऐसा हुआ था। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, कृपया इसे समझें। मैं सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक को दोष नहीं दे रहा। ये वे विख्यात अधिकारी हैं जो इन पदों पर अपनी योग्यता के बल पर पहुंचे हैं और में इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे रहा। किन्तु सत्य यह है कि जितनी अधिक संख्या में अर्ध-सैनिक बल तैनात किए जाएंगे, जितने अधिक समय के लिए उन्हें तैनात किया जाएगा, उन्हें जितनी अधिक शक्तियां दी जाएगी—और यही मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं—कि उन पर गैर-सैनिक नियंत्रण जितना कम होगा तो उससे यही कुछ होगा। सवाल यह नहीं है कि कुछ जवानों ने ज्यादतियां कीं। मुद्दा यह है कि यदि आपके पास उन्हें नियन्त्रित करने के लिए प्रभावी असैनिक अधिकार नहीं है; यदि आपके पास प्रभावी असैनिक सरकार नहीं है; यदि आपके पास असैनिक सरकार पर राजनैतिक नियन्त्रण नहीं है, तो यही होगा।

महोदय, मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता किन्तु मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इसे पढ़ें और कार्यवाही करें। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इसे पढ़ें और सीमा सुरक्षा बल के महा-निदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के लोगों को बुलाकर उन्हें बताएं कि यह एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान किसी अन्य इंसान के प्रति नहीं कर सकता। महोदय, इसका एक भाग प्रेस में छप चुका है और इससे मैं अधिक चिन्तित हूं। यदि इस रिपोर्ट के कुछ भाग लीक हो जाते हैं और प्रेस में छप जाते हैं, तो इस देश के लोग क्या सोचेंगे; कश्मीर के लोग क्या सोचेंगे ? यहां एक रिपोर्ट है जो विशेष संवाददाता द्वारा बनाई गई है, मेरे विचार में, 20 जुलाई का "इंडीपेन्डेण्ट" अखबार है जिसमें सुहासिनी मुलैई—एक जानी-मानी पत्रकार और फिल्म निर्माता, जो मुख्य धारा का एक हिस्सा है—की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। एक अन्य रिपोर्ट, जो 7 अगस्त के 'टाईम्स आफ इण्डिया' में छपी है जिसमें मशाली मोहल्ला हवाई में जो कुछ हुआ है उसके बारे में छपा है और उस दिन माननीय सदस्य, प्रो० सोज ने भी इसका हवाला दिया था। यदि ऐसी घटनाएं टुकड़ों में आती हैं और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होती; कोई प्रभावी स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता और सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया जाता और सरकार चुप्पी साध लेती है, तो तब देश के लोग क्या सोचेंगे ?

महोदय, माननीय सदस्य, श्री जसवन्त सिंह ने कश्मीर समस्या के इस्लामीकरण के बारे में कहा है। सरकार द्वारा अनुसरण की गई नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन देशों जिनके कश्मीर समस्या से हित जुड़े हैं, से निबटने में सरकार की अकुशलता इसके लिए जिम्मेदार है। हां, कुछ मायनों में कश्मीर समस्या का इस्लामीकरण या अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है किन्तु यह केवल विदेशी नीति के

प्रभाव से है। उस समस्या के बारे में क्या करना है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आज कश्मीर के सैनिकीकरण के बारे में क्या करना है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं जिससे, मैं जानता हूं, कि माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह, उत्तेजित हो जायेंगे, किन्तु मैं अवश्य कहूंगा कि कश्मीर नीति के भाजपाकरण के बारे में क्या करें ? कश्मीर नीति के भाजपाकरण के कारण ही ऐसा खतरनाक गतिरोध आ गया है। जहां तक कश्मीर का सम्बन्ध है, मैं गृह मन्त्री से अपील करूंगा कि वे अपने मित्रों की बात न सुनें। ऐसे मित्रों के होते हुए आपको कश्मीर में दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : इनकी सुनिये कि इन्होंने बरबाद कर दिया। बरबाद करने वाले तो सामने खड़े हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : आप ठीक करो। आपकी गवर्नमेंट है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, समाप्त करने से पहले मैं गृह मंत्री से केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। कश्मीर में मानव अधिकार के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप भूमि पर नियंत्रण करके लोगों का विश्वास खो नहीं सकते। आपकी सेना, आपकी सीमा सुरक्षा बल और आपकी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इत्यादि हमारे लिए भूमि पर नियन्त्रण कर सकती है किन्तु यह लोगों पर रोक नहीं लगा सकती। और, जब तक कश्मीर का दौरा करने वाले लोगों पर—मैंने हाल ही में कोई दौरा नहीं किया है—जो इस बारे में बोलते या लिखते हैं, यह प्रभाव पड़ा रहेगा कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है.....

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : क्या आपने कभी कश्मीर का तब दौरा किया था जब आप गृह मंत्री थे ?

श्री पी० चिदम्बरम : बिलकुल, मैंने कई बार दौरा किया था। आप मेरा यात्रा-वृत्तान्त चाहते हैं ? आप सप्ताह में दो बार कश्मीर जाते हैं और समस्या बदतर हो जाती है। शायद, यदि आप सप्ताह में दो बार कश्मीर न जाएं तो समस्या इतनी अधिक न हो। महोदय, यदि श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद इतनी अधिक बार कश्मीर न जायें और यदि वे अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज को भेज दें तो शायद स्थिति सुधर जाये। आप उन्हें अवसर क्यों नहीं देते हैं ? आपके प्रधान मंत्री की नीति है 'पुलिस को एक अवसर दें'। एक नारा मैं देता हूं 'जार्ज को एक अवसर दें।' आपके पास पिछले आठ महीनों में कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए काफी समय था। अब आप एक अवसर जार्ज को दें। कल वे टी० वी० पर एक अवसर चाहते थे और आपने उनके कार्यक्रम को इतनी क्रूरता से सेन्सर किया कि अब वे स्वयं अपने कार्यक्रम खुला मंच को पहचान नहीं सकते।

महोदय, कश्मीर में नीति का निर्धारण कौन करता है ? क्या प्रधान मंत्री कश्मीर में नीति का निर्धारण करता है ? क्या गृह मंत्री कश्मीर में नीति तैयार करता है, कश्मीर में जार्ज फर्नान्डीज नीति का निर्धारण करता है या कश्मीर में विनोद पांडे नीति का निर्धारण करता है ? किसी को तो इसका निर्णय लेना ही है कि कश्मीर में नीति का निर्धारण कौन करता है। जब तक आप मानव अधिकारों के हनन के प्रश्न की उपेक्षा करते रहेंगे, जब तक आप इसके प्रति उदासीन रहेंगे, जब तक उन लोगों पर, जो कश्मीर का दौरा करके आए हैं—वे लोग जो कश्मीर का दौरा करने के पश्चात् इसके बारे में बात करते हैं, वे लोग जो कश्मीर से आने के बाद इसके बारे में लिखते हैं—यह प्रभाव बना रहेगा कि कश्मीर

में बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जब आपकी सेना और अर्ध सैन्य-बल भूमि पर तो नियन्त्रण कर सकते हैं, आप लोगों पर रोक नहीं लगा सकते। और इतिहास आपको कश्मीर के लोगों को खो देने पर कभी क्षमा नहीं करेगा, जो पिछले चालीस वर्षों से पाकिस्तान की ओर से अति भड़काने वाली कार्यवाही के बावजूद भारत में रह रहे हैं।

कश्मीर में सबसे पहला उपाय असैनिक सरकार, एक असैनिक सरकार, जिसके ऊपर राजनैतिक नियंत्रण हो, को लाने का है। आज, कश्मीर में इस प्रकार की सरकार नहीं है। आज, कश्मीर में उच्च स्तर के पुलिस अफसरों द्वारा सरकार चलाई जा रही है। देखिए, वहां के राज्यपाल एक पुलिस अफसर हैं। उनके सलाहकार पुलिस अफसर हैं। इन व्यक्तियों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है किंतु वे पुलिस अफसर हैं। उनको कोई राजनैतिक शक्ति नहीं है और आपने कश्मीर में राजनैतिक नियन्त्रण और प्रभाव का आखिरी अंश भी समाप्त कर दिया है। आपको कश्मीर सरकार में एक राजनैतिक शक्ति, एक राजनैतिक सोच और एक राजनैतिक दिशा लानी होगी और अपने अर्ध-सैन्य बल और सेना को उस असैनिक सरकार के अधीन रखना होगा जिसमें राजनैतिक शक्ति और राजनैतिक दिशा हो। कश्मीर में आज ऐसा नहीं है और जब तक वहां ऐसा नहीं होगा, आप कश्मीर में स्थिति का सामना नहीं कर सकते।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीर में हम एक अन्य समझौते के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे पास दो रिपोर्टें हैं। मेरे विचार से, कश्मीर में कुछ लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके सम्पर्क में है। मैं कुछ नाम बताऊंगा। मैं इनके बारे में पूर्ण निश्चित नहीं हूं। ये वे नाम हैं जो हमने सुने हैं। सरकार एम० यू० एफ०, विशेषतया श्री अन्सारी, श्री अब्दुल घनी लोन, सईद अलीशाह गिलानी और डाक्टर गाजी निस्सार, के साथ सम्पर्क में है। गृह मंत्री ने जून, 1990 में जो कहा था, कि राजनीतिक प्रक्रिया पुनः आरम्भ करने का समय आ गया है, यह उसी की एक शृंखला है। यदि राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने का समय आ गया है तो आप आज क्या कर रहे हैं। सशस्त्र बल अध्यादेश जारी करना और फिर इसे एक विधेयक द्वारा हटा देना, आपके इस वक्तव्य के बिलकुल विपरीत लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने का समय आ गया है। उनकी नीति क्या है? क्या वे राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः जीवित करना चाहते हैं? डा० फारुख अब्दुल्लाह से हुई उनकी चर्चा का क्या हुआ? डा० फारुख अब्दुल्ला ने उन्हें क्या कहा? क्या उन्होंने कोई शर्त रखी अथवा डा० फारुख अब्दुल्ला ने कोई शर्त रखी? क्या वे राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः जीवित करने जा रहे हैं? क्या वे एम० यू० एफ० के नेताओं के सम्पर्क में हैं या वे एक लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन की योजना बना रहे हैं?

दूसरा प्रश्न और अधिक कठिन है। युद्ध के बारे में भी चर्चा चल रही है। क्या आप कश्मीर के कारण पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहते हैं? मैं यह क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि, आज रक्षा मंत्रालय में एक ऐसा व्यक्ति विराजमान हो जो जनवरी, 1987 में हमें लगभग युद्ध के कगार पर ले गया था। अतः हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। क्या आप पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : किस देश के साथ युद्ध?

श्री पी० चिदम्बरम : क्या आपकी नीति से हम कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे?

कुछ महीने पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा कि इस देश की जनता मानसिक तौर पर युद्ध के लिए तैयार हो। समय-समय पर हम इस प्रकार की विभिन्न बातें सुनते हैं। एक ओर तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने का समय आ गया है और दूसरी ओर आप युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार होने के लिए कहते हैं। क्या वे कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं ? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनके सम्बन्ध में मैं इस बात की आशा नहीं करता हूं कि वे कोई स्पष्ट उत्तर देंगे। परन्तु उन्हें कहना चाहिए कि वे इस देश को, कश्मीर को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अभी स्थिति को संभाला जा सकता है। किन्तु मैं अंत में यही कहूंगा : यदि आप उसी पथ पर चलेंगे जिस पथ पर आप इस देश को ले जा रहे हैं, विशेषकर पिछले आठ महीनों में कश्मीर के मामले के संबंध में, तो मुझे शंका है कि कश्मीर हाथ से निकल जाएगा और फिर स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा; चाहे आप या आपके मित्रों द्वारा कोई भी बात कही जाएं चाहे कितनी ही मेजें थपथपा लें फिर भी इन परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं होगा। आज यहां स्थिति पूरी तरह बेकाबू नहीं हुई है। परन्तु यदि आप यही रुख अपनाएंगे तो कश्मीर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा।

महोदय, सरकार पर एक प्रकार का पागलपन छाया हुआ है; मुझे खेद है कि यह सरकार एक प्रकार के पागलपन से ग्रस्त है। यह अलग अलग ढंग से बोल रही है, और यह इसी प्रकार अन्याय कर रही है जिससे कश्मीर की जनता मुख्य धारा से अलग हो गई है। मैं आशा करता हूं कि यह अस्थायी पागलपन ही हो। किन्तु यदि यह क्षति स्थायी है और इसमें कोई सुधार नहीं होगा क्योंकि यह इस सरकार के निर्माण के समय से शुरू हुई है, तो केवल भगवान ही इस देश को बचा सकता है और केवल भगवान ही कश्मीर को बचा सकता है।

अभी भी समय है; अभी भी परिस्थिति बदलने का समय है। अभी भी आपको अपने उपायों को ठीक करने का समय है। परन्तु क्या आप ऐसा करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। संविधान के प्रति आपकी निष्ठा और आपके विवेक पर निर्भर करता है और जो आपने अपने पद की शपथ उठाई है; क्या आप कश्मीर को घोर विपत्ति से बचाएंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति जी, बीच में से जनता दल कहां चला गया। इस तरह तो हम लोग सफर ही करते रहेंगे। हम तो काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगली बार मैं आपका नाम बुलाऊंगा। अगली बार आप बोल सकते हैं। इस ओर से भी केवल एक सदस्य बोले।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : दो मम्बर्स उधर से बोल चुके हैं और एक मैम्बर बी० जे० पी० से भी बोल चुके हैं। अब तो हमारा नम्बर आना चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चर्चा आरम्भ करने वाले की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं आपका नाम बुलाऊंगा, आप विश्वास कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, जनता दल का भी ख्याल रखिये। (व्यवधान)

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, सदन में जम्मू-कश्मीर से सम्बन्धित संवैधानिक संकल्प और बिल पर चर्चा चल रही है। हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं जैसे कि यह समस्या 2 दिसम्बर के बाद उस समय से शुरू हुई, जब पिछले साल केन्द्र की सरकार में परिवर्तन हुआ और विशेषकर जब से श्री जगमोहन जम्मू-कश्मीर राज्य के गवर्नर के पद पर आसीन हुए। उस समय से ये समस्या को ज्यादा बिगड़ता मानते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्री जगमोहन से पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के जो गवर्नर, जनरल के०वी० कृष्णाराव थे उन्होंने 18 जनवरी, 1990 को अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी थी, जिसमें लिखा था कि उस राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है, जिसमें राज्य का शासन, राज्य की सरकार को संविधान में प्रदत्त उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यह रिपोर्ट भेजते हुए उन्होंने राष्ट्रपति जी से सहमति मांगी थी कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल राज्य की सरकार के सभी कामों को अपने हाथ में ले लें। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट श्री जगमोहन की भेजी हुई नहीं थी, वह रिपोर्ट जनरल कृष्णराव की भेजी हुई थी जिन्हें कांग्रेस शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके बाद जनवरी माह में श्री जगमोहन वहां के राज्यपाल होकर गए। जो उनके पूर्व-गवर्नर महोदय का मत था उनका भी यही मत था कि संविधान के अनुसार वहां कोई सरकार चल नहीं सकती थी, इसलिए सरकार के बदलने से स्थिति में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं आया, वहां पहले से ऐसी स्थिति विद्यमान थी। उसके बाद, वहां के राज्यपाल महोदय की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें भी सीधे उन्होंने प्रार्थना की है कि राज्यपाल महोदय उस राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लें तभी हालात पर काबू पाया जा सकता है।

मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ जम्मू और कश्मीर के डोडा नामक इलाके में गया था। वहां पर हमने जो परिस्थितियां देखीं, लोगों से मिले, उनका बयान मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यहां संक्षेप में करना चाहता हूं। एक मंदिर पर बम फेंकते हुए एक आदमी को लोगों ने देखा। लोग उसके पीछे दौड़े, जिस आदमी ने बम फेंका था उसका आइडेंटिटी कार्ड वहां गिर गया। जब वह पहचान-पत्र उठाकर देखा गया तो वह जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस के सिपाही गुलाम मोहम्मद खां का था, जो जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस की नौवीं बटालियन का सिपाही था। इस प्रकार के प्रशासन और सरकारी कर्मचारी वहां पर भारत विरोधी प्रचार और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में लगे हुए थे। मस्जिदों से भारत-विरोधी प्रचार होता था, प्रशासन का रवैय्या दुराग्रहपूर्ण था और बहुत से सरकारी कर्मचारी वहां से पाकिस्तान में हथियार चलाने, बम चलाने और आतंक फैलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए गए हुए थे। मजेदारी की बात यह थी कि उन कर्मचारियों की हिन्दुस्तान के दफ्तरों में हाजिरी लगी हुई थी। जब हमने जिलाधीश महोदय से पूछा कि क्या ऐसी रिपोर्ट्स हैं ? उन्होंने कहा, हां, कुछ कर्मचारी गए हुए हैं, उनका पता नहीं लग रहा है। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई ठप्प हो गई थी। उन्हीं दिनों कुछ पुलिस कर्मचारियों को आतंकवादी अपहरण कर के ले गए, तो जो लाशें वापस उनको मिलीं उनका बहुत बुरा हाल था। उन लाशों की आखें निकाल ली गई थीं, कानों में सुआ आर-पार किया हुआ था और शरीर का कोई जोड़ ऐसा नहीं था जो तोड़ा नहीं गया। इस तरह के अत्याचार उन सैनिकों पर, उन सिपाहियों पर हुए थे, जो देश की एकता और अखण्डता के लिए वहां तैनात थे।

सभापति महोदय, एक बात और भद्रवाड़ में हमें बताई गई वह यह कि जिन लोगों के पास लाइसेंसशुदा हथियार थे, उनसे तो सरकार ने कहा कि वे हथियार वापस दें क्योंकि गड़बड़ी का खतरा

है। उन लोगों से लाइसेंसशुदा हथियार वापस ले लिए गए और आतंकवादियों के पास लाइसेंसशुदा हथियार तो थे ही बिना लाइसेंस के हथियार भी बेशुमार थे जिनसे वे लोगों पर आक्रमण करते रहे यह स्थिति डोडा, किस्तवाड़ और भद्रवाड़ की थी जहां हम लोग गए। जब हमने यह रिपोर्ट दी कि वहां पर बहुत से विस्फोटक पदार्थ और हथियार आ रहे हैं तो डोडा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वहां हथियार नहीं आ रहे हैं। संयोगवश, जिस दिन उनका अखबार में यह बयान छपा, उसी दिन उनके घर पर बम चला। उनके घर पर धमाका हुआ। इस प्रकार जो लोग उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों पर परदा डाल रहे थे वे भी उनकी मार से बचे नहीं। वे उनसे मिले हुए थे।

सभापति महोदय, हम यहां बार-बार यह कह रहे हैं कि कश्मीर का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला के शासन के दौरान 1977 से 1982 तक वहां किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता थी, उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन दिनों दफ्तरों में नमाज पढ़ी जाने लगी थी। बाकायदा दफ्तरों के समय में नमाज पढ़ी जाती थी और नमाज वाले दिन तो सिनेमाघर भी बन्द कर दिए जाते थे।

सभापति महोदय, आज जो हमारे कांग्रेसी मित्र यह कहते हैं कि हमने 40 साल तक कश्मीर को बचाए रखा और दिसम्बर, 1989 में सारे हालात बदल गए। माननीय दिनेश सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, एक बात इन्होंने कही कि कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशन्स होती हैं, उतने तक तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, शायद आपको याद होगा जब नैशनल कान्फरेंस के साथ आपके संबंध बिगड़े, तो अब श्रीमती इन्दिरा गांधी एक जलसे में भाषण करने गईं तो किस तरह की बदतमीजी की गई थी, लोग उनके सामने नंगे खड़े हो गए। तब क्या कोई सीमा नहीं थी, कौन सी सीमाएं बांधना चाहते हैं ? स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को इनटैलीजेंस ब्यूरो के ऐजेंट कहा। दरअसल धीरे-धीरे आपने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कीं कि कश्मीर के नेता दिल्ली आकर एक भाषा बोलते थे और कश्मीर घाटी में जाकर दूसरी भाषा बोलते थे। यहां आते थे तो कहते थे कश्मीर में बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज्यादा है और जब घाटी में जाते थे तो कहते थे कि और जरा सख्ती से बोलो और मिलीटेंट ऐप्रोच अपनाओ ताकि दिल्ली वाले डरें और ज्यादा पैसा आए। सिर्फ पैसा कमाने का काम रह गया और पैसे के साथ कभी देश के लोगों को जोड़कर नहीं रखा जा सकता। देश के लोग देशभक्ति के कारण जुड़ते हैं, उस भावना के कारण जुड़ते हैं कि देश हमारा है। आपने कुछ ग्रांटस दीं, सबसिडी दी कभी फारूख अब्दुल्ला को गद्दी से हटा दिया, कभी बिठा दिया। अब नई सरकार को भी, मैंने पढ़ा है, फारुख साहब से समझौता हो रहा है। चिदम्बरम जी को भी बड़ा गिला-शिकवा हो रहा है कि फारुख अब्दुल्ला को आप डिनर क्यों दे रहे हैं। उनसे समझौता क्यों कर रहे हैं ? जब आप करते थे तो ठीक था आज जनता दल वाले कर रहे हैं तो गलत है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि गलत तब था या अब है लेकिन इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि फारुख अब्दुल्ला की सरकार के समय के दौरान ही परिस्थितियां बिगड़ीं, हालात खराब हुए। जो कुछ मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, फारूख साहब ने त्रिसूत्री फार्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि 1953 की जो कंडीशन्स हैं, प्री 1953, वह लाई जाएं तो बात हो सकती है। 1953 से पहले कैसी परिस्थितियां थीं ? आप जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री को वजीरेआला कहते थे, गवर्नर को सदरेरियासत। क्या हम सारे प्रोसैस खत्म करके फिर उसी पर वापिस जाना चाहते हैं ? फारुख अब्दुल्ला को स्पष्ट कहिए कि झेलम में बहुत पानी बह चुका, उसके बाद वह परिस्थिति, वह हालात फिर से आएंगे ? अगर उसमें पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति को 1953 में इतने कठोर

कदम उठाने पड़े तो क्या 1953 के वो हालात फिर से आएं ? इसलिए नई सरकार फिर अगर उनसे बातचीत करे तो कम से कम निश्चित तौर पर कुछ मुद्दों पर करे।

फारुख साहब ने एक बात और कही है कि कश्मीर के लोगों को कुछ भ्रांति रही, भारत के साथ विलय के बारे में भ्रांति रही। अभी 3-4 दिन पहले का बयान है। मैं कह देना चाहता हूं कि अब भ्रांति न रहे, कोई भी पोलीटिकल प्रोसैस शुरू करने से पहले वह भ्रांति खत्म होनी चाहिए, विलय के बारे में कोई शक नहीं रहना चाहिए। यह शक, सन्देह उन लोगों ने पैदा किया है जो दिल्ली में एक भाषा बोलते थे और कश्मीर घाटी में जाकर दूसरी भाषा बोलते थे। आर्थिक बैकवर्डनैस, आर्थिक पिछड़ेपन की बात, मैंने देखा, जोड़ा। जिले में बहुत सी जगह काम चला हुआ था और लेबर का काम कौन कर रहा था, बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हुए मजदूर/कश्मीर का आदमी आज दिहाड़ी नहीं लगाता, आज वह लेबर का काम नहीं करता, क्योंकि वहां आर्थिक सम्पन्नता है और यदि आर्थिक पिछड़ापन हो तो भी किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है हथियार उठाने का, देश के साथ बगावत करने का नहीं है। कश्मीर से ज्यादा पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं। जो लोग सिर्फ आर्थिक कारणों से इस बात को कहते हैं तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि इसके आर्थिक कारण नहीं हैं। इसका कारण पिछले 40 वर्षों की गलत नीतियां हैं जिसके कारण कश्मीर के लोग भारत से अपने आपको अलग समझते रहे।

एक और सुझाव दिनेश सिंह ने दिया कि जो विस्थापित कश्मीर से उजड़कर आ गये हैं, उनको वहां से वापिस भेज दो, कश्मीर घाटी में टैंट लगा दो, टैंटों में उनको रखो, बड़ा विचित्र सुझाव है। उनके पक्के घरों के अन्दर तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते, घाटी में टैंट लगाकर उनकी रक्षा करोगे। कितने नेता हैं जिनको वहां जाने का समय है, वे जरा वहां घूमकर आएं जहां उग्रवाद फैला हुआ है, कभी गोली चल सकती है वहां के लोगों के लिए यह कह देना कि उनको टैंटों में रखो, यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। जिनके चारों तरफ ब्लैककैट कमांडो रक्षा के लिए लगे हुए हों, तब भी उनकी वहां जाने की हिम्मत न हो, यह कैसी विचित्र परिस्थिति है ? आज जो लोग अपना घर-बार छोड़कर आए हैं उनको जबर्दस्ती वापिस भेजने की जरूरत नहीं है, उनको पूरी सुविधाएं यहां मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपना घर इस कारण नहीं छोड़ता कि वहां कुछ 200-400 या 1000 रुपये महीना सरकार से सहायता मिलेगी। नौजवान बहू-बेटियों को लेकर, लोग अपनी नौकरियां छोड़कर व जम्मू-कश्मीर से अपना नाता तोड़कर नहीं आए, वे मजबूरी में अपना घर छोड़कर आए हैं। वे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाने के लिए आप परिस्थितियां पैदा करिए। वहां प्रशासन इतना सक्षम होना चाहिए कि वह उनके जान और माल की सुरक्षा कर सके। यदि वहां बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं तो साधारण नागरिक को आप कैसे सुरक्षित रख सकोगे ?

चिदम्बरम जी ने बहुत बात कही और यह कह दिया कि जनता दल के मैनिफैस्टो में कश्मीर का जिक्र नहीं था। बाकी भाषण में उन्होंने बी०जे०पी० को याद किया लेकिन हमारे मैनिफैस्टों की बात नहीं कही। हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि कांग्रेस सरकार की लगातार गलत नीतियों के कारण कश्मीर घाटी की स्थिति लगातार बिगड़ती रही है और उनको सुधारने के लिए कठोर पग उठाए जाने चाहिए। यह बात कहना वह भूल गए। उन्होंने तुलना की और कहा कि 1989 में क्या था और 1990 में क्या हो गया ? किसी आदमी को कैंसर हो जाए तो वह दो दिन पहले दो चम्मच पानी पी लेता है और दो दिन बाद नहीं पीता है तो क्या इससे स्थिति में बहुत अन्तर पड़ता है? यह हकीकत है कि वहां

बम-विस्फोट पहले भी होते थे और तिरंगा झंडा हर बार वहां जलाया जाता था। क्या 14 अगस्त पाकिस्तान दिवस के तौर पर श्रीनगर में नहीं मनाया जाता था ? क्या उस समय कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार वहां नहीं थी जब वहां मैच खेला जा रहा था, तो मैच बंद कराना पड़ा क्योंकि वहां के लोगों ने हिन्दुस्तान की टीम को हूट करना शुरू कर दिया। क्या वहां आपकी सरकार थी जब मुफ्ती-मोहम्मद ने एक बार देशभक्त लोगों का जुलूस निकालने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई और उसमें लोग मारे गए। वह उन दिनों पी०सी०सी० (आई) के प्रेजीडेंट थे।.....(व्यवधान).....दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं और न ही वह इससे बच सकते हैं। इसमें दोनों का हिस्सा है। आज तक जिन स्थितियों में भी हालात बिगड़े हैं ईमानदारी से इन आठ महीने के शासन काल का आकलन करें, उसके बाद राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसको देखें। यह सच है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो कि हमसे अलग नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी उतनी ही हकीकत है कि कश्मीर के लोगों में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि सारा भारत हमारा है, हम भारत के हैं और हम भारत के साथ रहेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। इनके लिए जो भी सख्ती सरकार को करनी पड़े वह करे। हो सकता है उसमें कुछ अधिकारों का हनन हो और सब अपनी अलग-अलग राय दें लेकिन यह सच है कि किसी में जैसे की टांग फ्रैक्चर हो जाए और डाक्टर उस पर पट्टी या पलस्तर करके उस अंग को जोड़े फिर सारी उम्र वह पट्टी या पलस्तर को बांधे रहे ठीक उसी तरह उस पलस्तर या पट्टी के कारण कश्मीर का हिस्सा जुड़ा था और वहां धारा 370 लगी रही।

आज जो मित्र संसद के बाहर बोलते हैं और हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि धारा 370 में आपकी पार्टी का जो दृष्टिकोण है, वह बिल्कुल ठीक है, वह खत्म होना चाहिए। लेकिन अन्दर आए तो अपनी आत्म की आवाज को सुनकर राष्ट्रीय हितों को देखकर यह फैसला करिये, सच्चे मन से राय दीजिए कि क्या अब धारा 370 की आवश्यकता है। देश के जो लोग हैं, वे अलग-अलग हिस्सों के लोग इकट्ठे मिलकर रहें और खामख्वाह इस पट्टी को जोड़कर रखने की जरूरत नहीं है, धारा 370 को समाप्त करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं, सरकार जो बिल लाई है और साथ ही यह कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे प्रबन्ध जरूर करें कि कहीं शक्ति का अधिक प्रयोग न हो। जहां तक सम्भव हो, अगर किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के साथ संभावना जोड़ी जा सके, तो जोड़ी जाय।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, सरकार ने जो मांग रखी है, कश्मीर के सम्बन्ध में जो विधेयक रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मुझसे पहले बहुत अनुभवी साथी लोगों ने अपनी-अपनी राय कश्मीर के सम्बन्ध में रखने का कार्य किया है लेकिन मुझे ऐसा लगता था, कांग्रेस के हमारे दिनेश बाबू बोले, अपने वोट बैंक के ख्याल से वैसा भाषण उन्होंने दिया, जो भी बोलते हैं, उनको वोट मिल जाय, उस हिसाब से बोलते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज देश की जो स्थिति है, जिसके बारे में हम यहां बोलने के लिए खड़े हैं, चाहे कश्मीर की समस्या हो, पंजाब की समस्या हो, गोरखालैण्ड की समस्या हो, इसमें हम लोगों को राजनैतिक भेदभाव से काम नहीं लेना चाहिए और एकजुटता के साथ इस बात का अफसोस प्रकट करना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए जो इस तरह की उग्रवादी हिंसा करके हमारी इन्सानियत के साथ हमारे देश के साथ मजाक करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

दिनेश बाबू बोल रहे थे, वह कह रहे थे इस बात को कि कश्मीर में अभी यह जो स्थिति पैदा

हो गई, यह इस सरकार की देन है। मैं पीछे जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। जिस वक्त पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो युद्ध की समाप्ति के बाद जब शिमला समझौता हुआ तो उस समझौते के बाद पाकिस्तान ने इस देश में धीरे-धीरे प्रशिक्षण देकर आदमियों को भेजने का कार्य किया है, कश्मीर में बसाने का कार्य किया है और जब वह धीरे-धीरे बसते गये, तो उसने यह रूप धारण किया और उग्रता के साथ आज उसी से उग्रवाद पैदा हुआ है। अगर हम उसके साथ सख्ती नहीं बरतेंगे तो वह हमें माफ करने नहीं जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं का उदाहरण देना चाहता हूं, कश्मीर की जब पूर्व में मांग आई थी तो मैंने उस वक्त भी यह सुझाव दिया था, मैं भी बोर्डर के एरिया से आया हूं, वह है बिहार का पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार और किशनगंज की साइड में, बहुत से शरणार्थियों ने बंगलादेश से आकर वहां प्रवेश किया और यहां बसे हुए हैं लेकिन उनकी कोई छानबीन नहीं की जाती है, आज वह आये हैं तो क्या पता भारत सरकार को कि वह प्रशिक्षण लेकर आये हैं या उग्रवाद का रूप धारण करके आये हैं या हमारे देश के नागरिक बनकर सही रूप में कार्य करेंगे। हो सकता है कल बंगलादेश भी हमसे लड़ाई की मांग उठा ले तो वही उग्रवादियों के रूप में कार्य करेंगे और हो सकता है बिहार में भी कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सहरसा में कश्मीर की रूपरेखा बन जाए। मैं तो बार-बार कहता हूं कि यह उसी का रूप है।

कश्मीर में जो स्थिति बनी है यह आज की नहीं है, न मैं इसके लिए राजीव गांधी को दोष देना चाहता हूं, न विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को दोष देना चाहता हूं, हम और आप यहां पर जितने हैं, जो यहां बैठे हैं, हम सारे सांसद अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए सच्ची बात को रखने का काम नहीं करते हैं, कभी हम कहते हैं कि जगमोहन जी का दोष है, कभी कहा सक्सेना साहब का दोष है, कोई कहेगा किसी का दोष है, कोई कहते हैं मंत्री महोदय का दोष है। अभी चिदम्बरम् साहब बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं, अगर इस तरह की भूमिका हम सांसद इस संसदीय कार्य में निभायेंगे तो उग्रवाद बढ़ाएंगे, देश की स्थिति बिगड़ेगी और इंसान की इंसानियत नहीं बचेगी। उसे आप और हम नहीं रोक सकते हैं। जरूरत जहां जिस चीज की हो, उसे करना होगा और मानसिकता पर ध्यान देना होगा। बार-बार पाकिस्तान इस बात को बोला करता है, चाहे बेनजीर भुट्टो हो और चाहे वर्तमान राष्ट्रपति जी हों, वे कहते हैं कि मैं हिन्दुस्तान से कश्मीर जब तक नहीं लूंगा, तब तक मैं दम नहीं लूंगा,। इस बात का क्या अर्थ होता है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इस का अर्थ सीधा है कि मैं तुम से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं और लड़ाई की भूमिका का यही कारण है कि उग्रवादियों को प्रशिक्षण देकर यहां भेजा जाता है। लेकिन मैं कहना हूं कि इस पर हमारी सरकार ने काबू पाया है। हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है, उस पर हमने मुस्तैदी से कार्य करने का कार्य किया है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि जब उग्रवादी स्टैनगन, बम आदि की लड़ाई से थका है और हमने उस पर काबू पाया है, तब उसने उसके बाद रॉकेट की लड़ाई शुरू की है। रॉकेट की लड़ाई से लड़ना ही इस बात को सिद्ध करता है कि हम हार रहे हैं, हम जेल में हैं, बाहर से आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हैं और वे अपना कार्य कर रहे हैं। माननीय जसवंत साहब ने अपने भाषण में कहा है कि चौदह और तीन तारीख के बाद पाकिस्तान में जो स्थिति हुई है, उससे देश को ज्यादा खतरा है। मुझे भी इस बात पर ज्यादा शंका है, हो सकता है कि हम लोगों को युद्ध भी करना पड़े। युद्ध, तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी जो उग्रवादी हैं और चाहे जिस रूप में हों, उनको दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी भी रूप में नहीं बर्से। उनसे वार्ता करने की बात भी हमारी सरकार कर रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब दुश्मन कमजोर होता है, उसमें कमजोरी आती है, तो वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एक बार नहीं उन्होंने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उसका प्रतिफल, उसका नतीजा हम को उल्टा ही आज तक मिला है। इसलिए हम लोगों को समझौता नहीं करना है और ठोस रूप में पुलिस प्रशासन, आर्म्ड फोर्सेज से मुस्तैदी से कार्य लें। अगर इन्सान को खतरा होता है, तो हमारे साथियों, हमारे बुजुर्गों युद्ध होता है और युद्ध में कष्ट हुआ करता है। हमारे आदरणीय श्री वी०पी०सिंह ने कहा था, राजीव जी भी बैठे हुए कि अगर मैं जानता कि कश्मीर की स्थिति इतनी बुरी है तो मैं कश्मीर को चुनाव का मुद्दा बनाता। इसका मतलब, यह तय था कि पूर्व से ही कश्मीर में इतनी मुस्तैदी से इस आग को शुरू किया गया, जिसका मुकाबला हम लोगों को मिल कर करना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए हम लोगों को जो वहां से लोग विस्थापित होकर आए हैं, उन लोगों के लिए वहां भेजने का कार्य नहीं करेंगे। वैसे कोई इंसान वहां आश्रय लेने के लिए आता है, तो बसाने का कार्य करेंगे, उसे यहां रखेंगे, लेकिन जो कश्मीर में इस तरह की चीज करेंगे, उसे हम बरदाश्त करने का कार्य नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े, हम लोग तैयार हैं।

जहां तक सवाल माननीय सदस्य, श्री चिदम्बरम जी का है, उन्होंने कहा है कि रूबिया कांड के कारण ये कांड बहुत जोर से हुए। मैं पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी की मौत हुई, कोई संस्कार नहीं किया गया और राजीव गांधी जी ने ओथ ली, उस वक्त कहां चले गए थे आपके संस्कार। क्यों नहीं दूसरे को प्रधान मंत्री बनने दिया गया, जो उस बात रोकता। आप करते हैं नैतिकता की बात, नैतिकता किस बात की होती है। रूबिया की मौत हो जाने से उग्रवादियों की घटना घटती क्या? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं घटती। एक रूबिया क्या एक हजार रूबिया की मौत हो जाए, एच०एम०टी० में हुई, डी०आई०जी० का हुआ, आई०जी० का हुआ, लेकिन क्या हुआ, रुकी क्या? नहीं रुकेगी। उसका इलाज यह नहीं है कि हम किसको पकड़ेंगे और किसको नहीं पकड़ेंगे। इलाज उसका यह है कि हम उसके साथ सख्ती से पेश आयेंगे और मुस्तैदी के साथ कार्य करने का आदेश देंगे। जहां तक कश्मीर में आर्थिक स्थिति की बात उठाई गई है, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं भी कश्मीर जाने का कार्य किया हूं। मैं वहां देखा हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर वहां मजदूरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर है। वह तो पर्यटक स्थली है, सारे विश्व के लोग वहां जाते हैं। विश्व के सारे लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग खुशहाल हैं। इस कारण से वहां उग्रवाद का पनपना ऐसा मन में सोच लेना, यह गलत होगा। ऐसा हम लोग न सोचें।

मैं यह नहीं कहता हूं कि कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं दो, कश्मीर के लोगों के लिये विकास का कार्य आप न करो, मैं कहता हूं कि हर काम आप करो लेकिन यह सोच कर मत करो कि वहां की आर्थिक स्थिति में इस तरह की घटना घटी है। सभापति महोदय, कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया, एक बार नहीं, अनेक बार ध्वज जलाने का कार्य हुआ और उसको जलाने वाले कश्मीर के हमारे भाई नहीं है बल्कि वही उग्रवादी हैं जो धीरे-धीरे इस बात को आगे लाकर आज इस चौराहे पर हमको खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। इस देश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का अपहरण किया गया, उसको मार दिया गया इस कारण से कि लोग भयभीत हों और भयभीत होने का कार्य इन उग्रवादियों ने ही किया है। इसलिये मुझे यह सिद्ध करना है कि हमें कश्मीर के उग्रवादियों से भयभीत नहीं होना है। भयभीत होकर हमारा कार्य नहीं चलने वाला है। मैं आज सदन के माध्यम से, सरकार और इस देश की जनता से भी आह्वान करता हूं, आग्रह और निवेदन करता हूं कि अगर एक उग्रवादी तुम्हें

मारने आता है तो तुम भी सरकार की ओर से उसको मारने का काम करो और उसके साथ डटकर मुकाबला करो, तुम भी उसके साथ जूझो।

आज जरूरत इस बात की है कि इसके लिये हमें सामाजिक विरोध भी करना होगा, सरकारी तंत्र के माध्यम से भी सख्ती से हमें पेश आना होगा और हम सांसदों का भी यह कर्तव्य बनता है कि इस देश के लिये सही समय पर सही उपयोगिता की जरूरत है और सही बात बोलने की जरूरत है। सही बात को ही हम लोग बोला करें और सदन में रखा करें। सरकार को परामर्श दें, उसको सहयोग दें तो निश्चित रूप से उग्रवादी अपने आप समाप्त होंगे और हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को हम लोग बरकरार रख सकेंगे। सभापति महोदय, अभी घण्टी नहीं बजायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुझे इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते हैं। जब मैं समझूंगा कि आप का समय पूरा हो गया है, तो मैं घंटी बजाऊंगा। आप क्यों इसकी चिन्ता करते हैं ?

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति जी, हमारे गृह मंत्री जी अभी बोल रहे थे कि हम कई बार कश्मीर गये। मन्त्री जी कश्मीर गये हैं, संसदीय दल की कमेटी को भी कश्मीर भेजा गया। आप और हम दिन-रात चिन्ता करते हैं कि कश्मीर की समस्या का निदान हो, इसका क्या फल मिला ? आज इसका निराकरण क्या हो, इस पर हम लोग बोलें। देश में सरकार को सुझाव दें, सोचने की बजाय सरकार कौन सा कार्य करे जिससे उग्रवादियों की समाप्ति हो जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने अनुभवी हमारे साथी लोग बोले हैं। क्या सुझाव आया ? एक जसवंत जी को छोड़ कर; जिन्होंने सुझाव रखा है बाकी लोगों ने सिर्फ कोसने का कार्य किया। क्या कोसने से ही हम उग्रवादियों को समाप्त कर देंगे, 'नहीं'। इससे तो हम उग्रवादियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वह भी रेडियो, न्यूजपेपर और दूरदर्शन पर हमारी न्यूज को सुनते हैं कि हम क्या खिचाई करते हैं, आप और हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं ? उस बात को वह सुनते हैं, इससे भी उसके मनोबल को आगे आने का साहस मिलता है।

इसलिये साथियों मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अक्षुण्णता के लिये हम लोग यहां आये हैं और जनता ने हम लोगों को चुनकर उसकी रक्षा के लिये यहां भेजा है तो कृत-संकल्पित होकर हम लोग सरकार को अच्छे सुझाव दें और उसके साथ कश्मीर की समस्या को निदान कराने का कार्य करें और गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कश्मीर में भी उलझे हुए हैं, पंजाब में भी उलझे हुए हैं। वह दिन फिर आने वाला है कि आपको बिहार में भी उलझना होगा। यह तीसरी बार है, मैंने आपको इस बात की चेतावनी दी है कि या तो आप निश्चित रूप से बार्डर पर सख्ती बरतें वरना वहां से आने वाले लोगों का क्या ठिकाना है। वही लोग बंगला देश के माध्यम से कश्मीर में घुसते हैं, वही पंजाब में घुसते हैं। क्या उनके पास सर्टिफिकेट है ? आप कह सकते हैं, आप इसका जवाब दें। इस पर सर्वेक्षण करायें, इसका निदान करायें। अगर आप नहीं सोचेंगे, इस पर थोड़ी सी भूल करेंगे तो इस देश का नतीजा बहुत बुरा होगा।

मैंने बिहार की तरफ आपका ध्यान खींचा है। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और भी साथी इस पर बोलेंगे क्योंकि जनता दल का मैं पहला सदस्य बोल रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

5.00 म० प०

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है—जैसा मैंने विचार किया है और पहले कल्पना की है कि श्री जसवंत सिंह तकनीकी पहलू पर संकल्प से सहमत नहीं थे। और उन्होंने सभा में अद्भुत वाक्पटुता दर्शाई और मुझे उनके प्रति अत्यन्त आदरभाव है क्यों जब उन्हें बोलना होता है वह सतर्कता से काम करते हैं। और विधेयक के संबंध में कुछ कहने और अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने से पहले आज मैंने उनके भाषण में से एक दो मुद्दे लिए हैं। मैंने निश्चय किया था कि मैं आज नृशंसताओं के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री जसवंत सिंह ने मुझे वहां की गई नृशंसताओं का उल्लेख करने के लिए उकसाया। पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके संबंध में दूरदर्शन पर प्रमुख समाचार आया किंतु कश्मीर की जनता के लिए उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया है। वह कहते हैं कि भारत सरकार कश्मीर में पाकिस्तान का सामना कर रही है। निश्चय ही नहीं। मेरे पास प्रमाण है और गृह मंत्री भी यहां बैठे हैं और मैं उन्हें यह दस्तावेज देता हूं। वह जरा यह आश्वस्त करें कि क्या वह समझते हैं कि यह सच्चाई नहीं है। मैं इस देश और इस गरिमापूर्ण सदन से कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं। आज हमारी सेनाएं कश्मीर की निर्दोष जनता को अपना शत्रु मानती है और मेरे पास इस बात का प्रमाण है। अतः आप कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का सामना नहीं कर रहे हैं और गृह मंत्री महोदय, सीमाओं पर जो भी हत्याएं हुई हैं क्या इस संबंध में कश्मीर के समाचारपत्रों में किसी प्रकार का शोर हुआ है ? किसी प्रकार का शोर नहीं है क्योंकि वे समझते हैं कि सीमा पार करने का कानूनी तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में नियम भी तो हैं। सीमाएं पार नहीं की जा सकती हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमाओं पर जो भी हत्याएं हो रही हैं उनके संबंध में समाचार पत्रों में विरोध का एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया जाता है। किंतु श्रीनगर, सोपोर, बारामूल्ला, अनन्तनाग तथा अन्य स्थानों पर सेना जो कुछ कर रही है उसकी ओर हमें ध्यान देना है। मुझे इस बात का खेद है कि श्री जसवंत सिंह ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और दुर्भाग्यवश श्री जसवंत सिंह ने मानव अधिकार के पहलू के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों ? उन्होंने मुझे अनेक सुझाव दिए और वह चाहते हैं कि हम सुरक्षा बलों के काम की सराहना करें। श्री जसवंत यह निश्चित है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के संबंध नागरिकों के साथ बहुत अच्छे थे, किंतु अब ऐसा नहीं है क्योंकि आपने कश्मीर घाटी में सेना को एक ऐसा काम करने के लिए बुलाया है जो वे नृशंसताओं के बिना नहीं कर सकते हैं और मैं न केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल वरन सेना के जवान और अनेक अधिकारी भी नृशंसताएं करते हैं। सेना की प्रशंसा कौन करेगा ? वास्तविकता यह है कि नृशंसताएं हुई हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं। श्री जसवंत सिंह ने पीड़ितों तथा उनके रिश्तेदारों के प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त क्यों नहीं की। सभापति महोदय, मैं श्री चिदम्बरम से सहमत हूं जिन्होंने सत्तारूढ़ दल से कहा कि वे पुनः जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। सम्भवतः मेरा निष्कर्ष सही है कि केन्द्रिय सरकार के पास बड़े-बड़े पर्वतों और नदियों और गुलमर्ग और पहलगाम जैसी सुन्दर घाटियों पर कब्जा करने की शक्ति तो है परन्तु यह जनता के दिलों को नहीं जीत सकती है। उन्हें मुख्य धारा से पूरी तरह अलग किया गया है। बच्चों में अलगाव की प्रवृत्ति कश्मीर की

दुखद स्थिति के चित्रांकन के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। मुझे बड़ा खेद है कि श्री जसवंत सिंह जैसे वरिष्ठ सदस्य ने भी कश्मीर के उन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जिन्होंने अनेक दुख झेले हैं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कश्मीर के रहने वाले हैं, इसलिए इस सवाल को रखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या खड़ी हुई है, इसका मूल कारण क्या है और समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर ये अपने विचार रखें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने नियम तक उद्धृत नहीं किया है। (भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री वर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था)।

सभापति महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि एक माननीय सदस्य, जोकि एक साधारण सदस्य नहीं बल्कि एक बहुत ही विद्वान सदस्य हैं और जिन्होंने कश्मीर की स्थिति का बड़े करीब से अध्ययन किया है, उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए कोई भी संदेश न देने की गल्ती की और उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जो वहां पर मारे गए तथा जिन निर्दोष लोगों को उत्पीड़न तथा कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। क्या श्री जसवंत सिंह 'पी० यू० सी० एल०' जैसे मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट को मानने से इंकार कर सकते हैं; जिसके सदस्यों न्यायाधीश तारकुण्डे, न्यायाधीश सच्चर, श्री बलराज पुरी, श्री इन्द्र मोहन तथा भारत की कुछ बेटियों ने इस दिशा में पहल की और कुछ समय पहले कश्मीर की यात्रा की और उस उत्पीड़न को देखा जोकि वहां पर लोगों को झेलना पड़ा है। उन्होंने (श्री जसवंत सिंह) ने यह सुझाव दिया है कि राज्य के उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, जिन्होंने कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की थी। इस सम्बन्ध में भी मेरा उनसे मतभेद है क्योंकि जब उग्रवादियों द्वारा मारे गए नेता मौलवी मीरवाइज फारूख का जनाजा जलूस की शक्ल में ले जाया जा रहा था तो सुरक्षा बलों ने जनाजे के साथ चल रहे लोगों पर गोली चलाई। उन्होंने जनाजे के साथ चल रहे लोगों पर ही नहीं बल्कि जनाजे पर भी गोली चलाई जिसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं और सारी दुनिया इस बात से अवगत है। इसलिए हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि ये अधिकारी जो भी हों, वे सामाजिक ढांचे का एक भाग हैं। वे इन सब घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा सारी मानवता को अपील की कि वे (कश्मीर की स्थिति का जायजा लें।" उन्होंने उन अत्याचारों के विरुद्ध अपील की थी जोकि वहां पर किए गए ? सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु, मैं इस कार्यवाही के भयंकर परिणामों की पूर्व चेतावनी अवश्य देना चाहूंगा।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं कुछ शब्दों में वहां से हो रहे पलायन के मुद्दे पर बात करूंगा। इस सम्बन्ध में श्री जसवंत सिंह काफी चिंतित हैं और मैं भी चिंतित हूं। मैं चाहूंगा कि स्थिति को समझने के लिए वे स्वयं कश्मीर

की यात्रा करें। इस संसद ने कभी भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल को कश्मीर भेजने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुझसे एक बार पूछा था कि, "तुम कश्मीर क्यों नहीं जाते?" मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि, "हर 15 दिन बाद मैं वहां जाता हूं। परन्तु श्री जसवंत सिंह वहां क्यों नहीं जा रहे? हम उन्हें बतायेंगे कि कश्मीरी पण्डितों का पलायन वहां से कैसे शुरू हुआ। यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि श्री जगमोहन घबरा गए थे तथा वह कश्मीरी मुस्लिमों को सबक सिखाना चाहते थे और इसके लिए वह कश्मीरी पण्डितों का पलायन चाहते थे और इस प्रकार वह कश्मीरी पण्डितों का सबसे बड़ा शत्रु साबित हुए, जिन्हें कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी समाज का अभिन्न अंग मानते हैं। वे जम्मू, दिल्ली तथा दूसरे स्थानों पर दुख झेल रहे हैं; परन्तु उनकी इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है? वह श्री जगमोहन हैं जिसकी प्रशंसा करते आप थकते नहीं और उनके विरुद्ध जो प्रमाण उपलब्ध हैं, उनको प्राप्त करने की कभी आपने चेष्टा नहीं की।

श्रीराम नायक (मुम्बई उत्तर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसने पहले क्या-क्या किया होगा, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है। लेकिन वह राज्य सभा में हैं। जिसका संरक्षण वह नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यहां पर बोलना परम्परा और औचित्य की दृष्टि से योग्य नहीं है। यही मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमें उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। आप उसे किसी भी नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। परन्तु उसके बारे में चर्चा करनी ही पड़ेगी क्योंकि कार्य सूची में जो अगले तीन विषय हैं ये उन्हीं से सम्बन्धित हैं। (व्यवधान) वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया? उसकी क्या आवश्यकता थी? (व्यवधान) फिर भी महोदय, यह राष्ट्रपति शासन अब···(व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष रूप में उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह राज्य सभा के सदस्य हैं। परन्तु पूर्व-राज्यपाल श्री जगमोहन, मैं कह सकता हूं (व्यवधान) मैं उन्हें पूर्व-राज्यपाल जगमोहन पुकारूंगा। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, मेरे विचार में आपने उनके व्यवस्था के प्रश्न को मान लिया है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हां महोदय, जहां तक उनकी राज्य सभा की सदस्यता का प्रश्न है। महोदय, जहां तक राष्ट्रपति शासन का सम्बन्ध है, यह भारत सरकार की मजबूरी थी। यह तो उस दिन लागू करना ही था। परन्तु यह स्थिति किसने पैदा की? मैं आपसे इस विषय में बहस नहीं कर रहा कि विधान सभा को बहाल किया जाए। परन्तु उन्होंने विधानसभा को भंग क्यों किया? उन्होंने सरकार के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा। यह बड़ी दिलचस्प स्थिति थी जब प्रधान मंत्री ने यह बताया कि श्री जगमोहन ने उनसे इस सिलसिले में सलाह नहीं ली। गृह मंत्री का कहना है कि उन्होंने उनसे भी इस मामले में सलाह नहीं ली। इस प्रकार वह वहां के 'महाराजा' बन गए। इस सदन में गृह मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह हमको विश्वास में लें और बतायें कि उन्होंने विधानसभा कैसे भंग की। क्या वह भारत

के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे ? संविधान के अन्तर्गत प्रधान मंत्री के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्थिति के सम्बन्ध में वह राष्ट्रपति को अवगत करायें। परन्तु क्या श्री वी० पी० सिंह ने विधान सभा भंग होने की जानकारी राष्ट्रपति को दी ? मुझे उस समय लगा था कि शायद उन्हें कश्मीर पट्टे पर सौंप दिया गया है। उनकी यह कार्यवाही बिलकुल गलत और अवैध थी। मैं विधान सभा की बहाली की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि किस प्रकार उन द्वारा कुछ गलत निर्णय लिए गए और कश्मीर को तबाह कर दिया और वहां मौत तथा तबाही के लिए वह अकेले किस प्रकार उत्तरदायी हैं इस विधेयक के द्वारा जिस पर कि चर्चा हो रही है, सरकार उन लोगों को दण्ड देना चाहती है, जिन्होंने वहां के लोगों के एक वर्ग में अलगाव की भावना पैदा की। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन ने सारे कश्मीर में अलगाव की भावना पैदा की है। उसके लिए क्या दण्ड नियत किया गया है ? मेरा तात्पर्य पूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन, से है। हमारी कार्यसूची में तीन विषय हैं और तीनों ही कश्मीर से सम्बन्धित हैं। इसलिए, आपसे मैं क्षमा चाहूंगा। मैं राष्ट्रपति राज की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह गृह मंत्री की मजबूरी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, कृपया विधेयक पर आइए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक पर आ रहा हूं। मुझे संक्षेप में श्री जगमोहन का उल्लेख करना पड़ा परन्तु मैं उनके प्रशासन की चर्चा नहीं करूंगा। वे (भारतीय जनता पार्टी के सदस्य) उसके समर्थन में मेजें थपथपाते है; परन्तु उन्हें उसके बारे में वास्तविक जानकारी तभी मिलेगी जब इस बारे में जांच करवाई जायेगी। विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम के सम्बन्ध में मैं राज्यपाल श्री सक्सेना से उसी दिन मिला। मैं कभी भी पहले उनसे नहीं मिला। परन्तु उस दिन मैंने उनको बताया कि इस कानून को लागू करना आवश्यक नहीं क्योंकि पंजाब में इसे लागू करने के विपरीत परिणाम रहे। फिर, दूसरे दिन सशस्त्र बल (जम्मू-काश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश जारी किया गया। अब उसकी जगह यह विधेयक लाया जा रहा है। मेरे विचार में आतंकवाद को दबाने के लिए पहले से ही बहुत से कानून उपलब्ध हैं। गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। राज्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता, शत्रु एजेन्ट अधिनियम, जन सुरक्षा अधिनियम है और आतंकवादी तथा विध्वंशकारी गतिविधियां अधिनियम है जोकि अत्यधिक दमनकारी है। यह सब अधिनियम पहले ही उपलब्ध हैं। यद्यपि श्री जसवन्त सिंह जी ने अभी इस विधान का समर्थन कर दिया है फिर भी उन्होंने आपको सावधान किया है, 'अपने हाथों में अधिक विधान मत लीजिए।'

उपाध्यक्ष महोदय : सोज जी आप व्यक्ति विशेष के बारे में क्यों बोल रहे हैं ? आप इस संकल्प पर क्यों नहीं बोलते हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज। महोदय, मैं अशान्त क्षेत्र अधिनियम के बारे में बोल रहा हूं; मैं सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम के बारे में बोल रहा हूं। मैंने कल्पना की थी कि श्री सक्सेना भिन्न प्रकार के व्यक्ति होंगे क्योंकि भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन ने बिलकुल गलत बयान दिया था जब उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बाद में उन्हें पहचाना जब उन्होंने लोगों को बताया कि यह सेवा किस प्रकार की हो सकती है। जैसा कि चिदम्बरम ने कहा वे आतंकवाद का और तानाशाही का प्रतीक बन गये हैं। रंगा जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनें, अभी भी अनेक कश्मीरी लोग यह महसूस करते हैं कि यदि श्री जगमोहन उस राज्य के राज्यपाल नहीं बनते तो यह घटना स्वतन्त्रता आन्दोलन के संघर्ष का प्रतिरूप नहीं बनती और यह आन्दोलन इतना भयंकर रूप धारण नहीं करता। उन्होंने ही लोगों को आन्दोलन

के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें बिलकुल किनारे कर दिया, उन्हें बिलकुल विदेशी बना दिया। उन्हें अकेला करने और बिलकुल विदेशी बना देने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वह जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वर्तमान राज्यपाल से कहा, "सक्सेना जी आपने एक भिन्न प्रकार से कार्य करना चाहा। इस प्रकार की कार्रवाही पंजाब में विफल हो गयी थी। आप इसे यहां क्यों कर रहे हैं? आपको बहुत अधिकार प्राप्त हैं। शायद केन्द्र सरकार आपके कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रही है।" मैंने उनसे कहा, "चूंकि आप वहां एक अधिकारी के रूप में हैं आप गृह मंत्रालय के निर्देशों पर ध्यान देंगे। उन्होंने आपके कंधे पर बंदूक रखी है। वे आपसे इस क्रूर कानून को पास कराना चाहते हैं। इस तरह का आभास था कि आप लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे और अनेक लोग आपके साथ सहयोग करेंगे लेकिन यह कानून बिलकुल निष्ठुर है तथा इसका गलत उपयोग किया जा सकता है।" लेकिन वे केन्द्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए पहले से ही तैयार थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर सक्सेना जी ने अशान्त क्षेत्र अधिनियम पारित किया था क्योंकि जब श्री जगमोहन पदासीन थे उसी समय यह विचाराधीन था। यह उनका ही प्रस्ताव था।

महोदय, अब मुद्दा यह है कि सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि सुरक्षा बलों ने ज्यादतियां की हैं। अतः मैं चाहता हूं कि यदि कश्मीर के लोगों के लिये नहीं तो अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनकर यह सभा कोई कारवाही करे और सेना सहित इन सुरक्षा बलों को भविष्य में कोई अत्याचार करने से रोके। मैं आपको अभी बताऊंगा कि सेना ने पांजीपुरा में क्या किया है। मैं चाहता हूं कि यह सभा उन्हें भविष्य में अत्याचार करने से रोके, निर्दोष कश्मीरी लोगों को अपना शत्रु मानने से उन्हें रोके। मैं चाहता हूं कि यह सभा इस शोषण का अध्ययन करे। मैं इस अशान्त क्षेत्र अधिनियम को लागू किए जाने के पश्चात की चार घटनाओं का उल्लेख करूंगा। यदि आप संसदीय शिष्टमंडल भेजते हैं तो मैं आपके साथ आऊंगा। लेकिन आप इन चार स्थानों में सिर्फ इन चार घटनाओं की जांच के लिए शिष्टमंडल भेजिए। 4 जुलाई को अशांत क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ था। 8 जुलाई को दो गांव जलाए गए थे। मेयांव में दो गांव ओडिना और वचुआनाबम में 200 घर जल कर राख हो गये थे। चार लोग मारे गये थे और एक व्यक्ति को आग में जिन्दा जला दिया गया था। समाचार पत्रों के कतरन यहां हैं। आपने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है यद्यपि राष्ट्रीय प्रेस सभी संभावित खबरों को सविस्तार प्रकाशित नहीं करते हैं क्योंकि उनमें से कुछ राष्ट्रीयता की संकीर्ण विचारधारा को पूर्ण रूप से मानते हैं। इन बातों को भूल कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने में कुछ अभिप्राय और ईमानदारी होनी चाहिए।

फिर 12 जुलाई को पंजवा (कूपवारा) में अनेक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया था। महानिदेशक 26 जुलाई को सोपोर आये थे और उन्होंने स्वयं इस दुर्घटना का निरीक्षण किया था। इकबाल मार्केट (मुख्य बाजार) को आग लगा दी गयी। बी० बी० सी० ने कहा कि लगभग 200 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। आपके दूरदर्शन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और आप इसे स्वायत्तता दे रहे हैं। दूरदर्शन को निष्पक्ष होना नहीं सिखाया गया है।

[हिन्दी]

आपका दूरदर्शन कुछ नहीं बोला।

एक माननीय सदस्य : आपका नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा इस तरह से नहीं होगा, जब होगा तो आनैस्टली होगा।

प्रसार भारती के दिन बताऊंगा।

[अनुवाद]

6 अगस्त को मशाली मुहल्ले में सीमा सुरक्षा बल द्वारा ग्यारह व्यक्ति अपने घरों में ही मारे गये। शहर में कहीं पर सीमा सुरक्षा बल का एक जवान मारा गया था। मुझे उस जवान की मृत्यु पर भी दुःख है जो गोलियों से मारा गया। हमें सभी निर्दोष लोगों के लिए दुःख महसूस करना चाहिए परन्तु देखिए, बाद में सीमा सुरक्षा बल ने शाम को जब अंधेरा घिर आया था, क्या किया। उन्होंने मशाली मुहल्ले के कुछ घरों में प्रवेश किया और एक 70 वर्षीय वृद्ध एवं आठ वर्ष के बच्चे समेत ग्यारह लोगों को मार दिया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है और बाद में श्री डी० जी० सक्सेना ने सीमा सुरक्षा बल के उप महानिदेशक को बताया कि सीमा सुरक्षा बल वहां निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं था।

मैं आपको श्रीनगर टाइम्स, आफताब और अलसफा जैसे मुख्य समाचार पत्र दिखा रहा हूं। ये मशाली मुहल्ले में हुई हत्याओं के विवरण से भरे पड़े हैं। इनमें उन लोगों के नाम हैं जो उस दिन अपने घरों में मारे गये और बताया गया है कि एक बच्चा सो रहा था।

आप एक जांच आयोग का गठन करें और हम यह सब सिद्ध कर देंगे।

10 अगस्त को जब मैं यहां शून्य काल के दौरान कुछ मुद्दे उठा रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि कूपवाड़ा में क्या हो रहा था। मैं एक घटना का वर्णन कर रहा हूं जहां कि सेना ने ज्यादती की है। हाल ही में सेना के एक प्लाटून पर दो गांवों, पांजीपोरा और देदीकोट, दो गांवों के बीच उग्रवादियों ने घात लगा कर हमला किया और फिर वह भाग गये। फिर सम्पूर्ण टुकड़ी इन दो गांवों, पांजीपोरा और देदीकोट की ओर रवाना हुई। पांजीपोरा में 25 घर हैं जिनमें से 20 घर जला दिए गए और 28 व्यक्तियों को मार डाला गया तथा 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मेरे पास इनके नामों की सूची है और मैं इसे माननीय गृहमंत्री जी को प्रेषित करूंगा।

वर्तमान राज्यपाल ने मुझसे कहा कि जहां कहीं भी निर्दोष लोगों के विरुद्ध अत्याचार किए जायेंगे वह उसकी जांच करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा, "आप किस प्रकार से जांच कर सकते हैं ? एक-एक करके जब आप हवलदार को भी असीम अधिकार देते हैं ? इन क्रूर कानूनों के अन्तर्गत वे निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे।" उन्होंने पहले ही भारतीय लोकतंत्र में "कश्मीर को एक शर्मनाक मुद्दा बना दिया है।"

इन दोनों अधिनियमों, अशान्त क्षेत्र अधिनियम तथा जम्मू और कश्मीर (विशेष अधिकार) सशस्त्र बल अधिनियम को वापस लेना होगा। चूंकि आप परामर्श चाहते हैं, मैं आपको परामर्श दूंगा। आपको इन अधिनियमों को लेना होगा और जांच करानी होगी। वहां एक संसदीय शिष्टमंडल भेजिए। शायद स्थिति में सुधार होने का कोई अवसर बाकी हो। लेकिन जैसा कि दो या तीन मिनट में मैं आपको बताऊंगा, इस विधेयक द्वारा उनकी भावनाओं को और ठेस पहुंचेगी।

उपाध्यक्ष मोहबय : आप पहले ही 22 मिनट ले चुके हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं जानता हूं कि मैंने समय लिया है लेकिन मैं अपनी बात तुरन्त समाप्त करूंगा। आपने इसमें रुचि दिखाई है, मैं इसका आभारी हूं।

श्री जसवन्त सिंह : वे जम्मू और कश्मीर के सदस्य हैं।

प्रो सैफुद्दीन सोज : मैं सिर्फ दो या तीन मिनट लूंगा।

इस विधेयक में कहा गया है कि आप उन लोगों को दंडित करेंगे जो लोगों को अलग करेंगे। भूतपूर्व राज्यपाल के बारे में आप क्या कहते हैं ? जिन्होंने कश्मीर के सभी लोगों को अलग-थलग कर दिया। इस विधेयक के अन्तर्गत हवलदार, सार्जेन्ट अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे और उनसे नीचे सिपाही हैं, उसे भी किसी को मार डालने का अधिकार प्राप्त होगा।

एक पैराग्राफ में यह कहा गया है कि एक सिपाही भी गोली चला सकता है। वह सम्पत्ति को नष्ट कर सकते हैं। वह ढांचे को हटा सकते हैं। शक होने पर वह बम भी फेंक सकते हैं और भविष्य की कार्यवाहियों के लिए यदि शक हो तो वह गोली भी चला सकते हैं, तलाशी भी ले सकते हैं। न्यायालयों का कहीं भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, हवलदार भी गोली चला सकता, है, उसके लिए उसे आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे इसके लिए रिपोर्ट करने या स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्यपाल श्री सक्सेना यह कहते हैं कि जब आवश्यक होगा वह जांच करायेंगे। मेरे विचार से यह संभव ही नहीं है। मैं इस सदन को अगाह करना चाहूंगा मैं माननीय सदस्यों को अगाह करना चाहूंगा हवलदार या सिपाही द्वारा गलत गोली चलाने को वह सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इस कठोर कानून के अन्तर्गत उसे सही या गलत सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मैं सदन के बीचों-बीच न जाकर यहीं से इसका विरोध करूंगा।

मैंने आपको बताया था कि इस स्थिति से बचा जा सकता है लेकिन इन कठोर कानूनों को हटाना होगा। जहां तक इस अशांत क्षेत्र अधिनियम का संबंध है यह राज्यपाल सक्सेना के पास है। यह सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक हैं उसे मैं फाड़े डालता हूं। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों को स्वीकार्य नहीं है इसे तुरन्त हटाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : इन्होंने सदन का अपमान किया है उपाध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह कश्मीर के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं इसे अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह मर्यादा का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सोज साहब इस सदन के इतने सीनियर मैम्बर हैं, यदि वे सदन में इस तरह का काम करते हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। आप इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दीजिए। बड़ी खराब आदत है। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस सदन की कुछ परम्पराएं और मर्यादाएं हैं, उनका हनन नहीं किया जा सकता। सदन को सब्जी मण्डी

नहीं बनने देना चाहिए, यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यह सदन का अपमान है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह ठीक नहीं है। इस विषय पर चर्चा को लम्बा खींचना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर राज्य में सशस्त्र बल को विशेष शक्तियां देने के उद्देश्य से सदन में जो विधेयक लाया गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसे शायद काफी सोच विचार करने के बाद ही लाया गया है, क्योंकि कश्मीर के हालात दिन-ब-दिन खराब होते चले जा रहे हैं और उन पर काबू पाने के लिए हमें अपने सशस्त्र बलों को कोई न कोई अतिरिक्त शक्ति अवश्य देनी होगी इसका कारण है कि हमने जिन लोगों को वहां के हालात पर काबू पाने के लिए भेजा है, उन्हें केवल मरने के लिए वहां नहीं भेजा गया है कि कोई भी वहां उनको गाजर-मूली की भांति मार दे। नहां जाकर उन्होंने देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाया हुआ है, आज वे हमारे देश की सीमाओं पर बैठे हैं। यदि हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो वे हमारे देश की रक्षा कैसे कर पायेंगे। उनके पीछे यहां जो उनका परिवार रहता है, जब तक हम उस परिवार के मन में यह ढाढस नहीं बंधायेंगे कि उनका जो आदमी मुल्क की सीमाओं पर लड़ने के लिए गया है, उसकी यह देश पूरी तरह से रक्षा करेगा, तब तक काम चलने वाला नहीं है। वह व्यक्ति देश के एक भाग को बचाने के लिए सीमाओं पर गया है। अभी मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनसे एक रिक्वैस्ट करता हूं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कश्मीर में आज जैसे हालात चल रहे हैं, उससे वहां की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है ? यदि इस तरह के वातावरण में, या आपके भाषण करने मात्र से ही कश्मीर की स्थिति को ठीक किया जा सकता है, आप इसी आधार पर कश्मीर के हालात को काबू कर सकते हो तो हम आपको ही सारे अधिकार प्रदान कर देते हैं, आप हमें कश्मीर की समस्या को हल करके दिखला दो। हम तो पिछले अनेक वर्षों से कश्मीर की समस्या के कारण परेशान हैं। चालीस सालों से, आजादी मिलने के तुरन्त बाद से लेकर आज के दिन तक, कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए हमने क्या नहीं किया, मुल्क के उस भाग को बचाने के लिए क्या बलिदान नहीं दिया, उसके कारण हमारी कितनी माताओं का सिन्दूर पोंछ दिया गया। आप चाहे पाकिस्तान से हुई दो जंगों को ले लीजिए, देश के आजाद होने के बाद, वहां जिस तरह का वातावरण पैदा किया गया, उससे देश को बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए क्या-क्या नहीं किया गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि चालीस सालों तक इतना सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ बलिदान करने के बावजूद आज वह भू-भाग इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि देश के खिलाफ बगावत की आवाज बोल रहा है। हिन्दुस्तान का तिरंगा झंडा जलाना वहां एक शौक बन गया है, उसके बारे में माननीय सदस्य न आज तक बोले हैं और न बोलेंगे। क्या वह पूरे देश का अपमान नहीं है ? क्या तिरंगा झण्डा हमारे सम्मान का सूचक नहीं है ? यदि कश्मीरे में आज कोई तिरंगा झण्डा जलाए तो हमें सार्वजनिक तौर से उसे कण्डैम करना चाहिए, इस मामले में माननीय सदस्य मौन हैं। आज वहां कोई जन गण मन नामक गीत नहीं गा सकता, यह स्थिति है। क्या कारण है कि स्वतन्त्रता दिवस से एक दिन पूर्व वहां पाकिस्तानी झण्डा फहराया जाता है, खूब उल्लास मनाया जाता है लेकिन हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सारा चौगान खाली

रहता है, वहां के राज्यपाल अकेले खड़े होकर झण्डा लहराते हैं, क्या उसके खिलाफ बोलने के लिए माननीय सदस्य के पास कुछ नहीं है, क्या इनका मन नहीं करता कि कुछ बोलें। (व्यवधान)

आज कश्मीर के मामले में, सवाल इस बात का नहीं है परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है, मुल्क का दुर्भाग्य है कि हम लोग कश्मीर की समस्या हल करने के स्थान पर अपने-अपने गिरोह बना कर खड़े हो गये हैं और हमें अपने गिरोह की ज्यादा चिन्ता है। हम अपनी-अपनी भाषा बोलने का तरीका बना चुके हैं, अपने-अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए हम किसी भी मंच का उपयोग करने से तनिक भी नहीं घबराते। हमें देश की चिन्ता नहीं है। यही हमारा दुर्भाग्य है। क्या हम अपनी-अपनी भाषाओं के आधार पर कश्मीर को बचाने की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं? क्या हिन्दुस्तान के लोग आपकी इस बात को सुनकर कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत आज कश्मीर को बचाने के लिए क्या सोचती है और क्या विचार करती है, हम सब लोगों के बोलने का ढंग, अपने-अपने तरीके से बन गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम देशद्रोह को देशद्रोह नहीं मानते हैं। देश के लिए कौन जीता है, कौन मरता है, इसका सवाल पैदा नहीं होता है। देश की अस्मिता की रक्षा के लिए कितनी मौतें होती हैं और कितनी जानें जाती हैं, इसकी कोई नाप-तौल नहीं होती है। इसके लिए हमें उसकी वास्तविकता के ऊपर आना पड़ेगा। हमारी वहां के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। इस देश में लाखों-करोड़ों लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सब प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं। किसी जाति या धर्म के व्यक्तियों को नष्ट करने की बात ही पैदा नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो अपना फायदा उठाने के लिए, अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, इस मुल्क को हमेशा तबाह करते रहे हैं और वहां की मासूम और भोली-भाली जनता को देशद्रोह के रास्ते पर डालने का प्रयत्न करते रहे हैं। हमें उन ताकतों को पकड़ना होगा, उनको हमें सजा देनी होगी। उनको पकड़ने और सजा देने के लिए यह कानून यदि कम पड़ेगा तो हमें और भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा, तो हिन्दुस्तान के कश्मीर को बचाने के लिए वह भी हम बनाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इसी मुल्क के लाखों लोग विभिन्न शहरों के चौराहों पर शरणार्थी बनकर पड़े हुए हैं। उनके बारे में बोलने के लिए, हमारे पास कोई सबब नहीं है, वे चन्द नहीं हैं, दो आंसू बहाने के लिए नहीं हैं। कौन व्यक्ति चाहेगा कि अपना घर-बार छोड़कर, इस तरह से अपने घर से बेघर हो जाए। अपनी सारी आबदाद को छोड़कर, बच्चों को इस तरह से शहर के चौराहों पर, फुटपाथ पर रहे? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। ऐसा कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा? लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने अपना सारा भाषण यहां दे दिया, उनके बारे में बोलने के लिए हमारे पास सबब नहीं है। जिस प्रकार का हमने अपना वातावरण बना रखा है, जिस प्रकार का हमने अपना मन बना रखा है, यह वास्तव में इस हिन्दुस्तान को तोड़ने वाला मन है, मुझे तो यही लगता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए इस सदन में बैठने वाले लोग दोषी होंगे, आज नहीं, तो कल कि इस प्रकार से इस देश को तोड़ने की कोशिश की गई। इस बात को जनता कहेगी, जब कहेगी, लेकिन आज तो हमारा मन भी इस बात को कह रहा है। हम लोग इस तरह से काम करके इस मुल्क को गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार की राजनीति की गर्द में हम न फंसें।

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर हमारे हिन्दुस्तान का नन्दन-वन है, कश्मीर हमारे हिन्दुस्तान का मुकुट है, कश्मीर के बिना हमारा देश भारत अधूरा है, इसके बिना हिन्दुस्तान रह नहीं पाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं कि हम फिरकापरस्त हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम फिरकापरस्त नहीं हैं।

जिस दिन जनसंघ बना था, उस समय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस के अन्दर रहते हुए लगा था कि केवल तुष्टिकरण की नीति के आधार पर चलते हुए देश की समस्याएं सुलझ नहीं सकती हैं। उस समय उस आदमी ने अपनी छोटी-सी फौज, थोड़े से कार्यकर्ताओं को लेकर एक नारा बुलन्द किया था—एक देश में दो प्रधान एक देश में दो विधान और एक देश में दो विचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस समय उन्होंने यह कहा था और झेलम नदी पार करके वहां गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके बलिदान के खून में से पैदा हुआ यह संगठन है जिसको ये लोग साम्प्रदायिक संगठन कहते हैं। मैं कहता हूं कि आज हमारी बोटी-बोटी काटकर देखना चाहें, तो देख सकते हैं कि हममें राष्ट्र-भक्ति है या नहीं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि ऐसी राष्ट्र-भक्त पार्टी और संगठन को साम्प्रदायिक कहा जाता है। अगर आज देश के हित में जरूरत पड़े तो हम अपनी पार्टी का फुलंदा बांधकर समुद्र में डूबो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश बचे, हमारा मुकुट कश्मीर बचे, हमारे देश की अस्मिता की रक्षा हो, हमारा देश अक्षुण्ण बना रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार का हमने अपना विचार, धारा 370 के बारे में बना रखा है, उससे लोगों को लगता है कि हम फिरकापरस्त हैं या हम फिरकापरस्ती करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब वक्त नहीं है। आप समाप्त करिए। हर पार्टी के लीडर को या जो लोग शुरू में बोलें, उनको बहुत समय दिया गया है। अब आप सिर्फ मुख्य बिन्दुओं की चर्चा करके समाप्त कीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : धारा 370 के बारे में इस देश में बड़ा विवाद है। इस धारा के कारण अलगववाद को बढ़ावा मिला है या नहीं इस बात पर और इस मामले में हमको इतना वायस नहीं होना चाहिए कि इसका नाम आते ही हम इतने चौकन्ना हो जाएं। अगर इसके जरिए हल निकल सकता है, तो अच्छा है, निकालिए हम खुद विचार करेंगे कि हो सकता है, हम कहीं गलत हों। अगर ऐसा है, तो हम भी अपने को ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जिस बात को बोल रहे हैं, हम देश की अखण्डता के लिए बोल रहे हैं। हमारी धारा 370 को पकड़ कर मरने की इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि धारा 370 समाप्त करने से हिन्दुस्तान में जो अलगाववाद है, चाहे वह पंजाब का हो, चाहे आसाम का हो या और कहीं का हो, चाहे योरलैण्ड का हो, यह जो पैदा हो रहा है, इसी बात को मांग को लेकर कि हिन्दुस्तान भी हमारा मुल्क है, हिन्दुस्तान भी हम सबका है तो फिर हमारी अलग-अलग संस्कृति क्या है, पूजा-पाठ जैसी तबीयत आए वैसा करें, कौन किसको मना करता है ? मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे बड़ा सहिष्णु मुल्क और कोई नहीं होगा लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति को लोगों ने गलत समझकर, हमको कमजोर समझकर अपना रुख दूसरी ओर कर दिया। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान क्यों नहीं छेड़खानी करेगा, करेगा ? आज जिस प्रकार की आतंकवादी शक्तियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह का देशद्रोह लोग कर रहे हैं, उनको संरक्षण कहां मिलता है ? क्या वे मारकर कहीं पर भाग जाते हैं ? ऐसा तो नहीं है कि उनके पैरों में ही कोई पंख लगे हों और वे उड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं वे जिन घरों में जाकर आश्रय लेते हैं, जहां पर वे ठहरते हैं और वहां पर ठहरकर हिन्दुस्तान के खिलाफ बगावत का काम करते हैं, उन स्थानों को ढूंढने के लिए हम कानून के तहत अधिकार नहीं देंगे तो क्या देंगे ? इसमें और क्या दिया जा रहा है ? इसमें वही अधिकार दिया जा रहा है जो अधिकार सर्च करेंगे तो हम सर्च कर सकते हैं। यदि किसी आदमी को मजबूरी में गोली चलाने की जरूरत पड़े तो वह गोली चला सकता है, यदि किसी चीज को ताला तोड़कर भी निकालना पड़े तो हम उसे निकाल सकें। यह कौन-सा ऐसा बड़ा अधिकार है ? जब हम देशभक्त हैं तो फिर हमें डर किस बात का है ? यह कानून देशद्रोहियों के लिए कठोर है, देशभक्तों

के लिए नहीं है। देशद्रोह के खिलाफ कानून नहीं बनाएंगे तो फिर इस पंचायत में बैठे रहने का हमें क्या हक है ? इस पंचायत को क्यों बनाया है, इस मुल्क को बचाने के लिए बनाया है, अच्छा करने के लिए बनाया है। जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है तो देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए नहीं भेजा, हमें देश को अच्छा करने के लिए भेजा है। हम इस पंचायत का उपयोग इस काम से करें और दुराग्रह हमारे मन में आ गया है उसे छोड़कर हमारी और आपकी निश्चित रूप से एक धारणा हो। यदि कश्मीर समस्या है तो अलग-अलग डिवाईड होने की क्यों आवश्यकता है, अलग-अलग विचारों की क्या आवश्यकता है, देश के एक भाग को बचाने के लिए हम सबकी राय एक होनी चाहिए। जो आतंकवादी शक्तियां तमाशा कर रही हैं उनको भय लगता है कि वास्तव में हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत आज देश के कश्मीर के बारे में क्या सोचती है, देशद्रोह के बारे में क्या सोचती है, तब उनका मनोबल टूटता है। हमारे अलग-अलग विचार, टूटी हुई भाषा, अलग-अलग मापदंड उनको शक्ति प्रदान करते हैं, उनकी ताकत, हौंसला बुलन्द करते हैं। उनकी तरफदारी करने वाले लोग भी यहां पर हैं। मेरा सदन के सभी पुराने सदस्यों से विनम्र निवेदन है, हम तो नए हैं, हम आपको देखकर कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कुछ हम संसद में देख रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।···(व्यवधान)

"माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि मैं उनकी तरफदारी करता हूं। यह मेरी तरफ इशारा था क्या यह रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए·····मैं किसी भी प्रकार की हिंसा, आतंकवाद, और उग्रवादिता का समर्थन नहीं करता। मैं कश्मीर के बेगुनाह लोगों की तरफ से बोल रहा था। मैं आतंकवादी की तरफदारी कैसे कर रहा था। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कटारिया अपना भाषण जारी रखिए। वह अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कहना चाहता हूं कि हाउस डिवाईडेड बात करता है, अलग ढंग से बोलता है, सबके विचार एक होने चाहिए कि आतंकवादियों पर, देशद्रोह करने वालों पर हम कैसे काबू कर सकते हैं ? अगर यह भाषा हो तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं आपसे विनम्र अपील करता हू कि यह एक ऐसी समस्या है। जिससे देश चालीस वर्षों से दुखी है, यह कहना कि यह आठ महीने में पैदा हुई है, मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा असत्य और कोई नहीं होगा। जिस दिन से हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ है उस दिन से यह समस्या किसी न किसी रूप में है। दुनिया के किसी भी चौराहे पर किसी भी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि कश्मीर समस्या कुछ है या नहीं, वह भी इसके बारे में कह सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात पहले ही कही जा चुकी है, इसे दोहराइये नहीं।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं चाहूंगा कि यह जो कानून लाए हैं, विधेयक लाए हैं, उसको सर्वसम्मति से पास करें और राष्ट्रद्रोही शक्तियों को इससे भय लगे, यह बात इसमें से निकले। यही बात कहकर मैं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड)। उपाध्यक्ष महोदय सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं श्री सोज का बहुत सम्मान करता हूं, जो दुर्भाग्यवश यहां मौजूद नहीं है। मुझे विश्वास है कि जब वह घर वापिस जायेंगे तो महसूस करेंगे कि विधेयक के टुकड़े करना ठीक नहीं था क्योंकि जिस पर हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं यह लोगों की धारणाओं का प्रतीक है। निश्चत रूप से मैं उनकी राष्ट्रवादिता, कश्मीरी लोगों के लिए उनकी चाह और प्यार का मैं सम्मान करता हूं। यह संभव है कि इसी जोश के रहते उन्होंने कई बातें कहीं और यह कार्य किया। लेकिन हम निश्चित तौर पर इसे अनदेखा नहीं कर सकते। वास्तव में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे सदन के हम सभी सदस्य पसंद नहीं करते हैं विशेषकर सशस्त्र बलों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा कभी-कभी की गई ज्यादतियां जो अक्सर देखने में मिलती है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि हम सभी इससे चिंतित हैं। इस प्रकार ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री उचित कार्यवाही करेंगे। सरकार ने पहले ही इसकी व्यवस्था की है। इस विधेयक तक में उपबन्धित है और मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

इस विधेयक को लाए जाने का यही उचित समय है। आप उस पृष्ठभूमि को देखिए जिसमें इस विधेयक को लाया गया है। हम सभी को कश्मीर में हो रही घटनाओं को भी ध्यान में रखना है। इस सभा का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहेगा कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां नहीं हैं। वास्तव में वहां ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तथा यही समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति इस संबंध में चिंतित है। परन्तु पहली बार जबसे सरकार सत्ता में आई है, हमने वास्तव में स्थिति को समझा है कि वहां स्थिति न केवल अव्यवस्थित ही है बल्कि वहां आग भी लगी हुई है। हमारे विपक्षी मित्र सोच रहे थे कि कश्मीर केवल एक सैरगाह है; यह केवल एक पर्यटक स्थल है तथा वहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वहां पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है तथा अनेक घटनाएं वहां घटित हो रहीं हैं। राष्ट्र-विरोधी नारे वाले पोस्टर वहां दीवारों पर चिपकाए गए थे। वहां लोग कह रहे थे "इंडियन डौग्स, गो होम।" प्रत्येक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। परन्तु इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब लोग यह महसूस कर रहे थे कि कश्मीर की स्थिति नियन्त्रण से बाहर अर्थात् बेकाबू हो गई है। वहां घोर निराशा की भावना व्याप्त हो गई थी। परन्तु आज हम वहां पर एक नया माहौल देख रहे हैं, आशा की नयी रोशनी देख रहे हैं तथा कश्मीर में कानून और व्यवस्था पुनः कायम हो रही है, इन सभी का श्रेय इस सरकार को पिछले आठ महीनों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो गई हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। परन्तु पहली बार देश की जनता यह महसूस कर रही है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में है, हम कश्मीर को अपने पास ही बनाए रख सकते हैं। इसका अभिप्राय कश्मीर के केवल भूगोल अथवा वहां के नदी, पर्वत से ही नहीं है। इस समय श्री सोज जो यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां की जनता के सोचने समझने के स्तर में काफी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। महाराष्ट्र के एक दल ने अभी हाल ही में कश्मीर का दौरा किया था तथा उन्होंने यह पाया कि वहां के हिन्दू तथा मुसलमान अथवा वहां पर रहने वाले व्यक्तियों में कोई शत्रुता नहीं है; आपसी मेलमिलाप है। उनके मन में राष्ट्र-विरोधी भावनाएं नहीं हैं। कश्मीर की अधिकतम जनता में भारत के बारे में कोई विशेष गलत भावना नहीं है। वे यह महसूस अवश्य करते हैं

कि कुछ ऐसे काम किए गए हैं जो नहीं किये जाने चाहिये थे। कुछेक ज्यादतियां की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा बहुत दमनकारी कार्य नहीं किए जाने चाहिएं। हम इन सभी बातों से सहमत हैं। परन्तु आधारभूत वास्तविकता यही है कि पूरे राज्य में जो अव्यवस्था फैल गयी थी, किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप अब कश्मीर में कुछ समुचित व्यवस्था कायम होती जा रही है तथा वहां की स्थिति बेहतर हो रही है।

इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करते समय हमारे विपक्षी मित्र अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ तथा इस प्रश्न से संबंधित पाकिस्तान के संदर्भ को पूरी तरह से भूल गये थे। मैं उनकी कठिनाई समझ सकता हूं। जो निर्णय उन्हें करना है, मैं उसे भी समझ सकता हू। संभवत: वे किसी अन्य के प्रति अपनी निष्ठा के बारे में सोच रहे हैं अथवा उन्हें सरकार की खिलाफत करनी है। वह काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया था तथा उनकी वाक्पटुता की तथा दूसरों को अपनी बात का भरोसा दिलाने के उनके प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हू। परन्तु हमें सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए। वे वास्तविकताएं कौन सी हैं? सरकार के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते समय श्री चिदम्बरम पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख करना भूल गए थे। वह केवल सरकार की असफलता के बारे में हीबता रहे थे। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार हमेशा अनिश्चय की स्थिति में रही है। सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है।

अब सरकार सख्त कदम उठा रही है। इस पर भी वे इसे पसन्द नहीं करते हैं। चाहे इसे किसी भी तरीके से किया जाए; शिकायत हमेशा बनी ही रहेगी। हमें उनकी समस्या समझनी चाहिये। वे हर एक मामले में राजनीति क्यों ला रहे हैं? उसकी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब जाते हैं तथा काफी साहस दिखाते हैं तथा उनके इसी कार्य से वहां सभी व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं तब भी वे यही सोचेंगे कि वह किसी चुनावी उद्देश्य अथवा विशेष कारणवश ही ऐसा कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने काफी महान बात कही है। उन्होंने कहा था कि, "मैं जाऊंगा तथा पदयात्रा करूंगा। यदि मैं वहां के लोगों द्वारा मारा जाऊं, तब भी मैं चाहूंगा कि मेरे अवशेष पंजाब में ही रहने दिए जाएं।" यह अत्यधिक साहसपूर्ण कार्य है तथा जनता से किये गये काफी महान आदर्शात्मक वादे हैं। परन्तु इस पर भी वे इसमें सरकार की ईमानदारी नहीं देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उनकी अपनी समस्या है। यदि उन्होंने इतनी ही निष्ठा तथा ईमानदारी से काम किया होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं अपने माननीय विपक्षी मित्रों को यहां बात बताना चाहता हूं।

यद्यपि सशस्त्र बल (जम्मू तथा कश्मीर) विशेष अधिकार संबंधी अध्यादेश के प्रख्यापन के पश्चात् से पिछले एक महीने में प्रयास किए गए हैं, तथापि यह अधिनियम आवश्यक है तथा स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। इसके पर्याप्त सुबूत हैं। यह बताया गया है कि घाटी में तथा बाहर दोनों स्थानों पर उग्रवादी गतिविधियों में तेजी आई है। इसको नियन्त्रण में करने के लिए इन सबकी अत्यधिक जरूरत थी। मैं समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक ही अपनी बात कह रहा हूं। वहां प्रतिदिन उग्रवादियों के साथ दस तथा पन्द्रह मुठभेड़ें हुई हैं तथा इन सभी व्यक्तियों को भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री तथा अन्य सामग्री सहित पकड़ा गया है। आंकड़े दिए गए हैं। यह सभी सख्त कार्रवाई करने तथा इस अध्यादेश के प्रख्यापन के कारण ही संभव हो पाया है।

हमने अपने पुलिस कर्मियों तथा सैनिकों के बारे में भी काफी बातें की हैं। हम सभी को यह महसूस करना चाहिए कि हमें उन व्यक्तियों पर अत्यधिक गर्व है जो अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आरम्भ में कहा था, हम उन कुछ कार्यों की अनदेखी नहीं करते जो नीति से अलग हटकर किए गए हैं। परन्तु ये व्यक्ति सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमारे सभी सुरक्षा कर्मी देश के विभिन्न भागों से आते हैं। वे इस बात में भेद नहीं करते कि कश्मीर में

कौन उग्रवादी है तथा कौन धर्मनिरपेक्ष हैं। जो भी व्यक्ति उनके सामने होता है, सारे समय वे यही शक करेंगे कि उसका उद्देश्य वहां खड़े होने का नेक है अथवा क्या वह अभी अगले ही क्षण हथगोला फेंकने वाला है। अत: ये लोग अत्यन्त चुनौतीपूर्ण तथा कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। मैं सुरक्षा कर्मियों तथा सैनिकों, दोनों के प्रति श्रद्धा से अपना सिर झुकाता हूं। वे सर्वाधिक कठिन कार्य कर रहे हैं। इसी कारण हम उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तथा इस विधेयक के माध्यम से हम प्रशासन को कुछ अधिकार दे रहे हैं कि जिससे हमारे सैना के जवान उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें जिसके लिए उन्हें वहां भेजा गया है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति जी को लिखे गये पत्र से, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुमति मांगी थी, उसके एक पैरा को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना का कहना है :

"कि राज्य के कर्मचारियों तथा राज्य पुलिस के कर्मचारियों का एक अच्छा खासा वर्ग.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उसे नहीं पढ़ा जाना है।

डॉ० वेंकटेश काबडे : कश्मीर के सम्बन्ध में जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सभी तथ्यों तथा पक्षों को ध्यान में रखते हुए मैं यही समझता हूं कि इस विधेयक को अत्यन्त उचित समय पर लाया गया है तथा मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, हम खिन्न मन से और एक उत्तरदायित्व की भावना के साथ इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। बाहर और कभी-कभी इस सदन में भी हमने निराशा से भरी आवाजें सुनी हैं। निराशाजनक आवाज यह है कि अनेक लोग यह समझते हैं कि कश्मीर को हमने खो दिया है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जिसमें कि सुधार नहीं आ सकता है। महोदय, मैं उन लोगों में नहीं हूं, बल्कि मैं यह मानता हूं कि कश्मीर को हमने नहीं खोया है। सिर्फ प्रादेशिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों के सन्दर्भ में भी यह भारत का ही भाग है। कुछ टिप्पणियां की गयी थीं कि हम कश्मीर को अपने अधिकार में भले ही रख सकते हैं; लेकिन जैसा कि श्री चिदम्बरम ने कहा, हम कश्मीरी लोगों के दिल, दिमाग और शरीर पर अधिकार नहीं रख सकते हैं। इसमें कुछ गतिरोध है। हम सिर्फ कश्मीर प्रदेश को ही नहीं बल्कि कश्मीर की संस्कृति, और कश्मीर के लोगों को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में लोगों में निराशा है, लेकिन इस निराशा के बावजूद हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अब इस विषय में हमसे कुछ नहीं हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को नजरअन्दाज करके विचार नहीं किया जा सकता है। मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह जी इस विषय पर पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं। लेकिन हमें भी सचेत रहना चाहिए और मैं अपने कुछ मित्रों से विशेषकर इस सभा में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि यह मुद्दा भारत का, सम्पूर्ण राष्ट्र का है तथा सम्पूर्ण देश के हित में इस पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

सीमा पार क्या हो रहा है और पूरे देश में क्या हो रहा है इसे हम एक क्षण के लिए भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के प्रयास

किये जा रहे हैं। मुद्दे को इस्लामी रंगत देने के भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने कुछ मित्रों से अनुरोध करूंगा कि मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग देना और हिन्दू तथा मुसलमान के आधार पर कश्मीर समस्या से निपटना सरासर मूर्खता होगी। देश के अन्तर्गत ही, न कि सीमा-पार ऐसी ताकतें हैं जो कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करती हैं। मेरा पहले से ही यह विचार रहा है कि इस मुद्दे का इस्लामीकरण करने के लिए इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने और इसे इस्लामी रंगत देने के धूर्ततापूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। बल्कि ऐसी ताकतें हैं जो कि इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रूप देने के लिए कार्यरत हैं तथा जम्मू और कश्मीर की पूरी समस्या को हिन्दू तथा मुसलमान, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक की समस्या का रूप देने के लिए कार्यरत हैं। इसलिए यह भी सरासर मूर्खता है। मैं अपने उन मित्रों से सिर्फ यह अनुरोध करूंगा कि यदि वे वास्तव में देश की एकता और अखण्डता बनाये रखना चाहते हैं तथा देश की सुरक्षा बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रूप नहीं देना चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश से सम्बन्धित है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि हिन्दू, ईसाई, मुसलमान और देश के सभी धर्मों के लोग सम्बन्धित हैं। महोदय, जहां तक कश्मीर की वर्तमान गंभीर स्थिति का संबंध है, हाल ही में पाकिस्तान में जो नई स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे हमारे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचने की आशंका है। जहां तक हमारे देश में उत्पन्न हो रही नई स्थितियों का सम्बन्ध है, वहां श्री जटोई की नई सरकार द्वारा किये जा रहे सैनिक कार्यवाही को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने जो कहा है मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने यह आशंका प्रकट की है कि एक नरम दल, जो इस क्षेत्र में स्थायित्व बनाये हुए था अब समाप्त हो चुका है तथा भारत और पाकिस्तान युद्ध के निकट आ गये हैं। चाहे श्रीमती भुट्टो की आक्रमणकारी और युद्धकारी स्थिति जो भी रही हो, वे जिस आंतरिक विवशता को महसूस कर रही थी और आज की नई सरकार भी जिसे महसूस कर रही है उससे पाकिस्तान द्वारा सैनिक कार्यवाही किये जाने की बहुत अधिक आशंका है। जम्मू और कश्मीर में हो रही उग्रवादी गतिविधियों से पाकिस्तान को अपने सैनिक उद्देश्यों में सहायता मिलेगी। यदि जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो मैं समझता हूं कि युद्ध की संभावना को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है।

फिर, एक अन्य मुद्दा है जिसे सभा के ध्यान में लाया गया है। मेरे कहने का आशय पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गयी टिप्पणी से जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को 'पाकिस्तान का अपूर्ण कार्यक्रम' बताया बताया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उनका अन्तिम लक्ष्य इसे पुनः अधिकार में लेना है। ऐसी स्थिति में आस-पास की इन खतरनाक स्थितियों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम भारत की सुरक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं। इस देश द्वारा जिन संकटों का सामना किया जा रहा है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध मैं अपने मित्रों से करूंगा। कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं, वे भारतीय नागरिक हैं। कश्मीर के लोग उतने ही राष्ट्र भक्त हैं जितने कि हम हैं। इस सभा में उपस्थित हममें से कोई भी व्यक्ति जितना देशभक्त है, कश्मीर के लोग भी उतने ही देशभक्त हैं। अतः हमें कश्मीर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

अन्य मुद्दों की चर्चा करते हुए मैं यह समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को इसे स्पष्ट करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि कश्मीर समस्या से निपटने में कुछ भूल हुई थी। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि वे त्रुटियां क्या हैं जिन्हें सरकार अब स्वीकार करती है। यदि सरकार कोई भूल स्वीकार करती है और वह भी स्वतन्त्रता दिवस जैसे किसी शुभ अवसर पर राष्ट्र के नाम प्रधान मंत्री के संदेश

द्वारा, तो मैं समझता हूं कि इस सभा को उस त्रुटि के बारे में जानने का अधिकार है। कश्मीर की प्रत्यक्षत: बिगड़ी हुई स्थिति में पुन: सुधार लाने हेतु सरकार जो कदम उठाने वाली है उन्हें समझने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार अपनी नीतियों में सुधार लाये तो स्थिति को सुधारने का अभी भी समय है। संक्षेप में, मैं अब सिर्फ कुछ मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा।

सरकार को कश्मीर के लोगों के मन से अविश्वास दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कश्मीर के लोगों में विश्वास जगाने का सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए। न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच, न केवल दो सरकारों के बीच, न केवल भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच विश्वास उत्पन्न करने की प्रक्रिया होनी चाहिए बल्कि मैं समझता हूं कि कश्मीर और शेष भारत के लोगों के बीच आपसी विश्वास बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। उनकी अलगाव की भावना का यही कारण है।

मुझे श्री चिदम्बरम की यह बात सुनकर हैरानी हुई थी जिन्होंने यह धारणा उत्पन्न करनी चाही थी कि उनमें अलगाववाद की भावना केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की स्थापना के साथ ही शुरू हुई है। इस सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कश्मीर को शेष भारत से अलग करने की प्रक्रिया तब शुरू हुई थी – क्षमा करें—जब आप वहां सत्ता में थे। क्या यह सत्य नहीं है कि जब राज्य में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस (ई) सत्ता में थी और फारूख अब्दुल्ला वहां के मुख्य मंत्री थे तो कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराये गये थे ? आपने क्या किया था ? आपने अलगाव की प्रक्रिया को रोकने के लिये कोई समुचित कदम नहीं उठाए। सरकार अलगाववादी प्रवृत्ति के तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती। अलगाव की स्थिति उनकी नीतियों के कारण ही पैदा हुई है। हो सकता है कि हमें यह समस्या पिछली सरकार से मिली हो। चूंकि हमने यह समस्या पिछली सरकार से प्राप्त की है और 6.00 म०प०

इसलिये अब जो सरकार केन्द्र में सत्तासीन है वह हमेशा इसके लिये पिछली सरकार को ही दोषी ठहराए; यह शोभा नहीं देता। इस लिये मेरे विचार में जम्मू और कश्मीर तथा शेष भारत के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने का कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिये।

अब हाल ही में, सुनने में आया है कि वहां फिर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पहले, मंत्री महोदय ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। श्री जार्ज फर्नान्डीज कश्मीर के लोगों तथा शेष भारत के लोगों के बीच संपर्क बनाने में बहुत व्यस्त थे। और मेरे विचार से न तो वे और न सरकार इस संबंध में कुछ कह रही है—···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, मेरे विचार से आप अपनी बात कल जारी रख सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय किया है कि इस विधेयक पर चर्चा आज ही पूरी कर ली जाए ताकि हम कल प्रसार भारती विधेयक पर चर्चा शुरू कर सकें। हम लोगों ने अब तक इस पर साढ़े चार घंटे चर्चा कर ली है। अब डेढ़ घंटे का समय बचा है और हमारा यह सुझाव है कि हम एक घंटा और बैठ जाएं ताकि यह चर्चा पूरी हो जाए। मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं और मतदान भी कल ही कराया जा सकता है।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, हम सहयोग करना चाहते परन्तु हम पर इस तरह दबाव न डालें। आप चाहते हैं कि प्रसार भारती विधेयक कल पेश किया जाए। हम इस पर कल एक बजे से 2.30 बजे म०प० के बीच चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : यदि आप कल भोजनावकाश के दौरान भी बैठक जारी रख सकते हैं तो हम इसे एक बजे से 2.30 बजे म०प० के बीच समाप्त कर सकते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा)। महोदय, वे भोजनावकाश के समय के विरुद्ध क्यों हैं ?

श्री पी० उपेन्द्र : मैं भोजनावकाश के समय के विरुद्ध नहीं हूं। आप भोजन अवश्य करें लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हम भोजनावकाश के समय को निलंबित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : हम लोग पूरे तरीके से कोआपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम तो सिर्फ यह चाहेंगे कि जरा उनकी तरफ भी तवज्जह देनी चाहिए, आपके मेंबर्स समय कम लें, ताकि विपक्ष के सदस्यों को तथा दूसरी पार्टीज के सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके, वे अपनी बात कह सकें। उपेन्द्र जी की दिक्कत यह है कि उनका अपनी पार्टी के मैंबर्स पर तो कंट्रोल है नहीं, हाउस पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम लोग लेट-आवर्स तक बैठें और लंच फारगो करें यह नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, यदि उनके दल के लिए कुछ और समय बचा हुआ है तो आप उन्हें निश्चय ही यह समय दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सेशन के आखिरी दिनों की बात होती तो हम लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस पूरा करना है, उसके लिए हम कोआपरेट करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन शुरू से ही आप यह चाहते हैं कि लेट-आवर्स में बैठना शुरू कर दें, तो यह संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में 22 विधेयक पारित किए जाने हैं। इसलिए यदि सदस्य यह चाहते हैं कि सितम्बर की पूरी अवधि तक बैठकर वे विधेयकों को पारित करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन विधेयकों को पारित करना है।

श्री वसंत साठे : आप सितम्बर तक सत्र को बढ़ा दें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, प्रस्तावित विकल्पों में से एक, देर तक बैठने के विचार को हमारे साथी श्री वसंत साठे ने अस्वीकार कर दिया है। दूसरा प्रस्ताव है भोजनावकाश के दौरान बैठक जारी रखने का। आप को वस्तुतः दोपहर के भोजन का त्याग नहीं करना है। आप कभी-भी जाकर भोजन कर सकते हैं, और संसद के इस औपचारिक भोजनावकाश के समय का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि किसी माननीय सदस्य को दोपहर का

अपना भोजन नहीं करना चाहिए। इस भोजनावकाश को निलंबित किया जा सकता है और मेरे विचार से यह तर्कसंगत है। इसलिए हमें भोजनावकाश के दौरान भी बैठक जारी रखनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कल भोजनावकाश के समय को शून्य काल में नहीं गिना जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आलरेडी हम दो बार कंसीड कर चुके हैं। हमने कहा लंच-आवर बैठ लेते हैं। यदि आज ही हम कल के विषय में डिसाईड कर लें कि लंच आवर फोरगो कर लेंगे तो यह एक प्रैक्टिस बन जाएगी। इसलिए आज हम कमिट करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : यह श्री साठे का सुझाव है। हमने श्री साठे के सुझाव को मान लिया है। आप क्यों पीछे हट रहे हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :उन्हें यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। अत: हमें 7.00 म०प० तक कार्यवाही जारी रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य और सचेतक इस मामले का सन्तोषजनक हल खोजने में सफल हो सकेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। श्री चित्त बसु अपनी बात कल जारी रखेंगे। अन्य सदस्य भी बोलेंगे। अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6 06 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 21 अगस्त, 1990/30 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

पी.एल.एस. 48/8/7/90 (एन०)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्कर
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक प्रिन्टवेल प्रिंटर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 द्वारा मुद्रि